राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उनचासवां दिवस [संख्या: 23

गुरुवार,

12 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री सतीश पूनियां।

'तानाजी' फिल्म को कर मुक्त करने की कार्ययोजना

351. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि हाल ही में सरकार द्वारा 'छपाक' फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त करने का निर्णय लिया गया था? क्या सरकार देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म 'तानाजी' को भी मनोरंजन कर से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): जी हां। फिल्म "छपाक" को राज्य में कर से मुक्त करने का निर्णय लिया गया था।

जी.एस.टी. लागू होने के बाद वर्तमान में मनोरंजन कर लागू नहीं है। फिल्म "तानाजी" सिनेमाघरों में लगभग दो माह पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म को राज्य में कर मुक्त करने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है व वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 'छपाक' को राज्य में कर मुक्त करने पर राज्य सरकार को कितने अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई है और इसकी भरपाई सरकार किस रूप में करने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): कीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहली बात तो यह है कि राजस्थान में मनोरंजन कर नाम की कोई चीज नहीं है। आपका सवाल मनोरंजन कर में छूट देने का था। राज्य में 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू हो चुकी है और जीएसटी में ये सारे मर्ज हो गये। आपको सवाल करना चाहिये था तो वह जी.एस.टी. के नाम पर करना चाहिये था, मनोरंजन कर के नाम पर नहीं करना चाहिये था, एक बात। दूसरी बात जो आपने पूछा कि 'छपाक' से कितना नुकसान हुआ? 'छपाक' का अभी तक क्लेम नहीं आया है, क्लेम आने के बाद उसका परीक्षण होगा, परीक्षण के बाद पता लग पायेगा कि कितना हुआ।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 11 फरवरी को भी यही बात कही थी कि माह जनवरी, 2020 तक जी.एस.टी. की रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 24 फरवरी है। करदाताओं से आवेदन प्राप्त होने पर ही संबंधित राजस्व की गणना किया जाना संभव होगा। 24 फरवरी आखिर थी और अब मार्च हो गया, तो क्या अब तक इसकी गणना नहीं हुई?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, गणना नहीं हुई है। गणना होने के पश्चात् ही पता लग पायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी पर व्यय राशि

352. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में पं. दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं

(श्री नरेन्द्र नागर)

तथा अब कब तक उक्त को पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) झालावाड़ जिले में पं. दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी में स्वीकृत कार्यों की मदवार राशि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्तमान में अपूर्ण कार्यों का विवरण तथा कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या बोले आप, मुख्य मंत्री?

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): उप मुख्य मंत्री।

श्री अध्यक्ष: आपको सुनने में कोई तकलीफ हुई क्या?

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी देनदारियां थीं, उसकी एवज में सरकार के द्वारा कितना भुगतान हुआ और कितना बाकी है, पहला प्रश्न। दूसरा, उप मुख्य मंत्री महोदय, परिशिष्ट-ब में आपने जवाब दिया है कि 31.12.2020 तक बजट की उपलब्धता के हिसाब से काम पूरा किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में जितने बजट की आवश्यकता है, क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में पूरा बजट देकर इस योजना को अंतिम पायदान पर पहुंचाना चाहती है?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस हवाई पट्टी का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है और कुल मिलाकर 10 काम प्रस्तावित किये गये थे और हमें भारत सरकार की जो अंतिम स्वीकृति मिली है, वह 18.07.2019 को मिली है। यह बात सही है कि वित्त विभाग से जितना पैसा हमने मांगा था, हमें मिल नहीं पाया लेकिन हमारी कोशिश है क्योंकि वह स्ट्रिप अब लगभग दोगुनी हो जायेगी, उसमें हाई वे को शिफ्ट करना पड़ रहा है, फोरेस्ट को मूव करना पड़ रहा है। तमाम काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में अधिक धनराशि लगाकर इस काम को हम जल्द कराने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न संख्या 353

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीर सिंह भायल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री मोहन राम चौधरी।

नागौर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों की गुणवत्ता की जांच

354. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नागौर में आवासन मंडल द्वारा निर्मित भवनों के निम्न स्तर की गुणवत्ता के निर्माण कार्यों की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा जांच के आदेश दिये गये थे?

(2) क्या उक्त शिकायत की जांच करवायी गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या निम्न स्तर के निर्माण कार्य से बने भवनों को पुन: ठीक करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त पर जो राशि व्यय हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं क्या जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित फर्म से उक्त राशि वसूल की गई है?

(5) क्या निम्न स्तर के निर्माण कार्य के भवनों का आबंटन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 'आपका जिला आपकी सरकार' अभियान के दौरान राजस्थान आवासन मण्डल की नागौर स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर योजना का निरीक्षण दिनांक 29.10.2015 को किया जाकर निर्माण कार्य की जांच स्वतंत्र तृतीय पक्ष (TPI) द्वारा करवाये जाने बाबत निर्देशित किया गया व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.8(50) नविवि/2015 दिनांक 04.11.2015 दिये गये।

(2) आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना में निर्माणाधीन 108 आवासों की गुणवत्ता की स्वतंत्र तृतीय पक्ष से निरीक्षण एवं परामर्श हेतु भारत सरकार के उपक्रम सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नवी मुम्बई को कार्यादेश क्रमांक 494 दिनांक 22.07.2016 जारी किये गये। सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि. (CEIL) द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात् उनके आदेश क्रमांक 1644 दिनांक 08.08.2016 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) डा. भीमराव अम्बेडकर योजना नागौर में निर्माणाधीन आवासों के निर्माण में गुणवत्ता के प्रति लापरवाही हेतु उत्तरदायी दो आवासीय अभियंताओं एवं दो परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) को मण्डल आदेश क्रमांक 2149 दिनांक 04.11.2015 द्वारा निलम्बित किया गया। विभागीय जांच के अन्तर्गत दोषी पाये जाने वाले एक आवासीय अभियंता की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई व दूसरे आवासीय अभियंता को भविष्य में सतर्कता बरतने की लिखित चेतावनी दी गई। एक परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया जाकर विभागीय जांच निस्तारित करते हुए आवासन मण्डल सेवा में दिनांक 12.02.2018 को बहाल किया गया व एक परियोजना अभियंता (वरिष्ठ) को विभागीय जांच में निर्दोष पाया गया।

(4) डा. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कालोनी के 108 आवासों की जांच में स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षक सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि., नवी मुम्बई द्वारा बताई गयी कमियों को विशिष्टियों के अनुरूप दुरुस्त कराया जाना है। इन भवनों को ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है। ठीक करवाये जाने पर व्यय की जाने वाली राशि रुपये 36 लाख होगी। अधिकारियों को दण्डित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। भवनों को ठीक करवाने की राशि Risk and Cost पर संबंधित ठेकेदारों/संबंधित फर्म से ही वसूल की जायेगी।

(5) डा. भीमराव अम्बेडकर आवासीय कालोनी के 108 आवासों के निर्माण में कमियां पाई गई थीं, उसमें से 42 आवासों का आबंटन लाटरी के द्वारा मूल आवेदकों को किया गया है। इन आवासों के निर्माण में पाई गई कमियों को विशिष्टियों के अनुरूप दुरुस्त करवाये जाने के उपरान्त ही आबंटन पत्र जारी किये जाएंगे, जिससे कि इनमें रहने वाले किसी भी रहवासी को आवास के निर्माण की वजह से कोई हानि न हो। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी आवास अभी भी निर्माणाधीन हैं एवं इनका कब्जा नहीं दिया

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

गया है। समस्त तरह की कमी-पूर्ति के उपरान्त ही कब्जा दिया जायेगा, अत: इसके लिये कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 28.09.2019 को ई आक्शन कार्यक्रम द्वारा 453 भवनों को 50 प्रतिशत की छूट में बिक्री करने की विज्ञप्ति दी गई थी, 42 भवन ही क्यों बेचे गये, क्या कारण रहा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल कुल मिलाकर 108 भवनों के बाबत था। जहां तक 108 भवनों का सवाल है, इसमें कुल मिलाकर 78 पंजीकरण तो एमआईजी के आये थे, 23 एमआईजी बी के आये और एचआईजी के आये 7, कुल मिलाकर 108 हुए। सवाल यह है कि जिन्होंने पैसा जमा कर दिया, वह थे 80 आदमी लेकिन उनमें से 27 आदमियों ने वापस भी ले लिया। फिर इसी तरीके से 42 को आवास आबंटन हुआ और 42 में 11 निरस्त हो गये, अब बचे आपके कुल मिलाकर 55, 55 को बुधवार नीलामी उत्सव में राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत 50 प्रतिशत की छूट पर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 108 आवासों के खराब होने पर उनकी मरम्मत में 36 लाख रुपये की कीमत बतायी गयी है, जबकि वस्तुस्थिति यह नहीं है। यदि एक-एक लाख रुपये भी उनके मकानों पर लगाये जाएं, तब भी वे ठीक नहीं होंगे, क्या मंत्री जी, इनका आकलन पुन: करवाएंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आकलन करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन हुआ और उसकी रिपोर्ट आयी तो उस रिपोर्ट में सिर्फ चार कमियां दिखती हैं। वे सारे भवनों में नहीं दिखी हैं। कुल मिलाकर 42-46 भवनों में दिखी हैं, जिनका इंस्पैक्शन तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के द्वारा करवाया गया था। जांच में मुख्यत: आवासों के प्लास्टर की गुणवत्ता उचित नहीं होना, आरसीसी में कुछ स्थानों पर हनीकाम्बिंग होना, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होना, गुमटी की छत में कमी इत्यादि कमियां पायी गयी थीं। जांच में सभी आवास स्ट्रक्चरल दृष्टि से सुरक्षित पाये गये थे। निर्माण कार्य

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

की गुणवत्ता को सामान्य रूप से संतोषजनक बताया गया था। जिन भवनों में कमियां थीं, उनको कुल मिलाकर ठीक करने के लिए, कब्जा देने से पहले 36 लाख रुपये का व्यय होगा और यह व्यय भी कांट्रेक्टर से वसूल किया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इन आवासीय भवनों का इंस्पेक्शन आपने 2015 के दसवें महीने में शुरू किया था, थर्ड पार्टी। अभी हम 2020 में हैं, इतने लंबे समय में, आपके उत्तर से यह स्पष्ट हो रहा है कि गुणवत्ता में कुछ कमियां रही हैं, यह आपने माना है। गुणवत्ता में जो कमी रही है, उसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। 2015 से लेकर अब तक इन मकानों का आबंटन न होने से क्या विभाग के ऊपर आर्थिक भार हुआ, या नहीं हुआ?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बात सही है कि 04.11.2014 को उसकी रिपोर्ट आ गयी, लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री के द्वारा जब इन भवनों का निरीक्षण किया गया तो भवनों के निरीक्षण के लिए उन्होंने दो मौखिक आर्डर किये, एक तो यह कि इसकी थर्ड पार्टी जांच करवाइये। दूसरा, यह भी दिया कि तुम मकान बनाना बंद कर दो, पूरे राजस्थान में अपनी दुकान बंद करो। इस तरह का आदेश अगर कोई मुख्य मंत्री देगा तो हम उस संस्था से क्या एक्सपैक्ट कर सकते हैं। फिर भी इस सरकार के आने के बाद ये सब काम चालू किये गये हैं और इन मकानों के दुरुस्त करवाने के बाद ही आबंटन-पत्र जारी होगा, आबंटन दिया जाएगा और कब्जा भी दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा।

महाराणा प्रताप समाधि स्थल को पर्यटक दृष्टि से विकसित करने की कार्ययोजना

355. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में महाराणा प्रताप की समाधि स्थल को पर्यटक की दृष्टि से विकसित करने व उनके महलों का पुन: निर्माण करने तथा समाधि स्थल, प्रताप सागर केजड को वर्ष-पर्यन्त भरा रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): महाराणा प्रताप की समाधि स्थल आदि के पर्यटन विकास हेतु वर्ष 2012-13 में राशि रुपये 83.58 लाख के कार्य कराये गये हैं।

उक्त स्थल पर अन्य विकास कराया जाना प्रस्तावित नहीं है। विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

मैं माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि आपने मुझे 20 तारीख को जो एक चिट्ठी लिखकर दी है, उस चिट्ठी को हमने 24 तारीख को फोरवर्ड कर केन्द्र सरकार को एडिशनल फंड देने को लिख दिया है और अगर आप सूची चाहते हैं पर्यटन विभाग द्वारा गत वर्षों में महाराणा प्रताप से संबंधित स्थलों के विकास पर, तो वह पूरी सूची भी मेरे पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 के पश्चात् अब तक राशि स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या सरकार पयर्टन स्थलों हेतु प्रति वर्ष निश्चित राशि विकास कार्यों हेतु स्वीकृत करने की इच्छा रखती है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): ज्यादातर तो आपकी सरकार ही रही है, लेकिन इस एक साल में, वहां पर आवश्यकता नहीं है। हमने ए.सी.डी. सराड़ा जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं, जो कि कमेटी बनी हुई है, उनको भी दुबारा पत्र लिखा है कि और कोई आवश्यकता अगर हो तो उसका एस्टीमेट हमारे पास भिजवाएं। अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहें तो आप दे दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इन ऐतिहासिक स्थानों को विकसित करने के लिए सरकार ने एक बार तो पैसा लगा दिया, लेकिन इसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से आपने जो काम कराया है, वह भी बिलकुल खंडहर हो गया है, क्या सरकार इसके बारे में कोई विचार करेगी कि किसी स्थान को विकसित कर देने के बाद वह सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार कोई विचार रखती है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे। आपने जो विचार रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

संगरिया की ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा के श्मशान घाट की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्ययोजना

356. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा में श्मशान घाट की भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के संबंध में सरपंच द्वारा प्रशासन को बार-बार शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त अवैध क़ब्ज़ों को हटाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा कब तक कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा की श्मशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण है। ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा के चक 17 एमजेडी की 1.012 हैक्टेयर गै.मु. श्मशान पर 11 परिवारों ने तथा इसी चक की 0.253 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु. हड्डारोड़ी की भूमि पर 02 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। गै.मु. श्मशान की भूमि पर बसे 11 परिवारों के खिलाफ तहसीलदार संगरिया द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.03.2020 नियत है तथा गै.मु. हड्डारोड़ी पर बसे 02 परिवारों के खिलाफ तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित कर दिया गया है तथा संबंधितों को दिनांक 18.03.2020 तक स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया है। धारा 22 के तहत विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय पारित होने पर निर्णयानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा के अंदर श्मशान घाट

(श्री गुरदीप सिंह)

की जो चार बीघा जमीन थी, अब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है। लोग-बाग़ अपने खेतों में जाकर संस्कार करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि इसका कब्जा कब हटाएंगे?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस अतिक्रमण के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तहसीलदार ने नोटिस दे दिया है। इस नोटिस की जो नियमानुसार समयावधि है, उसके समाप्त होते ही नियमानुसार कब्जा हटा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में खाद्य सुरक्षा योजना में देय सुविधाएं

357. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत पांच वर्ष में खाद्य सुरक्षा योजना में कितने नाम जोड़े एवं काटे गये? ग्रामवार एवं वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना में लाभान्वितों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

(3) उक्त योजना में जिनके नाम काटे गये हैं, इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में गत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े एवं काटे गये नामों का ग्रामवार, वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्र्तगत खाद्य विभाग द्वारा अन्त्योदय परिवारों को 35 कि.ग्रा. प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एवं बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्य पात्र परिवारों को 5 कि.ग्रा. प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से गेहूं दिया जाता है।

(3) उक्त योजना में काटे गये नामों के निम्न कारण रहे हैं:

1. राजकीय सेवा।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

2. सरकारी पेंशनर।

3. निष्कासन श्रेणी अनुसार अपात्र।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मेरे सवाल का जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ के विद्युत कनेक्शन से वंचित विद्यालय

358. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कौन-कौनसे विद्यालय विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वंचित विद्यालयों में सुचारु अध्ययन व्यवस्था बनाये रखने के लिए विद्युत कनेक्शन शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन करवाने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाएं जैसे चारदीवारी, शौचालय, लैब व अन्य कक्ष आदि का निर्माण प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करवा लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (राज्य मंत्री, शिक्षा के स्थान पर): (1) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कुल 9 राजकीय विद्यालय बिजली कनेक्शन से वचिंत हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य एम.पी./एमएलए लैड/ सी.एस.आर./ जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से किये जाने का प्रावधान है, इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बिजली कनेक्शन करवाये जा सकेंगे।

(3) विद्युत कनेक्शन विहीन राजकीय विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन का कार्य एम.पी./एमएलए लैड, सी.एस.आर., जनसहयोग एवं विद्यालय विकास कोष इत्यादि से किये जाने का प्रावधान है, इस हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर बिजली कनेक्शन करवाये

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जा सकेंगे। चारदीवारी निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा, सी.एस.आर., एम.एल.ए./एम.पी. लैड आदि योजनाओं से प्रयास किये जा रहे हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चारदीवारी निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में आधारभूत भौतिक सुविधाओं की पूर्ति जैसे शौचालय, लैब व अन्य कक्ष आदि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

वर्तमान में सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में विभिन्न योजनाओं से आधारभूत भौतिक सुविधाओं की पूर्ति हेतु करवाये जा रहे निर्माण कार्यों का विवरण मय संभावित पूर्णता का माह परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि किन-किन विद्यालयों में एमपी और एमएलए लैड से कनेक्शन अभी तक हुए हैं? वह विवरण चाहिए और क्या सरकार जो विद्युत विहीन विद्यालय हैं, उनमें अपने स्तर पर भी कनेक्शन करवाने का विचार रखती है? खण्ड 3 में इन्होंने आधारभूत सुविधाओं के लिए एक सूची दी है, उसमें 12 विद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब तक देरी का क्या कारण है? और देरी के लिए जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही का विचार रखती है सरकार?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के कनेक्शन, इन्होंने यह नहीं पूछा कि कौन-कौनसे विद्यालय में बिजली के कनेक्शन एमएलए/एमपी फंड से हुए हैं, इन्होंने पूछा कितने विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें बिजली के कनेक्शन नहीं हैं? मैंने सूची दे दी कि 9 में नहीं हुए और बिजली का कनेक्शन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान नहीं है। एमएलए साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

कि अपने फंड से बाकी में हो गये तो, आप अपने फंड से पैसा देंगे तो बिजली का कनेक्शन करा दिया जाएगा। आधारभूत सुविधाएं जैसे मकान, लैब ये पैसा भारत सरकार के मंत्रालय से आता है, उसमें किया जाता है। चारदीवारी का कोई प्रावधान इस फंड में समग्र शिक्षा अभियान में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गिर्राज सिंह।

बाड़ी के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

359. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में वर्ष 2013 से राजकीय महाविद्यालय संचालित है? क्या उक्त महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य जैसे विषय स्वीकृत नहीं हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में व्याख्याता, प्रोफेसर, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय चालू कर स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में वर्ष 2014 से सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी संचालित है। उक्त महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय नहीं है, केवल कला संकाय संचालित है।

(2) उक्त महाविद्यालय में वरिष्ठ सहायक (वरिष्ठ लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के क्रमशः 02-02 पद रिक्त हैं।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी में यथासमय विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पद खाली हैं

(श्री गिर्राज सिंह)

मंत्रीजी, ये कब तक भरे जाएंगे? जो स्टाफ है, वह पहले से ही कम है। व्याख्याता का पद है, वह आपने अलवर डैपुटेशन पर लगा रखा है। दो-दो पद खाली हैं। लगे कितने, थोड़ा यह भी बता दें?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, इसमें उक्त महाविद्यालय में वरिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी के दो पद खाली हैं, प्रोफेसर और इनके बारे में कुछ उत्तर नहीं है। प्रश्न यह है कि उक्त महाविद्यालय में व्याख्याता, प्रोफेसर, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं? इसमें टीचिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है। टीचिंग के सारे पद भरे हुए हैं?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में जो शैक्षणिक पद हैं, वह 10 स्वीकृत हैं, उसमें से 7 पद भरे हुए हैं और अशैक्षणिक जो 11 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 4 पद भरे हुए हैं। बाकी रिक्त पदों को जब हमारे चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे आगामी समय में, उनकी उपलब्धता होने पर भर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, परंतु प्रश्न का उत्तर विधान सभा में पूरा नहीं है। इसमें सूचना में टीचिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। माननीय सदस्य, कह दिया। माननीय सदस्य, कुछ पूछना है?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि 500 बच्चे पढ़ रहे हैं उस कालेज में, कहीं से भी जो आपने इधर-उधर डैपुटेशन पर लगा रखे हैं, आप उनको परमानैंट भेजें। डैपुटेशन से कोई समाधान नहीं है। आपने हमारे यहां से बैठाकर अलवर लगा दिए, उनकी वापसी करायी जाए। एक विषय बढ़ाने की बात भी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): विषय बढ़ाये जाएं।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिक्त पद हैं, उन विषयों को हमने रेस योजना के तहत जिला मुख्यालय से हमारे जो दूसरे उसी विषय के शिक्षक हैं, उनको लगाकर पाठ्यक्रम पूरा करवाया है। जहां तक अलवर में कार्य व्यवस्थार्थ शिक्षक की

(श्रीं भंवर सिंह भाटी)

बात है, उनकी कार्य व्यवस्थार्थ जो है, उनको मैं निरस्त करने की घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2020)

रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्ययोजना

27. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पूर्ववर्ती सरकार के समय कितनी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किये गये थे? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भर्ती प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) उक्त में से कितने पदों पर भर्ती की जा चुकी है तथा कितने पदों पर भर्ती किया जाना शेष है?

(4) वर्तमान में प्रदेश के सरकारी विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) पूर्ववर्ती सरकार के समय भर्तियों के लिए जारी विज्ञापनों संबंधित सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विज्ञापित पदों में से की गई भर्ती एवं उनमें से रिक्त रहे पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' के कालम 7 पर उपलब्ध है।

(3) परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(5) जी हां। समय सीमा सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि खण्ड संख्या 2 में आपके उत्तर

(श्री संदीप शर्मा)

के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार के समय की जो शेष भर्तियां हैं, जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, ये भर्तियां कब तक पूरी हो जाएंगी? परिशिष्ट 'ख' पर आपने 33829 पदों को निरस्त किया जाना बताया है, इनको निरस्त किए जाने के कारणों से अवगत करा दें? और वर्ष 2019 के बजट में आपने जो 75000 भर्तियों की घोषणा की थी, इनकी वर्तमान प्रगति क्या है? कृपया इसकी जानकारी दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 33829 विद्यालय सहायकों का जो विज्ञापन जारी किया गया था, वह पूर्ववर्ती सरकार ने ही निरस्त कर दिया था। इसके बाद कुल-मिलाकर 2 लाख 6 हजार 764 पद की विज्ञप्तियां पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में जारी की थीं। उसमें से पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में नियुक्तियां मात्र 1 लाख 4 हजार 482 पदों पर हुईं। हमारी सरकार आने के बाद वर्तमान सरकार के वक्त 33200 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन किसी भी वक्त जारी होता है, नियुक्तियां किस वक्त होती हैं, वह गिनी जाती हैं। मैं समझता हूं कि विज्ञापन तो जाती-जाती सरकार ने काफी संख्या में जारी कर दिए लेकिन नियुक्ति नहीं कर पाए। वर्तमान सरकार ने आने के बाद काफी नियुक्तियों पर कार्यवाही की है और अभी तक 33209 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं 24797 पदों के, साक्षात्कार प्रस्तावित हैं 592 के, परीक्षा आयोजित किंतु परिणाम जारी करना शेष है 7023 पद, विज्ञापन प्रकाशित 25,936, विज्ञापन जारी किया जाना शेष है 7,281, न्यायालय में वाद लम्बित हैं 18,940.

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी द्वारा कंडक्ट करवाई गई परीक्षाओं के परिणाम तथा भर्तियों की प्रक्रिया है, इनकी समय से नियुक्ति हो जाए, इसके लिए सरकार क्या गम्भीरतापूर्वक विचार रखती है? आरएएस, 2018 और लैब टैक्नीशियन की परीक्षा, जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आये हैं तथा एलडीसी, 2018 जिसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है और वित्त विभाग में अटकी हुई भर्तियां तथा न्यायालय में विचाराधीन भर्तियों के कितने मामले अभी लम्बित हैं? इनको क्लीयर करवाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? कृपया अवगत कराएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया 18940 पद ऐसे हैं जो न्यायालय में लम्बित हैं। 7023 की परीक्षा आयोजित हो चुकी लेकिन परिणाम जारी करना शेष है। इसके अलावा 24797 के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। साक्षात्कार 591 के प्रस्तावित हैं। मैंने परिशिष्ट पर आपको एक-एक विभाग की पूरी जानकारी दे रखी है। आप पर्टिकूलर किसी विभाग का जानना चाहें तो इसमें सारी जानकारी है। एक-एक विभाग का दिया हुआ है, कहां-कहां, कौनसा प्रकरण लम्बित है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड चार में टोटल वैकेन्सी 02 लाख 95 हजार 114 बताई है। आपकी पिछली बजट घोषणा थी 75 हजार लोगों की भर्ती करेंगे, उसमें क्या प्रोग्रेस है? कितने की विज्ञप्ति जारी हो गई, कितनों का सलेक्शन हो गया, परीक्षा कितनी हो गई?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे बजट में लगभग 74 हजार 594 की भर्ती की घोषणा की थी। इसमें से 35 हजार 209 पदों पर नियुक्ति दे दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 75 हजार की.....

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं बता रहा हूं न, 35 हजार 209 को तो नियुक्ति दे चुके हैं। परीक्षा परिणाम अभी जारी किए 24 हजार 797 के, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। 592 के साक्षात्कार प्रस्तावित हैं। परीक्षा आयोजित कर ली गई, परिणाम 7 हजार 23 के शेष हैं। हमने विज्ञापन प्रकाशित कर रखे हैं 25 हजार 936 के। न्यायालय में लंबित 18940 हैं, यह कुल मिलाकर आप करेंगे तो 1 लाख 19 हजार 778 होते हैं। (व्यवधान) एक मिनट पूरा कमप्लीट, let me complete first. अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जाते-जाते लगभग एक लाख व्यक्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए, भर्तियां कुछ भी नहीं कीं। खाली विज्ञापन जारी करने से भर्ती थोड़े ही होती है। हम लोगों ने आपको पूरी डिटेल दी है। 01 लाख 19 हजार 778 लोगों की सूची मैंने बताई है, प्रक्रियाधीन है। बहुत शीघ्र ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। 2019-20 के बजट में आपने 75 हजार घोषित की, उसके तहत कितना विज्ञापन हुआ, कितने की परीक्षा हुई, उसमें से कितनी नियुक्ति हुई, यह बता दीजिए?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया न, अभी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में परीक्षा परीणाम 24 हजार 797...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कटारिया जी, यह प्रश्न पूर्व सरकार का पूछा नहीं, अगला प्रश्न। अलग से प्रश्न है। अगला प्रश्न, श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न संख्या 361.

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, 360.

श्री अध्यक्ष: सॉरी, 360, भरत सिंह जी।

धूलेट (सांगोद) में रियासतकालीन पुलिया को एनिकट बनाने की कार्ययोजना

360. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद के गांव धूलेट में बनी रियासतकालीन पुलिया को एनिकट बनाने के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी विभाग ने उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनुपयोगी रियासतकालीन पुलियाओं को एनिकट बनाकर पानी को रोका गया है, जिससे भू-जल में वृद्धि का लाभ मिला है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पर यदि अभी एनिकट नहीं बनाया गया तो यह पुलिया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी व भविष्य में एनिकट निर्माण की लागत कहीं ज्यादा आएगी?

(4) क्या सरकार जल संरक्षण एवं भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु उक्त पर एनिकट निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): (1) जी हां।

(2) सांगोद क्षेत्र में अनुपयोगी रियासतकालीन पुलियों में से कालीसिंध नदी पर आजादपुर, उजाड नदी पर सांगोद कस्बे के समीप, मंडाप एवं विनोद खुर्द तथा परवन नदी पर टोकमऊ पुलियाओं को एनिकट में परिवर्तन करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है। भूजल स्तर का आंकलन प्रक्रियाधीन है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(3) वर्णित स्थान पर एनिकट निर्माण नही किये जाने से रपट (पुलिया) के क्षतिग्रस्त होने तथा भविष्य में एनिकट निर्माण की लागत ज्यादा होने की संभावना है।

(4) जल संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि हेतु कालीसिंध नदी पर धूलेट स्थित रियासतकालीन पुलिया को परिवर्तित कर एनिकट बनाने के प्राप्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु वित्त पोषण संबंधित स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खण्ड-2 में इन्होंने जिन रियासतकालीन पुलियाओं का उल्लेख किया है, इनका निर्माण कितने साल पहले हुआ था? इसका आकलन करने में सिंचाई विभाग को कितने साल लगते हैं? आप इसका आकलन कर रहे हैं, उसमें कितने साल लगते हैं? पुलियाओं का निर्माण कितने साल पहले किया गया? 5-7 साल के अंदर, अभी तक विभाग आकलन क्यों नहीं कर पाया? मेरा यह प्रश्न है, आप किस प्रकार आकलन करते हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हम पीजोमीटर से आकलन करते हैं। पीजोमीटर बता सकता है कि भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है। 2018 के दौरान पूरी पंचायत समिति सांगोद में औसत से अधिक 970 एम.एम. वर्षा होने के कारण, मानसून पूर्व 2019 के भू-जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। अन्यथा वर्ष 2015 से 2018 तक मानसून पूर्व जल स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। पीजोमीटर सांगोद में ही भू-जल विभाग का जल मापने हेतु स्थापित है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने उत्तर दिया वह मेरे प्रश्न से अलग है। मैं इतना-सा जानना चाहूंगा कि खण्ड-4 में इन्होंने उत्तर दिया है, मैं तो सिर्फ हां और ना में यह जानना चाहूंगा कि यह पुलिया, इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? मैं इसलिए आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि सांगोद में 20 हजार ट्यूबवैल से सिंचाई होती थी और इन पुलियाओं के बनने के बाद वह सारे ट्यूबवैल चालू हैं, इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे तो ठीक, नहीं बनाते हैं तो मना कर दीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सांगोद विधान सभा क्षेत्र में तहसील कनवास में कालीसिंध नदी पर ग्राम धूलेट से खानपुर रोड पर रपट को एनिकट निर्माण में परिवर्तित करने के प्रस्ताव राजीव गांधी जल संचय

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर कोटा को दिनांक 05.03.2020 को मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा द्वारा भेजे गए हैं। वहां से प्रस्ताव आने पर, जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर दक्षिण में विधायक कोष से अभिशंसित कार्य

361. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में विधायक कोष से वित्तीय वर्ष 2018-19 में किन-किन कार्यों की अभिशंसा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां कब जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह भी सही है कि अजमेर शहर में कृषि भूमि जो खातेदारी में दर्ज है, उन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित करने का अधिकार अजमेर विकास प्राधिकरण में निहित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत कार्य जो भूमि की किस्म खातेदारी (कृषि भूमि) होने के कारण स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें आबादी भूमि में परिवर्तित कर स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अभिशंसित समस्त कार्य अत्यधिक पुरानी घनी आबादी में स्वीकृत किये गये हैं?

(6) उक्त कार्य जहां स्वीकृत किये गये हैं वहां पर कितने परिवार मकान बनाकर निवास कर रहे हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में विधायक कोष से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिशंसित कार्यों में से स्वीकृत/प्रक्रियाधीन कार्यों का विवरण परिशिष्ट अ-1 एवं अस्वीकृत (निरस्त) कार्यों का विवरण अ-2 पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट अ-1 पर संलग्न है।

(3) अभिशंसित कार्यों की निर्धारित समयावधि में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में भू-स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने, अपर्याप्त राशि की अनुशंसा आदि कारणों से वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने में विलम्ब हुआ है।

(4) जी हां। अजमेर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिसूचित शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि जो खातेदारी में दर्ज है, का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आबादी (अकृषि) प्रयोजनार्थ/नियमन/रूपान्तरण/आबंटन का अधिकार अजमेर विकास प्राधिकरण में निहित होने से प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बसी आबादी क्षेत्रों के उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया उपरान्त नियमन की कार्यवाही की जाती है। अवधि की गणना, प्रकरण विशेष के गुण-अवगुण पर ही निर्भर करेंगी।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत खातेदारी भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के लिये खातेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वत: ही भूमि के खातेदार की सुनवाई करने के बाद मास्टर प्लान के अनुसार आबादी में परिवर्तन करने का उचित आदेश जारी करने का प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा आगामी शहरी अभियान के दौरान स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर संबंधित भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज कर स्वीकृति से शेष रहे अभिशंसित कार्यों को नियमान्तर्गत स्वीकृत किया जाएगा।

(5) जी हां। माननीय विधायक महोदया की अभिशंसा पर योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अत्यधिक पुरानी घनी आबादी में भी कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(6) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 10 कार्य नगर निगम क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, जहां संबंधित वार्डों में लगभग 850 परिवार निवासरत हैं। इसी प्रकार 28 कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं जहां संबंधित क्षेत्र में 3000 परिवार निवासरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड-3 के जवाब में कहा है कि अभिशंसित कार्यों की निर्धारित समयावधि में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने मुझे परिशिष्ट-अ उपलब्ध करवाया है, उसमें 42 कामों की अनुशंसा की गई है। उन 42 कामों में आप देखिए, जो काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुए मैं उन्हीं का उल्लेख करूंगी। क्रम संख्या-4 पर वार्ड नम्बर 34 गाडिया लुहार बस्ती झलकारी नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। अध्यक्ष महोदय, यह मैंने 01.06.2018 को स्वीकृत किया था और आज मार्च 2020 चल रहा है। मात्र यह तीन लाख रुपये का काम है।

अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यकारी एजेंसी है। इसमें भू स्वामित्व की कोई परेशानी नहीं है, कुछ आड़े नहीं आ रहा है। यह यू.आई.टी. की लैण्ड है। यू.आई.टी की लैण्ड पर यह काम स्वीकृत हुआ है। फिर दो साल पश्चात् भी यह काम अभी तक क्यों नहीं हो पाया?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 6, इसमें मेयो लिंक रोड पर 33 के.वी. की लाइन को शिफ्ट करना है, क्योंकि वह मेयो लिंक रोड है, मेन रोड है। 33 के.वी. की लाइन उसके बीचों बीच से जा रही है, इसलिये मैंने एक लाख रुपये स्वीकृत किये थे। 50 हजार रुपये की टैक्निकल स्वीकृति जारी हुई। यह मैंने 11.06.2018 को स्वीकृत किया है। यह कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। आगे आप देखेंगे, वार्ड नम्बर 17 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंत ही नहीं होगा। प्रश्न आप पूछ लें। आपका सीधा प्रश्न है, जो मैंने स्वीकृत किये हैं, वे क्यों नहीं हुए? यूं पूछते ही जाएंगे तो अंत ही नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यही तो मैं पूछ रही हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कितनी बार, 10 पूछेंगे तो सप्लीमेंट्री इतना थोड़े ही होगा ...(व्यवधान) यह तो दे चुके हैं आपको। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये सप्लीमेंट्री हैं न, मेरे 42 कामों में से मेरे जो 10 काम अभी नहीं हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, आपने जो 42 कामों में, जो-जो काम आपने किये ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरे 10 काम जो हैं, उनकी क्रम संख्या मैं बता देती हूं, मैंने दो काम पहले उल्लेख कर दिये। अब क्रम संख्या 17, 18, 20, 21, 37, 39, 40, 41 और 42, ये मेरे 10-11 काम हैं, ये नहीं हुए हैं। इनमें भू स्वमित्व का कोई व्यवधान नहीं है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, ये काम आप कब तक पूरा करा देंगे, इतना मेरा निवेदन है।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्षजी, जब यह सवाल आया था तो मैंने धारीवालजी को कहा। मैंने कहा, मैं देखता हूं ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये शहर का है। तो धारीवालजी ने कहा, सचिनजी, आप मेरे मंत्रालय का भी मजा चख लीजिये। इसलिये सवाल मेरे को दिया गया है लेकिन मैं माननीय सदस्या की बात को गम्भीरता से लेता हूं क्योंकि, अध्यक्षजी, जो सवाल इन्होंने पूछा था, पूरक सवाल नहीं, वे अलग हैं लेकिन मुख्य तौर पर जमीन का सवाल है। उस पर मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.ए. लैड और एम.पी. लैड का कोई भी निर्माण काम, जब तक स्टेट ओन्ड लैण्ड न हो, हम नहीं कर सकते हैं, निजी लैण्ड पर हम लोग काम स्वीकृत नहीं कर सकते। इसलिये, जो कालोनी का एक सवाल पूछा था इन्होंने, उसको ए.डी.ए. अपने अन्दर लेगा, उसके बाद हम काम कर सकते हैं।

जो बाकी सवाल माननीय विधायक महोदया पूछ रही हैं कि टैक्निकल सैंक्शन और फाइनेंशियल सैंक्शन, यह तो सी.ई.ओ. कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, उसके तहत कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। मैं और धारीवालजी इस पर चर्चा करेंगे। अगर कहीं अधिक विलम्ब है, वह नहीं होना चाहिए। इसको जल्द से जल्द कराने की हम कोशिश करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा कि इन 12 कामों में भू-स्वामित्व से सम्बन्धित कुछ काम ऐसे हैं जो भू-स्वामित्व, खातेदारी भूमि होने के कारण से नहीं हुए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बाकी के 6 काम ऐसे हैं, जिनमें भू-स्वामित्व का लेना-देना नहीं है। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया।

श्री अध्यक्ष: हां भर ली न, वे बार-बार कह रहे हैं कि हम कोर्डिनेट करके इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। मंत्रीजी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: कह दिया, प्लीज, आप बैठें।

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

(श्री सचिन पायलट)

विधायक महोदया ने जो लिखे थे, वे सभी काम सैंक्शंड हो गये हैं। हमारी तरफ से, जो एम.एल.ए. लैड का फंड है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्जीक्यूटिव बॉडी है अगर वहां पर कहीं विशेष कामों में विलम्ब आ रहा है तो उसको हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। खासकर जो आपने 5-7 काम मुझे बताये हैं, क्योंकि अजमेर का मैं सांसद रहा हूं, मैं खुद रुचि लेकर जल्दी करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामनारायण मीना।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अनियमितताओं की जांच

362. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. अत्यधिक घाटे में चल रहे निगमों में से एक है? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त निगम में अनियमितता खतम करने तथा उक्त को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कारणों के निराकरण के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही तथा जिम्मेदारी निश्चित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितने दिन में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निगम में कार्यरत अनियमितता करने वाले अधिकारियों तथा सप्लायर्स के कार्य-कलापों की जांच करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार से तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वार्षिक घाटा वर्ष 2015-16 में 4462.91 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2018-19 में घटकर 3257.55 करोड़ रुपये रहा है। घाटे के प्रमुख कारण एवं उपायों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) निगम किसी भी प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आने पर जांच में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

तकनीकी अंकेक्षण विंग द्वारा भी नियमित जांचें की जाती हैं व अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(3) निगम के कार्यों हेतु प्रत्येक स्तर पर सभी अधिकारियों को समय-समय पर सभी निर्दिष्ट कार्यों के सम्पादित करने की जिम्मेदारी दी हुई है। तकनीकी लोस लगातार कम करने के लिए विद्युत तंत्र में सुधार कार्य कराये जा रहे हैं एवं अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। तकनीकी अंकेक्षण विंग द्वारा की गई जांच में फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे तकनीकी कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर 68 दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा आठ ठेकेदार फर्मों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है।

(4) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 (राजस्थान ट्रांसपैरेन्सी एण्ड पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट) के प्रावधानों के अनुसार निगम द्वारा सप्लायर से सामान की खरीद ई-प्रोक्योरमेंट से की जाती है। सप्लाई किये गये सामानों की भी जांच, मैन्युफैक्चरर के वर्क्स पर सप्लाई से पूर्व व सामान की डिलीवरी के बाद सैन्ट्रल टैस्टिंग लैब द्वारा की जाती है एवं उक्त लैब द्वारा स्वीकृत सामानों को फील्ड में लगाया जाता है व अस्वीकृत को फर्म को वापस भेज दिया जाता है। जब भी इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

वितरण निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया से कार्य हेतु कान्ट्रेक्टरों का चयन किया जाता है। कान्ट्रेक्टर द्वारा लगाये जाने वाले लाइन मैटेरियल की जांच मैन्युफैक्चरर के वर्क्स पर डैडीकेटेड मैटेरियल इंस्पैक्शन विंग के अधिकारियों द्वारा सघन जांच करने के बाद डिलीवर होने पर उक्त सामान की सैंट्रल टैस्टिंग लैबोरेटरी में जांच के बाद स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाये जाने पर ही लाइन मैटेरियल को फील्ड में स्थापित किया जाता है, जो सामान उपयुक्त नहीं होता है वह वापस कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, क्या, मंत्रीजी, सरकार के आदेश को कोई अधिकारी बदल सकता है? आपके आदेश के, जो आपका मैटेरियल मैनेजमेंट स्टोर है, उसकी निगरानी के लिये मुख्य अभियंता नियुक्त है, क्या टी.ए. के पास, जो ए.ईएन. स्तर का आदमी है, वह उसको काम नहीं करने दे रहा?

दूसरा, यू.ओ. नोट इसी प्रकार से है, एस.ई., जब हमारा यहां चीफ इंजीनियर उसमें कार्यरत है, नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी वगैरह का, तो बदल करके एक एस.ई. रैंक को दे दिया गया, क्या यह करप्शन को बढ़ावा नहीं है? नम्बर-वन।

दूसरा, आपके जो एस.ई. हैं, एक नोट जारी करके मैसर्स सी एण्ड आई केली, दुष्यंत प्राइवेट लिमिटेड को व्यावसायिक परिसर वगैरह में लगने वाले ट्रांसफार्मर्स की जांच का आदेश दिया गया, जिससे प्रति वर्ष ढाई करोड़ रुपये का हमारा नुकसान हो रहा है। स्थिति यह है कि जब सी.टी.एल. के लिये आपने जवाब में लिखा है, तो मंत्रीजी, आपने जवाब देने के पहले इसकी जांच की?

तीसरा, तीन साल पहले का आप घाटा बता रहे हैं। गये साल का कितना है, वह तो आप जानें, बताना चाहें तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी डिमाण्ड है, उससे रिलेवेंट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है कि भाषण देना है। आप प्रश्न पूछिये न।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): जितनी डिमाण्ड है उतना रियलाइजेशन है। और यह जो दो यू.ओ. नोट्स हैं, जो आर्डर जारी किये गये कि ए.ईएन. को चीफ इंजीनियर के ऊपर, एस.ई. को चीफ इंजीनियर के ऊपर जिस तरह से आपके इसमें हो रहा है, मैटेरियल मैनेजमेंट में, जिस तरह से परचेज में हो रहा है, ट्रांसफर और चैकिंग में हो रहा है, जब घटिया स्तर के ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, उसके बारे में आप कोई एक्शन लेंगे क्या...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका? माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ए.ईएन., जो चीफ इंजीनियर के ऊपर काम कर रहा है, इस तरह का कोई प्रश्न तो पूछा ही नहीं। कोई स्पेसिफिक उदारहण दें तो मैं उसको चैक करवा लूंगा। लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने यह पूछा था कि घाटे के क्या कारण हैं?

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

घाटे का कारण, एक तो छीजत 15 परसेंट होनी चाहिए, उसकी जगह 21.8 परसेंट हो रही है। उदय योजना का ब्याज चढ़ रहा है, उसके कारण से घाटा बढ़ा है। बिजली की खरीद पहले 4 रुपये 4 पैसे में होती थी, अब 4 रुपये 54 पैसे में हो रही है। उसके कारण से 1613 करोड़ का घाटा बढ़ गया।

अब रहा सवाल, इन्होंने कोई, मान लो इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहा है, या ट्रांसफार्मर में कर रहा है तो स्पेसिफिक मामला दे देंगे तो मैं उसकी जांच करवा दूंगा। इसके अलावा हमने 8 ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की है, मैसर्स आर.के. इलेक्ट्रिकल्स, मैसर्स आर.सी. एंटरप्राइजेज, मैसर्स विकास एंटरप्राइजेज, मैसर्स विकास इंजीनियरिंग कम्पनी, मैसर्स आयरन एंड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर, मैसर्स चौधरी इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर, मैसर्स जगदीशपुरी कान्ट्रेक्टर, मैसर्स राधा इलेक्ट्रिकल्स, नांदौती, करौली। इस प्रकार इनसे 36 लाख 80 रुपये की वसूली की है, शास्ति वसूल की है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न 2 में साफ लिखा है कि निगम में अनियमितता खतम करने, भ्रष्टाचार रोकने, इसके बाद आप देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि इतने वरिष्ठ मंत्री सरकार का ऐसा जवाब दें।

दूसरा, मैंने यह साफ लिखा है कि क्या कार्यवाही की गई? आपके आर्डर्स को, सरकार के आर्डर्स को यदि आपके निगम के आदमी बदलते हैं और आप कोई कार्यवाही ही नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब, आप छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो? घटिया स्तर के ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, एक ए.ईएन. उसका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, अब आप बैठें। माननीय मंत्रीजी, कुछ बोलना है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर का कोई प्रश्न ही नहीं पूछा है। मैंने अपनी रिप्लाई में इनको यह बताया है कि 227 माइनर इंक्वायरी की गयी, उसमें 19 के ऊपर हमने शास्ति वसूल की। 94 मेजर इंक्वायरी की उसमें से 19 व्यक्तियों के खिलाफ शास्ति लगाई गयी है और 68 पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और 8 ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की। इनके पास कोई भी, ट्रांसफार्मर की, तार की और कोई प्रोक्योरमेंट से संबंधित सामान की कोई शिकायत है तो वह मुझे दें, मैं ए.सी.बी. से उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। आप प्लीज, बैठें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन का सदस्य हूं, मुझे जानने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, बैठें। अगला प्रश्न। अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। अंकित नहीं होगा।

अजमेर में स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट

363. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा अजमेर के लिए स्वीकृत स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अब तक कौन-कौनसे प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं? प्रस्तावित राशि सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के कुल कितनी राशि आबंटित हुई है, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि में से अब तक कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय हुई? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट कब-कब स्वीकृत हुए? उनकी निविदा कब हुई व कार्यादेश कब दिये गये तथा उनके पूर्ण होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) केन्द्र सरकार द्वारा अजमेर के लिए स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट एवं उनकी प्रस्तावित राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत आबंटित राशि एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त राशि में से अब तक व्यय की गई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(4) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड-1 में जो स्वीकृत प्रोजेक्ट्स हैं, क्या केन्द्र से जारी एडवाइजरी के गाइड लाइन्स के अनुसार अजमेर में एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में यह प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हुए हैं या इनके निर्णय करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब-कब मीटिंग हुई और नहीं, तो क्या सरकार इन एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग बुलवाने की मंशा रखती है? यह पहला प्रश्न है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि यह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी मंजूरी कब हुई? यह मैंने परिशिष्ट-'अ' में आपको दे दिया है। अब आप सुनिए। अब सवाल यह है कि यह किस तरीके से मंजूर होते हैं? आपने एडवाइजरी बोर्ड बता दिया तो एडवाइजरी बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है। स्मार्ट सिटी बोर्ड एक अलग बोर्ड है जो कि हर सिटी में है, चारों सिटी में अलग-अलग बोर्ड बना हुआ है।

आप बात सुनिए। इनकी जो मीटिंग हुई है उसमें 80 प्रोजेक्ट्स मंजूर किये गये हैं, जिनका तारीखवाइज और कोस्टवाइज सारा विवरण मैंने आपको परिशिष्ट-'अ' पर दे दिया है। दूसरा, यह किस-किस तरीके से सलेक्ट हुए हैं? प्रोसीजर यह है कि सबसे पहले तो बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड की बैठक में कार्यों की स्वीकृति होती है। फिर उसके बाद निविदा का परिपत्र और स्पेसिफिकेशन वगैरह तैयार होते हैं, नम्बर-दो। नम्बर-तीन पर आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी से स्वीकृति के पश्चात् नम्बर चार, निविदाएं निकलती हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह तो पता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और नम्बर पांच, स्मार्ट सिटी से कंसल्टेंट की जो फर्म है अगर वह कार्यरत है तो उसके द्वारा टेंडर प्रोसीजर वगैरह सब बनाया जाता है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, नहीं सुनना है तो फिर मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह तो पता है।

श्री अध्यक्ष: आप सुनें तो सही।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और यह सब स्वीकृतियां, मैं आपको यह बता चुका हूं। आपने यह पूछा कि मीटिंग कब-कब हुई? मैं आपको बता चुका हूं कि यह कब मंजूर हुए। यह जितने भी 80 प्रोजेक्ट्स हैं, आपके देखिए, यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2016 की स्कीम है और 2017 में सबसे पहले इस पर काम चालू किया गया, नौ महीनों के बाद में। नौ महीनों के बाद में इस पर काम चालू किया गया है। सितम्बर, 2016 में यह स्मार्ट सिटी की योजना की घोषणा केन्द्र सरकार के द्वारा की गयी और 16.01.2017 से यह कार्य प्रारम्भ किया गया लेकिन 2017 से लेकर 2018 तक कुल मिलाकर आउट आफ 80 जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन बोर्ड के द्वारा किये गये, उनमें से सिर्फ 10 पर ही काम हुआ और 70 प्रोजेक्ट्स में जो काम हुआ है वह काम 2019 में हमने चालू किया गया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्पष्ट था, यह तो मुझे पता है कि स्मार्ट सिटी बोर्ड होता है लेकिन केन्द्र सरकार ने जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी मेनटेन रखने के लिए एम.पी., एम.एल.एज. के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसकी गाइड लाइन्स में आपको प्रति माह इनकी मीटिंग एडवाइजरी बोर्ड की बुलानी आवश्यक है, जो नहीं बुलाई जा रही है इसलिए मैंने यह पूछा है कि क्या यह प्रोजेक्ट्स, उसमें आये या नहीं आये या आप उसकी मीटिंग बुलाने की मंशा रखते हैं? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एडवाइजरी वहां से रोज बदल-बदलकर आती है, केन्द्रीय सरकार से और जहां तक सवाल यह है, आप सुनिए, जहां तक सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी का बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के कौन मैम्बर होते हैं, उनके अलावा वह अगर चाहे तो किसी को बुलाएंगे और वह चाहे तो नहीं बुलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अगला मेरा दूसरा यह प्रश्न है कि क्या केन्द्र सरकार ने इतने रुपये आपको, 924 करोड़ रुपये स्वीकृत राशि है, प्राप्त राशि 330 करोड़ रुपये है और व्यय की गयी राशि अभी तक 120 करोड़ रुपये ही है, केन्द्र से भी 196 करोड़ रुपये आ चुके हैं, तो क्या इतनी धीमी गति से यह काम चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): काम इतनी धीमी से क्यों चल रहा है? क्या सरकार इसकी प्रगति करना चाह रही है? साथ में, इस स्वीकृत प्रोजेक्ट में जारी एडवाइजरी थी कि आपको ग्रीन कंसेप्ट और एनर्जी सेविंग, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट और एनर्जी सेविंग का ध्यान रखना है तो किन-किन प्रोजेक्ट्स में आप इनका ध्यान रख रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको यह निवेदन कर चुका हूं कि 80 प्रोजेक्ट्स लिये गये और 80 में से सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स पर दिसम्बर, 2018 तक स्वीकृति हुई है और बाकी के जितने भी 70 प्रोजेक्ट्स हैं वह सब 2019 में जाकर मंजूर हुए हैं और जिनके टेंडर हो गये, जिनके काम चालू हो गये, एक बात।

दूसरी बात, आपने यह पूछी कि 330 करोड़, यह केन्द्रीय सरकार का जो आपने पूछा न, उसका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर मैंने दे दिया कि कुल मिलाकर 924 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए हैं और मिले हैं कुल मिलाकर आपके 330, मतलब रिसीव हुए हैं सिर्फ 330 करोड़ रुपये, जिसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है, नगर निगम का भी हिस्सा है और अजमेर विकास प्राधिकरण का भी हिस्सा है, 50 परसेंट कुल मिलाकर यह है और 50 परसेंट केन्द्रीय सरकार का है 330 करोड़ रुपये में से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 120 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तो 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे ही सही, काम ही कहां हुआ है वहां पर? 2018 तक तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब 2019 में काम हमने चालू किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में पूजा अर्चना पर व्यय राशि

364. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के अधीन मंदिर में किसी भी धार्मिक आयोजन, भोजन प्रसादी के कार्यक्रम हेतु पूर्व में जिला प्रशासन व पुलिस की अनुमति प्राप्त किए जाने का कोई आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने मंदिर प्रत्यक्ष प्रभार के विभाग की देखरेख में संचालित हैं तथा इन पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कितनी राशि पूजा अर्चना व प्रसाद के लिए व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि विभाग की विभिन्न सम्पत्तियां उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, गुजरात व महाराष्ट्र में स्थित हैं तथा उनका काफी किराया भी विभिन्न किरायेदारों में बकाया है? अगर हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

देवस्थान मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): अहोभाग्य मेरे कि आपने मुझ से प्रश्न पूछा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा।

(1) जी हां। देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में किसी भी तरह के आयोजन बाबत विभागीय मंदिर की भूमि, भवन के उपयोग बाबत समस्त सहायक आयुक्तों के मार्गदर्शन हेतु एक परिपत्र क्रमांक एफ 4(9)संपदा/देव/2019/23992-24004, दिनांक 05.12.2019 को जारी किया गया था। इस बाबत कार्यालय पत्रांक एफ 4(9) संपदा/देव/2019/24457-69, दिनांक 16.12.2019 द्वारा पुन: समस्त सहायक आयुक्तों को लिखा गया था। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के कुल 365 मंदिर विभाग की देखरेख में संचालित हैं तथा इन पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 29 फरवरी, 2020 तक रुपये 68,57,944/- (अड़सठ लाख सत्तावन हजार नौ सो चवालीस मात्र) राशि पूजा अर्चना व प्रसाद के लिए व्यय की गई है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र में स्थित किरायेदारों में 35,51,807/- (पैंतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ सात) रुपये बकाया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट-'अ' के अंदर दो परिपत्र लिखे हैं, उसमें एक परिपत्र में आपने यह लिखा कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो उसमें जिला प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या इस जिला प्रशासन से अनुमति के लिए, आप जो आवश्यक मान रहे हों, उसको आप हटाने का विचार रखते हैं या नहीं?

(12.00 बजे)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): देखिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जसोल में एक कांड हुआ था। वहां टैंट लगाकर बाहर आयोजन किया गया था और उसमें आग लगी और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गयी। उसके तहत यह आदेश जारी किये गये थे कि मंदिर के अंदर प्रागंण में कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, बाहर लोग टैंट लगाकर कार्यक्रम करते हैं, उसमें घटना होने की आशंका रहती है इसलिए यह परिपत्र जारी किया गया था और सेफ्टी मेजर्स रखते हुए मंदिर परिसर में ही यह धार्मिक कार्यक्रम किये जाएंगे। यह जवाब मेरी तरफ से आपको निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हई है:-

(1) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री प्रताप सिंह एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से तहसीलदार द्वारा कृषि योग्य भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री पुष्पेंद्र सिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में माइनिंग इंजीनियर द्वारा जिप्सम तथा रेत की रायल्टी में अनियमितता बरते जाने से सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान के संबंध में।

(4) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों पर नगर निगम एवं यूआईटी द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय महाविद्यालय सराड़ा को पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत करवाए जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में दरीबा के सीसा संयंत्र प्रशासन की शिकायत करने वाले व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में हाल ही में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रही बिजली की दरों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया, रेलवे फाटक तथा चौराडिया पैट्रोल पंप चौराहे पर प्रतिदिन लग रहे जाम से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड चित्तौड़गढ़ के गठन में अभी तक आडिट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलीचा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने के संबंध में।

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के पुलिस थाना नोखा से महज 50 मीटर की दूरी पर दिनांक 8 मार्च, 2020 को आपराधिक तत्वों द्वारा गाड़ी पर पैट्रोल डालकर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश में होली व धुलंडी के अवसर पर दलित बस्तियों में हुए हिंसक हमलों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों को बिजली बिलों पर सब्सिडी बंद करने तथा सामान्य उपभोक्ताओं का सरचार्ज के नाम पर शोषण किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से सदन द्वारा पारित अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक में कानूनी दृष्टि से भारी त्रुटियां होने से प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट भर्ती 2016 नोन टीएसपी लेवल अंग्रेजी में रिक्त 826 पदों के लिए हाई कोर्ट के आदेश

(श्री अध्यक्ष)

होने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मेडिकल व्यापारियों द्वारा मास्क की बिक्री में कालाबाजारी करते हुए जनता के साथ की जा रही खुलेआम लूट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की क्षतिग्रस्त कतिपय सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर के मध्य स्थित पूर्व बजरी खनन क्षेत्र के खड्डों को भरकर क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर जिले में चल रहे सिंथेटिक पनीर के अवैध कारोबार से क्षेत्र में फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री कन्हैया लाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2017 में शीतलहर की चपेट में आने से हुई किसानों की फसल का मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(5) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोधियासी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(6) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता से स्वीकृत सड़कों तथा पुलियाओं के निर्माण कार्य में हो रही देरी से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(7) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ऐतिहासिक बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री लक्ष्मण मीणा, सदस्य की ओर से जयपुर के ग्राम बराला की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से बीकानेर जेल के बन्दी बलराज पुत्र श्री रामजीलाल की सज़ा समाप्त होने के पश्चात् भी जेल में रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से आबू पर्वत नगरपालिका के पहाड़ी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर ब्लास्टिंग की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अजमेर आये हिन्दू परिवारों को भारत की नागरिकता प्रदान किये जाने के संबंध में।

(12) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के खनन क्षेत्रों में आने वाले गांवों में D.M.F.T. मद से विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के धार्मिक महत्व के स्थलों तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(14) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में टमाटर की बम्पर पैदावार को देखते हुए सब्सिडी आधारित कोल्ड स्टोरेज खोले जाने के संबंध में।

(15) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के श्रीनगर से गुजर रहे स्टेट हाईवे संख्या 101 का 15 किलोमीटर मार्ग वन क्षेत्र में आने से सड़क का नवीनीकरण करवाये जाने में आ रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी आज विशेष उल्लेख की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 12 मार्च, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 31 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम माननीय सदस्य	विषय
1	श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद)	परवन सिंचाई परियोजना में किसानों को 2020 की डी.एल.सी. दर से भुगतान करने बाबत।
2	श्री ज्ञानचंद पारख (पाली)	पाली नगर परिषद् सीमा में रूडिप द्वारा पाइप लाइन एवं सीवरेज कार्य को कुछ आबादी क्षेत्रों में लापरवाही के चलते छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3	श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)	प्रदेश में संगठित गिरोह द्वारा पुलिस पर किये जा रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4	श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी)	रीको में औद्योगिक भूखण्ड आबंटन में संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं का आरक्षण समाप्त करने के संबंध में।

माननीय सदस्यगण, आज डिमांड के बाद मुखबंद का भी प्रयोग होगा और एक बिल भी है इसलिए स्थगन प्रस्ताव और 295 पढ़े हुए माने गये। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि को-आपरेट करें कि समय पर हम बिल भी पास कर सकें और मुखबंद के समय का भी हम उपयोग कर सकें। 10.00 बजे हाउस अपनी कार्यवाही समाप्त करेगा। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया समय का ध्यान रखें और अपनी बात को संक्षेप में भी रखें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

परवन सिंचाई परियोजना में किसानों को 2020 की डी.एल.सी. दर से भुगतान

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। परवन सिंचाई परियोजना बन रही है और किसी भी सिंचाई योजना से जिनको पानी मिलेगा, उनको तो लाभ होता है मगर जो गांव डूब में आते हैं, उन किसानों को बहुत तकलीफ होती है। जिनकी जमीन डूब में आती है, उनको तकलीफ होती है और जो मुआवजा दिया जाता है, इस बांध का जो मुआवजा तय किया है वह 2012 के हिसाब से तय किया है और इनको भुगतान 2017 में देना आरम्भ किया। यह बांध बनेगा 2022

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

में, यानी 2012 से 2022 तक यह बांध बनेगा और किसानों को जो मुआवजा मिला है या दिया जा रहा है, वह एक लाख से चार लाख के बीच में है, जो बहुत कम है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को, जो हमेशा-हमेशा से वहां बसे हुए थे, वह डूब में आ रहे हैं, उनको वर्तमान बाजार दर से मुआवजे का भुगतान किया जाए। और दूसरी चीज यह है कि इसमें एक ब्लंडी करके गांव है छीपाबड़ौद में, जो पूर्ण रूप से चारों तरफ से पानी से घिर जाएगा और जो मुआवजा दिया है गांवों को, क्योंकि वह गांव टापू बन गया है और डूबा नहीं है तो किसानों को जो उनके मकान हैं, उनका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उस गांव में रहने लायक हैं ही नहीं और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ गांव है। इस पर विचार करें और यह पानी, जो किसानों के लिये है, उनको तो नुकसान हो रहा है और जो बाद में यहां आकर बसे हैं, इसका बड़ा भाग पानी का, जो थर्मल को दिया जा रहा था, उसकी मात्रा बढ़ायी है, उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे कि अडाणी और जो छबड़ा थर्मल है, उनके पानी की मात्रा बढ़ा दी गयी और किसानों की मात्रा स्प्रिंकलर के नाम पर दिखाने में तो बढ़ा ही है, मगर वास्तव में किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख। माननीय सदस्य, अलाउ नहीं, प्लीज। (व्यवधान) प्रिविलेज नहीं, बैठें। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली नगर परिषद् सीमा में पाइपलाइन एवं सीवरेज के अधूरे छोड़े गये कार्य

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली शहर में सीवरेज और 24x7 पेयजल योजना हेतु 2011 में सर्वे किया गया। जिस कंपनी ने इस कार्य के लिए सर्वे किया और डी.पी.आर. बनाई, तो कई ऐसी बस्तियां हैं जो पहले से बसी हुई थीं, उसकी लापरवाही से वे बस्तियां छूट गईं और जिसमें विशेष तौर से वाल्मीकि बस्तियां छोड़ दी गई हैं। चाहे वह बस्ती हो कालूजी की बगीची वाल्मीकि बस्ती, चाहे बापू नगर हरिजन बस्ती, चाहे पुराना बस स्टैंड हरिजन बस्ती आदि-आदि कुछ बस्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि ये पचासों वर्ष पुरानी बसी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में सर्वे हुआ और काम अभी 2020 में भी आधा भी पूर्ण नहीं हुआ है। 2011 और 2020 के बीच में कई नई आबादी बस्तियां और बस गई हैं, तो जो नई आबादी बस्तियां बस गई हैं वहां भी यह सीवरेज और 24x7 पेयजल योजना का प्रावधान नहीं है तो मेरा सदन

(श्री ज्ञानचंद पारख)
के माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्री जी से एक ही आग्रह रहेगा कि जो सर्वे में पहले बस्तियां छूट गईं और 2011 से 2020 के बीच जो नई आबादी बस्तियां विकसित हो गईं उनको भी इस 24x7 पाइप लाइन का और सीवरेज योजना का लाभ मिले जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं जिनका लेवल नीचे है और उनका पानी इस एस.टी.पी. तक पहुंचा नहीं सकते तो वहां पाइप लाइन तो बिछा दी पर उनको सीवरेज से वंचित रखा जा रहा है। ऐसी बस्तियों को भी सीवरेज का लाभ मिले तो वहां छोटा एस.टी.पी. बनाकर उन बस्तियों को कवर कर लिया जाए तो पूरा पाली शहर इस 24x7 और सीवरेज योजना से लाभान्वित हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

पुलिस पर संगठित गिरोहों द्वारा हमले

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास लेकिन आज प्रदेश की हालत यह हो गई है कि आमजन पुलिस से डरी हुई है और अपराधी बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब पुलिस अवैध शराब को पकड़ने के लिए जाती है तो पुलिस के ऊपर हमला होता है। सांगानेर के अन्दर पुलिस नोटिस लेकर जाती है तो तामील करने के बजाय उसके ऊपर हमला होता है। थाना बड़ौदामेव के अन्दर पुलिस आरोपियों को पकड़ने जाती है तो उसके ऊपर हमला होता है। आज राजस्थान के अन्दर पुलिस के बारे में जो धारणा बन चुकी है, अध्यक्ष महोदय, वो यह बन चुकी है कि विश्वास खोती पुलिस, कार्यवाही करने गई पिट कर वापस लौटी, पांच जगह पुलिस के ऊपर हमला।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पिछले दो-तीन दिनों के अन्दर पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, थाना बड़ौदामेव के अन्दर पुलिस को आठ राउंड चलाने पड़े, तीन पुलिसकर्मी घायल हुए, थाना अरनोद, प्रतापगढ़ के अन्दर पुलिस एच.एस. को पकड़ने के लिए गई, वहां पर भी कांस्टेबल घायल हुआ, फायरिंग करनी पड़ी, थाना श्रीमाधोपुर के लसाड़िया गांव के अन्दर भी चार पुलिसकर्मी घायल हुए और थाना दूधवाखारा, चूरू के अन्दर भी पुलिस एच.एस. को पकड़ने गई और वहां पर भी पुलिस के ऊपर हमला हुआ।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सीधा-सीधा इतना ही निवेदन है कि जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के अन्दर पुलिस के ऊपर आये दिन हमले हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन अपराधियों के अन्दर डर पैदा हो और कम से कम आमजन के अन्दर विश्वास पैदा हो।

इसी तरीके के हमलों के दौरान, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला एक मुकेश कानूनगो जो इंस्पेक्टर था, 2018 के अन्दर इसी तरीके के आरोपियों के मुठभेड़ के अन्दर उसकी हत्या की गई, 2018 के बाद आज दिन तक उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई और आज भी उसको जो विशेष पैकेज दिया गया था वो नहीं मिला। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भी इस तरीके से अपराधियों के हमले के दौरान जो पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, दिल्ली पुलिस ने रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया है, मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के घटनाक्रमों के अन्दर शहीद का दर्जा दिया जाए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

रीको में औद्योगिक भूखण्ड आवंटन में अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं महिला आरक्षण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बराबर लाने के लिए संविधान में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन उद्योग विभाग में जो रीको है, औद्योगिक भूखंड आबंटन के लिए उन्होंने लगभग आरक्षण समाप्त कर दिया है और इसके कारण से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उद्योग क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में औद्योगिक भूखंड आबंटन में भी आरक्षण दिया जाए ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भी उद्योग क्षेत्र में आ सकें और नये उद्योग लगा सकें। कई लोग इच्छुक हैं लेकिन इनको आरक्षण नहीं दिये जाने के कारण से वे इसमें नहीं आ पा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस आरक्षण को वापस प्रारम्भ करे, उनके साथ अन्याय नहीं करे।

श्री अध्यक्ष: 131, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजसमन्द में राजकीय कन्या महाविद्यालय का अपूर्ण भवन निर्माण कार्य

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द के अन्दर जो 6 करोड़ का वर्कआर्डर हुआ था उसका ठेकेदार द्वारा पेमेंट नहीं करना..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, 131, let him speak first.

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला राजसमन्द का राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द वर्ष 2017 से संचालित है, वर्तमान में महाविद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथी नाडा, राजसमन्द के भवन में अस्थाई रूप से संचालित है। भूमि आबंटन के पश्चात् महाविद्यालय को भवन निर्माण हेतु राशि 6 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

भवन निर्माण का कार्य 14.09.2018 को प्रारम्भ किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, राजसमन्द के भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने की तिथि 30.06.2020 है, प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द की सूचना अनुसार भवन के भूतल का ढांचा तैयार हो गया है। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु संवेदक से राशि 221.76 लाख का बीजक प्राप्त हुआ है, जिसमें से संवेदक को राशि 96.76 लाख का भुगतान किया गया है तथा राशि 125 लाख का भुगतान बकाया है।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार से बजट प्राप्त होने पर संवेदक को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो परिशिष्ट-एक और परिशिष्ट-दो का उल्लेख किया, वह हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, रिप्लाई में अगर आपके इसमें आया है तो मुझे नहीं पता, हमारे को तो आया नहीं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इसके अलावा उन्होंने जो रिप्लाई दिया है उसमें कहा कि वर्कआर्डर की तारीख 14.09.2018 है लेकिन वर्क कम्प्लीशन की जो डेट है वो 13.12.2019 है। इन्होंने इसमें बड़े स्मार्टली कहा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, राजसमन्द की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने की तिथि 30.06.2020, जबकि वर्क कम्प्लीशन डेट 31.12.2019 है जो वर्क आर्डर की डेट के साथ ही निर्धारित हो जाती है कि वर्क कम्प्लीशन डेट यह होगी। इसलिए एक तो रिप्लाई में यह गलत है, जो वर्क कम्प्लीशन डेट है, अब ये वर्क कम्प्लीशन डेट निकल जाने के बाद भी 3 महीने ऊपर हो गये और जो इन्होंने कहा कि जो राशि इन्होंने संवेदक को दी है वो 221.76 लाख का बीजक प्राप्त हुआ जबकि ऐसा नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी, यह इन्होंने जो आलरेडी 96 लाख पेमेंट किया है यह समय-समय पर किया है, तीन-तीन, चार-चार महीने में जैसे-जैसे काम कमप्लीट होता गया ये पेमेंट होता गया till now 96.76 इन्होंने किया है। अभी भी 125 लाख का बीजक वहां पर भेजा हुआ है जिसका भुगतान ये कब तक करेंगे? पहली बात।

दूसरा, जो वर्क प्रोग्रेस है, वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से काम की कम्प्लीशन डेट क्या आप मानते हैं कि यह 30.06.2020 तक कमप्लीट हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी माननीय सदस्य महोदय को अवगत करवाया, जो कार्य हुआ है वो 221.76 लाख का जो सर्टिफिकेट ठेकेदार के द्वारा विभाग को दिया गया है उसमें से 96 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है और 125 लाख का जो बकाया भुगतान है, वो 2020-21 का हमारा जो बजट प्रावधान है उसमें किये जाने के बाद किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2018 तक करीब 23 ऐसे राजकीय महाविद्यालय खोले गये थे जिनमें भूमि और भवन आदि के बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि जैसा माननीय सदस्य ने बताया इसमें राजसमन्द के कालेज में निश्चित रूप से 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन अंतिम साल में बड़ी संख्या में बिना वित्तीय प्रावधान के बहुत सारे कालेज राजस्थान के अलग-अलग जिलों में, विधान सभा क्षेत्र में खोले गये। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा पिछली बार जब बजट पेश किया गया तो उस समय जो 38 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं उनके लिए भी भूमि और भवन बनाने की घोषणा की गई थी और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो 23 राजकीय महाविद्यालय भवन रहित हैं, जो बिना

(श्री भंवर सिंह भाटी)

बजट के खोले गये हैं, उनके भी भवन आदि बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, राजसमन्द के कालेज के सम्बन्ध में स्पेसिफिक है, उसके बारे में डिटेल बता दें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): राजसमंद के कालेज के बारे में मैने जैसा मूल प्रश्न के जवाब में निवेदन किया है, वित्त विभाग के द्वारा जो राशि हमें इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगी, उसमें राजसमंद का जो कालेज है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा 30 जून, 2020 तक का समय हमसे मांगा गया है। इस संबंध में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो कालेज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनका कार्य निर्माणाधीन हैं, उनके कार्य हम पहले पूरा करा सकें। उनका बजट उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमने वित्त विभाग को भी निवेदन किया है। इस संबंध में हमारी समय-समय पर वित्त विभाग के साथ बैठकें भी हुई हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें 6 करोड़ रुपये सैंक्शन थे लेकिन संवेदक द्वारा भुगतान के लिए पिछले 6 महीने से पीडब्ल्यूडी को 125 लाख का बिल दिया हुआ है। उसका भुगतान 6 महीनों के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के अनुसार 30.06.2020 तक इसको कमप्लीट कर देंगे। अभी तो 300 लाख का काम बाकी है। जिसमें से 125 लाख रुपये की संवेदक द्वारा डिमांड भेजी हुई है। उसके बाद में भी अभी पैसा बाकी है। यह सारा पेमेंट भी करना है। जब तक आप ठेकेदार का पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे, तब तक काम शुरू नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूं कि इसका जल्द से जल्द भुगतान कराएं 125 लाख रुपये 6 महीने से पैंडिंग हैं। उसके बाद ही आप यह 30.06.2020 की डेट तय कर सकोगे कि यह काम कमप्लीट होगा। वहां पर काम ही नहीं हो रहा है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया है कि वित्त विभाग के द्वारा इन तमाम कालेजेज को वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। समय-समय पर विभाग को तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को जो राशि प्राप्त होगी, उसमें प्राथमिकता के आधार पर राजसमंद सहित जो राजकीय महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं, उनका कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा और उनका बजट आबंटित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्रीमती मंजु देवी।

जायल में मकानों के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी लाइनों का स्थानान्तरण

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 131 के तहत माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अजमेर डिस्काम में विद्युत लाइनें मकानों/प्रतिष्ठानों से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर खींची जाती हैं। विधान सभा क्षेत्र जायल में 11 के.वी. लाइन विद्युत आपूर्ति हेतु पूर्व में खींची हुई है। लाइन खींचते समय उक्त क्षेत्र में लाइन के नजदीक आबादी क्षेत्र नहीं था। तत्पश्चात् कालांतर में विद्युत लाइनों के नीचे/निकट अनधिकृत रूप से मकानों/प्रतिष्ठानों का निर्माण कर लिया गया।

अजमेर डिस्काम क्षेत्र में निजी भवनों/प्रतिष्ठानों इत्यादि से विद्युत लाइन शिफ्ट करने के लिए तख़मीना बनाकर अधिभार शुल्क निगम के वाणिज्यिक आदेश अज759 दिनांक 6.09.2018 के अनुसार बनाया जाता है। मांग पत्र राशि को आवेदक/संबंधित स्थानीय निकाय/यूआईटी/विधायक कोष आदि द्वारा सम्पूर्ण खर्चा वहन करने पर विद्युत लाइनें स्थानांतरित कर दी जाती हैं। विद्युत लाइन के घातक प्रतीत होने पर तख़मीने की 50 प्रतिशत राशि वाणिज्यिक/अज376 के अनुसार आवेदक संबंधित स्थानीय निकाय/ यूआईटी/विधायक कोष/एमपी लैड फंड आदि द्वारा जमा कराने पर संबंधित लाइन स्थानांतरित कर दी जाती है। शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाती है। यदि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु विधायक कोष द्वारा मांग पत्र राशि जमा करवाई जाती है तो अधिभार व्यय वाणिज्यिक आदेश अज759 के अनुसार 20 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लिए जाने का प्रावधान है।

वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सहायक अभियंता कार्यालय में 11 के.वी. विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने बाबत आवेदन लम्बित नहीं है।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने जो उत्तर दिया वह सरासर गलत दिया है। वर्तमान में 7 गांव ऐसे हैं जिनके ऊपर से 11 हजार की लाइन जा रही है। मेरे द्वारा तथा संबंधित गांवों की जनता द्वारा बार-बार कहने के बावजूद भी अभी तक यह

(श्रीमती मंजु देवी)

लाइन नहीं हटाई गई है। मैंने मेरे एमएलए लैड से पैसे दिए हैं। आप कह रहे हैं कि 50 प्रतिशत की राशि विभाग के द्वारा छूट है लेकिन यह नीति कागजों तक ही सीमित है। अधिकारी इन चीजों की कोई जानकारी नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आपके द्वारा घातक लाइनों से क्या तात्पर्य है? दूसरा, वर्तमान में जो 7 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, जिनके ऊपर से लाइन जा रही है, वह लम्बित कैसे हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एस्टीमेट्स इस प्रकार बनाये जाते हैं कि एक तो मैटेरियल की कोस्ट कितनी है? मान लो 100 रुपया मैटेरियल कोस्ट है तो उसके ऊपर कोस्ट आफ सिविल वर्क्स 10 परसेंट लगाई जाती है। लेबर चार्जेज 10 प्रतिशत लगाया जाता है। कुल मिलाकर यह 120 हो गए। डिसमेंटलिंग चार्जेज 10 प्रतिशत, 130 हो गया। उसके बाद ओवरहैड चार्जेज जो हैं, वह यदि निगम, फार वर्क्स एग्जीक्यूटेड निगम द्वारा होता है तो 20 परसेंट लगता है। लेकिन यदि एमएलए, एमपी फंड से वह काम कराया जाता है तो फिर यह ओवर हैड चार्जेज मात्र 10 परसेंट लगते हैं। कुल मिलाकर यह 140 का जो एस्टीमेट बना, इसका 50 परसेंट तो हमारी डिस्काम कंपनियां वहन करती हैं और 50 परसेंट या तो पंचायत है तो पंचायत से, यदि स्थानीय निकाय है तो स्थानीय निकाय से, विधायक कोष से, एमपी कोष से आधा पैसा देते हैं तो उस हिसाब से करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इनके कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है, वह इसलिए कहा था कि जो-जो इन्होंने गांव के नाम बताए हैं, उनको मांग पत्र जारी कर दिए हैं। जैसे रोहिणी ग्राम है, वहां 11 केवी लाइन के शिफ्टिंग हेतु जो आवेदन प्राप्त हुआ, उसके लिए 73361 रुपये का मांग पत्र जारी कर दिया गया है। अब इसका 50 परसेंट पैसा जमा हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह काम करवा दिया जाएगा।

छावटा कला के गैर आबादी क्षेत्र में भी 11 केवी की लाइन को शिफ्टिंग हेतु 32614 रुपये का मांग पत्र जारी कर दिया गया है। कसनेऊ का 14352 रुपये का मांग पत्र जारी कर दिया गया है।

खाटू फीडर जो कि 33/11 केवी सब-स्टेशन, बड़ी खाटू को सप्लाई फीड करता है, इस फीडर के नीचे बड़ी खाटू गांव का आंशिक आबादी क्षेत्र बसा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हुआ है। इसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर मांग पत्र की राशि जमा होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

इसी प्रकार जायल सिटी फीडर जो है, इसके गुजरियावास क्षेत्र से गुजर रही है। इसके नीचे आंशिक क्षेत्र में लाइन मकानों/परिसरों के नजदीक गुजर रही है। इस स्थान से लाइन को स्थानांतरित कराने हेतु वर्तमान में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मेघवालों, नायकों का बास रुड़ी, नायकों का बास गोला तंवरा, हरिराम मंदिर के पास जोहड़ा, मेघवालों का बास कमेड़िया, मेघवालों का बास खाती जोधा, सती माता मंदिर के ऊपर से चाऊ, इन स्थानों के ऊपर से लाइनों को स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक महोदया को यह कहना चाहता हूं कि आप अपने एमएलए फंड से जिन-जिनके मांग पत्र आ गये हैं, उनका 50 परसेंट पैसा जमा करा दें और 50 परसेंट पैसा डिस्काम के माध्यम से वहन करके लाइनों को शिफ्ट करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कोस्ट आफ मैटेरियल बहुत ज्यादा है। क्या विभाग सोचेगा कि लेबर कोस्ट तो एमएलए फंड से ली जाए और मैटेरियल कंपोनेंट का सारा पार्ट विभाग ले, तब तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। अन्यथा एमएलए फंड तो लिमिटेड है। एमएलए फंड से उसको करना सम्भव नहीं होता है। क्या विभाग इस बारे में सोचेगा कि मैटेरियल कंपोनेंट की सारी लाइबिलिटी विभाग की और लेबर कंपोनेंट का पूरा भाग एमएलए फंड से हो जाए? इससे लोगों को राहत मिलेगी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो टोटल कोस्ट है, उसका 50 परसेंट तो हम वहन कर ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अल्टीमेटली जो वायर्स ऊपर से जा रहे हैं, उनसे लोगों को तकलीफ है। उनको रिलीफ दिलाने का काम तो सरकार का है। जन कल्याणकारी सरकार है। इतने करोड़ों रुपयों में कुछ लाख रुपये मिल जाते हैं तो मैटेरियल कंपोनेंट का पैसा विभाग कर लेगा। एमएलए का फंड लिमिटेड है, लेबर की कोस्ट उससे मिल जाएगी तो ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगी। इस बारे में विचार करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में स्कूल, कालेज, मेडिकल से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनके ऊपर तो टोटल खर्चा

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

डिस्काम ने वहन करने की जिम्मेदारी ले ली है। अब कई बार इसमें क्या होता है कि कोई कामर्शियल जगह है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपने जो कहा है, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मैं बात बता रहा हूं। मेरा अनुभव है। हो सकता है कि सभी सदस्य इसको मानेंगे। अधिकांश जो बड़ी लाइनें हैं, वह वलनरेबल सैक्शन के वहां से जा रही हैं। मैं अपनी बात को फिर दुबारा कह देता हूं, जो बड़ी लाइनें जा रही हैं, वह उन जगहों से जा रही हैं, जहां समाज का कमजोर तबका है। उस कमजोर तबके को रिलीफ तभी मिलेगा, जबकि लेबर कंपोनैंट का पैसा हम एमएलए फंड से दें और मैटेरियल कंपोनेंट का पैसा विभाग करे तो ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा। आप इसको दिखवा लें।

सदन की मेज पर रखी जाने वाली अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV दिनांक-मार्च, 2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

उद्योग विभाग

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.14(5)उद्योग/1/2012 दिनांक 26.02.2020 जिसके द्वारा 'एकमुश्त समाधान योजना, 2020' लागू की गयी है।

(श्री परसादी लाल)

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.6(2)उद्योग/1/2020 दिनांक 27.02.2020 जिसके द्वारा 'Scheme for Establishment of Integrated CETPS and Up-gradation of existing CETPS' लागू की गयी है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्री नरेन्द्र बुडानिया।

समिति प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 1)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2019-20 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका। श्री नारायण बेनीवाल।

याचिका

खींवसर के कुचेरा में राजकीय महाविद्यालय

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र खींवसर के कुचेरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विधेयकों का पुर:स्थापन।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री लालचन्द कटारिया।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक 2020, श्री लालचन्द कटारिया।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक 2020

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिल ले लेते हैं पहले।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

माननीय सदस्यगण, हम कोशिश करें कि डेढ़ घण्टे में इस बिल की चर्चा समाप्त कर लें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आवासन बोर्ड की स्थापना नागरिकों को सस्ते मकान बनाकर राज्य सरकार दे, उपलब्ध कराये और एक सुनियोजित ढंग से नगर का विकास हो, इस दृष्टि से आवासन मण्डल की स्थापना की गयी थी। अभी आप इसमें जो संशोधन लेकर आये हैं, उन संशोधनों में आपने अतिक्रमण करने वाले, रोड पर अतिक्रमण करने वाले,

(श्रीमती अनिता भदेल)

आवासन मण्डल की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को सज़ा का प्रावधान इसमें किया है। इसमें तीन महीने से तीन साल तक की सज़ा और तीस हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान आपने किया है। यह ठीक बात है कि आपने इस बात का प्रावधान किया है क्योंकि बहुत सारे आवासन मण्डलों की सम्पत्तियों पर कब्जे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी कि यह जो संशोधन किया है यह तो अच्छा संशोधन किया है पर मैं चाहूंगी कि जो भी आवासन मण्डल की कालोनी बनी हुई हैं उनमें आज की तारीख में हम यदि देखें, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े-बड़े नगरों में हम देखेंगे कि पूरी की पूरी आवासन मण्डल की कालोनियां बाजार में तब्दील हो गयी हैं। किसी टाइम पर हमने बहुत सस्ते मकान बनाकर जनता को दिये और आज वे बाजारों में तब्दील हो गयी हैं। जिस व्यक्ति ने मकान सुकून से रहने के लिये लिया था, स्थिति यह हो गयी है कि आज वह व्यक्ति वहां पर रह नहीं सकता। जैसे-जैसे कालोनी का 50 परसेंट हिस्सा बाजार में तब्दील हो गया तो वहां के जो भूमाफियां हैं वे उन कालोनी के बाकी के मकानों को भी खरीदने के लिये प्रैशर बनाते हैं और दादागीरी करते हैं। ऐसी स्थिति में शेष लोग जो वहां बचे हैं, वहां रहने के लिये उन्होंने तो इस मंतव्य से इन कालोनी में मकान लिया था हम सुकून से रहेंगे, सारी सुख-सुविधायें यहां रहेंगी और हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस यहां पर नहीं होगा लेकिन जिस तरह से वे बाजारों में तब्दील हो गयी हैं और इसके कारण से अधिकारी कुछ कार्यवाही उन पर नहीं कर पाते हैं। आवासन मण्डल के अधिकारी स्थानीय नगर निगम और पुलिस पर डिपेंड रहते हैं। स्थानीय नगर निगम पर इसलिये डिपेंड रहते हैं कि उनके पास साधन नहीं हैं, उनके पास पावर्स नहीं हैं। आपने इस बिल में पावर्स उनको दिये हैं लेकिन मैं यह बात समझ नहीं पा रही हूं कि ये जो सम्पत्तियों पर कब्जे वाले और रोड पर अतिक्रमण वाले केसेज में ही उनको पावर है या मकान के स्वरूप को बदल रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के मकानों को वे कामर्शियल बना रहे हैं, दुकानों में तब्दील कर रहे हैं, उनको भी आपने पावर्स दिये हैं, तो यह ज्यादा ठीक रहेगा। जिस मंतव्य से आपने ये मण्डल बनाया है, हाउसिंग बोर्ड बनाया है, उस मंतव्य को वह पूरा कर पायेगा अन्यथा हो क्या रहा है अभी तीस-चालीस साल के कार्यकाल में सारी की सारी कालोनियां बाजारों में तब्दील हो गयीं और सरकार ने कम कीमत पर आवास उपलब्ध कराया था,

(श्रीमती अनिता भदेल)

कम कीमत पर भूमि उपलब्ध करायी थी, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण से हाउसिंग बोर्ड काम भी नहीं कर पा रहा है।

(12.34 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से जो मकान बिना लैंड यूज चेंज कराये, हम उनका लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वे आवासन मण्डल की कालोनियां हैं, आवास के उद्देश्य से बनी हैं, तो यदि कोई माननीय सदस्य आता है उस कालोनी का कि मेरे यहां का कामर्शियल में चेंज कर दीजिये, वाणिज्यिक में चेंज कर दीजिये तो वह नियमानुसार हो नहीं सकता है लेकिन फिर भी कुछ केसेज में नियमानुसार यह हुआ है, यहां स्टेट लेवल पर आकर या स्थानीय स्तर पर ये चेंजेज हुए हैं। जब कोई हाउसिंग बोर्ड की कालोनी स्थानीय निकाय को ट्रांसफर हो जाती है तब उस कालोनी में चेंजेज होने शुरू होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जब भी ट्रांसफर हो, उसके बाद भी यही नियम लागू होना चाहिये, हाउसिंग बोर्ड का ही नियम लागू होना चाहिये, कामर्शियल में चेंज नहीं होना चाहिये। मेरा इतना ही निवेदन है, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड का बिल इन्होंने यहां पर रखा है, उस पर संशोधन के लिये मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि यह जो राजस्थान आवासन मण्डल है, उसमें जो अधिकार दिये हैं, ये अधिकार इस प्रकार से दिये गये हैं कि इसमें सीज करने के अधिकार हैं, ये अधिकार दे रहे हैं कि 51-बी में निगम की अत्यधिक शक्तियां दी हैं, उसमें अतिक्रमण को हटाना, उसके बाद में उसके ऊपर शास्ति लागू करना, जो कि एक तरह से बहुत ही अन्याय होगा कि जहां एक तरफ गवर्नमेंट के अधिकारी हैं इनके पास, आवासन बोर्ड के पास, वे इतने सक्षम नहीं हैं और इंस्पेक्टर लेवल के आदमी को आपने ये सारे अधिकार दे दिये कि वह जाकर वहां पर अतिक्रमण भी हटायेगा, अतिक्रमण हटायेगा यह तो अच्छी बात है लेकिन उसके ऊपर वह शास्ति भी लागू कर देगा, अपने हिसाब से वह सारी चीजों को जो एक कहना चाहिये

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इंस्पेक्टर राज इसके ऊपर लागू करना चाह रहे हो। एक तरह से जो आवासन बोर्ड है उसको कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिये क्योंकि इसमें एक पृथक से अधिनियम के तहत इसको गठित करना गलत बात होकर इसका पंजीयन भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत करें तो राजकीय कम्पनी के रूप में निगम की जितनी भी परियोजनाएं हैं, बाजार की दर पर है। आज क्या हो रहा है कि जितने हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं, मकान की इतनी घटिया क्वालिटी हैं, इनके रेट इतने ज्यादा हाई हैं कि आज हम लोग हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने जाते हैं तो उस हाउसिंग बोर्ड के मकान की कोस्ट भी ज्यादा है और उसकी क्वालिटी भी खराब है तो उसके बारे में कहीं कोई प्रोविजन नहीं डाला कि हम क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। आपने अतिक्रमण है या जिस तरीके से कालोनी को हस्तांतरित करते हैं, हाउसिंग बोर्ड की वह कालोनी हस्तांतरित करते हैं, तो इन्होंने जो इससे इनकम की है उसका 15 परसेंट भी साथ के साथ हस्तांतरित करना होता है, जो नगर निगम या नगर निकाय जो लेते हैं। लेकिन 15 परसेंट की राशि वे हस्तान्तरित नहीं करते हैं जिस 15 परसेंट की राशि में उन्हें और सारी चीजों को करना है, जैसे- सफाई, बिजली, रोड रिपेयरिंग। उस 15 परसेंट राशि के बारे में माननीय मंत्री जी जवाब देते समय जरूर बताएं कि वह राशि कहां-कहां की बाकी है और कब-कब आप इसका पेमेंट कर देंगे? अधिकार तो आप इतना दे रहे हैं हाउसिंग बोर्ड को, लेकिन जो पहले से इनके पास अधिकार हैं, उनकी ये पालना नहीं करते।

माननीय सभापति जी, एक परिपत्र निकला था, एक आदेश निकला था नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग दिनांक 15.04.2010 को और एक आदेश निकला था 01.08.2011 को। इन दोनों ही आदेशों में इन्होंने कहा है- ''राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर विकास सुधार न्यासों द्वारा आबंटन एवं नीलामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में विक्रय किये गये जितने भी भूमि/भवन से प्राप्त विक्रय राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि सम्बन्धित निगम/परिषद्/पालिका को हस्तान्तरित की जाए।'' इसमें यह भी लिखा है कि यदि वे डिले करेंगे तो वह राशि ब्याज सहित देंगे।

ये दोनों परिपत्र एक के बाद एक निकाले गये हैं। इनका हवाला देते हुए मैं यही कहूंगी कि मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान दें। दूसरा, इन्होंने पावर्स दी हैं, इस प्रकार की पावर्स जो आप देते हैं कि आप इसमें सीज कर सकते हैं,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आप इसके ऊपर लागू कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, वसूल कर सकते हैं, वगैरह, तो आप ये भी पावर्स दे दें कि आपने यदि कोई गलत शास्ति निकाली, उसका कोई गलत अमाउंट निकाला तो उसकी अपीलेंट अथोरिटी क्या होगी। इसके प्रोविजन्स में यह कहीं भी नहीं दिया गया है।

तीसरा, राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम सं. 4) की धारा 60 का जो इन्होंने संशोधन किया है, उसमें ''राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण'' ये शब्द डाले हैं। हाउसिंग बोर्ड अपने आपमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सरकार नगर परिषद् के नियम बनाती है तो उनमें भी ''राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण'', हाउसिंग बोर्ड के नियम बनाती है तो उनमें भी ''राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण''। After all, ये सारी पावर्स गवर्नमेंट अपने पास में क्यों रखना चाह रही है? ये संशोधन तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ उसका रीजन भी दे देते।

माननीय सभापति जी, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए पावर्स वगैरह अपने हाथ में लेना वगैरह, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं यही कहूंगी कि इस अधिनियम को वापस लिया जाए और बोर्ड का पंजीयन कम्पनी अधिनियम के तहत करवाया जाए। बोर्ड की कार्य प्रणाली की समग्र समीक्षा करने की जरूरत है। इसके लिए इसे तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां जी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल और इस हाउसिंग बोर्ड के अमेंडमेंट बिल में मैं अपनी बात संशोधन के रूप में देना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे पास एक तालिका है जो राज्य सरकार ने जारी की। इसमें स्पष्ट लिखा है ''आवासों का निर्माण प्रारम्भ करना''- लक्ष्य निर्धारित नहीं, लेकिन 2019-20 में जो उपलब्धि है, वह पूरे राजस्थान में सिर्फ 93 है, जो कि चिंता का विषय है। ''आवासों का आबंटन''- लक्ष्य था 5110 और आबंटित हुए सिर्फ 181, ''आवासों का कब्जा''- लक्ष्य था 21799, सिर्फ 1038 हो पाया, ''निर्माण कार्यों का व्यय''- 257.57 करोड़ और खर्च किये 63.68 करोड़, ''प्राप्तियां''- 758 के अगेन्स्ट में 311.

सभापति महोदय, यह दर्शाता है कि हाउसिंग बोर्ड की राजस्थान में कोई इमेज नहीं है। इस इमेज को डवलप करने में हम 1970 से लेकर आज

(श्री बलवान पूनियां)

तक कामयाब नहीं हुए हैं। सभी विधायकों को एक चिट्ठी दी गयी कि आप वहां-वहां जाएं, वहां आपको हाउसिंग बोर्ड का मकान मिलेगा। उसे आप देखकर आएं और फिर पैसे जमा कराएं। सभापति महोदय, कोई भी आदमी उस मकान को लेने की हिम्मत या कोशिश नहीं करेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके निर्माण की जो स्थिति है, वह कतई उचित नहीं है। उसमें हाउसिंग बोर्ड ने कतई यह ध्यान नहीं रखा कि आप शहर के बीचों-बीच इतनी बेशकीमती जगह पर यह निर्माण कर रहे हैं और इस निर्माण को खरीदने के लिए कोई अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा देने क्यों आए?

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप इस संशोधन बिल में इन चीजों को शुमार करें कि आपने जो-जो चीजें बनायी हैं, उन्हें लेने के लिए कोई इसीलिए आएगा, जब उनमें कोई क्वालिटी दिखेगी, कोई क्वांटिटी दिखेगी और कोई लान्ग टर्म के लिए अपनी जिंदगी के सारे पैसे उसमें खर्च करेगा तो इसीलिए करेगा जब आपकी उसमें कोई न कोई भविष्य की योजना लम्बे समय तक चलने वाली होगी।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि ये योजनाएं शहर और छोटी तहसीलों में सरकार ज्यादा से ज्यादा लागू करे और लागू करके लोगों तक सस्ते सुलभ आवास उपलब्ध कराने की कोशिश करे। मेरे गृह जिले हनुमानगढ़ के लगभग 20 साल पहले हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां बनकर तैयार हो गयी थीं। मकान बनकर तैयार हो गये थे। सभापति महोदय, गेट नहीं बचे, उनकी खिड़कियां नहीं बचीं। आज भी उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इन चीजों का सरकार संज्ञान ले। हम चाहते हैं कि इन संशोधनों को सरकार शामिल करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी जी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लगातार बिल पर बिल लाकर और एक्ट बनाकर ये बाढ़ ही नहीं लेकर आये हैं, बल्कि मंत्री जी, इसे सुनामी कह सकते हैं। एक-एक दिन में दो-दो, तीन-तीन बिल, उसके संशोधन, उनमें गलतियां, फिर भी बिल पर बिल।

सभापति महोदय, यह हाउसिंग बोर्ड है क्या, पहले तो इसे समझते हैं। हाउसिंग बोर्ड का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था और यह है क्या? यह एक

(श्री अशोक लाहोटी)

सरकारी बिल्डर है। जैसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, वैसे ही यह सरकारी बिल्डर है। इसका उद्देश्य कम कीमतों पर अल्प आय वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मकान उपलब्ध करवाना था, यह 24 फरवरी, 1970 के आपके उद्देश्यों में लिखा हुआ है। आपने लिखा है- ''सस्ते आवास उपलब्ध करवाना'', यह हमारा उद्देश्य है। मुझे लगता है कि दिन-प्रतिदिन हाउसिंग बोर्ड अपने उद्देश्य से धीरे-धीरे भटक गया।

मंत्री महोदय, भटकने के बाद यह जो बिल लाया गया है, आप इस बिल को ठीक से पढ़ें। इसमें जो आपने अधिकार दिये हैं, एक सरकारी बिल्डर को जिस प्रकार से आपने अधिकारी सौंपे हैं, ये अधिकार सौंपकर आप एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के लोग त्राहि-त्राहि करेंगे। आपके मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा है कि जेडीए में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, किस प्रकार से अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, किस प्रकार से अधिकारियों के हस्तान्तरण हुए हैं। इस बिल में तो जेडीए और नगर निगम से भी ज्यादा अधिकार आप देने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपके हाउसिंग बोर्ड की तरह शहर का विकास करने वाली 16 एजेंसियां काम रही हैं। अकेले जयपुर शहर में पिछले दस सालों में आप 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इसका जब तक इंटीग्रेटेड प्लान नहीं बनाया जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि Unorganised Development यानी अनियंत्रित विकास शहर के लिए घातक होता जा रहा है और आप वही फिर इसमें करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस बिल में जो लिखा गया है, सबसे पहले 51(क) में जो लिखा गया है- ''भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली''। मंत्री महोदय, जब आपने सीजर के अधिकार इसी बिल में ले लिये हैं तो दुबारा से 1956 एक्ट में जाकर आपको एक्स्ट्रा अधिकारों की कहां आवश्यकता पड़ गयी? दूसरा, इसकी वसूली क्यों करनी पड़े? आप पूरा पैसा लेकर लीज डीड करते हैं। पहले आप उधार दें, बाद में छूट दें, बाद में उसमें पैसे की कटौती करें, बाद में आप कहें, साहब, पैसा नहीं आया, इसलिए हम इसमें लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 से कार्यवाही करेंगे। जब सीजर के अधिकार आपने 51(बी) में आलरेडी ले लिये हैं तो मुझे नहीं लगता कि 51(ए) की कहीं आवश्यकता है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, जो आपने 51(बी) लिया है, इसमें कुल-मिलाकर 15 घटक बनाये गये हैं। मंत्री महोदय, इन 15 घटकों को यदि पढ़ें तो सोवरन पावर्स जो होती हैं, वे कभी ट्रांसफर नहीं हो सकतीं। हाउसिंग बोर्ड कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। यह राजस्थान सरकार के एक्ट से बनायी हुई एक बिल्डर के रूप में काम करने वाली संस्था है और आप उसे सोवरन पावर्स डेलीगेट कर रहे हैं। आप उसे किस तरह की पावर्स डैलिबरेट कर रहे हैं? आपने लिखा कि दोष सिद्ध होने पर कारावास होगा। कारावास कौन कराएगा, आपका सीआई कराएगा?

आपने लिखा, उसे पेश करने की अनुमति होगी। क्या थाना खोल रहे हैं आप? हाउसिंग बोर्ड चला रहे हैं या थाना खोल रहे हैं? आपने इसमें लिखा- सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करके परिसर सम्पत्ति को जब्त भी करेंगे और जब्त करने के साथ-साथ उस पर यदि कोई वाहन खड़ा है तो वह भी जब्ती में आएगा। उसमें यदि कोई सम्पत्ति है तो वह भी जब्ती में आएगी। उस पर कोई स्थायी सामान पड़ा है तो वह भी जब्ती में आएगा। ऐसी क्या आफत पड़ गयी? दूसरा, आपने लिखा कि अतिक्रमण मानने पर कार्यवाही करेंगे। अतिक्रमण किसका? अतिक्रमण की परिभाषा तो तय करें। बाहर सड़क पर रैम्प बनाना भी अतिक्रमण की श्रेणी में है। अतिक्रमण को इस एक्ट में डिफाइन तो करते, वरना हो सकता है आपके अधिकारी आज अच्छा काम कर रहे हों, कल कोई दूसरा अधिकारी जब आएगा तो इसका व्यक्तिगत उपयोग करेगा।

आपने लिखा- इसकी सुनवाई का अधिकार केवल सरकार के पास होगा और एक लाइन जो आपने लिखी है 11वें नम्बर पाइंट पर- अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को इसकी सुनवाई का भी अधिकार नहीं होगा।

यह कौनसा कानून है, यह कौनसी संविधान में लिखी हुई बात है? मुझे लगता है कि भारत के संविधान के विपरीत आप अधिकार देने की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपने अतिक्रमण का लिखा है, मैंने आपसे कहा कि अतिक्रमण पिक एण्ड चूज करेंगे, आपके अधिकारी चूज करेंगे। यह सत्ता के मद में जिस तरह का बिल आप पास कर रहे हो तो जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले भी कई बिल पास कर रहे थे और अब वे खुद अपने ऊपर ही ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सत्ता के मद में ऐसे बिल मत बनाओ। आपने लिखा कि

(श्री अशोक लाहोटी)

हमने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-74, यानी आईपीसी के अधिकार भी आप दे रहे हो। आप इसमें करना क्या चाहते हैं?

चौथा, आपने इसमें लिखा अभिलेख मंगवाने की शक्ति। यानी यदि आपकी किसी शाखा ने, आपके जोन आफिस ने, आपके ब्रांच आफिस ने कोई भी आदेश किया और कोटा में किसी को मकान देने के लिए मना कर दिया तो आपने लिख दिया कि मंत्री जी को अधिकार है वे उसको संशोधन कर सकते हैं। तो फिर जोन कार्यालय बन्द कर दिए जाएं और केवल हैड आफिस से ही नियंत्रित काम करें। ऐसी शक्तियां हम अपने पास लेना चाहते हैं जिनका आने वाले समय में निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा आपने लिखा 51-घ में 'पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से अनिम्न रैंक का हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा' यह क्या है, सभापति महोदय? यानी आपने कोई अतिक्रमण कर लिया, पिक एण्ड चूज कर लिया, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्यवाही करती हैं, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप किसी को गिरफ्तार भी कर लोगे, यह कौनसा अधिकार है? आईपीसी के अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते। दूसरा, सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि ये सारे अधिकार कहीं न कहीं आपने नगर निगम को दे रखे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी कालोनी मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड की है, प्रताप नगर जो दूसरी सबसे बड़ी कालोनी है वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। अभी आजकल आप उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि कभी यह मनन किया कि हाउसिंग बोर्ड ने बनने के बाद जो 15 परसेंट पैसा दूसरे न्यासों को ट्रांसफर करना था वह आज तक ट्रांसफर नहीं किया, 30 साल से वहां सीवरेज की लाइन नहीं बदली गई, वहां चलने के लिए सड़क नहीं है, सड़कें नहीं बनाई गईं, नगर निगम को आज तक पेपर्स नहीं सौंपे गये। पहले भी मैंने हमारी सरकार में मंत्री महोदय की कमेटी में ये मुद्दे उठाये हैं, उनमें कुछ जजमेंट भी हैं लेकिन हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और जेडीए, ये एक-दूसरे के न तो अधिकार मानते और न मंत्री के कोई आदेश मानते। यदि आप मनवा दें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह के अमेंडमेंट लाना और जल्दबाजी में यह करना अच्छा नहीं है। मानसरोवर, प्रताप नगर के लाखों लोग

(श्री अशोक लाहोटी)

आज भी सुविधाओं से त्रस्त हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। गार्डन की तरफ कोई झांकने वाला नहीं है। आप इस बिल में उनकी सुविधाओं के लिए कुछ लेकर आते। हाउसिंग बोर्ड ने पैसे कमाकर एक एकाउंट में रखने का काम, यह लालाओं का काम नहीं है। सरकार की जो एजेंसी आपने बनाई है उस एजेंसी के बारे में मेरा निवेदन है कि इस तरह का दुरुपयोग रोका जाए और जिस प्रकार से बिल की बाढ़ लाई जा रही है, इन बिलों को रोका जाए। आपको दिख रहा होगा कि हाउसिंग बोर्ड इन दिनों में मकान ज्यादा बेच रहा है, डिस्काउंटेड रेट पर बेच रहे हैं पर वह कोई अधिकारी अपनी हैसियत से काम करके बेच रहे हैं तो इसका मतलब हाउसिंग बोर्ड ठीक नहीं हो गया। हाउसिंग बोर्ड की जैसी स्थिति है, आज तक कुल 2 लाख 50 हजार मकान बनाये हैं पिछले 30 सालों में।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरा निवेदन है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करके इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें, प्रवर समिति को भेजें और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी इस बार इसमें जरूर मनन करेंगे।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मंत्री महोदय, आप राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 लाकर राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 की मूल धारा 51 में 51ए, 51बी, 51सी और 51डी, चार नई उप-धारा डाल रहे हैं और एक धारा-60 को आप री-ड्राफ्ट कर रहे हैं। मुझसे पहले वक्ताओं ने जो बात कही उसका स्पष्ट उल्लेख आपने इस बिल के पेज नम्बर 17 पर उद्देश्यों और कारणों के कथन में किया है। आपने कहा कि 1970 में जब यह हाउसिंग बोर्ड बना उस समय इसका जो मूल लक्ष्य था, सरकारी क्षेत्र के अन्दर गरीब लोगों को सस्ते, गुणवत्तापूर्ण मकान बनाकर उपलब्ध कराना। इसके साथ ही आपने खुद ने ही इसी उद्देश्यों और कारणों के कथन में लिख दिया कि आवासन बोर्ड जब किसी भी योजना को बनाकर उसे विकसित कर देगा तो उसे स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कर देगा। यानी राजस्थान के अन्दर हाउसिंग बोर्ड की कोई भी ऐसी कालोनी नहीं है जो स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में नहीं बनी हो और जिसको स्थानीय निकाय को आपने विधिवत रूप से कुछ समय बाद हस्तांतरित नहीं किया होगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 3 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। धारा 3 कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रही है - 'राज्य सरकार द्वारा घोषित नगरीय सीमा स्थित सभी नगरीय क्षेत्र में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम द्वारा अधिनियत होंगे।' यानी आज इस बिल को लाने के पीछे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े वैधानिक सवाल खड़े किये कि जब आज ये सारी की सारी हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत अधिनियमित हैं तो फिर इस बिल को लाने के पीछे आपका हेतु क्या है? आप किस अधिकारी को बड़ा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसके पीछे आपका छिपा हुआ एजेंडा क्या है? मंत्री महोदय, आपने पुराने एक्ट राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 को पढ़ा होगा, उसकी धारा 35 (5) को आप पढ़ लो। 35 (5) यह कहती है कि नगरपालिका और स्थानीय निकाय को आवासन मण्डल द्वारा विकसित कालोनियों पर नियंत्रण का पूरा अधिकार है, खुद इनका मूल एक्ट यह कह रहा है। मैं समझता हूं कि आपने इसको पढ़ा नहीं। अब जब यह कह ही रहा है तो फिर उसके बाद इसकी आवश्यकता कहां थी?

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान पुन: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 168 की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिस अतिक्रमण की बात राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सन्देह प्रकट करते हुए कहा, अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप एक ऐसी संस्था जो बोर्ड है, जिसका वैधानिक रूप से आप अधिकार नहीं दे सकते, उसको अतिक्रमण हटाने का अधिकार दे रहे हो। जबकि वह शासित है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत और 2009 की धारा 168 यह कह रही है कि उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसको हटाने का प्रावधान है, पूरा प्रोसीजर दिया गया है, उसमें आवश्यक दण्डात्मक प्रावधान भी किये गये हैं। मैं समझता हूं कि अब आप जो धारा 51 में 51ख लेकर आ रहे हो और अतिक्रमी को आप तीन माह और तीन वर्ष की सज़ा की बात कर रहे हो, तीस हजार से पचास हजार जुर्माने की बात कर रहे हो, यह क्यों कर रहे हो आप? क्या मन्शा है आपकी? मैं समझता हूं कि राजस्थान बनने के बाद पहला एक बोर्ड होगा राजस्थान सरकार का जो इतना अधिकार सम्पन्न होगा, वह किसी को तीन साल के लिए जेल भेज सकता है, वह किसी पर पचास हजार तक का जुर्माना कर सकता है और वह शासित है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत। धारा 3 में साफ लिखा गया है फिर उसके बाद आप क्यों लेकर आ रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं? अगर आप खुद अपने मूल एक्ट जो 1970 का है, उसकी धारा 27 पढ़ लो तो उसमें लिखा है कि आवासन मण्डल उसकी किसी योजना में कोई नियम विरुद्ध निर्माण, परिवर्तन, परिवर्द्धन होने पर कार्यवाही कर सकता है। आपकी जो मूल धारा 28ई है उसमें आपको ध्वस्त करने का अधिकार है। मैं समझ नहीं रहा कि हाउसिंग बोर्ड की कालोनी को एक इस प्रकार का अधिकार देकर आप कौनसे शक्तिशाली नौकरशाह को सौंपकर, इसके पीछे आपका एजेण्डा क्या है?

सभापति महोदय, मंत्री महोदय एक और संशोधन लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, आप 51ग में संशोधन लेकर आये हैं कि आवासन बोर्ड के किसी भी निर्णय को और किसी भी सरकारी दस्तावेज को, यानी जो तीन साल पहले भी अगर कोई निर्णय हुआ है तो आप मंगा सकते हो। कहां निगाह हैं? कौनसा तीन साल पहले का निर्णय मंगाना चाहते हो आप? यह तीन साल की जो अवधि दी है, सभापति महोदय, सबको मालूम है कि आज हाउसिंग बोर्ड के अन्दर शत-प्रतिशत चाहे चेयरमैन हो, चाहे बोर्ड आफ डायरेक्टर हो, चाहे उसके सीईओ हो, एमडी हो, सारे के सारे सरकारी हैं। आपने शायद इसकी धारा 60, जिसको आप री-ड्राफ्ट कर रहे हो न, उसको अगर आप पढ़ लेते। मैं, प्रतिपक्ष के नेता, आपसे भी संरक्षण चाहूंगा, धारा-60 के अन्दर हाउसिंग बोर्ड को निर्देश देने के लिए सरकार को अधिकार दे रखे हैं। यह तीन साल का राइडर लगाकर और मैं समझता हूं कि धारा 60 को अगर कोई पढ़ ले तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि आप धारा 51ग के अन्दर यह अमेंडमेंट लेकर आएं। आप 51घ के अन्दर क्या अमेंडमेंट लेकर आए हैं, जिसका जिक्र अभी मेरे से पहले सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। हाउसिंग बोर्ड की कालोनी में आप हाउसिंग बोर्ड को निरंकुशता से पुलिस तंत्र देकर अनियंत्रित और असीमित अधिकार दे रहे हो। यानी 51ख में आपने कोई अतिक्रमी घोषित कर दिया, 51घ में गिरफ्तार करोगे आप। आपने लिख दिया, उसको सारे अधिकार दे रहे हो, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। मैं समझता हूं कि इसके पीछे आपकी मन्शा क्या है? अगर आप जिससे शासित हो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 169 सब क्लाज (3), इसको अगर पढ़ लें

(13.00 बजे)

सभापति महोदय, पहले से प्रावधान है, इसको अगर पढ़ लें। मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते हुए जो सैक्शन 3 की बात कही थी, उसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नगरपालिका अधिनियम, 2009 में 169 (3) में लिखा है, अतिक्रमण हटाने का प्रावधान भी है। अतिक्रमी को निरूद्ध करने का भी प्रावधान है। मैं समझता हूं कि इसको दुबारा लाने के पीछे आपका एजेन्डा क्या है? आपने धारा 60 को री-ड्राफ्ट किया है। धारा 60 को आप री-ड्राफ्ट करके, आप क्या कह रहे हैं? सरकार अपनी नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अमलीजामा पहनाने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल को समय-समय पर निर्देश दे सकेगा, कर क्या रहे हो? सरकार का बोर्ड है, निर्देश देने के लिए ये आपको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता कहां पड़ी थी? धारा 60 के अंदर आप पहले से ही निर्देश दे सकते हो।

मैं समझता हूं इसके अलावा आप एक धारा 51 (ए) के अंदर जो संशोधन लेकर आए हैं, उसमें आप अधिकार क्या दे रहे हो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 26 में कार्यवाही करने का, सभापति महोदय, आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा। हाउसिंग बोर्ड में ये लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 26 में कार्यवाही करेंगे, एक्स-पार्टी फैसले होंगे, ये मर्जी आये जिसकी जमीन को जब्त करेंगे। मैं समझता हूं कि इसके पीछे एजेंडा क्या है?

आज हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है। उसमें फैसिलिटीज एरिया पर, एनआरआई कालोनी में जो आपने खेल किया न, फैसिलिटी एरिया के अंदर, सरकार जब चाहे मकान बना दे, उस एरिया को डवलप नहीं करें, ये सिटीजन एसोसिएशन जो बन गई, ये प्रोटेस्ट करें। आपने किश्तों के अंदर मकान दिया, ये सुविधाएं देनी थीं, आपने नहीं दीं। हम यह पैसा आपको नहीं देंगे। आप इस धारा 51 (ए) के अंदर, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में ये इस्तेमाल करके, आप अपने उस काम को, जो आपको करना चाहिए, उससे बचना चाहते हैं। मैं समझता हूं अभी स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, उसमें बड़ी भाव भंगिमा में आपकी तस्वीर छपी, यूं करते हुए। मैं समझता हूं कि उसके अंदर आपने पूरी पैरवी की, इन सारे अधिकारों के लिए पैरवी की, एक के बाद एक आपने कहा हाउसिंग बोर्ड में हमने पचास प्रतिशत कीमत कम करके मकान बेचना चालू किया। हाउसिंग बोर्ड के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आपने जब सारे अधिकारों की बात कही, तो आपके कमजोर पड़ते मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जेडीए की भांति यह भ्रष्ट हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात आगे कहूं। इसलिए, मंत्री महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज की हालत क्या है? ये राजधानी तो आपकी निगाहों में है। मेरे यहां चले जाओ, चूरू के अंदर, अगर पूरी हाउसिंग बोर्ड की कालोनी में पांच स्ट्रीट लाइट जलती हों तो मुझे कह देना। मैं समझता हूं आप इस तरह का लाकर, आप करना क्या चाहते हो? आपके मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, उसके बाद भी लाना चाहते हो।

इसलिए, सभापति महोदय मैं तो यह कहूंगा आप इसको जनमत जानने के लिए भेजें। ये ऐसे समय में आया है, एक संक्रमण समय है। सदन में उप मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं, बड़ी संख्या में माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं। ऐसे समय के अंदर आप लोग मध्य प्रदेश की तर्ज पर, राजस्थान में आगे बढ़ने को आतुर हैं। आप अपने माथे पर यह ठीकरा क्यों ले रहे हो? आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इस पूरी बात से निकलो। मुख्य मंत्री जी के खेमे से अलग होने के लिए, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था, मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने कहा था हाउसिंग बोर्ड जेडीए के रूप में भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। आप उनके खेमे से निकल रहे हो, पर इस बिल के माध्यम से नहीं..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हाउसिंग बोर्ड पर बोलिए। कृपया राजनीति पर मत बोलिए, ये राजनीति तो आपने महाराष्ट्र की भी खूब देखी है, और भी सब जगह की देख लेना और यहां की भी देख लेना, हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं खतम कर रहा हूं। अंत में, इस बिल के माध्यम से यह कहूंगा, मंत्री महोदय जी, आप इस नये बिल में घुसने की कोशिश कर रहे हो। इस बिल को हथियार मत बनाओ, आप नये बिल में सीधे चले जाओ, चले जाओ जिस खेमे में जाना है। इसलिए इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। उद्देश्य और कारणों में, जिस उद्देश्य और कारणों का जिक्र करते हुए हाउसिंग बोर्ड का गठन किया गया, अधिनियम 1970 में, आज इसमें संशोधन सरकार लेकर आई है। माननीय सभापति जी, मैं बीकानेर का उदाहरण दूं।

(श्री बिहारीलाल)

हाउसिंग बोर्ड ने हमारे किसानों की बेशकीमती जमीन अधिग्रहण कर ली और आज भी हमारे किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको कोई मुआवजा नहीं मिला और जिन्होंने वहां हाउसिंग बोर्ड की कालोनी में प्लाट अलोट कराए, जो किश्तें भर रहे हैं, उन्होंने जो मांगा और जिस बात के पैसे दिये, वैसी वहां कोई सुविधा नहीं है। इसको भी हाउसिंग बोर्ड को टाप प्रायोरिटी असेसमेंट कराकर, फिर पजेशन देना चाहिए।

हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों के निर्माण की क्या स्थिति है? माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता जी ने पूरी बात बताई। हाउसिंग बोर्ड की वित्तीय स्थिति का भी बताया और इस वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए एक सुझाव मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करूंगा कि हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों में अनेक कार्नर, दो प्लाटों के बीच का प्लाट, दो गलियों के बीच की खाली जगह, ये बहुत सारे खाली पड़े हैं, इनको भी अगर सरकार बेचकर रेवेन्यू अर्जित करना चाहे तो इसके घाटे की पूर्ति की जा सकती है।

आप इसमें कई संशोधन लाए, कई धाराएं जोड़ी हैं 51 क, ख, ग, घ और 51 'घ' को वापस विलोपित भी कर दिया है। इसके पीछे भी सरकार की क्या मंशा रही है? और उद्देश्य और कारणों में जो आपने कहा, सही सच्चे मनोयोग के साथ और सही भावना से अगर बिल लाया गया है, जो माननीय राजेन्द्र जी ने मंशा जाहिर की कि सरकार की इस बिल में संशोधन लाने के पीछे भावनाएं अलग हैं, इशारा कहीं ओर है। ऐसा अगर इस बिल में है तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। सरकार को इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): पाइंट आफ इंफोर्मेशन। साहब, मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि बहुत हुई है।

श्री सभापति: अभी कोई नहीं, आप प्लीज विराज जाइए, विराजो आप। बाद में। श्री अभिनेश महर्षि। संयम लोढ़ा जी। पड़ौस में शांति रखो न।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं। राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने हाउसिंग बोर्ड के अंदर बिल में अमेंडमेंट के

(श्री अभिनेश महर्षि)

लिए काफी विस्तार से बातें कहीं। ये बिल हो या इससे पहले के कितने ही बिल हों, उन सब बिलों के अंदर सरकार का कहीं कोई छिपा हुआ एजेंडा प्रतीत होता है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, हाउसिंग बोर्ड के हालात माननीय सभापति महोदय, किसी से छिपे हुए नहीं हैं। बेशकीमती जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी माननीय सदस्यों को जब यह कहा गया कि आपको हाउसिंग बोर्ड के मकान आधी रेट के अंदर देने के लिए हम तैयार हैं, चले जाओ, तो कोई माननीय सदस्य हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये हाउसिंग बोर्ड के बने हुए मकानों की गुणवत्ता का ताजा उदाहरण है।

अभी हाउसिंग बोर्ड को असीमित अधिकार देने की बात राजस्थान की विधान सभा के अंदर सरकार लेकर आई है। अब इन असीमित अधिकारों को देने में क्या मंशा है? क्या छिपा हुआ एजेंडा है? एक तरफ राजस्थान के मुख्य मंत्री यह बात कहते हैं, सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि यदि जेडीए जैसे असीमित अधिकार दे दिये गये हाउसिंग बोर्ड को तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और असीमित भ्रष्टाचार हो जाएगा। असीमित अधिकार देने की, माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ, जो भावना आपकी इस बिल के अंदर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कह रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश का असर यहां पर आ गया कि एक ही दिन के अंदर तुरंत प्रभाव से, माननीय मुख्य मंत्री जी की भावना को दरकिनार करते हुए, आप यह बिल लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर सरकार अपनी भावना को बता दे।

पिछले दिनों, मेरे एक काबिल दोस्त वहां पर अफसर लगे हुए हैं, मैंने देखा हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक भूचाल सा आ गया। ऐसे लगा जैसे हाउसिंग बोर्ड की जो मंशा है, सरकार की मंशा होती है कि कोई गरीब आदमी है, जो अपना आशियाना बसा नहीं सकता है, उस गरीब व्यक्ति को आशियाना देने की भावना, जिसके अंदर लोक कल्याण की भावना छिपी हुई होती है। हाउसिंग बोर्ड तो यहां पर ठेकेदार बन गया, इस तरह से कोई बिल्डर भी क्या करेगा। लेकिन, गुणवत्ता का जब ध्यान नहीं रखोगे, इसके अंदर धाराओं का उल्लेख, मेरे से पूर्व हमारे माननीय उप नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों ने बहुत विस्तार से कह दिया है। इन धाराओं के अंदर जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, इस अमेंडमेंट के तहत यदि भावना, मंशा इस तरह की हो कि लोक कल्याणकारी कार्य करके, अब हाउसिंग बोर्ड के बहुत सारे मकानों के अंदर ऐसी

(श्री अभिनेश महर्षि)

-ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, खण्डहर हो गये हैं प्राइम लोकेशन के मकान, तो उस स्थिति के अंदर भी हमें सोचना चाहिए।

मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, इतना ही कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड के इस अमेंडमेंट बिल के अंदर जल्दबाजी नहीं की जाए। लोक कल्याण की भावना को स्पष्ट रूप से सर्वोपरि रखा जाए और आने वाले समय के अंदर इसको जनमत के लिए परिचालित किया जाए कम से कम तीन महीने के लिए, लोगों की भावना और पूरे विचार आने के बाद में इसको पास करें लेकिन उससे पहले इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, 33 साल पहले जब मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता होता था तो एक नौजवान विधायक को स्वायत्त शासन से संबंधित महकमा मंत्री के रूप में मिला, तो उनकी टिप्पणी थी कि मुझे कहां फंसा दिया, इस डिपार्टमेंट में क्या रखा है। खाली ईओ, पीओ के अलावा कोई काम नहीं है मेरे पास, लेकिन जब मैं राजस्थान की विधान सभा में चुनकर आया 1998 में पहली बार और उसके बाद आज के हमारे स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल साहब को यह महकमा मिला तो उन्होंने प्रदेश को यह बताया कि नगरीय विकास और स्वायत्त शासन का विजन क्या होता है, उसकी दृष्टि क्या हो सकती है। नियमन, 90बी, पट्टे, अधिकारों का विकेंद्रीकरण यह सारी चीजें उन्होंने बहुत मेहनत से कीं और आज यह महकमा एक जीवंत महकमा हो गया है।

मैं यह मानता हूं कि हम हाउस में जितने लोग बैठे हुए हैं नगरीय विकास के बारे में इनसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो बिल लेकर आ रहे हैं पता नहीं उन बिलों पर गौर क्यों नहीं करते हैं? जैसा अधिकारी ला करके दे देते हैं वैसा ही इस सदन में बिल प्रस्तुत कर देते हैं। मैंने वकीलों के बिल के मामले में भी सरकार को आगाह किया था कि आप यह जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसका विरोध होगा और आज पूरे राजस्थान में अखबारों में पढ़ा है कि किस तरीके से वकील सारे खिलाफ में आए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में माननीय मंत्री जी ने

(श्री संयम लोढ़ा)

हाउसिंग बोर्ड के एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने यह कहा था कि इस हाउसिंग बोर्ड को तो बंद कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हर टिप्पणी को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वह भी 10 साल प्रदेश की मुख्य मंत्री रही हैं, उनका भी अपना अनुभव रहा होगा, उनकी समझ रही होगी। उन्होंने यह टिप्पणी की तो कोई सोच समझकर की होगी और हाउसिंग बोर्ड का जो इतिहास है वह उस टिप्पणी को सही बताता है और वर्तमान मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी इसी तरह की ही टिप्पणी की थी। बहुत अच्छा होता कि 50 साल पूरे होने के मौक़े पर हाउसिंग बोर्ड का पूरा लेखा-जोखा साथ में विचार करके इसको बंद करने का सरकार निर्णय लेती और इससे संबंधित परिसम्पत्तियों और इसके कार्यालयों को स्थानीय निकायों के साथ मर्ज कर देती, लेकिन आपने ऐसा नहीं क्या। आप अधिकार तो बहुत से देना चाह रहे हैं लेकिन पहले जो अधिकार नहीं थे उसके बाद भी क्या-क्या काम हाउसिंग बोर्ड ने किए हैं, कभी हमने उस पर कार्यवाही करने की या उस पर गौर करने की सोची है? हमने सपना तो लोगों को, राजस्थान की गरीब जनता को यह दिखाया कि तुम्हारे रहने की एक छोटी सी कुटिया बनाकर देने का हम काम करेंगे और इसका उपयोग हमने क्या किया? बेशकीमती जमीनें, बड़े शहरों के अंदर कोने की जमीनें अपने मर्जीदान लोगों को और अपने चहेते लोगों को आबंटित करने का काम हमने किया है और सामान्य चहेते लोगों को तो छोड़ो, विधायकों तक को आउट आफ टर्न जाकर के 50-50 लाख के मकान 15 लाख में देने का पाप इस हाउसिंग बोर्ड ने किया है। लोकायुक्त ने जांच की, जांच बना करके पूरी रिपोर्ट भेज दी। क्या हुआ, क्या आज तक आप वह मकान वापस ले पाए? जिन अधिकारियों ने उसमें भागीदारी निभाई उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर पाए? अब आप फिर से अधिकारियों को नए अधिकार देने की बात लेकर सदन में आ गए।

माननीय सभापति महोदय, 15-15 साल पहले जिस जगह मकान अलॉट हुए उनकी जगह बदल दी आपने और उनको दूसरी जगह पर 15 साल बाद मकान दे दिए। क्या यह सब करने के लिए ही हाउसिंग बोर्ड को हम ताकत देना चाहते हैं? अधिकारियों को हम ताकत देना चाहते हैं? पार्किंग की जगह आपने ट्रांसफर कर दी। सैंक्शंड पार्किंग किसी जगह है और ट्रांसफर करके दूसरी जगह पार्किंग दे दी और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके के हालात हैं, 1995 में सीधे आरपीएससी से सलेक्ट

(श्री संयम लोढ़ा)

होकर जो परियोजना अभियंता आपके यहां सलेक्ट हुए, उनकी पदोन्नति के मामले में आप न्याय नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धता बताकर आपने वरिष्ठता सूची जारी कर दी। सैक्रेटरी ने हाउसिंग बोर्ड के अंदर पहले पिछले साल जो आब्जेक्शन मांगे थे अस्थाई सूची, उस पर गौर नहीं किया और गुपचुप तरीके से आपने लिस्ट जारी कर दी, इसलिए कि आप एक बड़े वर्ग को लाभान्वित करना चाहते हो। पहले कम से कम अपने कर्मचारियों के साथ तो न्याय करो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हाउसिंग बोर्ड को यह पता नहीं है कि उनका मुकदमा किस जगह पर चल रहा है, क्या रिप्लाई पेश हुआ है, कौनसी आगे पेशी की तारीख है। आप जा करके पता कर लेंगे तो यह जानकारी तक हाउसिंग बोर्ड नहीं दे सकेगा और अब अधिकार सम्पन्न हम करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 16 मुकदमे हैं। नेशनल कमीशन में 75 मुकदमे हैं। हाई कोर्ट में 1180 मुकदमे हैं। स्टेट कमीशन में 450 मुक़दमे हैं। कंजूमर फोरम में 985 मुकदमे हैं और सिविल कोर्ट और लेबर कोर्ट में 1010 मुकदमे हैं। करीब पौने चार हजार तो आपके मुकदमे हैं और वह राज्य स्तरीय समझौता समिति 1988 में बनी थी। समझौता समिति थी, आप चाहते तो बहुत मामलों का निस्तारण कर सकते थे। पहले भी कर सकते थे लेकिन यह हमारा विषय नहीं है और हम इस पर काम करना नहीं चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 11,000 एंक्रोचमेंट हैं हाउसिंग बोर्ड के आन रिकार्ड हाउसिंग बोर्ड की प्रोपर्टी पर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी तय करते आप, इसकी जवाबदेही तय करते लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम किसी तरीके की कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा सके, उसके अधिकार हम देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, सारे अधिकार आप की दूसरी संस्थाओं के पास भी हैं। जेडीए, दूसरी लोकल बाडीज को सब तरह के अधिकार हैं। प्रवर्तन निरीक्षक भी है, प्रवर्तन दस्ता भी है। दूसरी जगह तो छोड़ो जयपुर का क्या हाल कर दिया, जिस एरिया के अंदर मास्टर प्लान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है वहां आपने कई-कई मंजिलों के भवन बनवा दिए हैं। आसपास में जो छोटे-छोटे मकान बनाकर लोग रह रहे हैं, ऊपर से रह रहा आदमी उनके घरों में झांक रहा है, उनकी प्राइवेसी आपने खतम

(श्री संयम लोढ़ा)

कर दी। 20-20 फीट की रोड़ पर आपने बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दीं। लोगों की रोशनी खा गए आप। लोगों की हवा खा गए और अब यह अधिकार देना चाह रहे हैं, तब भी आपकी नीयत साफ नहीं है।

मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं खाली आपको एक सैक्शन का उल्लेख करूंगा 51 (ख) का। अतिक्रमण के प्रकरण में उसके निस्तारण की कोई आपने अवधि तय की है? नहीं तो वैसा ही हश्र होगा जैसा अब्दुल रहमान के मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हुआ कि उसकी आपने जो कम्प्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की वह भी हाई कोर्ट के जजमेंट का कंटेम्प्ट है। गुलाब कोठारी के मामले को ले लीजिए, आज तक कितने साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आगे गुलाब कोठारी के मामले में जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसकी 5 फ़ीसदी भी पालना आपने की? अब आप इसमें अधिकार ले रहे हैं और 51(ख) में आपने उल्लेख किया है, सब-सैक्शन-13 में, 'न्यायालय बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना कर्मचारी के विरुद्ध दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।' फिर? आप कोर्ट को तो डीबार करना चाह रहे हैं इससे, तो मतलब लोगों को लूटने दो कर्मचारियों को। कर्मचारी कुछ भी करे, उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। जितने प्रकरण आपके पास आपके अपने विभाग में अभियोजन स्वीकृति के एंटी करप्शन के आते हैं, आप रोककर बैठ जाते हो। आपका बोर्ड कभी किसी को अनुमति देगा?

इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी विनती है कि यह जो सब्जबाग आपको दिखा रहे हैं, इसके झांसे में मत आओ। यह हाउसिंग बोर्ड की दो पैसे की पैठ नहीं है राजस्थान की पब्लिक में। आपके मकान कोई खरीदने आएगा नहीं। इतनी घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोग रहने को तो छोड़िए, शक्ल नहीं देखना चाहते आपके मकानों की। अब आप अधिकार देकर क्या करेंगे? इससे बढ़िया है आप नगर पालिकाओं को, निगमों को, जेडीए को, जिसके एरिया में जो प्रोपर्टी है उसको दो और इसका मर्जर करो इनके अंदर, जिससे यह 50 साल की कालिख से राजस्थान की जनता मुक्त हो। बहुत्बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा जी।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया,

(श्री सुमित गोदारा)

उसके लिए धन्यवाद। आज इस संशोधन में इसके उद्देश्यों और कारणों में लिखा है, 'इन स्कीमों का विकास करने और इन्हें पूर्ण आकार और स्वरूप देने में लंबा समय लगता है, इसके दौरान भूमाफिया और अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है।' मैन उद्देश्य यह है लेकिन जब सरकार की एजेंसी इस तरह का डवलपमेंट करती है और सरकारी एजेंसी में ही अतिक्रमण हो रहा है तो उसके लिये दोषी कौन है और लंबा समय क्यों लगता है? आवासन बोर्ड द्वारा जब प्राइम जगह भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो फिर लंबा समय क्यों लगता है? जब हम देखते हैं कि प्राइवेट डवलपर 1-2 साल में डवलप कर लेते हैं और हाउसिंग बोर्ड 10-10 साल क्यों लगाता है? उससे न सिर्फ प्रोजेक्ट लेट होते हैं बल्कि आमजन को कितनी दुविधा होती है, आमजन जो आवास की आशा लेकर चलता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे बीकानेर शहर में आवासन मंडल द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाई गई, जिससे बीकानेर शहर में शानदार विकास हुआ। चाहे साउथ एक्टेंशन हो, पवनपुरी हो, मुक्ता प्रसाद कालोनी ऐसी रही जिससे बीकानेर बढ़ा, बीकानेर में विकास हुआ। यह बात और है कि उनकी क्वालिटी जरूर गुणवत्तापूर्वक कमजोर रही परन्तु यह भी एक विषय है कि उनकी रोड अगर 40 फीट है तो 40 फीट ही है। जितनी शानदार रोडें हाउसिंग बोर्ड की हैं, वह और किसी कालोनियों की नहीं हैं, इतना शानदार काम हाउसिंग बोर्ड ने करके दिखाया है। हम यह उम्मीद करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड बीकानेर जिले में सिवाली आवासीय योजना, जिसकी 8 साल से भूमि अवाप्त की हुई है 13 हजार के आसपास मकान बनाने की हाउसिंग बोर्ड की योजना है, बीकानेर की जनता उसका इंतजार कर रही है। लोग दूसरी जगह बिना पट्टे के आम गरीब आदमी गांव से आकर जमीन ले रहा है, जब आपने सरकारी भूमि अवाप्त कर रखी है तो वहां पर क्यों नहीं मकान बनाये जाते? बीकानेर की जनता इंतजार कर रही है। आस-पास के पूरे क्षेत्र का संभाग मुख्यालय है।

हाउसिंग बोर्ड में अनेक काम हुए, हम यही चाहेंगे यह संस्था और मजबूत बने और जिस तरह टैक्नोलोजी और समय के साथ बदलाव हुए हैं, तो हम इस चीज को क्यों देखें कि हमारी सरकारी एजेंसी कमजोर है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि यह संस्था और मजबूत बने और अच्छा विकास कराए। हम हार मानकर क्यों बैठें कि हम नहीं करा सकते, हम तो यह सोचें कि अच्छा काम कराएं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े शहर में यूआईटी है,

(श्री सुमित गोदारा)

नगर निगम है लेकिन कई जगह जैसे हमारा लूणकरणसर बड़ा कस्बा है, नापासर कस्बा, वहां पर आवासीय योजना नहीं है। लूणकरणसर में मंडी विकास समिति द्वारा योजना लाई गई। सबसे बेहतरीन योजना जहां पर लोग विकास करते हैं। मेरा निवेदन है कि हाउसिंग बोर्ड और योजना लेकर आये, पर साथ में यह जो विषय आप इसमें लेकर आये हैं धारा 51 'ख' में कि तीन माह का कारावास, आप क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करोगे जो अतिक्रमण होते हुए देखते हैं? जो कर्मचारी वहां रहते हैं, जब आप इतनी मोटी-मोटी तनख्वाह उन कर्मचारियों/अधिकारियों को देते हो तो उनका वहां पर क्या काम है? तीन नहीं, उनके खिलाफ और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। संदेश जाना चाहिये कि सरकारी जमीन पर यदि कोई अधिकारी मदद करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो।

इसकी धारा 51 में आपने एक विषय और लिखा कि तीन महीने में हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा लिया जायेगा। माननीय सभापति जी, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह की कार्यवाही करती है तो यह कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों उनके बोर्ड लगा रहे हो, फिर यहां राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दोहरा मापदंड कैसे रख रही है। जो यह अनेक ऐसे प्रावधान लेकर आये हैं, इन प्रावधानों में ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे हाउसिंग बोर्ड को हम मजबूत कर सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको जनता के बीच में जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आभार। मेरे पूर्व समस्त वक्ताओं ने राजस्थान आवासन बोर्ड को लेकर बहुत विस्तार से सारी बातें बताई हैं। इसकी धारा 51 क में लिखा है, बोर्ड को देय राशि की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली। माननीय सभापति महोदय, इसमें सारा लिखा हुआ है कि भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूली भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इनको पावर दिये जाएंगे लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा प्रकरण भू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के तहत, माननीय मंत्री जी यहां विराजमान हैं, इसमें समय सीमा जरूर तय

(श्री नारायण बेनीवाल)

करनी चाहिये थी कि यदि ऐसे कोई कर बाकी हैं तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा और कितने समय में वह कर सरकारी राजकोष में जमा हो जायेगा। इसके अलावा 51 ख में बहुत विस्तार से लिखा गया है, कारावास की अवधि बढ़ाई है। इसके अलावा दंड को भी 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दिया। इसमें लास्ट में तो वही बात है कि 'परन्तु न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।' इसका मतलब जब आप लोग वहां कोर्ट कचहरी में ढंग से व्याख्या ही नहीं कर पाओगे तो इससे बहुत बड़ा फायदा सरकार और आमजन को मिलने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, 51 'ख' के बिन्दु संख्या 4 में लिखा है कि 'पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात, बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबंधित की गयी कार्रवाई के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट परिसर या सम्पत्ति पर पाये गये यानों या, यथास्थिति, ऐसे परिसर या सम्पत्ति से संलग्न, या ऐसे परिसर या सम्पत्ति से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी। इससे राजस्थान आवासन मंडल में इंस्पैक्टर राज को लाने का सरकार का उद्देश्य कहीं न कहीं जाहिर होता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बिन्दु संख्या 9 में लिखा है कि 'बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर, उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। इसका मतलब कहीं न कहीं आपने अपीलों का तो इतना प्रावधान रख दिया कि सरकारी सिस्टम भी चलता रहे और परेशान होने वाला व्यक्ति ज्यादा परेशान हो और जो इससे मुक्ति चाहता है, उसके बचने के भी बहुत सारे रास्ते इसमें दिखाये हैं। इसमें लिखा है कि ऐसा कोई आदेश दे सकेगा जो उचित हो। यह सारी बातें जब राज्य सरकार ही करेगी तो आप कह रहे हो कि निरीक्षक स्तर का सारा कुछ करेगा, फिर इसका औचित्य कहां है? माननीय सभापति महोदय, इसके बिन्दु संख्या 13 में लिखा है कि 'अधिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने के

(श्री नारायण बेनीवाल)
कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त जो कोई भी बोर्ड का कर्मचारी होते हुए या सरकार के किसी विभाग से बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अधिक्रमण करता है या अधिक्रमण में दूसरों की सहायता करता है, या ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।' लेकिन नीचे लिख दिया, 'परन्तु कोई भी न्यायालय, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जब आप ही उसे परमिट करोगे, माननीय मंत्री जी भी विराजमान हैं, चूंकि स्वायत्त शासन का भी काम आप देख रहे हो, नागौर की नगर परिषद् में 300 करोड़ की जमीन एक भू-माफिया लिये बैठा है और जिसके खिलाफ 60 से अधिक प्रकरण और एसओजी जैसी संस्था आज जांच कर रही है और वह दो साल से लटकी पड़ी है। एक तरफ आप राजकोष बढ़ाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ सारा सिस्टम जब आपके हाथ में है तो फिर यह सुधरेगा कैसे? इसमें चाहे कर्मचारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, कितना ही बड़ा हो, सबसे बड़ा तो अपना संविधान है, संविधान में सारा सिस्टम रखकर यह चाहिये था कि इसमें कोई क्लू डालते कि चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसकी भूमिका यदि कहीं संदिग्ध पाई जाती तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की मैं मंत्री जी से आशा रखता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आज नागौर के बारे में माननीय सदस्य को तारांकित प्रश्न के माध्यम से भी बताया, नागौर के हाउसिंग बोर्ड में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने एसीबी जांच के आदेश दिये। उसमें जांच में लीपापोती करके यह लिखा कि जो 108 मकान हैं उनका प्लास्टर ठीक नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय, इस मामले को दिखाकर कोई न कोई ठोस कार्यवाही की हम आपसे अपेक्षा करते हैं। मेरा यही निवेदन है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को छह माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री अविनाश जी। श्री मदन दिलावर जी।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं बोल रहा हूं, साहब। आप देखते ही नहीं हो इधर।

श्री सभापति: देखता तो बराबर हूं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): अविनाश और अभिनेश पर थोड़ी नजरें इनायत रखो, साहब।

श्री सभापति: पूरी है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया। इससे पहले सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी-अपनी बात रखी और संशोधन के संबंध में सुझाव भी दिये। माननीय सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं इस संशोधन पर मेरा वक्तव्य तो पढ़ा हुआ ही मान लिया जाये तो बेहतर रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको छह महीने के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित कर दिया जाये तो ठीक रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसमें संशोधन लाया जा रहा है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के कुछ अधिकारियों से और कर्मचारियों से सांठगांठ है कि वह किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करेंगे तो उनको खुली छूट होगी। यानी किसी भी प्रकार का दंडात्मक प्रावधान उनके लिये नहीं रखा गया है। यदि दंड भी देंगे तो पहले सरकार अनुमति देगी और सरकार अनुमति देगी क्योंकि उनका गठजोड़ होगा। तो सरकारी सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए, यह माननीय मंत्री महोदय का षड्यंत्र है, इसलिए इस प्रकार एक विधेयक ला रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के मकान भी होते हैं और खाली प्लाट भी होते हैं। खाली प्लाट कई वर्षों तक खाली पड़े रहते हैं। उसमें पानी भरा रहता है, गंदगी के ढेर रहते हैं, सूअर, कुत्ते, बिल्ली और सांप अपना घर बना लेते हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार के जीव भी। वे मूल आबंटी जो पड़ौस में रह रहे हैं, उनको तंग करते हैं। मैं समझता हूं कि जो ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से मूल आबंटी से खरीदकर ऐसे कई प्लाटों या मकानों को खाली रखते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो रहता है, एक

(श्री मदन दिलावर)

दूसरे का मकान बेचे तब भी वह उसमें रहे तो ठीक है, अदरवाइज व्यवसाय करने के लिए कई वर्षों तक खाली रखते हैं। उससे जनता को नुकसान होता है और परेशानी होती है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, हाउसिंग बोर्ड को पूरी तरह से डवलप करके देना पड़ता है, पार्क बनाना है, सड़क बनानी है, उसमें नाली बनानी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ये व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण मूल आबंटी कई दिनों तक उसमें नहीं आता है और जो आ जाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मैं यह चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को इसमें संशोधन लाना चाहिए था कि जहां पार्क नहीं है, नालियां नहीं हैं, सड़क नहीं है, उसमें भी सरकार द्वारा हाउसिंग बोर्ड पर दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए। यानी हाउसिंग बोर्ड पर दंड होना चाहिए, ताकि वह दंड का भुगतान आबंटी को कर सके और उनकी भरपाई हो सके। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उस पर दंडात्मक प्रावधान है लेकिन हाउसिंग बोर्ड गलती करता है तो उस पर इस प्रकार का दंडात्मक प्रावधान नहीं रखकर माननीय मंत्री महोदय अधिकारियों को बिलकुल स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। सब प्रकार के अपराध करने के लिए छोड़ रहे हैं और आबंटियों को परेशान करने के लिए छोड़ रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि यदि आपको सरकार से किसी प्रकार की नाराजगी है तो कोई न कोई दूसरा बहाना लेकर आप मुख्य मंत्री जी से झगड़ा मोल ले सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, पर इस प्रकार से लोगों को तंग करके, इस प्रकार से आप जो उनसे अलग होना चाहते हैं, दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, अपना अलग दल बनाना चाहते हैं, तो फिर अपना विचार स्पष्ट बता दें, इस प्रकार से विधेयक में प्रावधान लाकर ये षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद जी पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जो संशोधन लेकर आये हैं, हम चाहे कितने भी अच्छे सुझाव दे दें, पर माननीय मंत्री महोदय ने जो तय कर रखा है, वह वे करके रहेंगे। यह संशोधन लाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपके बहुत सारे कानून बने हुए हैं और पहले भी हमने उन कानूनों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है। पहले वाले

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कानूनों का हम यदि सही ढंग से उपयोग कर लेते तो शायद आज यह संशोधन लाने की नौबत नहीं आती है।

आपका चाहे अतिक्रमी हो, चाहे डिफाल्टर हो, प्रावधान आपने कठोर कर दिये हैं पर, माननीय मंत्री महोदय, इसकी पालना कौन करवाएगा? जयपुर छोड़ दो, बड़े शहर छोड़ दें, जो छोटे शहर हैं, वहां पर आपका आफिस सप्ताह में तीन दिन ही खुलता है, बाकी दिन ताला लगा रहता है। आपके पास वहां पर अधिकारी-कर्मचारी नहीं हैं। कोई देखरेख करने वाला नहीं है। जो आपने खुद ने कमिटमेंट किये, जिस समय मकान आबंटित किये थे उस समय, आपकी जो खुद की जिम्मेदारी बनती है, हम इस गुणवत्ता का मकान देंगे, ये-ये सुविधाएं वहां के निवासियों को देंगे, थोड़ा उसके लिए भी आप कानून जोड़ देते तो यह न्यायोचित होता। चाहे अतिक्रमी के खिलाफ, डिफाल्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही, पर हाउसिंग बोर्ड ने भी यदि कोई वादा खिलाफी की है, उसको जो काम करना था वह काम उसने नहीं किया, इसको भी आप इसमें जुड़वा देते तो शायद जनता भी इस कानून को लेकर आपको धन्यवाद देती। हुआ क्या, आपने जनता या कोई आबंटी है, या कोई अतिक्रमी है, उसको तो आपने चारों तरफ से बांध दिया और हाउसिंग बोर्ड को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह जब चाहे किसी को जेल भिजवाने के लिए ठान ले तो आसानी से जेल भिजवा दे। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप जितना हाउसिंग बोर्ड के लिए सोचते हैं, उसमें मेरा आग्रह रहेगा कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, मैं जो यहां सारे के सारे बैठे हैं, हम जनता के बीच में से चुनकर आये हैं, हमारी जिम्मेवारी जनता के प्रति भी उतनी ही बनती है जितनी विभाग के प्रति आपकी बनती है, तो जनता के जो-जो अधिकार हैं, उसकी रक्षा करने का दायित्व भी आपके ऊपर बराबर बना रहता है, इसलिए उनकी रक्षा के प्रावधान भी आप मेहरबानी करके जोड़ दो।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी जो हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है, मकान बेचने के बाद हाउसिंग बोर्ड जिस कदर उसकी अनदेखी करता है। यह तो नगर परिषद् या नगरपालिका है, इसलिए वहां विकास के सारे कार्य हो जाते हैं, अगर नगर परिषद् या नगरपालिका या स्थानीय निकाय काम नहीं करवाये तो आपकी हाउसिंग बोर्ड की कालोनी कच्ची बस्ती से भी गई-गुजरी होती। अधिकांश विकास कार्य स्थानीय निकाय कराती है, आपका हाउसिंग बोर्ड पैसा कमा लेता है, पर वह विकास के नाम पर खर्च नहीं करता है। जब भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हाउसिंग बोर्ड का प्रावधान होगा, तो विकास के लिए भी आप उनको पाबंद करें।

अंत में एक छोटी-सी बात आपसे रहेगी कि पाली में आपने कोई छोटी-सी भूमि को अवाप्ति के लिए रखा है। न तो आप उसको अवाप्त कर रहे हो, न उसको मुक्त कर रहे हो। जो भूमि है, वह भूमि समाजसेवी संगठन को किसी व्यक्ति ने दान दी थी, वह भी है। मुश्किल से 10 या 12 बीघा है। दस साल से आप न ले रहे हैं, न दे रहे हैं, न उसको मुक्त कर रहे हो। एक बार आप इस प्रकरण को दिखवा दें। आपको लगता है कि वाकई में इसको लेनी है, तो जो भी आपके नियम-कानून के तहत उनको कितना हिस्सा मिलेगा, वह देकर, बाकी भूमि आप ले लें। आपको नहीं लेनी है तो पूरी की पूरी आप उस समाजसेवी संगठन को दे दें, ताकि वे अपनी कार्यवाही कर सकें। चूंकि इसमें कमियां हैं, इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें, ताकि यह एक अच्छा कानून बन जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020, यह सरकार जब से बजट सैशन लेकर आयी है, सिवाय संशोधन के इनका कोई दूसरा काम मुझे दिखाई नहीं देता है। भला काम करें, करने के लिए बहुत काम हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जब हाउसिंग बोर्ड बना था, उस समय हाउसिंग बोर्ड की क्या इमेज थी? कितने अच्छे मकानों का निर्माण होता था और हाउसिंग बोर्ड पर लोगों का बहुत अच्छा भरोसा होता था। आज सबसे घटिया क्वालिटी और विधायक से बड़ी कोई चीज नहीं है, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को इस तरह का निर्माण कार्य करके देते हैं तो राजस्थान के लोगों की हालत क्या होगी? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपके पास पुलिस पहले भी है, आपने धारा 51 में संशोधन करके एक नया नियम बनाया है, अलग से पुलिस का गठन करने का, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नियम तो आपके पास पहले ही बहुत बने हुए हैं यूज करो तो हिम्मत नहीं है कोई कब्जा कर ले, कोई गलत काम कर ले, बशर्ते सरकार की मंशा क्या है, इस पर डिपेंड करता है।

सभापति महोदय, जब इस विभाग ने किसी व्यक्ति को हास्पिटल के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लिए भूमि आबंटन रियायती दरों पर किया और वह लैंड यूज चैंज करवाकर व्यावसायिक कार्य करता है, वहां होटल का निर्माण होता है। लैंड यूज चेंज बहुत ही रेयर केस में होना चाहिए, पर बड़े-बड़े लोगों को मैंने देखा है कि पांच दिन के अंदर वे जयपुर से लैंड यूज चेंज करवाकर ले जाते हैं। मुझे पता नहीं उनके पास क्या शक्ति है, पर वे जो चाहें वह करवा लेते हैं। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड की जो कालोनियां, जहां पर आप भूमि अवाप्त करते हैं, जहां किसी बड़े व्यक्ति की भूमि होगी, उसके पास हाउसिंग बोर्ड बनेगा, यह भी मैंने मेरी आंखों से देखा है। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। अगर आपको संशोधन करने हैं तो संशोधन ऐसे करो कि हाउसिंग बोर्ड में उस व्यक्ति को लाटरी में शामिल किया जाएगा, जिसके पास पहले से मकान नहीं है। मेरे जैसे लोगों के पास 20-20 प्लाट हैं, मकान हैं और लाटरी में वे फिर आ जाते हैं। 10-20 व्यक्तियों के नाम से फार्म भर देते हैं और वे फिर अपने चहेतों के नाम भूमि लेकर बिजनस करने का काम करते हैं, उसमें वे आवास नहीं करते हैं। अगर आपको संशोधन करना था तो इस तरह का संशोधन लाते ताकि लोगों को कुछ लगता कि गरीब आदमी को भी आवास मिलने की संभावना हो गई, इस नियम से, संशोधन करने से। परंतु आप तो दिन-प्रतिदिन बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भी बहुतसी बातें हैं।

मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 92/298, मानसरोवर, मुझे लाटरी निकली थी। संयोगवश कोने का प्लाट था 400 गज का। आपने मेरे साथ ऐसा किया, यह 1993-94 की बात है, सभापति महोदय 198-198.50 मीटर एक सदस्य को आबंटन हुआ। मेरा प्लाट ऐसा था कि दूसरा प्लाट नहीं बन पाए तो लाटरी निकाल दी चारदीवारी कवर। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा और मंत्रीजी का आपस में थोड़ा टकराव हो गया तो मंत्रीजी ने बैकसाइड वालों को तीनों को अलाट कर दी और आबंटन कर दी, खैर मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। दरवाजे लोगों ने, एक साइड में जो हाउसिंग बोर्ड के नक़्शे में है, वहां तो निकालो परंतु दो-दो दरवाजे निकालने की अनुमति, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये अवैध दरवाजे जो निकालते हैं, मर्जी आए जहां, जिस साइड में, इन पर भी रोकथाम आपको करना चाहिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): समाप्त ही है, साहब। मेरे पास कौनसा इतना बड़ा मसाला है।

श्री सभापति: बहुत मसाला है आपके पास। समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शान्ती कुमार जी धारीवाल और रामप्रताप कासनियां एंड पर हैं, उनको अलाट हुए हैं वे मकान और अपोजिट साइड वाले ने दरवाजा निकाल रखा है। मेरी लड़ने की शक्ति नहीं है। आपके नियमों में कानून हैं, प्रावधान हैं तो इस तरह के लोगों को रोको। न्याय कीजिए और गरीबो को हाउसिंग बोर्ड में लाटरी में शामिल करने का प्रयास करो और लैंड यूज जो चेंज हुआ है, मैं नाम लूंगा तो बड़े-बड़े लोग हैं, शायद नुकसान पहुंचाएंगे। ये लैंड यूज चेंज जो मैं बता रहा हूं, यह हकीकत में हुआ है, मेरे क्षेत्र में। हास्पिटल की जगह होटल और भी कहीं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, मैंने आपको इशारा कर दिया कि पांच-पांच दिन के अंदर आपके हाउसिंग बोर्ड का प्लान भी उन्होंने बदल दिया। इस तरह के लोग भी हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि इस संशोधन बिल को तीन महीने जनमत जानने के लिए परिचालित करें। अपनी मनमर्जी मत करें।

श्री सभापति: श्री वासुदेव जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 को जो संशोधित करने का विधेयक लाए हैं, यह हालांकि स्वायत्त शासन मंत्री लाए हैं जिनका स्वायत्ता से कोई संबंध ही नहीं है, कोई लेना-देना ही नहीं है। पूरी तरह यदि इस बिल को पढ़ा जाए तो यह पूरी तरह अधिनायकवाद और निरंकुशता का प्रतीक है। इसे जो चाहे मनमाने ढंग से करो, बाकी जितना आवश्यक था, वह तो पहले से ही उसमें विद्यमान है लेकिन आपने ये पावर देकर अपनी अधिनायकवाद प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। हालांकि मध्य प्रदेश की घटना के बाद मुझे लगता था कि आपको सबक आ जाना चाहिए था और आज ये विधेयक आप विथड्रा करते या पेश नहीं करते लेकिन उससे कोई सबक नहीं सीखकर आपको लगा कि इस बिल को पास करा देंगे। आप करा दोगे क्योंकि हमको यहां का सारा विधान सभा का सिस्टम पता है। हम कितना ही बोल लें, आपके मस्तिष्क और मन

(श्री वासुदेव देवनानी)

पर किसी प्रकार का असर नहीं होने वाला लेकिन जो प्रावधान किए हैं, उसमें जिस तरह के पावर्स आपने दिए हैं, उससे तो पूरी तरह भ्रष्टाचार और लूटने का एक केन्द्र बन जाएगा यह आवासन बोर्ड और जिसमें आपके पहले ही कर्मचारी नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, अधिकार देने का तो आपने प्रयत्न किया है लेकिन उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? इसका कहीं भी इसमें एक परसेंट भी, पहले तो दिया हुआ है लेकिन इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

यदि मैं जिम्मेदारियों का जिक्र करूं तो आप अभी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में आपने कीमत आधी कर दी यानी यह सबसे बड़ी 50 वर्ष की उनकी उपलब्धि है। इसका मतलब आज तक आप जो बेच रहे थे उसमें आप लोगों को 50 परसेंट लूट रहे थे। अभी भी घाटे में तो नहीं है। इसका मतलब पहले इससे अधिक आप उसे केवल एक प्रोफिटेयर एजेंसी, आप तो गवर्नमेंट के एक बिल्डर थे, यदि गवर्नमेंट का बिल्डर ही लूटने लग जाए पचास परसेंट, सौ परसेंट तो फिर इस राजस्थान के शासन में बचा ही क्या है? जो पचास परसेंट लूटने का आपने किया, कीमत आधी हो गई और हजारों एन्क्रोचमेंट भी हैं, कई खाली प्लाट्स भी हैं। उनके बीच में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। इसको बेचते आप, कुछ अपनी इनकम भी करते लेकिन भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। आप कह दोगे कि भू-माफियाओं के लिए तो हम ये प्रावधान लाये हैं। ये आप कहेंगे, लेकिन ये भू-माफियाओं के लिए नहीं है। ये केवल इस पर है कि आपका कोई न कोई हिडन एजेंडा है। ठीक है, आप जानें, मुख्य मंत्री जाने मैं आपकी आंतरिक राजनीति में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस विधेयक के अंदर आप जिम्मेदारियों की बात लाते।

अजमेर की हमारी जो हाउसिंग बोर्ड कालोनी है पंचशील में, वह आज से तीस वर्ष पहले बनी। आज वहां जो हालात हैं, इतनी गन्दगी है कि कोई वहां पर रहने की स्थिति में नहीं है। सफाई कर्मचारियों के ठेके नहीं होते। बाद में जब हम प्रदर्शन-धरना करते हैं तो चार-पांच कर्मचारी बड़ी मुश्किल से चले जाते हैं। न वहां कोई उचित प्रकाश की व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो कोई सुधारने की व्यवस्था नहीं है। नालियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं? शायद नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे वहां के अधिकारियों के कानों पर जूं तक भी नहीं रेंगती। कुछ जगह तो बाजार से बन गए हैं। आपने उस समय बड़ी घोषणा की थी कि नये पार्क बनाएंगे। तीस साल के अंदर 6 पार्क में से केवल एक ही पार्क बना। क्या बाकी पांच पार्क

(श्री वासुदेव देवनानी)

इनके जीवन से चले जाने के बाद बनेंगे? सुविधाएं, ईवन सार्वजनिक शौचालयों पर अतिक्रमण हो गया है। डाकघर के लिए स्थान था, वहां पर कब्जा कर दिया गया है। केवल बातें ही बातें होती रही हैं। वहां के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारी मूलभूत सुविधाएं तो दिलाओ लेकिन मूलभूत सुविधाओं की जगह, हम वहां पर निगम को कहते हैं कि काम कीजिए, निगम कहता है कि हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है, हाउसिंग बोर्ड कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे। आखिर जनता जाए तो जाए कहां? नगर निगम को ट्रांसफर होने की बातें तो खूब हुईं। आज तक उस पंचशील की कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, इसके लिए आज हाउसिंग बोर्ड मेन्टेन रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको कहीं न कहीं हम मर्जर कर दें, इसमें कर्मचारी भी नहीं है, आपके सब छूट जाएंगे, चाहे निगम में करो, चाहे एडीए में करो, नगरीय निकाय, वह भी मंत्रालय आपके पास है। इसमें तो आपने प्रावधान कर दिया कि सारी शक्तियां मेरे पास हैं।

(13.48 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आज हो क्या रहा है? नगर निगम किसी प्रावधान के तहत सीज करता है। दूसरे ही दिन राज्य सरकार के पास व्यक्ति आकर जो भी अंदर की बातें हैं, वह कर रहे हैं, मैं मंच पर नहीं कहना चाहता हाउस के अंदर, लेकिन वह भेंट-पूजा करके वापस खुलवा लेता है। नगर निगम के अधिकारी केवल अपना मुंह ताकते रहते हैं। यह स्थिति यहां भी होनी है। अत: मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इनकी जिम्मेदारियां भी तय करें और इस विधेयक को आप 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें और उस दौरान शायद अच्छे सुझाव भी आएंगे। इसके मर्जर की बात आए ताकि मैं समझता हूं इस समय तो कम से कम थोड़े महीनों के लिए आप हिडन एजेंडा को ताक में रखकर जनहित में इसको जनमत के लिए परिचालित कर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एक समय साख थी, 1970 में जब शुरू हुआ तो बड़े शहरों में बाहर से आने वाले लोग बड़ी हसरत के साथ और कई ऐसी प्रसिद्ध कालोनियां जिनका

(श्री सतीश पूनियां)

जिक्र होता था, जयपुर का जवाहर नगर, कोटा का विज्ञान नगर लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की चर्चा अभी हुई, मैं कानूनी पक्ष दोहराऊंगा नहीं क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने, मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने लंबी बात उस पर की है। मुझे लगता है कि राजस्थान आवासन मंडल की अब जो स्थिति है, उसकी जो बानगी है, उसका एक नजारा भ्रष्टाचार के रूप में दिखता है। कभी बिलकुल लचर निर्माण के तौर पर दिखता है। किसी किस्म की मॉनिटरिंग नहीं दिखती। एक किस्म से व्यावसायीकरण इस रूप में हो गया कि आवासीय कालोनियों में बेतरतीब तरीके से निर्माण हुए। मुझे लगता है कि सरकार को इस विधेयक से पहले एक व्हाइट पेपर को लाने की आवश्यकता थी। श्वेत पत्र लाती और अच्छे तरीके से चर्चा होती, उसके बाद सरकार यह पक्ष रखती। लेकिन पुरानी परम्पराएं, पुराना ढर्रा, जिस तरीके से बेतरतीब निर्माण हुआ, उसको एकदम बदलने के लिए जिस तरीके से कानूनी प्रावधानों का संशोधन आपने रखा है उसको लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उससे अराजकता पनपेगी या नहीं पनपेगी, मुझे लगता है कि उसके बारे में एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। खासकर, जो तीन एजेंसियां हैं, इनका आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से निरंकुश तरीके से वहां निर्माण हुए। जो आपकी मंशा रही होगी, उस तरीके से आवासन मण्डल का स्वरूप नहीं दिखा।

एक बात कही जाती है, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, इस तरीके से नीचे दुकान बनाई है। किससे परमिशन ली, कब ली, अब आप उनको कैसे तोड़ोगे, कैसे नोटिस दोगे, कैसे दण्ड दोगे?

लेकिन आपने जो प्रावधान किए हैं, इसी तरीके से आवासन मण्डल के आर्थिक प्रबंधन के लिए, जहां तक मैं समझता हूं कभी इस बात पर गौर नहीं किया गया कि उसको ठीक तरीके से दुरुस्त करके इन आवासों की क्वालिटी सुधारें और जो गरीब शहर में आशियाना ढूंढता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें। मुझे लगता है कि इस बिल को एक बार फिर लोगों के बीच जनमत के लिए परिचालित करने के लिए भेजा जाए, ताकि इसकी ठीक तरीके से चर्चा हो जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार आवासन मण्डल पर निश्चित रूप से इतनी लंबी परम्परा का यह उपक्रम है, जिसके बारे में सरकार को निश्चित रूप से एक श्वेत पत्र देना चाहिए।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आई है। सरकार कुछ दिनों पहले अधिवक्ता कल्याण परिषद् का बिल भी लेकर आई थी। उस समय भी मैंने कहा था कि सरकार इस बिल को पारित करने से पहले एक बार-बार काउंसिल के साथ बैठ जाए, उनके सुझाव ले लें और उसके बाद सरकार तय करे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें उचित हैं, उस आधार पर करे, सरकार जल्दबाजी नहीं करे। लेकिन उस समय भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम बार काउंसिल के साथ बैठकर, उनके सुझावों के आधार पर ही बिल लेकर आये हैं। यदि वह बिल उनके सुझावों के आधार पर लेकर आते तो आज सारे के सारे अधिवक्ता उसके विरोध में नहीं होते।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार संशोधन बिल लेकर आई है, इसमें दो-तीन शंकाएं पैदा होती हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि जो अतिक्रमी हैं उन अतिक्रमियों को हम सज़ा देने का काम करेंगे, अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। अतिक्रमण का स्वरूप क्या होगा, आप कौनसा अतिक्रमण मानेंगे? कोई हाउसिंग बोर्ड के रास्ते के अंदर पक्की दुकान या मकान बना लेगा, या हो सकता है मैं अपने मकान के सामने दो पेड़ लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए रेलिंग लगा लूं, आप उसको भी मानोगे?

सभापति महोदय, 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया। आज कई लोग ऐसे हैं जो उस कानून की आड़ में अपना व्यवसाय चलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है इस कानून के आने के बाद हर व्यक्ति शिकायतकर्ता के आधार पर अपनी आजीविका चलाने का एक माध्यम स्थापित करेगा।

सभापति महोदय, दूसरा आपने इस कानून में कहा कि सिर्फ सरकार के पास अपील कर सकता है। सरकार के पास इतना समय है क्या कि उन अपीलों का निस्तारण कर दे, कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि सरकार जल्दबाजी में यह कानून लेकर आ रही है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करूंगा। आपने कहा कि इस कानून के अंदर, आखिरकार अधिकार किसको दोगे? आप अतिक्रमण हटाने का अधिकार उस इंस्पैक्टर को दोगे, या उसके डिविजनल कमिश्नर को दोगे? उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या डिविजनल कमिश्नर उस जोन का है, वह भी उपस्थित रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी आपने इसमें स्पष्ट

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं किया इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप इस कानून को संशोधन कराने से पहले आत्ममंथन जरूर कर लें।

सभापति महोदय, आज हाउसिंग बोर्ड की स्थिति क्या है? हाउसिंग बोर्ड की बेशकीमती ज़मीनें, चौमूं में 1984 में हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। 1984 से 2020 आ गया, 37 साल तक हाउसिंग बोर्ड अभी तक यह तय नहीं कर पाया कि हम वहां हाउसिंग कालोनी डवलप करेंगे या नहीं करेंगे। अब तक हाउसिंग बोर्ड यह तय नहीं कर पाया कि हमें जमीन का कब्जा लेना है या नहीं लेना है। अब तक किसानों के साथ बैठकर यह तय नहीं कर पाया कि हमें किसानों को 25 परसेंट विकसित भूमि देनी है या 15 परसेंट देनी है। सभापति महोदय, राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की बहुत सी ऐसी जमीन है जो विवादों में पड़ी है। एक बार बैठकर उन जमीनों का जरूर निस्तारण कर ले।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसी जमीनों के अंदर, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा है कि हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बन रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। सब माननीय सदस्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं है। गुणवत्ता उन मकानों में नहीं है। अगर गुणवत्ता है, आपकी सरकार है, हाउसिंग बोर्ड के बने हुए कई मकान हैं मध्य प्रदेश से आए हुए आपके कई माननीय अतिथि हैं आप उन मकानों के अंदर उनको ठहरा कर तो देखो कि वह रहते हैं या नहीं रहते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार अगर इतनी ही गंभीर है तो कम से कम बेशकीमती ज़मीनों के निस्तारण का काम करे। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं इस बिल के माध्यम से सरकार आपको भी घेरना चाहती है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने आपको घिरने से बचाएं। जनमत जानने के लिए प्रेषित करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिए गए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं भी ध्यान रखूंगा लेकिन जनमत जानने के लिए जो बात कही गई है, मैं समझता हूं कि वह तर्कहीन है, उससे कोई मतलब नहीं बैठता।

सभापति महोदय, आपकी इजाजत से, जितने भी सदस्य बोले हैं, मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। श्रीमती अनिता भदेल ने कहा कि तीन साल और तीन माह की सज़ा का प्रावधान है। इस बिल में केवल अतिक्रमण हटाने के अधिकार दिए गए हैं, केवल अतिक्रमण हटाने के। अतिक्रमण किस पर से हटता है, केवल हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर से। अगर उसने मकान के आगे, कोई हाउसिंग बोर्ड का, पास में कोई जमीन है, पीछे कोई जमीन है, आगे जमीन है, उस पर अतिक्रमण किया है तो उसको अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया गया है। अवैध निर्माणों के विरुद्ध भू-उपयोग, भू-उपयोग परिवर्तन के बाबत आपने कहा, यह तो जब हाउसिंग बोर्ड की कालोनी विकसित हो जाती है और वह नगर निगम में ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर नगर निगम देखेगा कि वहां पर अवैध निर्माण कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, उसको हटाने का जिम्मा नगर निगम का होता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी जी ने कहा सीज करने के अधिकार, शास्ति के अधिकार दे रहे हो। इंस्पैक्टर लेवल का अधिकारी उचित तरीके से काम नहीं करेगा, इंस्पैक्टर राज कायम हो जाएगा, एक्ट के द्वारा गठन स्थानों पर, कम्पनी एक्ट के तहत यह गठन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कारण बताइये, क्या कारण है? क्या बोर्ड सक्षम नहीं होता? 15 प्रतिशत की राशि नगरपालिका और नगर निगम घोषित नहीं करते। कहां-कहां बाकी है? आप मुझे एक कारण बता दो कि 2008 से 2013 तक जब हमारी सरकार थी, तो किस नगर निगम को हमने 15 प्रतिशत पैसा नहीं दिया? एक जगह आप मुझे बता दीजिए। यह सारी की सारी जो भी आपकी शिकायतें हैं ना यह आपके वक्त की आई हुई हैं, तो 15 परसेंट पैसा यह नहीं देते। मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं।

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुराने मकानों पर 25 से 50 प्रतिशत तक छूट देकर बिक्री कर रहे हैं, वह इसीलिए कर रहे हैं कि 23 हजार मकान आखिर पड़े रहे तो क्यों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पड़े रहे, किस वक्त पड़े रहे और अब इनकी हालत क्या हो गई? जब यह जर्जर हो गए तो दाम कम करके बेचना कोई गुनाह तो नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूनियां साहब ने कहा कि एमएलए मकान नहीं लेना चाहते, निर्माण खराब है। इसमें कोई दोराय नहीं, क्वालिटी वाकई खराब थी। कोशिश करेंगे कि क्वालिटी अच्छी आए और आई, पहले भी आई। हमने तो एनआरआई कालोनी तक बनाई, कितनी शानदार कालोनी बनी थी। बाद में उसका बिगाड़ हो गया, अलग बात है। उस वक्त की क्वालिटी, जब हम काम करते थे, जब हमारे हाथ में था, आप जब की क्वालिटी देखिए कि क्या क्वालिटी थी। आखिर 23 हजार मकान कैसे पड़े रह गए, लोगों ने क्यों नहीं लिए? अरे भाई ईडब्ल्यूएस हाउसेज थे, कोई ऐसे तो थे नहीं। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर 2 लाख 50 हजार मकान बनाए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के 81211 मकान थे, एलआईजी के 69552 मकान थे, एमआईजी, एलआईजी और एचआईजी के तो बहुत कम मकान थे। वह तक नहीं ले पाए।

(14.00 बजे)

अशोक लाहोटी साहब, ये तो खुद माहिर हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिये अब छोटी जगहों पर भी मकान बनाने का आपने सुझाव दिया है। निश्चित तौर पर अच्छा सुझाव है। हमने भी यह कहा है। क्योंकि शहर में काम करने के लिये बड़े-बड़े बिल्डर्स के साथ मुकाबला करना पड़ता है। वह मुकाबला हाउसिंग बोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के जितना भी खर्चा है, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह-वगैरह, सब कुछ मिला करके, वह काफी ज्यादा बैठता है। एक प्राइवेट बिल्डर का कम बैठता है, निश्चित तौर पर उनसे मुकाबला नहीं कर सकता इसलिये हम छोटे कस्बों की तरफ अब ध्यान देना चाहते हैं। जहां पर मकानों की डिमाण्ड भी है और जहां पर हाउसिंग बोर्ड के पास आलरेडी एक्वायर्ड लैण्ड भी है। अब आपने कहा कि इसमें अतिक्रमण को डिफाइन करें। आप तो मेयर रह चुके हैं। हमसे पूछते हैं कि अतिक्रमण को डिफाइन करें। फिर आप मेयर बन करके क्या कर रहे थे? आपको अतिक्रमण की डेफिनेशन भी याद नहीं है कि अतिक्रमण किसे कहते हैं। बेकार, सदन का टाइम जाया मत करो, लाहोटी साहब।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राठौड़ साहब बोले चूरू में, आपने कहा कि नगरपालिकाओं को सभी अधिकार हैं तो आवासन मण्डल को अलग से क्यों अधिकार दिये जा रहे हैं? अतिक्रमण हटाने का अधिकार देना आवश्यक है। अतिक्रमण को सज़ा का प्रावधान क्यों किया गया, आपका एजेण्डा क्या है? हिडन एजेण्डा तो आप सभी मामलों में बोलते हैं। वाकई सही बात है, इसके अलावा आपके पास बोलने की गुंजाइश है ही क्या? आरोप लगेगा तो स्पेसिफिक आरोप तो लगा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा, हिडन एजेण्डा, हिडन एजेण्डा। नगरपालिकाओं के पास सफाई का ही काम इतना बड़ा है कि वे उसी को सम्पन्न नहीं कर पा रहे। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह बात कहना कि नगर पालिकाओं को, हाउसिंग बोर्ड को, यह बात संयम लोढ़ा साहब ने भी कही है कि हाउसिंग बोर्ड को डिजोल्व करके जे.डी.ए. को या नगर निगम को या नगरपालिकाओं को या नगर परिषदों को दे देना चाहिए। अतिक्रमियों को सज़ा हाउसिंग बोर्ड नहीं दे सकता। यह जो प्रावधान अभी किये गये हैं, धारा 51 में जो संशोधन किया गया है, उसमें अतिक्रमियों को सज़ा कोर्ट से ही मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड को गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं होगा। चूरू की कालोनी आलरेडी नगर परिषद् को स्थानान्तरित हो चुकी है, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, शायद नहीं होगा।

बिहारीलाल साहब, भूमि अवाप्ति का मुआवजा जरूर दिलाएंगे। मकान बेचने की कार्यवाही जारी है। अब तक तीन हजार से भी ज्यादा मकान बिक चुके हैं। अभिनेशजी ने बोला, असीमित अधिकार नहीं दे रहे हैं। केवल अतिक्रमियों को अपनी जमीन पर से, अपनी मतलब, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर से हटाने का और किश्त, लीज वसूल करने का ही अधिकार दिया है और कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। मैं आगे आऊंगा। आपको संतुष्ट करूंगा। जो मांग ज्यादातर विपक्ष ने रखी है, मैं उस बात पर आऊंगा और उनकी बात को मानूंगा भी सही।

संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि बड़े शहरों में बेशकीमती जमीनें, मकान अपने चेहतों को दे दिये। अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी को मकान अलाट कर दें या किसी को जमीन अलाट कर दें। यह राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार को धारा-8 में पूरी पावर होती है इसीलिये जो भी आपका आरोप है कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी को जमीन दे दी गई हो, या किसी को मकान अलाट कर दिया गया हो आउट आफ टर्न, तो आप मुझे शिकायत लिखें, मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रिकार्ड पर है। लोकायुक्त की जांच में भी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मुझे भी आप देना, जांच करवा लेंगे।

प्रमोशन अटके हुए हैं, आपने कहा न कि प्रमोशन अटके हुए हैं। जहां तक आपने कहा कि पौने चार हजार केसेज चल रहे हैं। पौने चार हजार केसेज चल रहे हैं, उसके लिये हम लोक अदालत भी लगवाना चाहते हैं, हम समझौता समिति के गठन के बाबत भी विचार कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा केसेज उस तरीके से निपट जाएं।

अवैध निर्माण के विरुद्ध नगरपालिका ही कार्यवाही करेगी। यह सब मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं।

अभियंताओं की वरिष्ठता सूची विभिन्न कोर्ट्स के निर्देशों को ध्यान में रख करके की गई है। आपने आरोप लगाया था कि वरिष्ठता की सूची अपने हिसाब से कर दी गई है, यह कोर्ट के आदेश से हुआ है। वरिष्ठ्ता सूची पर कुछ अभियंता आक्षेप कर भी रहे हैं। परन्तु उन्हें किसी कोर्ट से, उनका कोई फैसला नहीं हो पाया है, अपने पक्ष में किसी कोर्ट से फैसला नहीं करवा पाये। यद्यपि ए.ईएन. से एक्स.ईएन. तक की डी.पी.सी. अभी हुई भी नहीं है। विभिन्न ग्रुप्स द्वारा उठाये गये आब्जेक्शंस का परीक्षण भी किया जा रहा है।

सुमित गोदारा साहब, अधिग्रहण का पुराना एक्ट समाप्त होने के कारण देरी हुई है। आपने जो कहा कि बीकानेर में बड़ा अच्छा काम हुआ है यह हुआ है तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप विपक्ष में रह करके कम से कम सही बात तो बोले। शिव बाड़ी योजना पर कार्य चालू कर दिया गया है, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। जल्द ही इस योजना को मूर्त रूप भी देंगे। योजना का ले-आउट हाल ही में अनुमोदित कर दिया गया है।

पारख साहब ने कहा, तो पारख साहब मेरा जवाब यह है कि वर्तमान में जितने भी कार्य चल रहे हैं, उसके लिये पर्याप्त इंजीनियर और कार्मिक हैं। आपने कहा कि वहां तीन रोज दफ्तर ही नहीं खुलते। वह शिकायत आप जरूर लिखकर दें, उसकी जांच करवाएंगे, क्यों नहीं खुलते। जो सम्बन्धित अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेखा शाखा में कुछ कर्मियों की कमी जरूर है, परन्तु राज्य सरकार से भर्ती की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अति आवश्यक स्थानों पर रिटायर्ड आदमियों को भी लगाया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पाली के पर्टिकूलर प्रकरण का परीक्षण, आप लिख देना, उसका परीक्षण करवा लेंगे।

मदन दिलावर साहब बोले कि बोर्ड की अनुमति लेकर अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। देखिये, कार्यवाही में अगर लापरवाही कर्मचारी की या अधिकारी की देखी जायेगी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी लेकिन चार्जेज स्पेसिफिक होने चाहिए। अपन कोरे भाषण दे करके कह दें कि यह अधिकारी चोर है, कर्मचारी चोर है, नेता चोर है, ये चोर है, उससे काम नहीं चलता है। आपने कल लिखा न कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी गलती करते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आप शिकायत दीजिये।

निर्माण स्वीकृति के लिये हाल ही में एक नई नीति लाई जायेगी। अब खाली प्लाट्स ज्यादा लम्बे समय तक खाली नहीं रह पाएंगे। बाकायदा इसका नियम बनाएंगे कि इतने टाइम के अन्दर-अन्दर उसने नहीं बनाया तो या तो वह जब्त किया जायेगा, या उस पर जुर्माना किया जायेगा।

नारायण बेनीवाल साहब ने नागौर के 108 मकानों के बाबत बताया, तो मैंने विस्तार से जवाब दिया है, संशोधन केवल हाउसिंग बोर्ड की खुद की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का है, बकाया किश्तें और लीज वसूली का है।

जैतारण के माननीय विधायक अविनाशजी ने कहा कि छह महीने के लिये, यह तो जनमत की बात है। देवनानी साहब ने कहा कि 50 परसेंट तक की छूट इसलिये दी जा रही है, आपने कहा कि 50 परसेंट की छूट दी जा रही है, इसका मतलब आप इस छूट के पहले लूट कर रहे थे? पहले आपने यही कहा न कि इसके पहले लूट कर रहे थे? यह 50 परसेंट की छूट तो उन मकानों पर दी जा रही है जो 23 हजार मकान आप छोड़ गये, जो जर्जर हो गये, जिनके किवाड़ और दरवाजे खोल-खोल करके ले गये और जिनको आप बेच नहीं पाये। पंचशील कालोनी बोर्ड के पास नहीं है, यह नगर निगम के पास है। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

कासनियां साहब ने कहा कि आपके मकान का, तो आपने शिकायत की है तो आप प्रकरण मुझे लिखकर दे दें, मैं निश्चित तौर पर उसकी जांच करवा करके आपको बताऊंगा।

पूनियां साहब ने फर्माया कि आवासीय कालोनियों में बेतरतीब निर्माण

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हो गये। यह बात सही है। हो गये, हर जगह हुए हैं, पूरे राजस्थान में हुए हैं। यदि आवासीय कालोनी में अवैध निर्माण हो गये हैं तो अब उसकी सम्बन्धित नगरपालिका ही काम कर सकती है। लगातार आपके जयपुर में तो, जहां तक जयपुर का सवाल है, चाहे कोटा का सवाल है, आपने विज्ञान नगर का भी हवाला दिया। हमेशा, ज्यादातर तौर पर, कोई इक्का-दुक्का मामले थे हमारे, जब हमारा मेयर बन गया, बाकी तो आप ही के पास रहा। नगर निगम आप ही के पास रहे, नगर परिषदें आपके पास रहीं। आपने क्या किया, क्यों नहीं शिकायत की, क्यों नहीं यह बात उठाई?

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-2 में-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(i) शीर्षक के अन्तर्गत अभिव्यक्ति "51-क, 51-ख, 51-ग और 51-घ" के स्थान पर अभिव्यक्ति "51-क, 51-ख और 51-ग" प्रतिस्थापित की जाए, और

(ii) अन्त:स्थापन हेतु प्रस्तावित नई धारा 51-घ को विलोपित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय मंत्री महोदय अब जो संशोधन लेकर आये हैं, न तो इन्होंने सर्कुलेट किया। अब अचानक खड़े होकर अगर इस प्रकार से संशोधन आने लग जाएंगे तो हमारा अधिकार क्या रहेगा? मतलब, न इन्होंने सर्कुलेट किया और न हमें मालूम है। यह शासकीय संशोधन लेकर आ गये, यह कौनसी नई परम्परा विधान सभा के अंदर प्रारम्भ हो रही है?

श्री सभापति: ऐसे पहले भी होते रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, यह परम्परा रही है, बिल पारित करते वक्त कोई भी मंत्री जो है, संशोधन ला सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो, पहले सर्कुलेट हुआ है। बिना सर्कुलेशन के नहीं। नो-नो। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): थर्ड रीडिंग के ऊपर आपको बोलने का अधिकार रहेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप पहले सर्कुलेट करते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, आप यह हमारे यहां पर टेबल पर ही रख देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह विधान सभा है। आप हमें सर्कुलेट तो करें। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप ला सकते हो, ला सकने का अधिकार आपका है लेकिन हम सब लोगों के टेबल पर आपका संशोधन होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): टेबल पर तो आये सर्कुलर। हमारी टेबल पर तो आये। टेबल पर तो आये संशोधन हमारे पास। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। माननीय सभापति महोदय, सरकार का यह अधिकार है, सरकार चाहे तो लास्ट मोमेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर भी कोई संशोधन लाना चाहे तो उसका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ला सकती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन जो संशोधन लाये वह कम से कम हाउस में प्रत्येक मैम्बर की सीट पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर आपको उसको लाने का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यस-यस। हां।

श्री सभापति: सर्कुलेट हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पता ही नहीं है। आप इसको वापस लीजिए। माननीय सभापति महोदय, यह सदन अखाड़ा नहीं बनेगा, नियमों में चलेगा, प्रक्रियाओं में चलेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप थर्ड स्टेज पर बोल सकते हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप थर्ड स्टेज पर अपने विचार रख सकते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो। नहीं, यह नई परम्परा नहीं। माननीय सभापति महोदय, नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह विचार का सवाल नहीं है, आप रख सकते हो। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कई बार इस सदन में आप लोग भी लाये हैं इस प्रकार के प्रस्ताव।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको रखने का अधिकार है, इसमें कोई दोराय नहीं है।

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, प्लीज, आप विराजिये, बात तो करने दो। विराजिये। बैठें तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम बैठ जाएंगे, माननीय सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर यह नई परम्पराएं नहीं, आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए। नई परम्परा नहीं। यह नियमों में आप बता दें कि कौनसे नियमों में लिखा है? आप सर्कुलेट कर सकते हो। माननीय नेता ने सही कहा कि आप ला सकते हो, पर हमारी टेबल पर संशोधन पूर्व में आ जाना चाहिए था।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बी.जे.पी. की सरकार में जब इस तरह का हुआ था तो हाउस को एडजोर्न करके दुबारा सर्कुलेट करवाया गया था, यह आप व्यवस्था में निकालकर देख लें। पिछले सत्र में ही हाउस को एडजोर्न करके दुबारा सर्कुलेट करवाया गया था और उसके बाद में बिल पारित हुआ था। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। आपके माननीय नेता महोदय विराजे हुए हैं। आप विराजिये। कृपया, आप विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, यह सदन का अपमान है, अगर संशोधन लाना था तो उसे सर्कुलेट करते। हम सबके पास में आ जाता तो उस पर भी हम चर्चा करते। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, पिछले सत्र में ही इस तरह की घटना हुई है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यह हुआ था। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप व्यवस्था में यह देख लें कि पिछले सत्र में ऐसी घटना हुई थी, सर्कुलेट करवाने के बाद में, डिस्ट्रीब्यूट करवाने के बाद में यह पारित हुआ है। आप प्रोसीडिंग निकलवा कर दिखवा लें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम तो विराज जाएंगे लेकिन यह सदन का अपमान है। यह रोजाना इस प्रकार से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्री महोदय ने बिना पढ़े ही इसको सदन में ले-डाउन किया क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। कृपया, विराजिये। यह सर्कुलेट हो गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह सर्कुलेट हो गया। आपको जो सूची दी है, उसी के साथ ही इसको संलग्न किया हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ।

श्री सभापति: यह सर्कुलेट हो गया। आपको जो सूची दी थी, उसके साथ ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कहां हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो।

श्री सभापति: संशोधन प्रस्ताव की सूची के साथ ही यह हो गया। यह सर्कुलेट हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): देखिए, यह नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको कह रहा हूं, नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर विधान सभा सचिवालय भी गलत सूचना देगा तो प्रोटेस्ट करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमें नहीं हुआ। हम असत्य क्यों बोलेंगे? अगर हुआ होता तो हम कह देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं।

श्री सभापति: यह सर्कुलेट हो चुका। जो आपके सदस्यों की सूची थी, इसके साथ ही इसको संलग्न किया गया था और यह सर्कुलेट हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं हुआ। नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं हुआ। नहीं हुआ, यह हम कह रहे हैं न। क्या हम असत्य बोलेंगे? माननीय सभापति महोदय, क्या हम असत्य वचन कहेंगे यहां पर?

श्री सभापति: सर्कुलेट हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारे सारे कागज हैं। नहीं हुआ। मैं यह कह रहा हूं कि यहां पर भी यह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सवेरे ही यह आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजिये। आपके जो सदस्यों की सूची थी बोलने वालों की, उसके साथ संलग्न करके भेजा है, आपने उसको पलटकर नहीं देखा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं है, नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो-नो।

श्री सभापति: आपने उसको पलट कर नहीं देखा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं है। ऐसा है कि सारे कागज आप देख सकते हो। (व्यवधान)

(माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेश्वरी द्वारा सभापति महोदय को आसन के समीप जाकर कागज दिखाये गये)

श्री सभापति: जो सूची भेजी थी, उसमें संलग्न करके भेज दिया गया, आपने पन्ना नहीं पलटा। नहीं-नहीं, आपको यह सर्कुलेट किया गया है। आपको सर्कुलेट किया गया है। जो सदस्यों की सूची आपको भेजी थी, उसके साथ संलग्न करके आपको यह भेजा हुआ है। आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह भेजा हुआ है।

श्री सभापति: विराजिये आप। आप विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह भेजा हुआ है, इन्होंने पीछे पलट कर देखा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कृपया सहयोग करें। हमारे पास काफी काम अभी बाकी पड़ा हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पास नहीं है।

श्री सभापति: कृपया, आप विराजिये। प्लीज सहयोग करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधनों की सूची में 17 नाम थे, यह तो आपने देख लिया लेकिन इसके पीछे जो संशोधन यह दिया गया है, वह आपने पढ़ा नहीं इसलिए मेहरबानी करके असेम्बली के द्वारा जो कागजात भेजे जाते हैं उनको पूरा पढ़िए।

श्री सभापति: यह सर्कुलेट हो चुका है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसके पीछे लिखा हुआ है, यह देखिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह पीछे इन्होंने संशोधन लिखा है, पर यह सदन की इस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, पहले इन्होंने सूचित नहीं किया। आज अलग से सूचित करते यह।

श्री सभापति: आपको भेजा है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपको जो कागज दिये थे, उसमें सबमें यह है। माननीय सभापति महोदय, यह सर्कुलेट किया हुआ है।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह पीछे पेज पर है, यह बात सही है। हम लोगों ने केवल यहीं तक देखा है, इसके पीछे वाला जो आपका पेज है, इसमें है। कोई दिक्कत नहीं। मानने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

प्रश्न यह है कि खंड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हो ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

खंड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 3 स्वीकार किया गया।

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री अंजना उदयलाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 36-सहकारिता की प्रस्तुति

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री अंजना उदयलाल)

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,23,23,29,000/- (अक्षरे रुपये चौंतीस अरब तेईस करोड़ तेईस लाख उनतीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 36 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: श्री विश्वेन्द्र सिंह।

मांग संख्या 47-पर्यटन की प्रस्तुति

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,73,68,000/- (अक्षरे रुपये चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़सठ हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 47 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 36 व 47 पर विचार

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 47 पर आपकी अनुमति से अपनी बात रखना चाह रहा हूं। विश्व की अर्थ-व्यवस्था में पर्यटन का एक बड़ा महत्व है और दुनिया की जो जी.डी.पी. है, उसमें 10.4 प्रतिशत, यह उसका हिस्सा है। मैं भारत की बात करूं या राजस्थान की बात भी करूं तो भी 13 से 14 प्रतिशत यह शेयर जी.डी.पी. का बनता है। भारत में लगभग 4.27 करोड़, जो रोजगार हैं, वह पर्यटन के जरिये सृजित होता है और फिक्की की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख रोजगार प्रतिवर्ष सृजन का काम पर्यटन के व्यवसाय से होता है। भारत के लिये एक विशेष उपलब्धि है कि दुनिया के 185 देशों में वर्ल्ड ट्रैवल एण्ड टूरिज्म कौंसिल ने 2018 में भारत को पर्यटन के मामलों में तीसरा स्थान दिया है। इसलिए आतिथ्य क्षेत्र, हास्पिटैलिटी सैक्टर, यह अर्थ-व्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन गया और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है।

मैंने जैसा उल्लेख किया कि विगत वर्षों में लगातार राजस्थान में

(श्री सतीश पूनियां)

आने वाले पर्यटकों की संख्या अनुमानित तौर से 5 करोड़ से ऊपर होती है और पिछले वर्ष 5 करोड़ 22 लाख 20 हजार 431 पर्यटक राजस्थान में आये। आज पर्यटन का दायरा बढ़ रहा है। अर्थ-व्यवस्था का हिस्से के साथ-साथ पूरे वैश्विक क्षेत्र पर इस बात का लगातार महत्व बढ़ रहा है, देश और दुनिया में पर्यटन की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ी है और देश के नक्शे पर भी भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। हम समझ सकते हैं कि 5 करोड़ से भी ऊपर जब देशी और विदेशी पर्यटक आते होंगे तो यहां की अर्थ-व्यवस्था में कितना बड़ा उनका योगदान होता होगा।

मैं आमेर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। वहां एक अकेला किला, उसमें भी पिछले वर्ष आने वाले लोगों की तादाद 21 लाख थी, जिससे 41 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को मिला है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, अब पर्यटन का दायरा भी बढ़ा है। भारत में मेडिकल टूरिज्म एक नये सेक्टर के रूप में विकसित हुआ है। योग और प्राकृत चिकित्सा के प्रति लोग आकृष्ट हुए हैं और बहुत अरसे से, बेशक धीमी गति से, लेकिन रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन को भी नये आयाम मिले हैं। प्रधान मंत्रीजी के आह्वान के बाद में होम स्टे, इस कल्पना को भी मूर्त रूप मिला है और बहुत छोटी-छोटी जगह आदिवासी एरिया में, डैजर्ट में छोटे-छोटे लोगों के घरों पर विदेशियों का आगमन और उससे पर्यटन की आय, तो निश्चित रूप से एक ऐसा पिलर, एक ऐसा स्तम्भ, जो किसी प्रदेश की अर्थ-नीति को मजबूती देता हो, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जिस तरीके का दूसरा परिदृश्य दिखाई देता है कि इसी सेक्टर में सुविधाओं की दरकार है। सुरक्षा की, कनेक्टिविटी की और एक बहुत अच्छे प्रबन्धन के जरिये, एक अच्छी मार्केटिंग के जरिये राजस्थान केरल और गोवा से भी कहीं आगे ऊंची छलांग लगा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से और खास तौर पर पिछले सवा साल से जिस तरीके से इस सेक्टर की अनदेखी हुई है, इस सेक्टर के प्रति जो उपेक्षा हुई है, मुझे लगता है कि एक बार सरकार की इच्छा शक्ति इस पर्यटन व्यवसाय को नई ऊंचाई देने में सक्षम हो सकती है।

आइकोनिक टूरिज्म सेंटर को विकसित करने के लिये केन्द्र सरकार ने आमेर के किले को 317 करोड़ का प्रावधान किया, वह प्रक्रियाधीन है, पर मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पर जितनी जल्दी से हो सके, पैरवी करके और पूरे तरीके से इस बात को अमलीजामा पहनाएं। यह सर्वविदित है कि

(श्री सतीश पूनियां)

राजस्थान की पर्यटन इकाइयां या तो बीमार हैं या संचालित नहीं हैं। उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा है और उनके बारे में भी कहा जाता है कि यह सफेद हाथी जैसे हैं और कई यूनिट्स, जो मानी जाती थीं, वह बंद हो गयीं। उनके बारे में विश्लेषण करने और विचार करने की निश्चित रूप से जरूरत है।

एक उदाहरण था। सांभर झील केवल ईकोलोजी के हिसाब से नहीं, पर्यटकों के लिये एक ऐसा बड़ा केन्द्र था, जिसकी गूंज यहां सदन में और सड़क पर भी काफी बार हुई। लेकिन सरकार की इच्छाशक्ति के अभाव में वहां पर जिस तरीके की व्यवस्था और सुविधाओं को विकसित करना था, वह साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पर्यटन के इतने बड़े महकमे को, पर्यटन की इतनी बड़ी अपार संभावनाओं को राजस्थान की सरकार और महकमा प्राथमिकता से ले क्योंकि इसमें जिस तरह की रोजगार सृजन की संभावनाएं हैं और वैश्विक तौर पर पर्यटन को एक किस्म का उद्योग का रूप का दर्जा मिला है। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ-व्यवस्था को तेजी देने वाला कोई सेक्टर अब है खेती के बाद में, तो यह दूसरा सेक्टर है। इसलिए बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं, ऐसे आयाम हैं जिनके माध्यम से हम न केवल नई पीढ़ी को, पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। बैटल फील्ड्स को ऐतिहासिक युद्ध और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो स्थान हैं, उनका संरक्षण और पर्यटकों को दर्शन के लिये ले जाना स्वाभाविक तौर पर, भावनात्मक तौर पर भी भारत के इतिहास को मजबूती से देखें और नई पीढ़ी, जो देशी पर्यटक हैं, वह भी उसको ठीक प्रकार से देखें तो मैं यह मानता हूं कि इसमें बहुत सारे इस तरीके के इनोवेशन की आवश्यकता आज लगती है कि उसके आधार पर राजस्थान पर्यटन का एक बड़ा आय का, अर्थ-व्यवस्था का एक स्रोत बन सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने सदन के समक्ष कई मुद्दों को यहां पर उठाया था। आमेर महल के बहुत सारे लम्बित काम थे और जैसा मैंने जिक्र किया कि 21 लाख पर्यटक और 41 करोड़ की आय, तो स्वाभाविक तौर पर यह आय उस क्षेत्र के परिवेश में डवलपमेंट के लिये यदि लगेगा तो निश्चित रूप से पर्यटकों को अलग तरह से आकर्षण की सुविधा मिलेगी। आज जो दृश्य दिखाई देता है, विदेशी आने वाला पर्यटक सामान्य तौर पर, यह इंटरनेट का युग है और एक स्वाभाविक-सी वाई-फाई की सुविधा को वह तरसता है। एक सामान्य-सी बात है कि एमेनिटीज के नाम पर सबसे पहले

(श्री सतीश पूनियां)

वह टायलेट को तलाशता है, एक अच्छे साफ-सुथरे वाश-रूम की आवश्यकता सबको ही होती है, लेकिन पर्यटन स्थलों पर या तो हैं नहीं और हैं तो रख-रखाव की और सफाई की व्यवस्था नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी तरफ सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न चिह्न है कि पर्यटकों की सुरक्षा और उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, उसकी गूंज कई बार अनेक माध्यमों से होती हैं। मैं यह चाहूंगा कि पर्यटकों की सुरक्षा पुख्ता की जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो निश्चित रूप से राजस्थान को एक सम्बल मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 36-सहकारिता के बारे में अपनी कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। सहकार से मानव सभ्यता विकसित हुई और श्रमिक संगठनों ने उस जमाने में व्यवसायियों ने, उद्योगपतियों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन हमारी परम्परा में 330 ई.पू. चाणक्य की अर्थ-नीति में इस सहकारिता के विस्तार की पूरी बात कही गयी है और मानवीय दृष्टि से न तो पूंजीवादी और न साम्यवादी, मुझे लगता है कि यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सहकार किसी भी सभ्य समाज का, किसी देश का एक बड़ा स्तम्भ है और सहकारिता का उद्देश्य साफ होता है कि 'लाभ कमाना' यह सहकार नहीं बोलता। 'एक सबके लिये और सब एक के लिये' और इसलिए 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्विशेष सभा ने स्वीकारा कि सहकारिता आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक न्याय और विकास में एक विशेष योगदान देती है और इसीलिए 2012 वह वर्ष था, जब अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरी दुनिया में किया। इसलिए सहकारिता का दायरा भी भारत में भी बढ़ रहा है, अमूल डेयरी इसका एक बड़ा उदाहरण भारत में है कि किस तरीके से विकसित हुई और किस तरीके से लोगों को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिला।

राजस्थान में भी सहकारिता का आंदोलन जगजाहिर है और इसकी बहुत गहरी जड़े हैं लेकिन इन गहरी जड़ों में भी कई बार ऐसा दिखता है कि इस क्षेत्र की भी घोर उपेक्षा हुई है। बहुत छोटेछोटे दूरस्थ गांवों में, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो इस सहकारिता के आंदोलन ने अपनी बहुत छोटी-छोटी पहल से, अपने इनीशिएटिव से लोगों को बड़ी राहत दी है। लेकिन अफसोस होता है कि राजस्थान की सरकार जन घोषणा पत्र में घोषणा

(श्री सतीश पूनियां)

करती है, चुनाव से पहले बड़े-बड़े वायदे करते हैं और इस सरकार के सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वह किसानों की कर्जा माफी है, जिसको आज तक राजस्थान के सवा साल के इतिहास में और शायद सवा सौ से भी ज्यादा आत्महत्याएं यदि कहीं हुई हैं तो किसान कर्जा माफी के दंश से राजस्थान के किसानों की हुई हैं और इसलिए यह जवाब निश्चित रूप से इस सरकार को देना होगा।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने डेढ़ लाख तक का सहकारी ऋण देना निश्चित किया था लेकिन आज उसकी सीमा 50 हजार क्यों है? अवधिपार किसान क्या वो किसान नहीं हैं और उनको इस दंश से साहूकार से ऋण लेना पड़ता है और उस ऋण लेने के कारण उसके परिवार की और उसकी जो माली हालत होती है, उसको समय पर बीज, खाद की अनुपलब्धता और इसके कारण उसको जो चोट पहुंचती है, मैं समझता हूं कि उसके दर्द को किसान समझ सकता है।

लेकिन दो पक्ष ऐसे हैं जिसके बारे में इस सरकार से निश्चित रूप से कोई भी किसान जवाब मांग सकता है, दुर्घटना बीमा योजना, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना, यह शायद सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने तीन लाख से दस लाख तक ये बीमा किया था, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस सरकार ने इस बीमा को अभी तक लागू क्यों नहीं किया और किया तो एक एजेंट की नियुक्ति की। इससे पहले अपेक्स बैंक के माध्यम से होता था लेकिन इसी सरकार ने उस एजेंट को, जो मुंबई में बैठा है और यहां के किसानों की बीमा की चिंता करता होगा लेकिन मुझे लगता है कि इरडा के माध्यम से एजेंट को जो कमीशन देने का प्रावधान था उसके पीछे लगभग 20 करोड़ के घोटाले की बू आ रही है, उसका धुआं साफ तौर पर दिखता है, ऐसे ही मुझे लगता है कि सरकार को आज नहीं तो कल इस बात का जवाब देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज सदन के अन्दर मांग संख्या 36 और मांग संख्या 47 सहकारिता और पर्यटन पर चर्चा हो रही है, इन दोनों मांगों का सम्बन्ध राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बड़े निकट का है। सहकार का मूल मंत्र जो अभी आमेर से आने वाले माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य ने बताया, 'सब एक के लिए एक सब के लिए' और यह सहकार की अवधारणा, सभापति महोदय, आज से नहीं अनादि काल से समाज में किसी न किसी रूप से चली आ रही है। अगर हम संयुक्त परिवार का उदाहरण दें तो मैं समझता हूं बेजोड़ उदाहरण होगा। इसी तरह, सभापति महोदय, इस सहकार के भाव की जो व्यापकता होने लग गई, समाज में यह भाव समता और समाजवाद के नाम पर, सहयोग और सहभागिता के नाम पर जब ये भाव बढ़ने लगा तो राजस्थान नहीं हिन्दुस्तान में सहकारिता आंदोलन ने जन्म लिया और सभापति महोदय, आज स्थिति है कि आर्थिक मंदी के इस दौर में विकसित देशों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का मॉडल सहकारिता मॉडल के आधार पर बनाना प्रारम्भ कर दिया।

97वां संशोधन हुआ था, 97वें संशोधन के माध्यम से पूरे देश में परिकल्पना की गई थी कि हम इन सहकारी संस्थाओं को स्वायत्तता दें, आर्थिक स्वतंत्रता दें और हर पांच साल में निष्पक्ष और समय पर चुनाव हो जाएं और इसीलिए सभापति महोदय, यह सदन साक्षी बना था, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 यहां से पारित हुआ और उसके दो वर्ष बाद 2003 के अन्दर इसके रूल्स बने। यह जो प्रगति प्रतिवेदन हमें दिया गया इस प्रगति प्रतिवेदन में कहा गया कि 35 हजार 292 सहकारी संस्थाएं राजस्थान में काम कर रही हैं, 1 करोड़ 25 लाख 54 हजार इसके सदस्य हैं, 14 हजार 661 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि इन सदस्यों की लगी है और 74 हजार 944 करोड़ की कार्यशील पूंजी है। यह इस बात को दर्शा रही है कि सहकारिता और सहकारी आंदोलन इस राजस्थान में कम नहीं और सभापति महोदय, इसके सबसे छोटी और मजबूत इकाई है ग्रामीण सहकारी समिति जिसको हम जी.एस.एस. कहते हैं, पैक्स कहते हैं, लैम्पस कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य था कि गांव की सारी आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र यह जी.एस.एस. बने, ये पैक्स बनें, ये लैम्पस बनें। किसान को अगर अपनी कृषि उपज बेचनी हो, खाद-बीज की आवश्यकता हो, पशु आहार की आवश्यकता हो, उपभोग में आने वाली सामग्री की आवश्यकता हो ये जी.एस.एस. उपलब्ध कराएं और यह परिकल्पना पूर्ववर्ती सरकार ने की थी कि जी.एस.एस. के गोदाम के अन्दर अगर किसान को फसल की पूरी उपज नहीं मिले तो अपनी फसल को रखकर 75 परसेंट तक उसको उसका ऋण दिया जाये, इस प्रकार का कार्यक्रम पहले सरकार ने चलाया था। पर आजकल हो क्या रहा है? विगत वर्षों के अंदर यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारे जी.एस.एस. की पूरी गतिविधियां अल्पकालीन फसली ऋण बांटना और अगली बार उसको नया पुराना करना, यहां तक आकर केंद्रित हो गईं। ग्रामीण सहकारी समितियां हैं, सभापति महोदय, इनके नियम बने, उप नियम बने हैं, इनका बोर्ड आफ डायरेक्टर है, सर्व अधिकार इनके निदेशक मंडल में निहित है परंतु सरकार ने ऑनलाइन फसली बीमा योजना प्रारम्भ की है। आपने इस ग्रामीण सहकारी समिति को एक तरह से मृतप्राय: कर दिया, बोर्ड आफ डायरेक्टर का रोल आपने खतम कर दिया।

मैं निवेदन करूं कर्जा माफी को लेकर इस सरकार का अगर कोई देखे कि सहकारिता के काम में क्या बड़ा काम है तो कर्जा माफी, यह प्रगति प्रतिवेदन जो इन्होंने हमें दिया है यह पूरी पुस्तिका कर्जा माफी को लेकर भरी पड़ी है, 0.5 फीसदी आपको मत अधिक मिले, मत की धुरी के अन्दर आपकी वे छह रैलियों की घोषणाएं थीं, आपने 10 दिन के अन्दर किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की। सभापति महोदय, 59 लाख किसान की जोत है और 99 हजार 996 करोड़ इनको कर्जा माफ करना था। मैं निवेदन करूं कि निश्चित तौर पर इस कर्जे ने जहां एक ओर राजनीतिक दलों की, हमारे दल की भी चूलें हिला दीं वहीं ये किसान आज चकरघिन्नी हुआ घूम रहा है अब यह किसान आपसे क्षमा चाहता है।

मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, यह जो हमारे सहकारी बैंक हैं, इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो हमारे शिड्यूल्ड बैंक हैं, जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं, जो हमारे नोटिफाइड बैंक हैं राजस्थान के अन्दर, 18 से लेकर 20 लाख किसान इनसे भी अपना ऋण लेता है, फसली ऋण लेता है और दूसरा ऋण लेता है। इन्होंने वादा क्या किया, उन्होंने कहा कि 20 लाख किसान जिन्होंने इन राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक और ग्रामीण बैंक से लोन ले लिया, 30 नवम्बर, 2018 तक का इनका अवधिपार ऋण ये माफ करेंगे।

मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके जन घोषणा पत्र में आपने पृष्ठ 3 में लिखा, फिर पहली बार सदन में जब राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण किया 17 जनवरी, 2019 को, पृष्ठ संख्या 5 और पैरा नंबर 11 में लिखा, सहकारी बैंकों के निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र पाये गये ऋणी किसानों के 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया का ऋण माफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, बड़ा अच्छा किया। फिर लिखा, इसके साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वह सभी कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका रहे, उनका राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र पाये जाने पर 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख का कालातीत ऋण/अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जायेगा। किसान को उम्मीद जग गई। फिर जब सदन के नेता यहां अपना जवाब दे रहे थे 23 जनवरी को, तब उन्होंने इस बात को दोहराया और उन्होंने यह कहा कि हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है, जिस प्रकार से उद्यमियों के व्यापार के वन टाइम सैटलमेंट करते हैं उसी रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सैटलमेंट करेंगे। उनसे किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सकेगा, प्रधान मंत्री को हमने पत्र लिखा है परंतु हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, मैं यह वादा करता हूं कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो हमारी सरकार पूरा कर्जा माफ करेगी, यह हमारा पक्का इरादा है। यह पक्का इरादा आपका 23 जनवरी, 2019 का। आप यहीं नहीं रुके, इसी 24 जनवरी को महामहिम राज्यपाल के मुख से यह कहला दिया सदन में, आपने कहा, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत ऋण को चुकाने में असमर्थ पात्र किसान 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सैटलमेंट करने हेतु हम केंद्र सरकार से सहयोग मांग रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यह 22 लाख किसान यह इंतजार कर रहा है 30 नवम्बर, 2018 से, दो बार खरीफ और रबी की फसल चली गई। इस किसान के खाते में आज भी पैसा है। किसान चक्रवृत्ति ब्याज भुगत रहा है। सरकार बिना किसी कारण से राजनीतिक फायदा लेने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखने की बात कह रही है। मंत्री महोदय, आप किसान के बेटे हो। मैं पूछना चाहता हूं जब आप उत्तर दें तब बता देना, कि क्या यह किसान दुबारा लोन ले पाया है? किसान को उम्मीद थी कि उसके खाते में लिखा जाएगा। अब न नौ मण तेल होगा, न राधा नाचेगी।

सभापति महोदय, मुझे यह बता दो कि हिन्दुस्तान के अंदर कौनसी ऐसी सरकार है जिसने ऋण माफी की बात नहीं की हो और कौनसी सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में वन टाइम सैटलमेंट के नाम पर केन्द्र सरकार ने सहयोग किया हो? आज आपको घोषणा कर देनी चाहिए। यह किसान मुक्ति का मार्ग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ढूंढ रहा है। इस किसान को आप बर्बाद मत करो। आप नेशनलाइज्ड बैंक, नोटिफाइड बैंक, ग्रामीण बैंकों से किसान ने जो 2 लाख तक का कर्जा ले लिया, उसको माफ नहीं कर सकते। आपको यह साफगोई से कहना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट भाषण 2019-20 पेज 7, पैरा 26 पर दिलाऊंगा। मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा? 2019-20 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से विभाग को 16 हजार करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बड़ा अच्छा किया। हमने अपने पिछले कार्यकाल में ब्याज मुक्त ऋण योजना 2012-13 में प्रारम्भ की थी, मैं घोषणा करता हूं कि योजना को यथावत रखते हुए किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों को 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाएंगे। किस अंदाज में आपने घोषणा की? हमने तो बंद कर दी थी। 2012-13 में आपने ब्याज मुक्त फसली ऋण देने के लिए श्री गणेश कर दिया। हमने गुनाह कर दिया?

सभापति महोदय, यह आप ही के दस्तावेज बता रहे हैं कि 2013-14 में 20.19 लाख किसानों को 3178 करोड़ रुपये का फसली ऋण दिया। 2014-15 में 29 लाख किसानों को 16017 करोड़ 36 लाख का ऋण दिया। 2015-16 में 26 लाख 2 हजार 586 किसानों को 15441 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया। 2016-17 में 23.32 लाख किसानों को 13504 करोड़ रुपये, 2017-18 में फिर 23.27 लाख किसानों को 14166 करोड़ और अब 2018-19 में 10.87 लाख किसानों को 12403 करोड़ का ऋण दिया।

आप इस बात को इस अंदाज में नहीं कहें। आपने वादा किया था कि 16 हजार करोड़ का ऋण बांटोगे। आपके प्रगति प्रतिवेदन का यह पृष्ठ 4 देख लें आप, यह आपको आईना दिखा रहा है। आपने एक टेबल दी है। उस टेबल में लिखा है कि 31 दिसम्बर तक आपने 7215 करोड़ का ऋण बांटा है। यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे कम। आप लक्ष्य निर्धारित करते हो। बजट में घोषणा करते हो 16 हजार करोड़ के ऋण बांटने की और आपके दस्तावेज क्या कहते हैं? 31 दिसम्बर तक 20.68 लाख किसानों को 7215 करोड़ का ऋण। अब आप डेढ़ लाख तक का ऋण दे रहे हैं? किसानों की संख्या देख लो। आगे दिया हुआ ऋण देख लो। मेरा आप पर आरोप है कि जब से यह सरकार आई है, इस सरकार ने राजस्थान में किसी भी किसान को 50 हजार तक का भी ऋण नहीं दिया है, डेढ़ लाख तक की बात तो दूर है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अभी आप कह क्या रहे हैं? अभी आपने दिसम्बर माह में किसान ऑनलाइन योजना प्रारम्भ की है। पहले आपके अपेक्स और जीएसएस का निर्वाचन मंडल होता था, डायरेक्टर वह करते थे। अब इनकी आपने साख बनाई है। आपके ही आंकड़े कह रहे हैं। मैंने खुद ने नहीं कहा है। किसान ने आपके चक्कर लगा-लगा करके, अपनी जमीन को रहन रखकर जो साख सीमा बनाई है, वह 14,166 करोड़ है। आपने लोन कितना दिया? 7215 करोड़। यानी किसान ने जो साख बनाई, किसान ने आवेदन किया, उसमें दस्तावेज यह कह रहे हैं कि सरकार ने 50 परसेंट से कम लोन दिया। आपके पोर्टल पर आप 50 हजार से ज्यादा एक भी जगह ऋण की स्वीकृति बता दो तो मैं आगे विधान सभा में आपसे बात करना बंद कर दूंगा।

सभापति महोदय, मैंने मेरी बात के शुरूआत में नेशनलाइज्ड बैंक, नोटिफाइड बैंक, ग्रामीण बैंकों के किसानों को मुक्त करने के लिए कहा। जिस षड्यंत्र के ताने-बाने में किसान को ठगा, उसको बंद करो। कह दो कि हम ऋण माफ नहीं करेंगे। अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही बात कही थी कि 30 नवम्बर, 2018 को जो किसान अवधिपार था, उसका ऋण माफ कर दिया आपने? उसको आपने आडिट में रख दिया। 30 नवम्बर, 2018 को जो किसान अवधिपार था, आनलाइन ऋण के अंदर जो एप्लाई करता है, तो मंत्री महोदय, आपका पोर्टल उसकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं कर रहा है। यही नहीं, 12 से 15 लाख किसान इससे अलग हो गए। आपने कृषक मित्र योजना, सहकार किसान कल्याण योजना अघोषित रूप से बंद कर दी।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस प्रगति प्रतिवेदन 2019-20 के पेज 22 पर, फसली ऋण, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के ऋण सदस्यों को जो अपनी मांग का नियमित चुकारा करते हैं, उनको स्वयं के वित्तीय स्रोत से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फसली ऋणों का पुनर्भरण नाबार्ड द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य बैंक के पत्र क्रमांक एफ 2117 लेखे एवं ऋण पत्र, 2019-20, 2062/2160 दिनांक 29.04.2019 के द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को फसली ऋण वितरित नहीं किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया है। यह प्रगति प्रतिवेदन में चमकते हुए शब्द हैं।

सभापति महोदय, यह 1952 के बाद पहली बार हुआ है। 26 मार्च,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1957 को भूमि विकास बैंकों की स्थापना हुई। 36 प्राथमिक बैंक, 124 शाखाएं हैं। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। भूमि विकास बैंकों ने एक पैसा नहीं बांटा। आपका यह प्रगति प्रतिवेदन चिल्ला-चिल्ला करके कह रहा है। आपने एक योजना लिखी थी, दीर्घकालीन ऋण योजना, मिड टर्म लोन, आपने 5 परसेंट अनुदान दे दिया? आपने 5 परसेंट अनुदान नहीं दिया।

सभापति महोदय, रिजर्व बैंक की गाइड लाइन है कि जिन बैंकों में जो ऋण दिया है, उससे 25 परसेंट रिकवरी कम होगी, वह ऋण वितरण नहीं करेंगे। आपके यह सहकारी बैंक धड़ाधड़ बंद होते जा रहे हैं। इनकी कितनी शाखाएं बंद हो गईं? यह आपके सामने है। यह मेरे सामने पूरी लिस्ट बनी हुई है। इसके साथ ही आपका जो सीआर, एआर का 9 परसेंट है, उससे अधिक हो गया। आपने अपने इस काल खंड में 67 शाखाएं बंद की हैं। यह आप कलंकित हुए हैं।

सभापति महोदय, भूमि विकास बैंक से प्रति वर्ष 8 लाख किसान ऋण लेता था। उस किसान को ऋण से महरूम करने का काम आपने किया है। इसका कारण क्या है? यह जो हमारे सहकारी बैंक हैं, इनमें 29 में से 15 बैंक रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार सीआर, एआर 9 परसेंट है, उससे अधिक हो गया। ऋण तो आपने माफ कर दिया, ऋण खाते में अपलोड भी कर दिया, लेकिन बैंक को आपने फूटी कौड़ी नहीं दी। एक नया पैसा बैंक के पुनर्भरण में दिया हो तो बताओ। मुफ्त ब्याज योजना में 4 परसेंट अनुदान आपको देना था, एक परसेंट की प्रोत्साहन राशि देनी थी, 3 परसेंट अनुदान केन्द्र सरकार को देना था। केन्द्र सरकार ने किसानों को अनुदान दे दिया लेकिन आपने 4 परसेंट पैसा नहीं दिया।

सभापति महोदय, नाबार्ड 4.6 परसेंट पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को लोन देता है। उस पर वह 7 परसेंट से आगे किसान को देते हैं। किसान को जो अनुदान मिलता है, 4 परसेंट राज्य सरकार और 3 परसेंट केन्द्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार दे नहीं रही है। आपने ऋण राशि के पुनर्भरण की बैलेंस-शीट में तो लिख दिया कि राज्य सरकार से पुनर्भरण योग्य राशि दर्शाई है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। यह सीआर, एआर के चक्कर में आपकी बैंकों का लाइसेंस जब्त होगा।

सभापति महोदय, प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 13 का निवेदन करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा, जिसका जिक्र अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इन्होंने लिखा है कि पिछली बार 15.50 लाख ऋणी किसानों हेतु 29.15 करोड़ का प्रीमियम चुकाया। किसान को बीमा कंपनी ने 14 लाख रुपये का बीमा भुगतान किया। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, जो सहकारी बैंकों से जुड़ा है तो उसको 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि और अपंग हो गया तो 5 लाख तक की बीमा राशि मिलेगी। आप क्या लिखते हैं, एमओयू की अवधि 31.03.2019 तक प्रभावी थी। नवीन एमओयू निष्पादित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह आपका कागज है। मेरा कागज नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए।

आप सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में क्या लिखते हैं? इसमें 2 लाख से 10 लाख तक का बीमा सहकार से जुड़े किसान को है। आप इसमें क्या लिखते हैं? एमओयू की अवधि 31.03.2019 तक प्रभावी थी। नवीन एमओयू निष्पादित करने की कार्यवाही की जा रही है। यह आप जो कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं? किसलिए कर रहे हैं? यह मेरी समझ के परे है। यह जो बात हुई है, अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी।

आपने बंद की 31 मार्च को, जून में पहली बार आपको होश आया और आपने टेंडर किये, दो बार टेंडर किये, बीमा कम्पनी नहीं आयी, तीसरी बार क्या गुल खिलाया आपने, मैं समझता हूं कि आपने 22 नवम्बर, 2019 को जो टेंडर किये, अपेक्स बैंक ने कि सलाहकार नियुक्त करो नहीं तो ये योजना आगे नहीं बढ़ेगी और आपने 22 दिसम्बर को ग्रो वैल्यू, जानते हो न? आप तो जानते ही होंगे, हां, जानना भी चाहिये, बिना जाने इसका इतना होना ही नहीं चाहिये कबाड़ा, आपने ग्रो वैल्यू को अपेक्स बैंक का सलाहकार नियुक्त कर डाला। टेंडर की शर्तें थीं, माननीय सभापति महोदय, इसका हैड आफिस होना चाहिये जयपुर में, इस ग्रो वैल्यू का आफिस कहां है? मुम्बई में। इरडा के जो नियम हैं उनमे सलाहकार कम्पनी होनी चाहिये, यह सलाहकार कम्पनी तो है ही नहीं, यह तो दलाल कम्पनी है। 15 से 20 परसेंट तक कमीशन, मैं समझता हूं कि ये आपके दामन में कुछ ऐसे निशान लग गये, पारदर्शी सरकार के पारदर्शी मंत्री महोदय, आपके दामन में ये दूर-दूर तक दिखायी दे रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मानननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित समय में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति, उसके मन में एक बात रहती है कि मैं जीवन में छोटी-छोटी बचत करूं और उसके माध्यम से कोई बड़ा काम करूं। माननीय सभापति महोदय, ये चिट फण्ड कम्पनियां, ये क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज, ये मल्टी लेवल फाइनेंस कम्पनियां, जब इनके आकर्षक प्रस्ताव आते हैं, आपने निवेश किया वह दुगना हो जायेगा, 15 से 20 परसेंट ब्याज मिल जायेगा आपको, तो ये लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और ये कम्पनियां धड़ाधड़ धोखा देकर उस निवेशक के अरमानों को कुचलकर अपने दफ्तरों को बंद करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं। राजस्थान के अंदर मोटे अनुमान के अनुसार 900 क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटीज काम कर रही हैं, 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश है, जिस तरह अकेली आदर्श क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने 16 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया। आदर्श कोआपरेटिव सोसायटी है, नवजीवन है, सहारा है, भविष्य है, संजीवनी है, प्रिया परिवार, गोल्ड सूक परिवार, आरसीएम, आरओट्रैक, कितने लुभावने नाम हैं माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान के अंदर जो हमारा एक्ट बना हुआ है, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान कोआपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 2003 है, इसमें इनका पंजीयन अनिवार्य है और प्रतिवर्ष इनका आडिट अनिवार्य है। अभी सरकार ने ऑनलाइन अपने पोर्टल पर शिकायतें मांगी, 65 हजार से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 2012 के अंदर रिजर्व बैंक की स्पष्ट गाइड लाइन थी, कोई भी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी किसी भी सदस्य को 15 परसेंट से ज्यादा का प्रस्ताव नहीं देगी और न ही कोई ऐसी प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव सरकार की इजाजत के बिना देगी जिससे सदस्यों को लुभाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, 18 राज्य हैं, इनमें प्रोटेक्शन आफ इंटरेस्ट आफ डिपोजिटर्स फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि राजस्थान की हुकूमत भी यह एक्ट लाना चाहती है किसने हाथ रोके कि आप इस राजस्थान प्रोटेक्शन आफ इंटरेस्ट आफ डिपोजिटर्स फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं लेकर आए, अगर यह एक्ट आ जाये तो इनकी सम्पत्तियां जब्त होने लग जाएं, स्पेशल कोर्ट में इनके फैसले होने लग जाएं।

माननीय सभापति महोदय, जब एक वर्ष पहले भारत सरकार बैनिंग आफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम 2019 लेकर आ गयी, आपने इस एक्ट के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं की? आपके सचिव, सहकारिता अब कह रहे हैं कि कानून तो भारत सरकार ने पास कर दिया, इस कानून के अनुसार पीड़ित की जमा पूंजी के मामले में, कोर्ट से आदेश लेकर उसकी सम्पत्ति को बेचकर पूंजी चुकायी जा सकती है। पर आपने कुछ किया नहीं, आज राजस्थान में 66 हजार लोग हैं जिनका 17 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है। आप अभी कह रहे हो कि विधि विभाग से हम इसकी राय लेंगे, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का काम आपको नहीं करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह जो प्रगति प्रतिवेदन है उसके पृष्ठ 39 पर आपने लिखा है कि आपकी पंजीकृत सहकारी समितियां 19,605 हैं, आडिट 11,298 की हुई है, किसका इंतजार कर रहे हो? क्या ये 8,367 बिना आडिट के हैं, आप इनको क्यों नहीं रोकते? यह जो कुल मिलाकर 2 लाख 40 हजार पंजीकृत सोसायटीज हैं, एनजीओज हैं। इनका पूरा पंजीकरण करके प्रतिवर्ष इनकी आडिट क्यों नहीं करते?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक आपने समझौता किया मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीजी से हस्ताक्षर करवा दिये, 6 फरवरी, 2019 को 15वें वेतन समझौते पर, 3 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं, ऐसा क्या आपसी विवाद हो गया, अभी तो मध्य प्रदेश की छाया इतनी आयी नहीं, मुख्य मंत्रीजी के आदेशों की पालना नहीं हो रही? आप कब तक इन पर प्रशासक लगाएंगे, कब इनके चुनाव करायेंगे? मैं समझता हूं ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में इस सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, राजस्थान के किसान को लूटा है, ऋण के नाम पर राजस्थान के किसान को बर्बाद किया है, राजस्थान के किसान की जीवन बीमा योजना और जो दस-दस लाख उसको दुर्घटना में पैसा मिलता था बीमा योजना में, उसको बंद करने का काम आपने किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं दो-चार मिनट में पर्यटन पर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं, मंत्री महोदय, यह पर्यटन विभाग, यह विभाग, इस विभाग के आप मंत्री हो, आप इस विभाग से सुशोभित नहीं हो, यह विभाग आपसे सुशोभित हुआ है कि आप इसके मंत्री हो क्योंकि आप हमारी 'पुरा सम्पदा' हो, आप चलते-फिरते 'इतिहास' हो, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समझता हूं, आपकी जो दुर्दशा मैं देख रहा हूं, अभी मैं सुन रहा था, 114 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट प्रावधान आपने उस पुस्तक में लिखा और आपने भी पढ़ा कितना? 80 करोड़ ...(व्यवधान) 84 करोड़ रुपये, यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि राजस्थान की बात चलती है तो लोग कहते हैं कि इसके कण-कण में मान, मर्यादा, त्याग, तपस्या और शूरवीरता का इतिहास छिपा है। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार की बात आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने की, विपुल संभावनाएं हैं, पर हो क्या रहा है? आपका प्रगति प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 2, तालिका, बजटीय प्रावधान आपका था, 2019-20 के लिये 114 करोड़ 45 लाख, पर आपने खर्च कितना किया, 35 करोड़ 53 लाख, क्यों? आपके पर्यटन के प्रचार-प्रसार के लिये आपका बजटीय प्रावधान था 51 करोड़ रुपये और आपने खर्च किया 25 करोड़ 17 लाख रुपये। महत्वपूर्ण स्थानों पर रोशनी पर 6 करोड़ प्रावधान था, आपने खर्च किया 2 करोड़ 20 लाख रुपये। ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर विकास के लिये 12 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान था और आपने खर्च किया सिर्फ 1 करोड़ 79 लाख रुपये। पर्यटन स्थलों के विकास तथा संरक्षण के लिये 48 करोड़ का प्रावधान था और आपने खर्च किये 6 करोड़ रुपये। माननीय मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानो। आप वह व्यक्ति हो जो हर दल में जहां भी विराजे, मैं उस समय से आपको जानता हूं जब आप लोक दल में थे, जनता दल में थे, भाजपा में थे, आप महाराजा के रूप में जाने जाते थे, अब आपके 'महाराजा' के रूप को 'दरबान' करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, मैं आपकी चेतना जागृत करने के लिये बात कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिये भी कह रहा हूं कि आपने प्रगति प्रतिवेदन दिया है इसमें पृष्ठ 6 पर जो दिया है, इसमें आपका सहयोग चाहूंगा, मैं मेरे निश्चित समय में जो लिखा है, उसमें अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह जो पृष्ठ 6 नम्बर है, उस पर एक तालिका दी है, राज्य योजनांतर्गत स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों का विवरण। मैं सब में नहीं जाऊंगा, इसके क्रम संख्या 6 पर राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी, झड़ा तालाब और बावड़ी का संरक्षण, आपको दिसम्बर, 2019 तक 30 लाख रुपये दिये गये थे, आपने 'जीरो' खर्च किये। फिर आपसे गलती हो गयी, सीकर जिले के ग्राम चेलासी स्थित धार्मिक पर्यटक स्थल, चमत्कारेश्वर भैंरोजी, उसमें 75 लाख में से आपने सिर्फ 34 लाख रुपये खर्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किये, चलो यहां भी चल जाता। फिर आपने कोडमदेश्वर वाले भैरोंजी, बीकानेर में है, सवा ग्यारह लाख रुपये में से 'जीरो' पैसा खर्च किया। फिर आपके खुद के भंगौर में माताजी के मंदिर में पांच लाख रुपये में से 'जीरो' पैसा खर्च किया।

माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते हैं, भैंरों की कल्पना और भैरों के प्रकटीकरण को कोई रोक नहीं सकता। मैं निवेदन करूं, मंत्री महोदय, आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ मैं आज सदन में कह रहा हूं, रात के सवा ग्यारह बजे आपको महसूस हुआ होगा कि आपकी आंखें फड़फड़ाने लगती हैं आपकी मूंछें फड़फड़ाने लगती हैं, आप जोर-जोर से बोलने लग जाते हो, सामने आने-वाले को डांटने लग जाते हो, यह भैरोंजी की छाया आपमें आती है इसलिये मैं कह रहा हूं, कम से कम भैरोंजी का जो काम है, उस काम को तो आपको कर देना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हैं। (व्यवधान) आप आसन पर विराजे हैं, मैं समझता हूं कि जो कुछ घटनाएं हो रहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेतना जाग्रत मत करो, वर्ना काल भैरव बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है।

श्री सभापति: भैरों से भी ऊपर है काल भैरव, चेतना जाग्रत मत करो आप उनकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, कम से कम आप भैरोंजी का काम तो करा दो।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 9 पर एक तालिका है। 'खींचन' आती हैं, अपने खींचन गांव में प्रवासी पक्षी आते हैं। वहां 12 बीघा में उनके बैठने के स्थल को विकसित करने के लिये 40 लाख रुपये तक का प्रावधान किया है, 'जीरो' पैसा खर्च किया। माननीय सभापति महोदय, हो क्या रहा है? भारत सरकार के सहयोग से जो योजना संचालित है।

(15.00 बजे)

हेरिटेज सर्किट 90 करोड़, आध्यात्मिक सर्किट 93 करोड़, कृष्णा सर्किट 91 करोड़, सांभर टाउन के आसपास 63 करोड़, पुष्कर-अजमेर में 32 करोड़। कम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से कम इनका तो आप देखें। भारत सरकार का पैसा है। आज ये किस स्थिति में हैं? मैं अगर पूरा करूं, पेज 17 पर जो प्रोजेक्ट आपके पास आये, उनका विवरण है। 2018-19 में 167 प्रोजेक्ट्स आये, जिनमें सम्भावित निवेश था 4146 करोड़ और अबकी बार 2019-20 में 147 प्रोजेक्ट्स आये, जिनमें सम्भावित निवेश था 1629 करोड़ यानी आपके विभाग में आपके आने के बाद यह निराशाजनक है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। एक काम आप करें। आपने यह कीर्तिमान बहुत अच्छा बनाया है। आपने पेज 33 के पैरा 2 में होटल खासाकोठी का जिक्र किया और लिखा कि इसमें कमरा नं. 25 से 38 तक 05.08.2019 से हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय खोल रखा है। अनुमति दी है आपने। मैं समझता हूं इसका प्रचार करें। लोग आकर देखें कि एक विश्वविद्यालय किस तरह एक होटल के कमरों में चल सकता है। देखें तो सही। जिस विश्वविद्यालय पर इतनी बड़ी बातें की थीं हमारे सामने बैठे लोगों ने, आज खासाकोठी के होटल में यह विश्वविद्यालय चल रहा है। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

आरटीडीसी में जो आपने 7 सदस्यीय कमेटी बनायी थी, उसका क्या हुआ? आपने जनवरी में बनायी, आज भी वह बंद पड़ी है। मैं आज लास्ट में यह कह रहा हूं, जयपुर की चारदीवारी को जिसे यूनेस्को की हैरिटेज लिस्ट में जुलाई, 2019 में शामिल किया गया, आपने वादा किया था, लिखकर दिया था- 'No Construction Zone, Heritage Committee under CS, special area plan, Heritage Inventory' जो 1575 हैरिटेज बिल्डिंग्स थीं, उन्हें भी आपको और लिस्ट करना था अतिक्रमण हटाने के लिए, यह सब आप करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सवाई मानसिंह टाउन हाल है, जिसमें कभी आप और हम बैठे हैं, आज खण्डहर में बदल गया, वह जो हमारी पुरानी विधान सभा, उसका आप करें।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि आपने एक काम बड़ा जोरदार किया। मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। आपने पर्यटन विभाग का स्लोगन और लोगो बदल दिया। जो पहले था न- ''जाने क्या दिख जाए'', आपने अभी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2019 में उसे कर दिया- ''पधारो म्हारे देस''। मैं आपकी दूरदृष्टि के लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। आपको आज के दिन का पता था, कल कौनसी घटना एमपी में हो गयी, जाने क्या हो जाए। इसीलिए कह रहा हूं, जाने क्या हो जाए, पधारो म्हारे देस, आप इधर आएं, इधर ही आपका स्वागत होगा।

अंत में, चूरू में सेठानी के जोहड़े में जरा, मैं आपका पुरानी साथी रहा हूं, उसमें थोड़ा पैसा-टका दे दें। उसमें कुछ कर दें। आप अपने पुराने अंदाज में आएं, महाराज। आप उस हिंदुआ सूरज के वंशज हैं और इसीलिए इन दासता की बेड़ियों को तोड़कर पर्यटन के नाम पर अपने आपको कुर्बान करके आज तिलांजलि देकर उत्तर नहीं देकर इन्हें कह दें कि चूंकि आपने बजट कम कर दिया बजट प्रस्तुत करने के बाद भी इसलिए आप रौद्र रूप धारण करके कुछ कहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मांग संख्या 36 - सहकारिता पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करती हूं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के पीछे सहकारिता का ही मूल भाव था। सहकारिता आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है। ''एक सबके लिए, सब एक के लिए'' इसका मूल सिद्धांत है। सामाजिक उत्थान, ग्रामीण, युवा, महिला, आदिवासी, किसान, जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को उठाने में एक अहम भूमिका निभाता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा से जोड़ने का काम सहकारिता का आंदोलन करता है।

इसके सात सिद्धांत हैं- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता व स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण व सूचना, सहकारी समितियों का परस्पर सहयोग, समुदाय के प्रति निष्ठा। जो वर्तमान का सहकारिता का ढांचा है, उसमें 35292 सहकारी समितियां हैं, 23 शीर्ष सहकारी संस्थाएं federations हैं, जिला स्तर पर 31 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियंस हैं, 37 उपभोक्ता होलसेल भण्डार हैं, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास हैं, 6048 पैक्स और 597 लैम्पस और 228 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां और 44 फल-सब्जी मण्डी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, कुल-मिलाकर 35292 सहकारी समितियां हैं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एक बहुत विशाल जाल इसका बिछा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर मुख्यतः चार भागों में बंटा हुआ है- क्रेडिट, मार्केटिंग, कंजूमर, प्रोसेसिंग। डेयरी उसके साथ में आ जाती है, पर यह मुख्यतः चार भागों में बंटा हुआ है। सबसे पहले साख जो क्रेडिट है, उसमें इतने बड़े व्यापक रूप से जो बिंदु मुझे लगे कि मंत्री जी के संज्ञान में आने चाहिए और उन्हें बताये जाने चाहिए, मैं उन कुछ बिंदुओं को इस सदन में रखना चाहूंगी। शोर्ट टर्म लोन की जैसे अभी बात कर रहे थे, जो 18 महीने से कम की अवधि का होता है, इसका एक त्रि-स्तरीय सिस्टम है, 3-tier system. Rajasthan State Cooperative Bank, Central Cooperative Bank and Primary Agriculture Cooperative Banks, जो एग्रीकल्चर इनपुट के लिए लोन प्रदान करती हैं।

2018 में जाते-जाते चुनावी साल में, अभी बहुत बातें कर रहे थे ऋण माफी की बड़ी-बड़ी, लेकिन अपने अंदर झांककर देखते नहीं हैं। जब दूसरे की तरफ अंगुली करते हैं तो चार अंगुलियां अपनी तरफ मुड़ती हैं। जाते-जाते 2018 में आप 50 हजार रुपये की लागत से 31 सितम्बर, 2000 तक का बकाया भूमि जोत के अनुपात के अंदर, सीमांत कृषक एक हैक्टेयर, लघु कृषक 1 से 2 हैक्टेयर, अन्य किसान 2 हैक्टेयर, करीबन पांच एकड़ आपने उसकी घोषणा की, जिसका कुल एक्सपेंडिचर 8 हजार करोड़ होना था और आपने प्रावधान 2 हजार करोड़ का ही किया। ये अख़बार की सुर्खियां देखें- ''माफ करने हैं 8 हजार करोड़, प्रावधान 2 हजार करोड़ का।''

State Government failed to raise funds from banks, Loan waiver camps deferred. यह तो आपकी हालत थी। सिर्फ घोषणाएं करनी थीं आपको चुनावी साल में। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आंशिक लाभ मिला लेकिन आपको समदृष्टि रखनी चाहिए थी। सरकार के रूप में आपने कैसे दो भांत की, कैसे फर्क किया कि इतनी जोत वाले को ही पचास हजार तक आप माफ करेंगे? मैं मारवाड़ से आती हूं, धोरों की धरती से आती हूं। हमारी जोत बड़ी होती है लेकिन हमारी सर्विस डिलीवरी कितनी महंगी है। पानी नहीं है। कितनी आर्थिक चीजों से वहां का किसान जूझता है, आपने वह नहीं देखा। सिर्फ उसे 2 हैक्टैयर तक आपने कर दिया, वंचित कर दिया।

हमारी सरकार जब आयी, हमारे जन घोषणा पत्र में जो वादा था,

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आते ही हमने उसे निभाया। 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया, 2 लाख के भूमि विकास और केन्द्रीय सहकारी समिति के शोर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन्स हमने माफ किये। आज 2019-20 में कहते हुए मुझे खुशी होती है कि 18.20 लाख किसान उससे लाभान्वित हुए हैं और 6 हजार करोड़, जिसका आप प्रावधान नहीं कर रहे थे, उसे भी हमने चुकाया, क्योंकि किसान हमारी प्राथमिकता है।

एक रैस्पान्सिबल गवर्नमेंट, एक सेंसिटिव गवर्नमेंट के रूप में किसान को वह प्राथमिकता देने के लिए हमने जो आप छोड़कर गये थे, उसका भुगतान किया और 9 हजार करोड़ का भार हम पर आया जो कुल 15 हजार करोड़ का व्यय हमने इस पर किया। अभी आप कह रहे थे, nationalized banks का one time settlement. हम तो सेंटर से गुहार कर रहे हैं लेकिन आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके 25 के 25 सांसद हैं, आप कहें कि one time settlement करें। क्योंकि आप मध्य प्रदेश जैसी गतिविधियों में उलझे हुए हैं, आपको कहां किसान की फिक्र होगी?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बिंदुओं पर मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के क्रियान्वयन में फार्म सेक्टर ऋण योजना अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को सीधे वितरित मध्यकालीन ऋण और ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा माफ किया जाकर कृषकों को लाभान्वित किया है, परंतु समान फार्म सैक्टर्स ऋण योजना अंतर्गत बैंक द्वारा जीएसएस समितियों के मार्फत कृषकों को वितरित मध्यकालीन ऋण और ऋण माफी योजना का कइयों को लाभ नहीं मिला है।

यह दोहरा मापदण्ड हो गया है और कई किसान इससे वंचित रह गये हैं। इसे भी आप पुन: दिखवाकर इसके लिए निर्देश जारी करें। मैं स्वयं एक महिला हूं और किसान वर्ग से आती हूं। सहकारिता और पंचायती राज दोनों से हमारा जुड़ाव रहा है। जो भी ग्रामीण विकास की बात करेगा, वह इन दोनों के माध्यम से करेगा और भाजपा इन दोनों पर प्रहार करती है- पंचायती राज की आप रीढ़ तोड़ते हैं और सहकारिता आंदोलन की आप रीढ़ तोड़ते हैं। आप दिखाने के लिए तो कुछ और रखते हैं, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी पर वार करते हैं, इसके सिस्टम को लोक एण्ड जैम कर देते हैं, क्योंकि यह किसान और ग्रामीण विकास की बात करते हैं। मैं स्वयं अपने गांव की श्रीलक्ष्मणनगर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

बचत सोसाइटी की अध्यक्षा हूं काफी टाइम से और वहां की महिलाओं को जोड़कर आर्थिक सम्बल देने का काम करती हूं इसलिए मैं महिलाओं के लिए आपसे विशेष रूप से यह मांग रखना चाहूंगी कि कमजोर आय वर्ग की कृषक एवं कृषक श्रमिक महिलाओं को अल्प बचत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सीधे एवं ग्राम समिति के मार्फत फार्म सेक्टर के अंदर ऋण दिया जाए। इनको योजना में सम्मिलित करके गरीब महिलाओं को ऋण लाभ मिल सके, इसका प्रावधान आप करें।

दूसरा 30.11.2018 के पश्चात् ऋण प्राप्त किया गया अथवा जिन खातों में रबी बीमा 2018-19 में एनरोलमेंट के कारण जो ऋण बकाया बोल रहा है, उक्त खाते आज दिनांक तक अवधिपार बोल रहे हैं। ऐसे कृषकों को भी नवीन ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए आप सहकारिता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सोचिए। हमने ऑनलाइन किया, यह हमारा अचीवमेंट है। किस तरीके से हम पारदर्शिता लेकर आ रहे हैं, इसका आप स्वागत नहीं करेंगे, यह मैं जानती हूं। आप हर चीज में खामियां ढूंढना चाहते हैं लेकिन मैं आईना हूं, दाग चेहरे के दिखा दूंगा।

जीएसएस सहकारी समितियों के द्वारा एफआईजी के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण ई-मित्र के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें बीमा क्लेम, अनुदान, पेंशन, बैंकिंग सुविधा, जन आधार कार्ड इत्यादि सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, इसके लिए मैं, मंत्री महोदय, आपका स्वागत करती हूं।

दूसरी, एक जो हमारी लोन पालिसी है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आरबीआई की जो केसीसी की पालिसी है, उसमें एलिजिबिलिटी में स्पष्ट है कि tenant farmers, or lessee and share-croppers इनको मिलना चाहिए और 11.07.2018 का एक सर्कुलर है। जो संशोधन होकर आया, अल्पकालीन फसली सहकारिता साख नीति के अंदर, जो कहता है किसी भूमि में नोशनल शेयरधारक एवं भू-स्वामी के मध्य, उसी प्रकार का विधिक एग्रीमेंट किया गया हो, जैसा कि बंटाईदार के मामलों में किया जाना आवश्यक है एवं एग्रीमेंट के अनुसार ऋण साख सुविधा उतनी ही भूमि के अनुपात में मिलनी चाहिए। नाबार्ड के अंदर भी नोशनल शेयर देने का

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

प्रावधान है। इस बार नोशनल शेयर धारकों को बिलकुल लोन नहीं मिला, इसे आप पुन: शुरू कराएं। क्योंकि वे भी अपना शेयर हिस्सा लेते हैं, हिस्सा राशि रखते हैं और वे उससे वंचित रह गये हैं। अलग परिवार है, खेती करता है, हिस्सा राशि भी लेता है लेकिन वंचित रह गया है। यह एक बड़ा लैप्स है। सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए आप इसको देखें।

जो ऑनलाइन पंजीकरण वितरण योजना, 2019 में लागू की है, जिसकी इतनी सारी उपलब्धियां मैंने अभी आपको बताईं, उसके अंदर 22 लाख किसानों को 8700 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है। आठ लाख से अधिक किसानों को पहली बार सदस्य बनने पर, 1800 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित हुआ है। यह बड़ा स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया, लोन डिसबर्समेंट में इसके सरलीकरण करने की आवश्यकता है। किसान ई-मित्र पर जाता है, पैक्स पर जाता है, बायोमैट्रिक्स करता, गवर्नमेंट ने 25 रुपये उसके चार्ज दे रखे हैं। लेकिन, ई-मित्र उसका मिसयूज करता है, repayment of loan at the time of reimbursement of loan. Again biometric is done and which is not required. लोन सैंक्शन हो गया, एसबी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, डिजिटल क्रेडिट होती है, एसबी अकाउंट से केसीसी होती है। उस किसान को पैसे निकालने की लिबर्टी भी होनी चाहिए, यह मैं आपको कहना चाहूंगी।

अभी बात कर रहे थे कि जीरो परसेंट पर डेढ़ लाख तक आपने ब्याज की बात की, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वह हमारी सरकार ने किया। तत्कालीन अध्यक्ष अपेक्स बैंक, उन्होंने मुख्य मंत्री अशोक जी को यह प्रस्ताव रखा और मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित में उसको स्वीकार किया। यह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इसकी आप बात नहीं करेंगे। जिसके अंदर डेढ़ लाख तक के ऋण को जीरो परसेंट ब्याज पर देने का प्रावधान किया गया। यह हमारी सरकार की पहल थी, जिससे 31 लाख किसान लाभान्वित हुए। जिस पर 16 हजार करोड़ का व्यय उस वक्त आया था।

इस बजट में भी 534 करोड़ और पिछले बजट में डेढ़ सौ करोड़ का, इसके लिए किया गया है। मैं अब आपको इस पर एक और सुझाव देना चाहती हूं कि यह क्रांतिकारी कदम हमारी पहल थी। मैं जानती हूं कि भारत में अभी अर्थव्यवस्था पिटी है, जिसका व्यापक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

और 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय हमने ऋण माफी में किया है। निश्चित रूप से आर्थिक संसाधनों की हमारे पास कमी है। लेकिन किसी तरीके से इसका रास्ता निकालते हुए डेढ़ लाख का जो हम ऋण उपलब्ध करवा रहे थे, वर्तमान में 62 हजार 500 तक का मिल रहा है, उसको पुनः डेढ़ लाख करने की जरूरत है, ताकि किसान को इसका फायदा मिल सके।

अब मैं आती हूं। ये अपनी कारगुजारी नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगी इनकी कारगुजारी, अपेक्स बैंक जिसको नाबार्ड फाइनेंस करता है, short term loan at the rate of 4.5 percent, Apex Bank at the rate of 4.5 percent पर लेकर अपना 0.20 परसेंट का मार्जिन जोड़कर at the rate of 4.5 percent CCB को फण्ड उपलब्ध कराती है। सीसीबी साथ में अपना 0.30 परसेंट का मार्जिन जोड़कर, इसको 5 परसेंट के ऊपर पैक्स को उपलब्ध कराती है। पैक्स इसमें 2 परसेंट जोड़कर 7 परसेंट पर किसान को उपलब्ध कराता है। वह जो 7 परसेंट किसान को उपलब्ध कराता है, वह गवर्नमेंट से जीरो परसेंट ब्याज पर सब्सिडाइज्ड है और वह सब्सिडी 3 परसेंट सैन्टर वहन करता है और 4 परसेंट राज्य वहन करता है लेकिन अपैक्स बैंक कोई पूंजी नहीं लगाती है, अपैक्स बैंक की खुद की कोई कैपिटल नहीं है, वह एज ए ब्रोकर काम करती है। पहले यह जो सीमा थी, ये 4.5 की जगह 4.95 थी जिसको पिछले कार्यकाल के अंदर, पिछले कार्यकाल की अपेक्स अध्यक्षा ने प्रस्ताव रखकर कम कराया था और 4.7 लेकर आए थे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि 4.7 की जगह इसको पुनः 4.6 कीजिए। अपेक्स बैंक, जो नाबार्ड से पैसा लेता है, वह एज ए ब्रोकर काम करता है जबकि सीसीबी बैंक का 60 परसेंट इनवेस्टमेंट स्वयं का होता है। वह डिपोजिटर्स का पैसा होता है। उस पर हाई रेट आफ इंट्रेस्ट। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी तो मैंने बोला ही नहीं, मैं तो अपनी ओपनर हूं। इन्होंने बहुत देर बोला था।

श्री सभापति: आप बोलिए, दो मिनट में समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): दो मिनट, मेरे तो बहुत सारे पाइंट्स बचे हैं। 44 परसेंट पैसा सीसीबी नाबार्ड से रिएम्बर्समेंट करके लेकर आती है। इस 20 पैसे को घटाकर, 10 पैसा कीजिए। बहुत सारी सीसीबीज ऐसी हैं जो आज क्युमुलेटिव लोस में जा रही है। 10 पैसा मिलने से उनकी प्रोफिटेबिलिटी

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

में बढ़त होगी। एक जो बड़ी चीज इन्होंने की, जिसकी ये बात नहीं करेंगे। पिछले कार्यकाल के अंदर जो हिस्सा राशि 8 प्रतिशत है, जो दी जाती है, उसके पूरे पिरामिड को इन्होंने उलटा कर दिया, पूरे पिरामिड को। पहले अपेक्स 1.75 परसेंट रखता था, सीसीबी 2.50 परसेंट रखती थी और पैक्स 3.75 रखती थी, इन्होंने इसके बिलकुल विपरीत किया। पैक्स जो रीढ़ की हड्डी है सहकारिता की, उसके पास यह होना आवश्यक है। इन्होंने पैक्स से लेकर अपैक्स को 3.75 कर दिया, सीसीबी को 2.25 और पैक्स को मात्र 2 परसेंट पर लेकर आ गये और ये बात करते हैं सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की, ये देखिए ये है इनकी कारगुजारी। ये ऐसे आंकड़ों में सिस्टम को पूरा जाम कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: मंत्री महोदय जी को कहती हूं कि this is really very important. आप पुन: इस आर्डर को तुरंत प्रभाव से रिवर्स करें और पुन: पैक्स को 3.75 करें और अपेक्स बैंक को 1.75 करें क्योंकि बैंक स्तर पर पैक्स और सीसीबी को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि यह हो सके।

सोशल स्कीम्स की बात करें, निश्चित रूप से हमारे यहां पर एमओयू नहीं हुआ, एक साल की अवधि हो गई। मैं मंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूं कि ये दोनों स्कीम्स, एक तो इसमें ब्रोकर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड कम्पनीज रजिस्टर है, प्रीमियम बढ़ेगा और कमीशन की प्रणाली बढ़ेगी। केसीसी कार्ड में भी दुर्घटना बीमा अनिवार्य है, नाबार्ड की पालिसी है। 1 अप्रैल, 2019 से अब 31 मार्च, 2020 होने जा रहा है 15 दिन में, इस एक साल की अवधि के अंदर कितने किसानों की मृत्यु हुई? जिसका बीमा हमारे कारण, हमारे सिस्टम के कारण नहीं हो पाया? उन्हें कम्पनसेशन देने की आवश्यकता है। क्योंकि उस परिवार में एक भारी क्षति हुई है और वह व्यवस्था के कारण हुई है। इंश्योरेंस की, बीमा योजना की बात मैं संक्षेप में कहूंगी।

एक बहुत मुख्य मुद्दा व्यवस्थापकों का है मैनेजर्स का। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहती हूं कि इनकी नियमित भर्ती हो, स्क्रीनिंग हो, इनके क्लीयरकट सेवा नियम हो। पैक्स रीढ़ की हड्डी है, जिसके कारण सारी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। पैक्स को एक मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को ग्राम

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

स्तर पर समस्त सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए व्यवस्थापकों को नियमित करना और जो 2014 की है, उसको बढ़ाकर आप 2017 करके, इनको रैगुलराइज करके भर्ती करें।

क्रेडिट के अंदर, लोंग टर्म क्रेडिट लोन जो है, उसकी स्थिति फिलहाल कमजोर है। जो किसान समय पर ऋण चुका रहे हैं, उसे सरकार 5 प्रतिशत का अनुदान दे रही है लेकिन इसका कोई व्यापक असर नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि रिकवरी पर ध्यान दीजिए। गुड क्वालिटी लोनिंग कराइये, असैट बिल्डिंग वाले लोन्स को प्रमोट कीजिए। दूसरी चीज, जो मैंने देखा कि 2010 से कितनी ही योजनाएं, आपके प्रतिवेदन के अंदर, लोंग टर्म लोन्स के अंदर है। आपकी लोनिंग, लोन्ग टर्म्स के अंदर वैरी-वैरी पूअर है उसका एक कारण है कि आपके यहां पर बैठे अधिकारियों ने इस सिस्टम को सेंट्रलाइज करके पूरे राजस्थान की फाइलें जयपुर मंगाई, जिसके कारण लोनिंग नहीं हुई। आपके ध्यान में नहीं हो तो इसको आप दिखवाइये और वापस डीसेंट्रलाइज कीजिये।

मार्केटिंग के अन्दर राजफैड, केवीएसएस, जीएसएस का जो त्रिस्तरीय सिस्टम है, जिसमें एमएसपी पर खरीद होती है, उसमें हमने दो हजार केवीएसएस और जीएसएस में नये गोदाम की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य कदम है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो ये नये जीएसएस बनाने की बात कर रहे हैं। इसको प्राथमिकता पर लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर बनाने की कोशिश करें। कई सोसाइटीज ऐसी हैं जिन पर पांच ग्राम पंचायतों का भार है, वे ओवर-बर्डन्ड हैं और किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता।

मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं कि मार्केटिंग के अन्दर जो राजफैड है, जिसमें प्रशासक लगा हुआ है, 1994 से उसके चुनाव नहीं हुए। इसके अन्दर सैक्रेटरीज, प्रिंसिपल सैक्रेटरीज कभी नहीं चाहेंगे कि इस संस्था के चुनाव हों। इसकी एक सिटिंग के अन्दर लाख से सवा लाख सिटिंग फीस आती है, 60 लाख रुपये व्हाइट का आता है जो किसी आईएएस की सैलरी की कितना गुना, सैलरी से दुगना है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इन संस्थाओं के चुनाव हों।

दूसरा, जो एक फण्ड है लिक्विडेशन फण्ड, नवजीवन फण्ड, इसकी कोई आडिट नहीं होती है। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कहां हुआ, को-

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आपरेटिव मूवमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए लगा या नहीं लगा, कौन इस पैसे को खर्च कर रहा था, Registrar cannot have a free hand to use this fund and there should be a check and balance for this.

दूसरी बात मैं कहती हूं कि यह हमारे नियम में नहीं है, हमारे अधीन नहीं है लेकिन आप केन्द्र सरकार को जरूर एक प्रपोजल भेजिये कि प्रोडक्शन की 25 परसेंट की लिमिट को हटाकर हण्डरेड परसेंट किया जाए क्योंकि वह किसान जो अपने खेत में बोता है, उसका पूरा का पूरा खरीद सकें। यह व्यवस्था की कमी है, उस व्यक्ति की कमी नहीं है और इसके कारण से उस किसान को नहीं भुगतना है इसलिए मेरा अपसे निवेदन है कि आप इसको केन्द्र सरकार को लिखें। मार्केटिंग के अन्दर मैं एक बात कहना चाहती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): टू मिनट्स, लास्ट टू पाइंट्स। मथानिया मार्केटिंग जो मेरे क्षेत्र की है उसमें बहुत बड़ा लहसुन खरीद का घोटाला हुआ था जो अखबारों की सुर्खियां बना, उसकी जांच एसीबी में लम्बित है। आप दिखवायें कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको फोलो-अप करके उसकी स्पीडी रिकवरी करवाएं।

कंजूमर्स के अन्दर जो बाते हैं, उसमें आपकी आडिट होनी चाहिए। बहुत सारे सुपस्मार्केट्स जो आप खोल देते हैं उनमें वायबिलिटी को आप चैक करें, फुट्फाल्स को चैक करें क्योंकि वह थोड़े टाइम में बन्द हो जाता है।

डेयरी की बात मैं नहीं करूंगी, रामलाल जी कर देंगे। प्रोसेसिंग्स हमारी फेल हो रही हैं, हमारे तीनों शिपिंग फैड, शुगर मिल्स लिक्विडेशंस में हैं और जो हमारा आयल प्रोडक्शन वाला है वह तो सिर्फ एमएसपी पर खरीदकर राजफैड को दे रहा है, सिर्फ सैलरीज कर रहा है। निश्चित रूप से इसको आपको वापस देखने की आवश्यकता है। स्पिनिंग फैड के अन्दर प्रशासक आईएएस लगाएं क्योंकि इसकी प्रोपर्टी को सेल की जो योजना बन रही है। RICEM जो है वह अपने मुख्य लक्ष्य ट्रेनिंग से भटक चुका है, रूफटॉप रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स, टिफिन वगैरह का करता है। राजस्थान राज्य सहकारी संघ, जो कि बन्द की कगार पर है, इन दोनों का मर्जर करके BIRD लखनऊ या VAMNICOM, पुणे की जैसे ओरियंटेशन प्रोग्राम्स और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट फोर ट्रेनिंग.., जस्ट लास्ट पाइंट। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात यह कहना

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

चाहूंगी जो अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि.....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय की सीमा है, प्लीज, सहयोग करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट वन मिनट। फसल ऋण इतनी-इतनी तारीख को आपने बन्द कर दिया। आप अपनी बात नहीं बताएंगे। इसको हमने बन्द नहीं किया, यह गवर्नमेंट का आर्डर नहीं था, इसको नाबार्ड ने फाइनेंस करने से मना कर दिया। यह घाटे में कब आई? आपके पांच साल में यह घाटे में आई, यह आप नहीं बताएंगे। आडिट होनी चाहिए।

लास्ट चीज जो मैं कहना चाहती हूं वह इलेक्शंस के बारे में है, यह तो हमारा पाइंट है। इन्होंने शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी थी, जो मैंने पिछली बार एक्ट के ऊपर भी बोला था कि इसमें संशोधन कीजिये। आप चाहते नहीं हैं कि ये जीतकर आएं क्योंकि यह कांग्रेस का गढ़ है। आप चाहते नहीं हैं कि गांव का व्यक्ति आगे आए। आपने इसमें दो बार की अनिवार्यता भी कर रखी है एक डेट के बाद में, उसको भी आप देखिये। दूसरा इन्होंने एक फैसला किया था जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, 30 (सी) में जोड़कर कहा गया....

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर। प्लीज, सहयोग करें, ऐसे नहीं चलेगा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): लास्ट वन मिनट। जिसके अन्दर अनिश्चितकाल के लिए प्रशासक लगाये जाएं, का प्रावधान किया था, जिसको कोर्ट की डबल बैंच ने स्ट्रक-डाउन कर दिया। यह आपके दोहरे चेहरे को दिखाता है। एम्फोर्ट का प्रकरण हुआ था, आप तो रहे होंगे स्टेच्यू सर्किल के उस धरने पर, मैं छोटी थी, मुझे याद है। अगर ये मध्य प्रदेश की जगह सहकार भावना की चेतना जगाने का काम अपने दल में करते तो यह सराहनीय कदम होता।

मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि होर्स ट्रेडिंग को मास्टर स्ट्रोक कहना बन्द करो, गांधी का ऊपरी मन से नाम लेना बन्द करो, ब्रोकर को चाणक्य कहना बन्द करो, लोकतंत्र की हत्या को तख्ता पलट कहना बन्द करो, सत्ता पाने के अवैध तरीको का महिमामंडन बन्द करो, लोकतंत्र की हत्या पर मौन रहना बन्द करो, नैतिकता के ढोल बजाना बन्द करो, दोहरे चेहरे की यह

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

नीति बन्द करो। हमारे विपक्ष के नेता का टीवी में मैंने बयान देखा कि नैक्स्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश का होगा, इतने गर्व से ये कह रहे थे....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): इसलिए, मुझे लगता है कि आपको अन्दर में जानने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण देकर बस खतम करती हूं कि जब स्वर्गीय भैरोंसिंह जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और बाइपास सर्जरी कराने के लिए अमेरिका गये थे, उस वक्त के विपक्ष के नेता स्वर्गीय परसराम मदेरणा जी के पास में कुछ विधायक आये थे सरकार गिराने के लिए। मुझे गर्व है कि कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा नैतिकताओं के लिए और जनता के लिए रही है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान के मुख्य मंत्री मृत शय्या पर अमेरिका में हों, we will not trade into horse-trading. हम जनमत के लिए जाएंगे और बहुमत से लेकर आएंगे। उसी समय ट्रंक काल करके मुख्य मंत्री जी को बताया कि आपके ये नौनिहाल यहां पर सरकार गिराने आये हुए हैं। यह नैतिकता होती है। यह नहीं कि अहंकार के अन्दर मध्य प्रदेश के अन्दर आज आपके रंग बदले-बदले आते हैं। इसी के साथ, जय सहकार।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 36 सहकारिता व मांग संख्या 47 पर्यटन पर संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा, सहकारिता मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और एक गांव को सशक्त होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक तो वहां की जो पंचायत व्यवस्था है वह मजबूत हो और सहकारी व्यवस्था है वह मजबूत हो। अगर ये दोनों संस्थाएं मजबूत हैं तो वह गांव और वह क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पंचायत में सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा हूं, को-आपरेटिव बैंक में भी डायरेक्टर रहा, पंचायत का सदस्य भी रहा, सरपंच भी रहा इसलिए नजदीक से मैंने इन संस्थाओं को देखा है। मेरी मान्यता है कि सही रूप में इनको मजबूत करना आवश्यक है मगर दुर्भाग्य है कि दोनों संस्थाएं आज इस रूप में मजबूत नहीं हैं जिस रूप में उनको होना चाहिए।

सहकारी संस्थाओं में दो-तीन सुझाव माननीय सहकारिता मंत्री जी के

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सामने रखूंगा। वर्तमान में फसल बाजार में आने वाली है और आज बाजार में मार्केट में सारे भाव समर्थन मूल्य से कम हैं। सहकारिता के माध्यम से सरकारी फसल की खरीद की जाए और माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि आप अभी से प्रयास करें क्योंकि यह इतना सहज भी नहीं है। यहां सदन में कहना तो सहज है मगर उसकी व्यवस्था में काफी परेशानी होती है और लोगों को तकलीफ होती है। किसान को फसल पैदा करने में तो तकलीफ होती ही है मगर दुर्भाग्य यह है कि उसको बेचने में ज्यादा कष्ट होता है। जब उसको फसल का उचित भाव नहीं मिलता है तो उसकी पीड़ा बढ़ जाती है इसलिए आप आपके विभाग की बैठकें लें और इस व्यवस्था को मजबूत करें।

दूसरा, जो हमारे गरीब लोगों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था है उस राशन वितरण व्यवस्था को भी सहकारी समिति के माध्यम से आप करें। मैं सदन में भी पहले इस बात को कह चुका हूं कि ग्राम पंचायत या सहकारी समितियां अगर इस काम को लेती हैं तो राशन वितरण की व्यवस्था सही प्रकार से होती है और बिचौलिये जो बहुत बड़ी संख्या में उन गरीब लोगों का माल वहां तक नहीं पहुंचाते हैं, उसमें लूट होती है, उसको रोका जाए और इस व्यवस्था को आप मजबूत करें।

तीसरा, सहकारी संस्थाओं में बहुत बड़े पैमाने पर गबन होता है और उस गबन की राशि को वसूल करने की प्रक्रिया विभाग की बहुत कमजोर है तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यह तो सहकारी समितियों की है। उसके अलावा भी आपके यहां पर अनेक समितियां को-आपरेटिव में रजिस्टर्ड होती हैं और फाइनेंसिंग कम्पनियों ने बहुत बड़ेबड़े गबन-घोटाले किये हैं, उनसे बड़ी संख्या में परिवार बर्बाद हुए हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए भी जो किया जा सकता है उसको करें।

मांग संख्या 47, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं मगर मैं मेरे विचार रखना चाहूंगा। आज जो देश में हालात हैं, कोरोना वायरस से पूरा पर्यटन उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर बुकिंग्स कैन्सिल हुई हैं और जो पर्यटन विभाग से जुड़े लोगबाग़ हैं उनकी पीड़ा वे ही समझते हैं। एक महीने में दो घटनाएं इस प्रकार की हुई हैं, जिनसे पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

एक महीने पहले जो आबकारी नीति लागू की गई, उस आबकारी नीति से बहुत बड़ा टैक्स हैरिटेज होटल्स पर लगाया और मैं हैरिटेज होटल्स की पैरवी इसलिए कर रहा हूं कि जब पर्यटन का उल्लेख करते हैं हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और मुख्य मंत्री जी के बजट भाषणों में बड़ाई तो हैरिटेज होटलों की की जाती है कि हमको 2019 का बैस्ट हैरिटेज डेस्टिनेशन होने का अवार्ड मिला है, मगर उनके सामने पर्यटन डिपार्टमेंट तो सिर्फ कठिनाइयां पैदा नहीं करे। यह पूरा काम पर्यटन का निजी क्षेत्र का है और मुझे प्रसन्नता है कि इस पर्यटन में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार इस प्रदेश में मिल रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, मगर यह पर्याप्त नहीं है। इतने ही लोगों को रोजगार और मिल सकता है क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की पर्यटन की संभावनाएं हैं, हम 70 साल बाद भी उनको उस रूप में कैश नहीं कर पाए जिस रूप से हमको करना चाहिए। 10% भूभाग इस देश का राजस्थान में ज्योग्राफिकल एरिया है। हम देश के लगभग सेंटर में हैं इसलिए हर किसी को ट्रैवल करना है तो हमारे राजस्थान में होकर और देखने को इतना कुछ, 5 करोड़ देशी पर्यटक हमारे यहां पर प्रतिवर्ष आते हैं। 2018 के आंकड़े देखेंगे तो उनमें 5 करोड़ 38 लाख के करीब देशी पर्यटक हमारे यहां आए थे और 18 लाख के करीब विदेशी पर्यटक थे। 2019 में देशी पर्यटकों में मामूली वृद्धि हुई है मगर हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें डेढ़ लाख की कमी हुई है। मेरा मानना यह है कि हमें नए एवेन्यूज़ तलाश करने पड़ेंगे।

जब हमारे पर्यटन के संबंध में रिपोर्ट बजट में आई तो उल्लेख किया गया रणथम्भौर का। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजस्थान में एक रणथम्भौर नहीं है, राजस्थान में चार रणथम्भौर बन सकते हैं, मगर बनाएगा कौन? उसके प्रयास करेगा कौन? यहां पर जो वन विभाग है उसका मंत्री अलग है और पर्यटन का अलग। इस प्रदेश में वन मंत्री और पर्यटन का एक ही मंत्री होना चाहिए क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की जिस प्रकार की संभावना है राजस्थान में है, जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, जो आपके सैंक्चुरीज हैं, जो आपके बायोलोजिकल पार्क हैं, इनको कैश करिए। इतनी संभावना, इतनी पोटेंशलिटी है। कोटा में नेशनल पार्क घोषित किया गया, सरकार ने सिर्फ घोषणा की कि हम नेशनल पार्क बनाएंगे। उस दिशा में मामूली काम हुआ है। मैं उसकी सराहना करता हूं। मगर जैसे ही घोषणा हुई प्राइवेट लोगों ने सम्पत्तियां और प्रोपर्टीज डवलप करने का बिना सरकार की कोई मदद के काम

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

आरम्भ किया है, तो जो रणथम्भौर में हो सकता है वह राजस्थान में अनेक जगह हो सकता है।

अभी एक घटना राजस्थान में घटित हुई। यहां पर सांभर में वैटलैंड्स के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पक्षी मरे। पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। सारे मीडिया ने उस खबर की रिपोर्टिंग की। क्यों की? इसलिए की कि इस बर्ड का भी टूरिज्म में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मंत्री, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, उनके फोरफादर्स ने भरतपुर में अपने आखेट के लिए, यह मैन मेड है भरतपुर पूरा, लो लाइंग एरिया था शिकार के लिए, उसमें पक्षी आते थे तो उन्होंने उसको और खुदवाया और आज वह शिकार तो बंद है मगर आज शिकार होता है, शूटिंग होती है कैमरे से और बहुत जबरदस्त संभावना है इसकी। वैटलैंड्स आप क्रियेट करिए। अब बोलेंगे कि वैटलैण्ड्स के लिए जमीन कहां से आएगी? यह जो आपके नहरे चलती हैं पूरे सर्दी के मौसम में नहरें चलती हैं, उनके किनारे की जमीन जो सीपेज है उसको डवलप करिए आप। 1-2 करोड़ के अंदर आप वैटलैंड क्रिएट कर सकते हैं। बर्ड्स आती हैं, उनको किसी का परमिट नहीं लेना पड़ता है, कोई टूरिस्ट वीजा नहीं लेना पड़ता है, बर्ड्स तो अपने-आप आती हैं। देखने के लिए वहां फैसिलिटी क्रिएट करिए। बहुत-बड़ी संख्या में आज आपके जो टेलीविजन चैनल्स हैं, वह सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर ही सरवाइव कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों टेलीविजन चैनल्स वाइल्ड लाइफ को और इसमें जो रुचि है उसकी संभावनाओं को देखकर, और हम कर क्या रहे हैं? आप कुछ छोटे एरिया ग्रास लैंड्स को डवलप करें और उसको बर्ड वाचिंग के लिए करें, कोई बड़े जानवर नहीं और दो संभावनाएं तो राजस्थान में बहुत बड़ी हैं। हिन्दुस्तान में गोडावण सिर्फ राजस्थान में बचे हैं। भारत सरकार ने अपने मैरिट के ऊपर उसका चयन किया है। जैसलमेर में हम उनके चूजे हैच कर रहे हैं। बारां में उनको डवलप करना था मगर 2 साल में हुआ क्या? हम सरके ही नहीं। अगर गोडावण का एरिया संरक्षित कर देते हैं, उस एरिया को आप क्लोज करते हैं तो बस्टर्ड्स की संभावना से टूरिज्म बढ़ेगा।

इसी प्रकार से भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अफ्रीकन चीता, जो हिन्दुस्तान में पहले चीता पाया जाता था, 1948 में आखिरी चीता सरगुजा में हिन्दुस्तान में एशियन चीता देखा गया था, वह खतम हो गया। हिन्दुस्तान में कोई चीता नहीं है, ईरान में है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है कि चीता अफ्रीका से नामीबिया से आप मंगा सकते हैं।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

राजस्थान को इस पहल का फायदा उठाना चाहिए। चीते की संभावना राजस्थान के अंदर है, हमारे कोटा संभाग के अंदर जो जंगलात के मैदान हैं उसमें चीते को छोड़ा जा सकता है। इससे जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए चीते के लिए राजस्थान पहल करे और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ऊपर सरकार फोकस करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुडला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, बड़ी मुश्किलों से यह देश आजाद हुआ है और जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो महात्मा गांधी का सपना था कि मैं ऐसे भारत की कल्पना करना चाहता हूं जहां अमीर और गरीब में फर्क न हो, महिला और पुरुष को समानता का अधिकार हो, लेकिन एक खास चीज देश आजाद होने के बाद यह देखने को मिलती है कि अमीरों को तो लोन आसानी से मिल जाता है और वह भी बड़ा-बड़ा लोन मिल जाता है और सरकारें माफ करने में भी कोई हिचक नहीं करती हैं। अब कोई सरकार दूसरे पर आरोप लगाए, कोई सरकार दूसरे पर लगाए, बड़े-बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का ऋण माफ कर दिया जाता है रातोंरात खबर तक नहीं मिलती और उनको इतना सान्निध्य दिया हुआ है कि वह खबर अखबार में भी नहीं आती है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने किसान के बारे में चिंता की और ऋण माफ किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही नई सरकार आई और नई सरकार ने भी ऋण माफी का पूरा अच्छा काम किया, उसको भी धन्यवाद देता हूं लेकिन जब सहकारिता की बात आती है तो 'एक सबके लिए और सब एक के लिए' इस कार्य में जो हमारे राजस्थान के सहकारिता के माननीय मंत्री महोदय हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसान जिनको ऋण तीस हजार, पचास हजार, एक लाख, डेढ़ लाख जो दिया जाता है, वह इस आस से लेते हैं कि हमको एक साल तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उनको यह विश्वास रहता है कि हम प्राइवेट बैंक में जाते तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है लेकिन राजस्थान सरकार पर उनको पूरा विश्वास रहता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की, माननीय मंत्री महोदय की, मुख्य मंत्री महोदय की यह जिम्मेदारी

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

बनती है कि उन किसानों को दिए जाने वाले ऋण के बारे में अगर कोई हेराफेरी करता है तो ऐसा कानून होना चाहिए जिससे उसको सख्त से सख्त दंड दिया जा सके।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब यह ऋण माफी की जो योजना है, किसान की कल्याणकारी योजना होते हुए भी इसमें किसान को फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ व्यवस्थापक और अध्यक्ष मिलकर के इसमें बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं। उनको यह महसूस हो जाता है, 2016 में जब बात चल रही थी, हमारी जो वर्तमान सरकार है वह प्रतिपक्ष में बैठे थे और मांग कर रहे थे कि किसानों का ऋण माफ हो और बीजेपी भी इसके लिए प्रयत्नशील थी। उन व्यवस्थापकों ने अंदाजा लगा लिया कि चंद समय में ऋण माफी की योजना आने वाली है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 सहकारी समिति ऐसी हैं, एक नौरंगवाला बिसाला सहकारी समिति और दूसरी रसीदपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति दोनों के अध्यक्ष और व्यवस्थापक ने यह अंदाजा लगा लिया कि बहुत जल्दी ही लाटरी लगने वाली है और इस लाटरी के चक्कर में उन्होंने 387 लोगों को ऋण बांट दिया, जिनमें से 200 लोगों को बांटा गया और 187 लोगों को तो ऋण बांटा ही नहीं गया, सिर्फ उनके नाम पर फर्जी आधार कार्ड बना करके और लाखों रुपये का खुद ने ही ले लिया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए 2010 में जब इस नौरंगवाला बिसाला सहकारी समिति का गठन हुआ, जनवरी 2017 में 6 जनवरी को, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 27 जनवरी को, 30 जनवरी को और 23 फरवरी को एक जांच कमेटी का गठन किया गया। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के पैरा एक में व्यवस्थापक और अध्यक्ष को 23,67,086 रुपये के लिये दोषी माना गया। पैरा 2 में 12 लाख रुपये के लिये दोषी माना गया। पैरा 5 में 76,17,189 रुपये के लिये दोषी माना गया। माननीय सभापति महोदय, इसका एक बार पुन: गठन हुआ, जिसमें तीन इंस्पैक्टरों को लगाया और मार्च, 2017 में जांच हुई। जिसमें 92 सदस्यों में से 80 सदस्यों को एक-एक लाख रुपये अपने परिवार के, रिश्तेदार, जिनकी उम्र भी नहीं हुई, उनकी उम्र बढ़ाकर उनको भी लोन दे दिया गया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं इनको लोन देने के बाद इतने पर ही हमारे अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापक महोदय और वहां के लोन इंस्पैक्टर +++ रुके नहीं क्योंकि आराम से पैसे आ रहे थे। कभी कार खरीदी जा रही थी तो कभी

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मकान खरीदे जा रहे थे। इसकी जानकारी हमने अधिकारियों को दी। उसके बाद 23 फरवरी, 2017 को पुन: एक जांच हुई। जिसके पैरा 1 में धारा 55 की जांच के लिये प्रस्तावित किया। पैरा 3 में पुन: धारा 55 की जांच के लिये प्रस्तावित किया। पैरा 4 में भूमिहीन फर्जी किसानों को भी लोन दे दिया गया। पैरा 8 में भी साख सीमा से अधिक लोन देने की बात कही गई और धारा 55 की जांच की गई। माननीय, निष्कर्ष में यह आया कि सारी की सारी गलतियां, चाहे व्यवस्थापक के चयन की बात हो, चाहे अध्यक्ष की बात हो, चाहे समिति की मीटिंगों की बात हो, पूरे क्रियाकलाप में उनको दोषी माना गया। इसके बाद हम रजिस्ट्रार साहब से मिले। उन्होंने कहा कि मैं जोइण्ट रजिस्ट्रार +++ और +++ से जांच करवा लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जब इन दो कमेटियों में उनको दोषी माना गया, +++ ने इसकी जांच की और धारा 55 की जांच को निर्दोष बता दिया। +++ ने भी जांच की और उसमें भी निर्दोष बता दिया गया। यह दोनों भ्रष्ट अधिकारी कमरे से बाहर नहीं निकले और इन्होंने जांच को प्रभावित किया। मैं तो इन पर यही आरोप लगाता हूं कि बिना धन के आज की तारीख में कोई आदमी किसी का भला नहीं कर सकता। मैं तो इन पर धन लेने का आरोप लगाता हूं। जून, 2019 में जब हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिले, उन्होंने कहा कि मैं एसओजी से जांच करवा देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को, उन्होंने किसानों की चिंता की, मेरी बात की भी सुनवाई की और उन्होंने एसओजी में जांच के लिये दिया। वहां भी हमें तो कर्म का +++ निरीक्षक ऐसा मिल गया कि वह भी उस अध्यक्ष के साथ मिल गया। उसके बाद जब हम वहां पहुंचे और एडीजी पालीवाल साहब से मिले, मैंने कहा कि यह प्रस्ताव ध्यानाकर्षण में लग गया, अब क्या करने वाले हो? उन्होंने एक दिन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, दो कमेटियों ने वहां जांच की, उन्होंने दोषी माना। दोनों भ्रष्ट अधिकारी +++ और +++ दोनों ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। एसओजी प्रारंभिक जांच में उनको दोषी मान रही है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों जोइण्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ 16 सीसी की कार्यवाही हो।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं रसीदपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी सेम प्रकरण है, जिसमें करोड़ों रुपये का घपला है। मैं

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

आपको निवेदन करना चाहता हूं एक किसान है जिसने पैसा जमा कराया, उसको रसीद दे दी गई। उसका पैसा जमा नहीं हुआ, आखिर वह पैसा गया कहां? सरकार किसानों के पैसे की चिंता नहीं करेगी, माननीय मंत्री महोदय नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वह सिर्फ इस विश्वास पर पैसा जमा कराते हैं कि हमारा पैसा इधर-उधर नहीं जाएगा, न बैंक में डूबेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सब हमारी जिम्मेदारी बनती है।

अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे कोई भी हो, किसान की चिंता करनी चाहिये और जो जो चीज मैंने आपको निवेदन की, उस पर ढंग से कार्यवाही हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो। किसानों को फायदा मिले। जिन लोगों के नाम पर फर्जी ऋण उठाया गया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो। अपने सैक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं, मैं प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब का भी ध्यान आकर्षित करता हूं कि पुन: एक जांच कमेटी गठित करें और शाम को जब मंत्री महोदय रिप्लाई करें, इसको जरूर करें क्योंकि यह भी बांसवाड़ा की तर्ज पर बड़ा घपला है। ग्राम सेवा सहकारी समिति बिसाला की जांच तो एसओजी से हो ही रही है लेकिन रसीदपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति और ओणवीणा सहकारी समिति में भी यही घपले हैं। मुझे कल एक सोहन लाल जाटव मिला था, उसने कहा कि वहां के व्यवस्थापक +++ ने 50 हजार रुपये का फर्जी लोन इसी तरीके उठा रखा है, इसकी जांच करें। आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सर्वसमाज।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 47 पर्यटन पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सहकारिता से संबंधित सारी मुख्य बातें तो कह ही दीं, उसमें कोई विशेष बात बची नहीं लेकिन कुछ बिन्दुओं की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

मंत्री महोदय, आप एक काम कर लो कि पिछले एक साल में राजस्थान में ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने केसीसी ऋण ले रखा था, उन्होंने समय पर जमा नहीं कराया और इस वजह से उनको 4 परसेंट का ब्याज का

(श्री रामलाल शर्मा)

लाभ मिलना चाहिये, वह लाभ नहीं मिला और एक साल में राजस्थान के कितने किसान हैं जिन्होंने बैंकों में पैनल्टी भरने का काम भी किया? मंत्री महोदय, मैं यह बात इस आधार पर कह रहा हूं कि राजस्थान के किसान आपकी झूठी बातों में आ गये। आपने कहा था कि हम सम्पूर्ण कर्ज माफी करेंगे और उस सम्पूर्ण कर्ज माफी के आधार पर यह सोच रहे थे कि सहकारिता की थोड़ी बहुत कर्ज माफी हुई है हो सकता है कि केसीसी की ऋण माफी भी होगी, और उस उम्मीद के सहारे ही उसने समय पर ऋण जमा नहीं कराया और उसकी वजह से उसको दोगुना ब्याज चुकाना पड़ा, पेनल्टी भी उसको खानी पड़ी, एक तो आप इसकी जांच करा लें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान में कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता की है कि को-आपरेटिव सैक्टर में जो क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटियां बनी हुई हैं, आपके क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटियों में 1300 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। आपके नवजीवन सोसाइटी में 500 करोड़ की ठगी हुई है। आदर्श सोसाइटी में लगभग 1500 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। सभापति महोदय, ठगी करने वालों ने तो ठगी कर ली, सरकार ने जांच भी कराई, कानून के दायरे में उनको जेल भी भेज दिया लेकिन उन लोगों की क्या गलती है जिनकी मेहनत और परिश्रम का पैसा, 60 साल सेवानिवृत्ति के बाद मिला हुआ उनका पैसा, पूरे जीवन की कमाई इन सोसाइटियों में जमा करा दी और आज उनको अपना जीवनयापन करने के लिये एक पैसा भी नहीं मिल रहा? आप कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालिए ताकि उन लोगों को इन सोसाइटियों से वह पैसा मिल सके और वह अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिये, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि कई लोग आत्महत्या कर चुके और आत्महत्या करने का कारण भी वह यही लिखकर गये हैं कि जीवन आगे चलाने के लिये एक रुपया भी मेरे घर में नहीं है और मैं अपनी आजीविका आगे नहीं चला सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। कम से कम ऐसे लोगों को मरने से बचाने का आप काम करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो आपकी को-आपरेटिव सोसाइटियां हैं, जो एग्रीकल्चर या कन्वर्जन कराकर जो पट्टे देने का काम करती हैं, मंत्री महोदय, आप ईमानदारी से राजस्थान की ऐसी सोसाइटियों की जांच कराइए। पहले उपभोक्ताओं को जो प्लाट बेचती है, उस समय नक्शा कौनसा रहता है और उस नक्शे के आधार पर फैसिलिटी उस

(श्री रामलाल शर्मा)

नक्शे में दिखाती है कि यहां हम 2000 वर्ग गर्ज का पार्क डवलप करेंगे, इसी कालोनी में हम आपको मंदिर बनाने की सुविधा भी देंगे, इसी में हम टंकी बनाने का काम भी करेंगे, इसके लिये यह जमीन आरक्षित कर रहे हैं। गार्डन के लिये यह जमीन आरक्षित कर रहे हैं। लेकिन जब वह लैंड कन्वर्जन कराते हैं, चाहे वह जेडीए में कराएं, चाहे नगर निगम में कराएं, चाहे उपखण्ड स्तर पर कराएं, सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि लैंड कन्वर्जन कराते समय, 90 ए की कार्यवाही कराते समय कंजूमर को नक्शा दिखाकर जो प्लाट देते हैं, उन प्लाटों में जब जेडीए से कन्वर्जन होता है तो उसमें वह सारी की सारी चीजें लुप्त दिखाई देती हैं। न वहां गार्डन रहता है, न वहां टंकी की फैसिलिटी होती है, न सामुदायिक भवन बनाने की जगह रहती है, न मंदिर बनाने की जगह रहती है। उन सारी जगहों को वह कोलोनाइजर खुर्द-बुर्द करने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात की जांच कराए।

सभापति महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की थी। वास्तविकता है कि जो सहकारिता से जुड़े हुए किसान हैं, उनका जो बीमा होता था, आज उनका बीमा भी नहीं हो रहा और दुर्घटना के दौरान जो उनको क्लेम मिलता था, उस क्लेम को भी बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से लेकर किसानों का जो बीमा होता है, उस बीमे की सुविधा किसानों को दी जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में जो उपभोक्ता भंडार राजस्थान में बने हुए हैं, जब पेंशनर्स हास्पिटल में जाकर चिकित्सक से दवाई लिखवाते हैं तो आपके उपभोक्ता भंडारों में वे दवाएं नहीं मिलती हैं। अगर चिकित्सक 10 दवाएं लिखेंगे तो एक दवाई मिलेगी। दिन भर साठ साल से ऊपर के पेंशनधारी व्यक्ति चक्कर लगाने का काम करते हैं। कम से कम इन उपभोक्ता भंडारों पर समय पर दवाएं मिल जाएं, इसको भी आप सुनिश्चित करने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि राजस्थान में आपकी सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। आपने चुनावी घोषणा भी की, आपने बजट में भी घोषणाएं की कि हम क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गोदाम बनाने का काम भी करेंगे, हम जीएसएस के ऊपर भी 700-800 गोदाम बनाएंगे। पिछले एक साल में आपने कोई गोदाम नहीं बनाया है। जब भी सत्ता

(श्री रामलाल शर्मा)

पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं तो यह बोलते हैं कि आप यह करके चले गये, यह करके चले गये। अगर आपको कुछ करना नहीं है और आपको सिर्फ उलाहना ही देना है कि आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था तो फिर हमें हमारी सत्ता वापस सौंप दो, आप इधर आकर बैठ जाएं आपको कुछ नहीं करना है तो। अगर करना है तो कुछ करो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा:

'दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से,

इस घर को लग गयी आग, घर के चिराग से'

यह स्थिति इनकी है। इनके घर के चिरागों से इनके यहां आग लग रही है और दोष हमें दे रहे हैं। हमें उधर आने का मौका देंगे तो आप ही देंगे। आप रात को आकर मुझे कह दें कि मेरी व्यवस्था करो तो मुझे तो आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि यदि आप किसानों का भला चाहते हैं, किसान सिर्फ को-आपरेटिव सैक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है किसान एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है किसान आपकी सोसाइटियों से जुड़ा है, पानी से भी जुड़ा हुआ है बिजली से भी जुड़ा है, सभापति महोदय, अगर आप राजस्थान को जीवित रखना चाहते हो, आम किसान को आप जीवित रखना चाहते हो, तो सबसे बड़ा यह है कि आप नरेगा को दो साल के लिए बंद कर दो। नरेगा को दो साल तक बंद करके हर किसान को दो लाख रुपये की सहायता पोंड बनाने के लिए दे दें। हर किसान को दो लाख रुपये दे दें और उसको कहें कि बरसात का पानी इस पोंड में इकट्ठा करने का काम करे। अगर बरसात का पानी इकट्ठा नहीं किया तो आने वाले समय में, जिस तरीके से हम तिजोरी में रुपये या चांदी-सोने के आभूषण रखने का काम करते हैं, आप मानकर चलना राजस्थान में दो-चार साल बाद पानी को भी लोग ताला लगाकर उसकी सुरक्षा करने का काम करेंगे ताकि कोई टैंक खोलकर पानी चोरी करके नहीं ले जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि नरेगा योजना को दो साल तक पोस्टपोन करके नरेगा में जितना बजट खर्च होता है, वह सारा बजट किसानों को पोंड बनाने के लिए दें तो मेरे खयाल से आप किसानों के हित में काम कर पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री रामलाल शर्मा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनमानपुरा, नयी ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हुआ था, उसकी हिस्सा राशि भी डिवाइड हो चुकी है। उस सोसाइटी का गठन हो चुका है, लेकिन आपके कर्मचारियों के द्वारा आज तक भी ऑनलाइन करने के बावजूद भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि जब हमारी सोसाइटी ऑनलाइन हो चुकी है तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको आप अस्तित्व में लेकर आएं, ताकि गांव के लोगों को जो समस्या हो रही है, उस समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सोसाइटियों में काम करने वाले जो संविदाकर्मी हैं, आप उन्हें नियमित नहीं कर सकते, यह तो मुझे भी पता है, आप सिर्फ उन्हें सब्जबाग दिखाएंगे, उनसे बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, उनसे यह कहेंगे कि हमारी सरकार आयेगी तो हम यह कर देंगे, एक ही रात में आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। लेकिन अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, आप उनको नियमित नहीं करेंगे, रैगुलराइज नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उन संविदा कर्मचारियों का मानदेय तो बढ़ा दें। आप उनका शोषण क्यों कर रहे हैं? पांच-सात हजार रुपये के अंदर, आप कम से कम उनका सम्मानजनक मानदेय रखने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपके जो कर्मचारी हैं, चाहे सहकारी बैंकों के कर्मचारी हों, चाहे सोसाइटियों के कर्मचारी हों, आपने जो बैठकर समझौते किये थे, उन समझौते के आधार पर जो समझौते की शर्तें थीं, कम से कम आप उन शर्तों की पालना तो करें। आपने 15वां वेतन समझौता लागू किया था, उसकी पालना भी अभी तक नहीं हुई है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी उनको कानून के दायरे में लाकर उनको सज़ा देने का प्रावधान कर रहे हैं। जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जिस व्यक्ति की डिग्री फर्जी है, उसके खिलाफ तो आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और संदेह के घेरे में सबको लपेटे में ले रहे हैं। आपको जो कुछ जांच करनी है वह जांच आप कर लें। दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें, लेकिन कम से कम समयबद्ध तरीके से आप उनका मानसिक शोषण नहीं करें, इतना मुझे निवेदन करना था।

सभापति महोदय, मांग संख्या 47 पर दो बातें कहकर मैं अपनी बात

(श्री रामलाल शर्मा)

समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि अरावली की पहाड़ियां चौमूं, सामोद तक फैली हुई हैं। जयपुर जिले के पास में स्थित सामोद ही एक ऐसा स्थान है जिसे आप पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर सकते हैं। वहां महामाया का मंदिर है, वहां महारमालेश्वर का मंदिर है, वहां पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। चार-पांच पर्यटन स्थल एवं मंदिर हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 36 करोड़ रुपये की सड़क सामोद से लेकर वीर हनुमानजी तक प्रस्तावित की थी। फोरेस्ट के अंदर डाइवर्जन करके भी हमने भेज दिया। डाइवर्जन करने के बाद भी फोरेस्ट में आज भी उसकी एनओसी पैंडिंग पड़ी है। पर्यटन मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि कम से कम थोड़ा-सा रुतबा और पूरी गंभीरता के साथ एक बार अगर आप दनदनाता फोन वन विभाग में कर देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एनओसी आ जाएगी। वह एनओसी आ गयी तो जेडीए ने 36 करोड़ रुपये पहले से स्वीकृति कर रखे हैं। चार धार्मिक स्थल हैं। रोप-वे, पूर्ववर्ती सरकार ने लगाया था। जेडीए ने वहां पर काफी विकास कर लिया है। अब मुझे लगता है कि जैसे उज्जैन की वजह से आपके मध्य प्रदेश में संकट आया था, उस उज्जैन के मंदिर में आपने लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाया था, उसकी वजह से मध्य प्रदेश में आप पर संकट आया। बालाजी का यह रोप-वे चालू नहीं करेंगे तो आप मानकर चलना, संकट 100 परसेंट आएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो वीर हुनमान जी मंदिर का रोप-वे आप चालू कर दें, तब आप उस संकट से बच सकते हैं, लेकिन आप तो खुद चाहते हैं कि आप हमारे साथ आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका स्वागत करेंगे।

सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने जिन किसानों की घोषणा की थी, वे घोषणाएं पूरी नहीं कीं। कोई बात नहीं घोषणाएं कर दीं, भावावेश में आकर कर दीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से कर दीं, दबाव में कर दीं, मजबूरी में कर दीं, लेकिन कम से कम सरकार उन किसानों से माफी तो मांग ले कि हमने भावावेश में आकर कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी, हम नहीं कर पाए, हम क्षमा प्रार्थी हैं। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं और मेरी बात पर गौर करेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, उस धोखे के लिए माफी जरूर मांगेगे। आपने बोलेने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी। सभी माननीय सदस्य, जो बोलने वाले बाकी हैं, उनसे मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करूंगा कि अभी करीब 34 विधायक बोलने वाले बाकी हैं। आवश्यक रूप से आपके लिए 10 मिनट का समय है। पहली घंटी मैं 8 मिनट पर बजाऊंगा, दूसरी आपको बैठने के लिए है, कृपया सहयोग करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36-सहकारिता व मांग संख्या 47-पर्यटन, जो कि राजस्थान के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, उस पर जो चर्चा हो रही है। प्राचीन भारत में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी कारण वेदों में, वैदिक ऋचाओं में भी इस बात का प्रमाण है कि उस समय का अर्थ तंत्र कम्पीटिशन प्रतियोगिता की बजाय सहकारिता पर आधारित है। सहकारिता का मूल सिद्धांत 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' यह भी वैदिक ऋचाओं से लिया हुआ शब्द है। गांव में ग्रामीण कुटीर उद्योग, दस्तकारी, एग्रीकल्चर, इन सबकी बिगड़ती स्थिति, दस्तकारों की, किसानों की, तो साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर जब किसान लोग कर्ज लेते थे, साहूकार लोग ऊंची ब्याज दरों पर किसानों को रकम देते थे, वे रकम जमा नहीं कर पाते थे और काश्तकारों की जमीन साहूकारों के रहन रह जाती थी। उन विपरीत परिस्थितियों में विलियम वेडरबर्न तथा न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे ने 1882-1883 में कृषि साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषक बैंक की स्थापना का विचार रखा। देश में कृषकों के हितों की सुरक्षा एवं कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 देश में दिनांक 15 मार्च, 1904 को लागू किया गया। यह उन किसानों की स्थिति को देखते हुए सहकारिता का अधिनियम लागू किया। राजस्थान में भी 1904 में ही सहकारी संस्थाओं के तहत विभिन्न सहकारी समितियों का गठन किया। स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के सम्पूर्ण प्रयास किये। इनमें केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, डेयरियां और भी समितियां हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी सहकारिता को मजबूत करने के लिए अपने तीनों कार्यकाल में भरसक प्रयास किये।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

(16.00 बजे)

पिछले कार्यकाल में भी मुख्य मंत्रीजी ने काश्तकारों के जो फसली ऋण थे, उस पर जो ब्याज वसूला जाता था, उसको जीरो प्रतिशत ब्याज करके पूरे राजस्थान के काश्तकारों को ऐतिहासिक लाभ दिया। जो उनका स्वागत योग्य कदम था। इसके साथ ही अभी कृषक ऋण माफी योजना लागू की। 30/11/2018 को बकाया सम्पूर्ण फसली ऋण माफ कर दिये। इस योजना में भी एक नया अमेंडमेंट जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने किया कि पूर्व में जितने भी ऋण माफ हुए लघु सीमांत के वे जोत के आधार पर हुए। इस बार जो ऋण माफ हुए, जोत को आधार नहीं माना और सभी किसानों के ऋण माफ किये। इसमें राजस्थान के 22 लाख काश्तकारों के 8 हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ किये। भीलवाड़ा जिले के 9 हजार कृषकों के 310 करोड़ के फसली ऋण माफ हुए। मेरी विधान सभा क्षेत्र के 19 हजार 53 काश्तकारों के 54.57 करोड़ रुपये की ऋण माफी हुई। सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋणों की 30/11/2018 तक के अवधिपार सीमान्त काश्तकार, लघु काश्तकारों को ऋण माफी दी गई।

ऋण माफी के पश्चात् दूसरा बड़ा स्टैप मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने जो लिया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो ऋण माफी हुई थी, उसमें हर जिले में काश्तकारों को पता ही नहीं कि उनके नाम से व्यवस्थापकों ने लोन उठा लिए। गड़बड़झाले हुए करोड़ों रुपये के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा अन्य कई जिलों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी और गबन जब पकड़ में आई तब वर्तमान सरकार में मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने यह निर्णय लिया कि जो भी ऋण अब दिया जायेगा, वह ऑनलाइन दिया जायेगा। ऑनलाइन ऋण देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का जो काम मुख्य मंत्रीजी ने किया, यह बहुत ही स्वागत योग्य है।

भीलवाड़ा जिले में अब तक ख़रीफ़ और रबी की फसल पर एक लाख 15 हजार काश्तकारों को साढ़े चार सौ करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 23 हजार काश्तकारों को 50 करोड़ का ऋण दिया है, जो भी स्वागत योग्य है।

पूर्व की सरकार ने किसानों के सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में तीन कोआपरेटिव मिलें चल रही थीं स्पिन फेड के माध्यम से, गंगापुर,

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

गुलाबपुरा, हनुमानगढ़, तीनों मिलों को बंद करने का काम किया। हजारों मजदूरों को बेघर करने का काम किया और यह सहकारिता के झूठे दावे करने की बात करते हैं। पिछली सरकार में राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल की आज्ञा 131/2016 दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को एक सर्कूलेशन के माध्यम से इन्होंने ज्ञापन क्रमांक 18(6)सहकारिता/2012 पार्ट दिनांक 15 नवम्बर, 2016 में अंकित राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, स्पिन फेड की गंगापुर, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ की उत्पादन प्रक्रिया बंद होने की स्थिति में इन इकाइयों को विधिक रूप से बंद किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए ज्ञापन में बिंदु संख्या 7 में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 7 यह था कि उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, सभी मजदूरों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया जायेगा। यह बिंदु संख्या 7 में था। उसमें पंचायती राज संस्था, स्वायत्तशासी संस्था और सहकारी समितियों में, सहकारी संस्थाओं में उनको समायोजित करने का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव के तहत 2016 से लेकर के आज तक किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि मैंने विधान सभा प्रश्न के अदंर भी आपको निवेदन किया था कि आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का जो निकाला उसमें 458 लोगों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। अभियोजन विभाग में 142 लोग काम कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र के, 6-6 महीने के लिए उनकी अवधि बढ़ाई जाती है और वे मामूली तनख्वाह पर बाड़मेर, जैसलमेर में लगे हुए हैं उनके समायोजन की कार्यवाही कराएं ताकि ये स्थायी कर्मचारी बनें, जबकि मंत्रिमंडल की आज्ञा में साफ लिखा है कि इनको हम समायोजित करेंगे, तो समायोजित करें। क्रय-विक्रय जो आपका खुद का विभाग है, क्रय-विक्रय में 13 कर्मचारी लग रहे हैं। सहकारी-समितियों में हमारे 40 लग रहे हैं, 53 कर्मचारी तो आपके विभाग में भी हैं। आपने आज तक समायोजन नहीं किया है जबकि 2016 से चार साल-पांच साल होने आए, इन लोगों का समायोजन करना चाहिए था आप लोगों को। इसी संदर्भ में सात मृतक कर्मचारी हैं, जिनके परिवारों का पालन-पोषण होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन सात मृतक कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इनके परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए। जैसे दूसरे विभागों में दी जाती है तो

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

सहकारिता विभाग में भी दी जाए। स्वायत्त शासन विभाग में 72 कर्मचारी समायोजित हुए हैं और बाकी कर्मचारी 23 ऐसे हैं जो कहीं पर भी काम नहीं कर रहे हैं। इन 23 कर्मचारियों को, उसमें आदेश में साफ लिखा है कि इनको चतुर्थ श्रेणी में भी ले सकते हैं। इनको कहीं भी लें, इन कर्मचारियों का डिस्पोजल करें, इनका समाधान करें। सभापति महोदय, ये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं ताकि इन लोगों का कुछ हो।

दूसरा, मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में किसानों की सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जो चल रही थी, इसमें काश्तकार की मृत्यु होने पर काश्तकार की राशि भी बीमा कम्पनी जमा कराती थी और उसकी दुर्घटना पर उसके परिवार को दस लाख रुपये की सहायता राशि मिलती थी। बीमा कम्पनी से सरकार का 01/04/2019 के बाद ये करार बंद हो गया है। मंत्री महोदय, इस करार को आप पुन: करें ताकि उन किसानों को फायदा मिले। इस योजना से काश्तकार के मरने के बाद, उस काश्तकार की क्या स्थिति होगी, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी, जिसने कर्जा उठा रखा है? जो यह बीमा कम्पनियां हैं, इनसे आप तुरंत प्रभाव से चर्चा करें।

मैं यह कह रहा था कि सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋणों पर समय पर चुकाने वाले काश्तकारों को आप द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा था। सेन्ट्रल कोआपरेटिव और सहकारी समितियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, तभी काश्तकारों का इससे भला होगा क्योंकि काश्तकार सबसे ज्यादा सहकारी समितियों से जुडे हुए हैं सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से जुडे हुए हैं। भूमि विकास बैंक में बहुत कम काश्तकार जुड़े हुए हैं। ये लाभ सभी काश्तकारों को मिले, तभी काश्तकारों का भला होगा।

अभी जो साख सीमा है, वह काश्तकारों की डेढ़ लाख-दो लाख तक की साख सीमा है, लेकिन साख सीमा में अभी जो ऋण दिये गये वह 50-60 हजार से ज्यादा के ऋण नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि साख सीमा के अनुसार ज्यादा नहीं करें तो कम से कम एक लाख रुपये तक के ऋण तो काश्तकारों को मिलें ताकि वे इस महंगाई के दौर में अपनी खेती को समय पर बो सकें, जिसका लाभ प्रदेश को भी मिले और काश्तकार को भी मिले।

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

गोदाम की जो बजट में अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, अन्न भंडारण का, बहुत जरूरी है भंडारण के गोदाम बनना। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो भी मांग है, मेरे बरडौद और डूंट्या दोनों ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर हैं, उनके ऊपर सहकारिता के गोदाम नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी को मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में सहाड़ा विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जिसकी सभी ग्राम पंचायतों पर सहकारी समितियां हैं और सबसे मजबूत और सबसे अच्छा काम सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की सहकारी समितियां कर रही हैं। उन कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह व्यवस्था की। सहाड़ा विधान सभा इसमें माडल के रूप में है।

मेरा सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में, जब सभी जगह सहकारी समितियां हैं,1000-1500 की आबादी के बड़े कस्बे हैं, ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं, उनमें भी गोदाम की व्यवस्था की जाए। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर जितने भी गबन व घोटाले हो रहे हैं, उसके पीछे मेरा एक लोजिक है, मेरी सोच, मेरी समझ है, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्थापकों पर न तो बैंक का कंट्रोल है और न कोई राज्य स्तर का कंट्रोल है, न कोई ट्रांसफर पालिसी है, न कोई व्यवस्था है। मंत्री महोदय, आप व्यवस्थापकों का कैडर बनाकर राज्य व जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था करें, ताकि इन लोगों पर लगाम लगाई जा सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): काश्तकारों का काम सही समय पर हो सके।

श्री सभापति: विराजिए। खुशवीरसिंह।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): साहब, अभी बोलने तो दो।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, प्लीज। खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय सहकार नारे के साथ मैं मेरी बात प्रारम्भ करूंगा। मंत्री महोदय, इस बार फसल पक कर तैयार हो गई है और किसान को वह मूल्य अभी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको जल्दी ही खरीद की पुन: तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, पिछली बार पाली ज़िले के जैतारण में, पूरे प्रदेश के लिए एक कलंक साबित हुआ था, मूंग खरीद में इतना बड़ा घोटाला हुआ।

(श्री खुशवीरसिंह)

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार नवम्बर में जैतारण में मूंग खरीद की जा रही थी। उसके अंदर क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई, उसके लिए हैंडलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का एक फ़र्म को ठेका दिया गया। वह फर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल एक प्रतिशत भी नहीं कर पा रही थी। चलो कोई बात नहीं, आनन-फानन में जरूरत थी, मूंग खरीदना आवश्यक था, कोई मिला नहीं, आपने दे दिया, वहां तक तो सही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां किसानों के साथ में 500-500 व 1000-1000 रुपये वसूल हो गये, वहां प्रारम्भ हो गया और कहा कि तेरे मूंग पास करवाने के लिए है, नहीं तो मूंग रिजैक्ट कर दिए जाएंगे। किसानों ने उसके लिए शिकायत भी की, वह भी कोई बात नहीं। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर हम देखते हैं तो जो मूंग खरीदे गये, कई किसानों के साथ, इसमें तीन तरह का घोटाला हुआ, थ्री डी। पहला तो मूंग का पैसा कई किसानों के खाते में चला गया, किसानों का मूंग सीधा बाजार में बिक गया, क्योंकि उस समय बाजार की कीमत ज्यादा हो गई थी। जोधपुर व अन्य मण्डी से घटिया किस्म का मूंग व कचरा लाकर उसकी जगह डाल दिया गया। मंत्री महोदय, यह शाश्वत सत्य है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ, वह घटिया कचरा लेकर आए, उस कचरे में भी लाने वालो ने देखा कि लूट मची है, तो हम भी बीच में लूट कर ले और 10-10 किलो, 15-15 किलो, 50 किलो में से और निकाल लिए गये। यह दुर्भाग्य है, इसकी शिकायत हो चुकी है। मंत्री महोदय, आप एसीबी के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाएं। आपके रजिस्ट्रार तक को शिकायत दे दी गई थी, लेकिन किसी के भी कान पर जूं नहीं रेंगी, यह दुर्भाग्य है। करोड़ों रुपये का मूंग घोटाला हुआ है। आज भी तीन से चार हजार मूंग के बैग कम है। उन्होंने क्या किया, अब वहां की समिति के ऊपर डाल दिया, आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं, क्रय विक्रय सहकारी समिति को, उन्होंने उनके खाते में डाल दिया। जो भी कचरा पड़ा है, घाटा जाएगा तो वह क्रय-विक्रय सहकारी समिति को जाएगा।

मंत्री महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मगरा में कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, पिछली बार सरकार ने लोन माफ किया, कइयों के तो दो लाख से भी अधिक, जो ब्याज था, 2 लाख 25 हजार तक भी लोन माफ हुए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मगरा क्षेत्र में 4-5 जीएसएस हैं, उन जीएसएस के करीब 1800-1900 खाते हैं।

(श्री खुशवीरसिंह)

1800-1900 में से इस बार उनके रैगुलर खाते मात्र 9 प्रतिशत थे, बाकी 91 प्रतिशत खाते ओवरडयू थे। अवधिपार खातों को अब तक लोन नहीं मिल पाया है। ऋण वितरण प्रणाली अवधिपार किसानों के खाते ब्लाक कर दिये गये, उनका आधार कार्ड ब्लाक कर दिया गया। मंत्री महोदय मैं चाहूंगा कि आप वापस उनको रेगुलराइज करके, आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाए।

मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति को ऑनलाइन करने के लिए निवेदन करना चाहूंगा। ग्राम सेवा सहकारी समिति लगभग सभी आफलाइन हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको ऑनलाइन करवाएं आनलाइन से जो राशि आने वाली है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे गांव में स्टेट बैंक आफ इंडिया है, आधा-आधा किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, एक ही बैंक है, बैंक वाले उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सभी जगह है, एक जगह की ही बात नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि जीएसएस को आनलाइन कर दिया जाए ताकि नरेगा का भुगतान है, आपके द्वारा लोन किये जाते हैं, और भी सभी तरह के भुगतान, जब आनलाइन हो जाएगा तो सुविधा होगी। आज आपकी बैंक ऐसी बैंक है जो किसी तरह की भूमि अधिग्रहण नहीं करती है, यह एक बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद आपका जो स्टाफ है, हर स्टाफ हुड़ला साहब ने बताया वैसा नहीं हो सकता, अपवाद स्वरूप जरूर है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी मजबूत है, 1949 से जो कोआपरेटिव बैंक चल रही हैं, उनके माध्यम से आज बिना मोर्गेज किए जो राशि है वह वसूल करते हैं, उनके व्यवहार से। वसूल करने के बाद वापस बैंक में जमा भी होती है। सरकार समय-समय पर माफ भी करती है। ऑनलाइन होने के बाद तनख्वाह, समितियों का खर्चा, वह भी उनके माध्यम से होगा।

आज आपका स्टाफ है, वह स्टाफ आज न तो बैंक का रहा है, न ही सरकार का रहा है, मैं चाहूंगा कि उस स्टाफ के लिए भी आप ठोस व्यवस्था करें। बैंक का एक कैडर तय कर दें। या तो आप उनको बैंक कर्मचारी मान लें। वह इतना विश्वसनीय काम कर रहे हैं, इतनी रिस्क लेकर काम कर रहे हैं, उनको बैंक कर्मचारी माना जाए।

मंत्री महोदय, मैं कुछ पर्यटन के सुझाव देना चाहूंगा। पर्यटन ऐसा उद्योग है, हालांकि बोलचाल की भाषा तक ही उद्योग है, उसको अभी तक उद्योग में माना नहीं गया है। मंत्री महोदय, पर्यटन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह नोन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के

(श्री खुशवीरसिंह)

माध्यम से इस प्रदेश के अंदर एक प्रतिशत प्रदूषण भी कहीं नहीं फैल रहा है। जीरो इन्वेस्टमेंट पर आपको कहीं भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में इस इंडस्ट्री की इतनी बड़ी संभावना है, उसमें 80 प्रतिशत आपकी हेरिटेज प्रोपर्टी है, इसके माध्यम से इंडस्ट्री में संभावना है। राजस्थान में आपको हर चीज मिल जाएगी, डेजर्ट मिल जाएगा, माउण्ट आबू मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। ईको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, यह सभी संभावनाएं हैं। लेकिन मैं एक ही शब्द में मेरी बात कहना चाहूंगा कि आपका विभाग, आप बाधक मत बनें। आप बनो तो उनके साथ में साधक बनें। पिछली बार उनको हेरिटेज, छोटी-छोटी प्रोपर्टीज थीं, उनके लिये एक लाख 10 हजार रुपये पर टैक्स लगाया गया। जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके ऊपर भार था। इस बार बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिये गये। वे बंद हो गये। यह ऐसी सैंसिटिव इंडस्ट्री है, स्मोक सैंसर जिस तरीके से होता है, थोड़ा स्मोक लगते ही सायरन बज जाता है, उसी तरह से इसके कभी कोरोना का सैंसर काम कर लेता है, कभी आतंकवादियों ने एक बम फोड़ दिया तो यह इंडस्ट्री एकदम बंद हो जायेगी, कभी बर्ड फ्लू आ गया तो इस इंडस्ट्री पर असर पड़ जाता है। तो अनेक सारी बाधाएं प्राकृतिक रूप से हैं। लेकिन, मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप साधक बनें। इस इंडस्ट्री को कोई भी किसी तरह की, उनको बजट देने की आवश्यकता नहीं है। आप बनें तो साधक बनें और इनके लिये हर तीन माह में उनके साथ बैठकर मीटिंग करें। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप बैठकर मीटिंग्स रखें और उनसे पूछें कि उनको क्या समस्याएं आ रही हैं।

सभापति महोदय, यह इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। हमारी जितनी भी काटेज इंडस्ट्रीज हैं, हमारी आर्ट, हमारी कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। हमारे जितने भी आज देशी नस्ल के घोड़े हैं, देशी नस्ल के मारवाड़ के घोड़े दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं। वे जो घोड़े हैं, उनको आज प्रोटेक्शन, संरक्षण मिल रहा है तो आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिल रहा है, ऊंटों को संरक्षण मिल रहा है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से मिल रहा है। आज अगर जयपुर के हाथी हैं, कुछ देखने के लिये तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से हैं।

दूसरा मैं चाहूंगा, एक गोडवाड़ सर्किट, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिये अपार सम्भावनाएं हैं। हमारे यहां एक रेलवे लाइन है, जो 1932 ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, यहां उधर कोरोना हो सकता है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। प्लीज, प्लीज, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह तो सहकार का भाव है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): ये रात को दवाई लेकर आये हैं, कोरोना नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि 1932 में रेलवे लाइन निकली हुई है, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती थी लेकिन आज वह मीटर गेज रेलवे लाइन है। मैं चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लू लाइन रेलवे है, उसी तर्ज पर यहां मारवाड़ से मावली, मावली से आने वाले विधायक महोदय यहां विराजमान हैं, मारवाड़ से मावली तक इसको एक सर्किट बनाया जाए। इसके माध्यम से मैं और भी कहना चाहूंगा कि गोडवाड़ सर्किट, उसमें अपार सम्भावनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): तो मैं चाहूंगा कि गोडवाड़ को भी शामिल करते हुए, मंत्री महोदय, उसमें आपको किसी तरह का बजट देने की आवश्यकता नहीं है, सम्भावनाएं तलाशने की जरूरत है। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 47 पर्यटन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, उप नेता, प्रतिपक्ष और समस्त जो वरिष्ठ सदस्यगण हैं, उन्होंने सहकारिता के बारे में लम्बी-चौड़ी आमूलचूल सारी बातें कही। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि सहकारिता का जो मूल मंत्र है, कि 'एक सबके लिये और सब एक के लिये', और जो लोगो है, एक हाथ से हाथ मिलाये हुए, लेकिन आज स्थितियां, यदि हम धरातल पर जाएं तो ये दोनों हाथ कहीं न कहीं किसान के गले की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिये मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले इसकी जो धुरी है, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक सहकार का जो सपना, सहकार आन्दोलन चलाने वाले हमारे महान लोगों के सहकारिता के प्रति जो विचार थे, वह आन्दोलन कभी कामयाब नहीं हो पायेगा।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, अभी कई वक्ताओं ने पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं की मजबूती की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं यहां हमने, क्योंकि पार्टियां चाहे कोई-सी भी हों, यहां जो चुनकर आये हैं उनमें से 95 प्रतिशत लोग किसान और सहकारिता के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि पंचायती राज और सहकारिता की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसको मजबूत करने की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये दोनों तंत्र कमजोरी की तरफ जा रहे हैं।

अभी पिछले खूब दिनों से सब लोग देख रहे हैं कि पंचायती राज चुनावों को लेकर क्या हालात इस प्रदेश के अन्दर बने। उसके बाद सहकारी तंत्र की यदि मजबूती की हम बात करें तो जब तक सहकारी तंत्र के जी.एस.एस. से लेकर, प्राथमिक भूमि विकास बैंक से लेकर, और सारे सहकारी तंत्र के जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक इसके अन्दर हम जो आशातीत सफलता की उम्मीदें हम कर रहे हैं, उसमें हम कभी कामयाब नहीं हो पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप चाहें तो पिछले 20 साल के आंकड़े उठाकर देखिये। किसी भी सहकारी संस्था के अन्दर जब-जब चुने हुए बोर्ड ने वहां काम किया तो निश्चित तौर पर वह सहकारी समिति विकास की ओर अग्रसर रही और जब-जब प्रशासक लगे, तब-तब वह घाटे में गई। इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। इस पर हमें मंथन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सहकारी संस्थाओं के सबसे पहले यदि हमने चुनाव नहीं कराये तो यहां सदन के अन्दर खाली भाषण दे देंगे, लोग सुन लेंगे और यह सोच लेंगे कि सहकारी तंत्र मजबूत हो गया। इसके अन्दर मूल भावना यही मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि सबसे पहले सहकारी संस्थाओं के चुनावों के बारे में अतिशीघ्र घोषणा, यहां जब भी आप इसका रिप्लाई दें, तब सहकारी संस्थाओं के चुनावों की आप घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि सहकारी तंत्र से ही चुनकर आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के इस सदन में मुझे आने का मौका मिला। सहकारिता के मुख्य उद्देश्य, सहभागिता, कृषक कल्याण, शुद्धता और कालाबाजारी को रोकना, अभी निरोगी राजस्थान पर भी बहुत बड़ी चर्चाएं हुईं शुद्ध के लिये युद्ध की भी बहुत बड़ी बातें हुईं। लेकिन आप इन सब चीजों

(श्री नारायण बेनीवाल)

को, खाद्य वस्तुओं से लेकर आम उपभोक्ता की वस्तुओं को यदि आप सहकारी तंत्र से ढंग से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्धता की ओर अग्रसर होंगे। इस बात को ध्यान में रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आज सहकारी तंत्र की जो जड़ है, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उसमें पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। चाहे ऋण वितरण की बात हो, हम कर्ज माफी की बात करते आये हैं। अस्सी के दशक से कर्ज माफी की बातें इस देश के अन्दर हुईं और जो हर चुनाव आता है तब सबसे पहले मतदाताओं को आकर्षित करने का सबसे बड़ा फैक्टर लेकर आते हैं, कर्ज माफी। लेकिन आखिर हम ऐसे किसान की कल्पना करना कब शुरू करेंगे, जब उसको ऋण लेने की आवश्यकता नहीं हो? हम किसान, जो कृषि प्रधान देश होने की बात करते हैं, वह समय कब आयेगा जब इस देश में कृषक प्रधान देश बनाने के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे? जिस तरह एक सैन्य सिस्टम के अन्दर एक सैनिक की सबसे बड़ी भूमिका होती है, हम उसी का मान-सम्मान करते हैं, उसी तरह से इस देश में जब कृषक का सम्मान होना शुरू हो जायेगा उस दिन निश्चित रूप से सहकारिता के जो सपने हमारे बुजुर्गों ने देखे, वे कहीं न कहीं जरूर उनके ऊपर हम सब सफल होंगे।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि एक तो सहकारी संस्थाओं को आर.टी.आई. के दायरे में लाया जाए। आज कई संस्थाओं में कर्ज माफी के नाम से बहुत बड़े घोटाले हो गये। कहीं कोई कह रहा है मैंने लोन उठाया नहीं, फिर मेरा माफ कैसे हो गया। लेकिन जब व्यक्ति आवेदन लेकर उस संस्था में जाता है तो वहां से उत्तर यह मिलता है कि कोई भी सहकारी संस्था आर.टी.आई. के दायरे में नहीं है। तो, सबसे पहले तो हम जीरो टोलरेंस की बात करें और फिर सहकारी तंत्र इतना बड़ा तंत्र है, तो इसको सबसे पहले आर.टी.आई. के दायरे में लाने की मांग मैं मंत्री महोदय से करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि आदान और फसली प्रदर्शन जितने भी आ रहे हैं, उनके अन्दर भी ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बीज उपचार की जो चीज है, वह किसान के फसल पकने के बाद आती है। आखिर इस सिस्टम को हम कब सुधारेंगे? इस सिस्टम के बारे में हमें सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं आज महसूस कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृषि मंत्रीजी भी सदन के अन्दर विराजमान

(श्री नारायण बेनीवाल)

हैं, उधर पर्यटन मंत्रीजी भी विराजमान हैं, आपस में ऐसा सामंजस्य करके, और आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं, और हम भी किसान परिवार से आते हैं, एक ऐसा माहौल हम यहां पैदा करें कि कृषि आदान जो भी मिले वह किसान को सीधे खाते के अन्दर उसकी सहायता राशि मिले, तब जाकर किसान कल्याण की हमारी बात कहीं न कहीं भलीभांति पूर्ण हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, अन्य जो भी सहकारी संस्थाएं हैं, आज हम दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाओं की बातें करें, चाहे प्राथमिक भूमि विकास बैंक की बात करें, चाहे आप सी.सी.बी. की बात करें, चाहे उपभोक्ता भण्डार की बात करें, सारे के सारे, आज स्थिति यह है, माननीय सभापति महोदय, कि आज जो 25 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, वे तेजी से घाटे की ओर अग्रसर हैं। हमारे जो 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं, वे भी तेजी से घाटे की ओर अग्रसर हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा केन्द्र की योजनाओं को, एम.एस.पी., की जो खरीद योजना है, समर्थन मूल्य की, उससे कहीं न कहीं सारे के सारे जो के.वी.एस.एस. हैं, वे कहीं न कहीं लाभ की स्थिति में आये हैं। बाकी हमारे जो परंपरागत कार्य थे के.वी.एस.एस. के वह भी अब, माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, कभी अग्रिम भंडारण के नाम पर, कभी इफको ने डाइरेक्ट अपनी-अपनी दुकानें गांवों के अंदर तक खोल लीं, तो फिर सहकारी संस्थाएं काम क्या करेंगी? इस पर भी कोई न कोई बड़ी ठोस कार्ययोजना बनाने की मैं आवश्यकता महसूस करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो आज तक एक परंपरागत जमीन को मोर्गेज करके कृषि यंत्रों को खरीद लो, यह कर लो, उसी पर लोन देती आ रही है, हमें इसके अंदर सहकारी संस्थाओं में नवाचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज दूसरी जो व्यावसायिक बैंक्स हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, दो मिनट में। अन्य जो व्यावसायिक बैंक्स हैं, वह शिक्षा ऋण की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं तो कोई न कोई ऐसी कार्ययोजना इस पर भी बने।

माननीय सभापति महोदय, आई.सी.डी.पी., समग्र सहकारी विकास परियोजना आई। उसका बहुत अच्छा उद्देश्य था। गांव-गांव के अंदर हर

(श्री नारायण बेनीवाल)

जी.एस.एस. पर दस-दस लाख के गोदाम अनुदान से बना दिये लेकिन आज उनका उपयोग कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि के.वी.एस.एस. के मार्फत जब आप समर्थन मूल्य पर खरीद करते हैं तो उनके भंडारण की कहीं न कहीं व्यवस्था, वहां उन गोदामों में आप कर सकते हो ताकि उस पैसे का, जो किराया है वह संबंधित जी.एस.एस. को मिले और उसके पैसों से वह अपना जो लोन है, उसकी वह भरपाई कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे समस्त के.वी.एस.एस. हो, चाहे वह जी.एस.एस. हो वहां पर स्टाफ स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी कमी है, उसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना बने और मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि दस-पन्द्रह साल से लगातार सहकारी संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों के नियमितीकरण का कोई न कोई प्रस्ताव सरकार लाये ताकि वह लोग और अच्छी तरीके से वहां पर काम कर सकें।

उपभोक्ता होलसेल भंडार में, हर जिले के ऊपर एक महिला उपभोक्ता होलसेल भंडार की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। जब भी ऐसे विचार लोगों के आते हैं तो कहीं न कहीं हर जिले के अंदर महिला उपभोक्ता होलसेल भंडार की स्थापना हो और जो मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन पर तेजी से लगाम लगाएं क्योंकि इनके अंदर सहकारी सिस्टम तो लिखा हुआ होता है पर तेजी से इन संस्थाओं के प्रति उदासीनता का रवैया जो आम आदमी के अंदर है, उसका सबसे बड़ा रोल इनका है, तो इनके ऊपर कहीं न कहीं ठोस कार्ययोजना की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, अभी कर्मचारियों के पदस्थापन की बात कर रहे हैं। अभी यह अख़बार के अंदर आया कि अर्बन बैंक गबन मामले में जिस इंस्पेक्टर को संदिग्ध मानकर ए.पी.ओ. किया, अब उसी को ए.ओ. लगाया और एम.डी. का भी चार्ज दे दिया, तो यह कितनी बड़ी बात है? एक तरफ तो हम जीरो टोलरेंस की बात कर रहे हैं। अभी माननीय श्री खुशवीरसिंह जी बता रहे थे जैतारण का मामला लेकिन जैतारण के मामले में यह सही बात होनी चाहिए कि कहीं हमने ऊपरी दबाव से मिसहैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट का ठेका जिस व्यक्ति को दिया, हो सकता है कि कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में बैठे लोगों का यह मानना हो कि उसको फायदा पहुंचाना है और बलि का बकरा कोई सहकारी संस्था का व्यक्ति बन जाए, तो ऐसे मामले में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि कोई ठोस कार्ययोजना बने।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी। विराजिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर में भी सभी जी.एस.एस. को अल्पकालीन ऋण समय पर उपलब्ध हो।

सर, एक माननीय मंत्रीजी से यह मांग करूंगा कि खींवसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति अपने मुख्यालय से नागौर कृषि मंडी तक एक ए.सी. लो-फ्लोर बस चलाना चाहती है, तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह नवाचार भी है और लोगों में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और पर्यटन मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं तो खरनाल और आस-पास का जो एक टूरिज्म सर्किट है, उसके अंदर सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी कोई घोषणा सदन में जरूर करें ताकि एक मैसेज यह जाए कि सहकारिता का हमारा जो मूल मंत्र था, किसान लोग यह सोचें, मंत्रीजी, आप किसानों को यही मैसेज दें कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 36 और 47 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार मुझे सवा मिनट में ही आपने बैठा दिया था तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा संरक्षण करें, मुझे आप समय दें।

श्री सभापति: आप समय का सदुपयोग करें। आपके बीच में इस तरह से बोलने से घड़ी बंद नहीं होगी, आप समय का सदुपयोग करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव संस्थाओं के कई सालों से चुनाव नहीं हुए हैं और चुनाव के लिए मेरी यह प्रार्थना है कि उनका डिपार्टमेंट ही यह चुनाव कराता है, उससे अलग से एजेंसी बनाकर वह एजेंसी चुनाव कराए तो उसकी सुविधा हो जाएगी।

हमारा उदयपुर का उपभोक्ता भंडार उत्तर भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता भंडार है। वहां पर 15 साल से चुनाव नहीं हुए हैं और कोर्ट में स्टे के नाम पर, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्टे में सारे कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं, वह नहीं चाहते कि चुनाव हो, इसको आप देखें।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

सभी जगह पर आपने प्रशासक बैठा रखे हैं और प्रशासक बैठाने के कारण हमारी जो मूल सहकार की भावना है, वह समाप्त हो गयी है। जिस आदिवासी क्षेत्र से मैं आता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में हमारे किसी आदिवासी भाई के घर पर कोई मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर सब अपने घर से गेहूं ले जाकर देते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपका पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और उसके बाद सारी संख्या की गिनती होती है कि कितने लोग आये हैं। चार-चार बाटी सबको रखी है और बाटी कम पड़ गयी तो तीन-तीन दे देते हैं, एक-एक बाटी उठा लेते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र है, आदिवासियों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, मेरा आपसे यह निवेदन है।

इस संबंध में एक और निवेदन है कि क्रेडिट सोसाइटीज जो लोगों का पैसा खाकर बैठी हुई है, तो उसके लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है क्योंकि सामान्य उपभोक्ता का क्या कसूर है और उसके कारण आज वह उपभोक्ता, कंज्यूमर जिसने पैसा जमा कराया, वह आज मरने की स्थिति में है, तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उसको भी आप देखें।

दूसरा, माननीय पर्यटन मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं। राजस्थान का कण-कण, मुझे ऐसा मानना चाहिए कि यहां की मिट्टी में, संस्कृति में और हमारे संस्कार एक-एक क्षेत्र में, मैं गुजरात का आपको निवेदन करूं कि गुजरात में पर्यटन की दृष्टि से कुछ भी नहीं है उसके बाद भी यानी, बदंरगाह और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वहां के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, जो कि अब देश के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने रेत में और अमिताभ बच्चनजी को आगे करके कहलाया कि एक रात तो गुजारिए गुजरात में, जिन्होंने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो हमारी राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था सारी पर्यटन ही कर सकता है, ऐसा हमको करना चाहिए क्योंकि हमारा उदयपुर, हमारे भारत के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंहजी की शिमला में वार्ता थी और शिमला में बर्फ गिर गयी, वहां पर हवाई जहाज जा नहीं सकता था, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री आये थे। आज वार्ता कैंसिल हुई और वार्ता कैंसिल होने के बाद वार्ता देश में कहां पर की जाए, तो उसके लिए उन्होंने उदयपुर को चुना और उदयपुर में वार्ता हुई, ऐसा प्रसिद्ध स्थान उदयपुर में है,

(श्री धर्मनारायण जोशी)

इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उदयपुर में सम्पूर्ण चीज है। कई बार मैं राजस्थान से बाहर जाता हूं तो लोगों को यह कहता हूं कि उदयपुर में हमको भगवान ने बर्फ के अलावा सब दिया है। यानी, हमारे वहां पर बर्फ नहीं गिरती है अन्यथा सारी चीजें उदयपुर में हैं। प्रताप स्मारक, मोती मगरी, फतेह सागर, पिछोला, महाराणा ने व्यवस्था की है पर्यटन की दृष्टि से, एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, कहीं पानी, माननीय सभापति महोदय, वेस्ट नहीं होता है और वहां की जयसमन्द झील जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यानी, इतनी विकास की संभावना वहां पर हैं। राजसमन्द की झील, यह सारे आप देख सकते हैं तो मेरी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि यह धार्मिक सर्किट बनाया जाए और ऐतिहासिक स्थल का सर्किट भी बनाया जाए क्योंकि प्रतापगढ़ में गोतमेश्वर, यहां पर मंत्री महोदय बैठे हैं सहकारिता मंत्री माननीय अंजना साहब, आपको आश्चर्य होगा कि अंजना साहब ने अपना घर आपको नहीं दिखाया होगा, माननीय सभापति महोदय, इनके घर के पास में भंवर माता का मंदिर है, भंवर माता का मंदिर, मैं यह सोचता हूं कि किसी आदमी ने कैम्प्टी फाल का झरना देखा होगा तो वैसा झरना इनके घर के पास में गिरता है। गोतमेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, मैनाल का झरना है, भीलवाड़ा में बिजोलिया में, हमारे यहां पर केलेश्वर महादेव का मंदिर है, आज भी पचास फीट ऊंचा झरना गिरता है, ऐसी पर्यटन की संभावना है अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो आवरी माता, सांवलियाजी, श्रीनाथजी, द्वारकाधीश, भगवान एकलिंग नाथ, यहां पर कृषि मंत्री विराजमान होंगे, माननीय कटारिया साहब ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, एकलिंग नाथ के वहां पर मछली का ठेका था, सदन में उन्होंने यह घोषणा की कि मैं उस ठेके को बंद करवाता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मां त्रिपुरा सुंदरी, भगवान केसरियाजी का मंदिर है, द्वारिकाधीश है, मातृकुंडिया है और कुंभलगढ़ में, मुझे यह आश्चर्य होता है, आप कभी कुंभलगढ़ पधारें, बादल महल जो बादल से मिला हुआ है, वन विभाग का डाक बंगला, फोरेस्ट हाउस है, वह ऐसा जोरदार बना हुआ है, परसराम महादेव बिलकुल नीचे हैं, भारी जंगल है, ऐसी स्थिति मैं यह सोचता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ स्थान हो सकता है। वेणेश्वर धाम और घोटिया आंबा एक ऐसा स्थान है, जहां पर पांडव अज्ञातवास में आये थे। पिछली सरकार ने वहां पर 10 करोड़ रुपये देकर उसको डवलप किया है। गोविंद गुरु का स्थान है

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मानगढ़ धाम, मैं सोचता हूं कि जलियांवाला बाग़ में जो बहुत बड़ा कांड हुआ उससे भी बड़ा कांड मानगढ़ धाम में हुआ। आदिवासी भाइयों ने आजादी के लिए वहां पर बलिदान दिया। ऐतिहासिक चित्तौड़ का किला, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ का किला, संसार में ऐसा किला नहीं होगा, जैसा कुंभलगढ़ का किला है, जहां महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। मेरी आपसे प्रार्थना है हाड़ी रानी सलूम्बर की, सीता माता का मंदिर, धरियावद के पास, बड़ी सादड़ी और माननीय मंत्री महोदय का चुनाव क्षेत्र है, उसके पास सीता माता के मंदिर में आज भी दो कुंड बने हुए हैं। एक में गरम पानी निकलता है, दूसरे में ठंडा पानी निकलता है आज भी, माननीय सभापति महोदय, ऐसे श्रेष्ठ स्थानों को डवलप किया जाए। महाराणा प्रताप का गोगुन्दा, अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है। पन्नाधाय, यहां माननीय हुड़ला जी हैं नहीं अभी, हुड़ला जी के क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, आपके भी पास में है वह महाराणा सांगा की समाधि, जिसने अपना सिर कटाकर, जिनके शरीर पर 80 घाव लगे और वह महाराणा सांगा लड़ता रहा। उनकी वह समाधि आज भी डवलप नहीं हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको डवलप किया जाए। मेवाड़ के संत बावजी चतुर सिंहजी, मैंने प्रश्न किया था बावजी चतुर सिंहजी की समाधि को डवलप किया जाए, मुझे उनका उत्तर मिला कि हमारे यहां इनका नाम नहीं है। नाथद्वारा में महात्मा भूरी बाई संत हुई है, डूंगरपुर में काली बाई, जो आजादी के आन्दोलन में स्वयं समाप्त हो गयी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस स्थान को भी डवलप किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे खुशवीरजी ने एक बात उठायी थी, उदयपुर से मारवाड़ छोटी लाइन चलती है और जबरदस्त पर्यटन स्थल है। हमारी वहां की एम.पी. साहब से बात हुई कि उस रेल लाइन को यथावत् रखा जाए। सात दिन का पैकेज दिया जाए और लोगों को वह स्थल बताया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अंतिम एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं कि यह जो पेइंग गैस्ट है, यह जिस प्रकार से ब्रहमा जी के पवित्र स्थान को, पुष्कर जी को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है, मेरी आपसे प्रार्थना है उदयपुर में पेइंग गैस्ट व्यवस्था चालू हुई है, पेइंग गैस्ट के कारण आने वाली पीढ़ी में काले के गोरे बच्चे पैदा हो गये और गोरे के काले बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है इस पर रोक लगायी जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है इस प्रकार

(श्री धर्मनारायण जोशी)

धार्मिक और यह जो ऐतिहासिक स्थल है, सर्किट बनाकर इसको डवलप किया जाए तो हमारे राजस्थान की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था केवल पर्यटन पर आधारित हो सकती है और हम चल सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36 सहकारिता और 47 पर्यटन, दोनों ही विषय एक किसान का है और ग्रामीण क्षेत्र और शहर सभी से जुड़ा हुआ यह विषय है और सहकारिता, जहां तक यह विषय सम्पूर्ण रूप से किसानों का है। किसान के लिये बड़े-बड़े दावे तो सभी कर देते हैं, लेकिन किसान की जो व्यथा है, उसे समझकर नीति और नियम बनें सरकार में, उसके खेत-खलिहान, झोपड़ी और घर को ध्यान में रखकर कोई नीति बने तो ही उसे कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि किसान की व्यथा बहुत भारी है। मैं धन्यवाद दूंगी राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को, कि उन्होंने कृषक कल्याण कोष, किसान पेंशन जारी करके एक किसान को राहत प्रदान करने का काम किया। सहकारी समितियां जिन-जिन ग्राम पंचायतों में नहीं हैं, जो वंचित हैं, वहां पर खोलने की आवश्यकता है जिससे कि समय-समय पर किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके और महिला सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये महिला सहकारी समिति बनाने की भी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण सहकारी समितियों में जिनमें आडिट हुई है, जांच हुई है और जो दोषी पाये गये हैं, उन पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है, क्योंकि लाखों-करोड़ों में जो किसान के हक का पैसा है, वह किस तरह से गबन के जरिए कुछ लोग खा जाते हैं। इन पर एक सख्त कार्यवाही हो और उसे निरस्त किया जाना चाहिए, जिससे आगे से कोई इस तरह की कार्यवाही नहीं करे। जो सहकारी समितियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनका नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। वेयर हाउस गोदाम, जो बड़ी पंचायत है, वहां पर बनाने की आवश्यकता है।

अभी जहां पर ओलावृष्टि हुई है, जैसे नारायणपुर ब्लाक में मुंडावरा, बामनवास, कांकड ग्राम पंचायतों में और आस-पास के सभी गांवों में इतनी अत्यधिक ओलावृष्टि हुई है कि सरसों, चना और गेहूं की एक भी बाली सेफ नहीं है, फसल तो दूर की चीज है, तो उसका अधिक से अधिक गांव वालों को

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मुआवजा मिले, क्योंकि यह बम्पर फसल जो नष्ट हो गयी, किसान उसी फसल पर निर्भर रहता है। किस तरह से तो वह अपने बच्चों की फीस जमा कराये या बिजली का बिल जमा करायेगा? माननीय सभापति महोदय, इसके लिये मैं मंत्री महोदय से आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगी कि इनका कम-से-कम एक वर्ष का बिजली का बिल माफ होना चाहिए और जो इनको मुआवजा मिलता है, वह मुआवजा भी न के बराबर मिलता है, उसकी राशि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक बीघा में किस तरह से कितनी फसल होती है, कम से कम उसका आधा भी मिल जाए तो कुछ तो राहत मिलेगी। एक हैक्टेयर पर साढ़े 13 हजार रुपये भी अब किये हैं। नहीं तो पहले तो बहुत कम राशि थी। इस राशि को और बढ़ाया जाए जिससे कि किसान को परेशानी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, अगर किसान का भला चाहते हैं सहकारी समिति के जरिये तो जिस तरह से यह बीज और कोआपरेटिव सोसायटी के जरिये लोन, इस तरीके के जो काम करती है, इसके साथ-साथ अगर किसान को सम्बल बनाना चाहें, खेती, बिजनेस, किसान बने, तो इसके लिये किसान की जो फसल है, उसका मूल्य निर्धारण भी उसकी लागत के आधार पर जिस दिन से होने लग जाएगा, माननीय सभापति महोदय, स्वयं वह तय करे। जैसे कि अभी बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसका मूल्य उस पर निर्धारित होता है कि इतनी लागत, इतना मूल्य होगा तो क्यों नहीं किसान की फसल पर भी, किसान की सब्जी पर भी सहकारिता के जरिये, सहकारी समिति के जरिये यह चीजें क्यों नहीं निर्धारित हों? प्रत्येक तहसील स्तर पर, चाहे गांव स्तर पर या पूरे राजस्थान में एक नीति लागू होनी चाहिए कि किसान को सहकारी समिति के जरिये अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार हो, जिससे कि उसका विकास और उत्थान तभी हो सकता है अन्यथा नहीं। जो बड़े-बड़े लोग हैं, अगर किसान एक ट्रैक्टर का लोन ले लेता है तो उस किसान के ट्रैक्टर की कुर्की आ जाती है। यह हम तो अख़बार में पढ़ते रहते हैं, माल्या जैसे जाने कितने लोग हजारों करोड़ खा गये और किसान का जरा-सा कुछ होता है तो कुर्की आ जाती है, ब्याज पर ब्याज डबल करके भेज देते हैं। इनको राहत देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, सहकारी समितियों के जरिये एक यह जो बाहर के लोग आकर खेती करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं और उनमें वह कितना रासायनिक खाद डालते हैं, तो समिति के जरिये जो अपने व्यवस्थापक हैं,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उनको यह निर्देशित करें कि वह उसकी जांच करें अन्यथा मैं यह मानती हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके में जहां पर यह खेती होती है, वह बांग्लादेशी हैं, भगवान जाने कहां के हैं, जब वह सब्जी और खेती करके चले जाते हैं तो वह चारा अगर जलाकर नहीं गये और उसमें भेड़-बकरी चली गयी तो सारी की सारी मर जाती हैं, एक भी जीवित नहीं बचती हैं। यह किस तरह से बीमारी, पूरा राजस्थान एक दिन यह बीमारू राजस्थान बन जाएगा अगर इन फसलों और सब्जियों की जांच नहीं हुई। सहकारी समिति के व्यवस्थापक को इस बात के लिये निर्देशित करें कि जहां-जहां पर ऐसी खेती होती है उसमें कितना रासायनिक खाद डाला जाता है, दवाएं डाली जाती हैं और जांच के बाद ही वह फसल और सब्जी बाहर बिकने के लिये आनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है आप और हम यहां बैठे हैं, चाहे पत्रकार बैठे हैं, नेता, अधिकारी बैठे हैं कि किसी न किसी का, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा अन-टच नहीं है कि किसी को कैंसर की गंभीर बीमारी नहीं हो। हमारे उस इलाके में मैंने यह देखा है कि जो इधर का इलाका है, जहां पर ऐसी खेती नहीं होती, वहां कम है। वहां पर एक-दो के बराबर है और इधर का जो इलाका है हरसोरा रूट, जहां पर यह खेती किराये पर दी जाती है, उसमें अधिकतम गांवों में बहुत अधिक लोग, एक -एक गांव में दस-पन्द्रह लोगों की मृत्यु हो रही हैं, तो इसके लिये भी सहकारी समितियों के व्यवस्थापक को जिम्मेदारी दे करके जांच करवाने का कष्ट करें और ऐसे लोगों को नहीं दें।

सभापति महोदय, किसानों के बच्चों को भी अगर शिक्षा के ऋण की व्यवस्था की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सम्पूर्ण कर्जा, और ये फसल के लिए लेते हैं या ट्रैक्टर के लिए लेते हैं, पाइप फव्वारा जो योजनाएं हैं, थ्रेसर आदि जो मशीन काटने की लेते हैं, तो इनके लोन पर सब्सिडी दी जाए, अगर कोई किसान गरीब है तो उसको लोन चुकाने में राहत प्रदान की जानी चाहिए। खरीफ की फसल के जहां बड़े केन्द्र होते हैं और किसान बेचने के लिए आ गया और बाई चांस बारिश हो गई तो उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, उसका नुकसान भी उसे ही भुगतना पड़ता है, तो जहां-जहां इस तरीके के ब्लाक बनाये जाते हैं वहां पर सहकारी समिति के द्वारा गोदाम या टीनशेड बनाकर के किसान को राहत प्रदान करने की आवश्यकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, समितियों द्वारा आसानी से ऋण मिल सके और जो कर्जे की राशि है वो भी बढ़ाई जानी चाहिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा पर्यटन के लिए बोलूंगी कि जो पुराने किले हैं, चाहे बानसूर का किला हो, कूल का कुण्ड हो, तालवृक्ष, शीतलनाथ, गरवाजी, सिलीसेढ, जयसमंद, अलवर का जलाशय सागर, भर्तृहरि, पांडुपोल यहां इतनी अच्छी जगह हैं, इनका सर्वे करा करके उसको डवलप करने की आवश्यकता है, इससे सरकार को भी इनकम होगी और ये बहुत अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में बनें।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जब कोई सरकारी काम हो, वन क्षेत्र में जो-जो पर्यटक स्थल हैं जैसे तालवृक्ष है, उसमें अगर बिजली का बल्ब मंदिर में लगायेंगे या गेट टूट गया तो गेट लगायेंगे तो लगाने नहीं देंगे और जो बड़े-बड़े हेरिटेज होटल बने हुए हैं उनके लिए पूरे क्षेत्र में से पोल लगा करके उनको बिजली का कनेक्शन, उनको सड़क की व्यवस्था सारी की जाती है, तो इस तरह के जो हमारे यहां क्षेत्र हैं, हमारे यहां तालवृक्ष है, गरवाजी है, शीतलनाथ महाराज हैं, चाहे पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है और सरिस्का में भी जो सड़क बनाने की परमिशन नहीं है, रणथम्भौर में तो है, तो वहां पर जो भी पर्यटक आते हैं या तीर्थयात्री आते हैं वो सारे रेत में भीग करके जाते हैं, ऐसी जगह पर ऐसी सुविधा हो, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अगर कोई ढाबा खोलते हैं तो उनके प्रति बहुत बड़ी कार्यवाही हो जाती है, सभापति महोदय, उनको छूट दी जानी चाहिए, ऐसे पर्यटक स्थल पर पानी, बिजली, सड़क, शौचालय आदि की अनुमति मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, ऐसा नहीं हो कि जैसे पहले आर.टी.डी.सी. की होटलें, बहरोड़ हो और शाहपुरा बंद कर दी गई, खासा कोठी में क्या हुआ, ये ऐसे स्थल यह बंद नहीं हों। सभापति महोदय, मैं दो लाइन कहना चाहूंगी। अगर किसान का भला चाहें तो मेरा अनुरोध है कि किसान के लिए जो मुआवजा राशि है वो बढ़ाने का कष्ट करें क्योंकि किसान इतना दु:खी है, मैं कल वहां पर दौरा करने गई थी तो लोग बहुत रो रहे थे, उनके कुछ नहीं बचा। मैं किसान की व्यवस्था कहना चाहूंगी,

'धरा रो सीनो चीर हल सूं खेती करिया करै,
यो किसान है मुट्ठी भर बीज सूं मणा धान पैदा करै,
यो किसान ही तो है सौ करोड़ इंसानारो पेट भरै,
फसल बर्बाद होयां रोया करै,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

यो किसान ही तो है गांव और पहाड़ा मैं रह्या करै,

यो किसान ही तो है बैंक, सेठ और साहूकारां के चक्कर काट-काट कर घूम्या करै,

यो किसान ही तो है कन्या रो ब्याव करै तो करजो लिया करै,

यो किसान ही तो है धरा रो सीनो चीर हल सूं खेती करिया करै,

यो किसान ही तो है भगवान भरोसे जिया करै, यो किसान ही तो है।' धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव। माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 36 व 47 पर विचार

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 36 व 47 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, अनुदान की मांगों पर बोलने से पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि शहीदों के कुछ परिजन मुझे विधान सभा आते समय गेट पर मिले उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि वो वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। केवल मेरे अलवर जिले में 11 प्रकरण पैंडिंग हैं और पूरे राजस्थान में अनेकों हैं। शहीद की बात बारहवें तक हर कोई करता है, सरकारें, सब करते हैं, शहीद के परिवार को ऐसे दिखाया जाता है कि उसको हम देवता के जैसे पूजेंगे लेकिन वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए वर्षों से दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उनका निपटारा करे।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में मुझे बहुत ज्यादा तो नोलेज नहीं है लेकिन मुझे कुछ जानकारियां मिलीं, मैं हैरान परेशान हूं। लोग यहां पर बता रहे हैं, मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे सारे अधिकारी भी बैठे हैं। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप किसी पर नहीं करूंगा पर मैं समझ नहीं पाता कि किसी का मन साफ नहीं है या कोई करना नहीं चाहता या कोई दाल में काला है या क्या घोटाला है, समझ ही नहीं पा रहा हूं।

मेरे अलवर में बच्चे-बच्चे को पता है कि सरस डेयरी के अन्दर रोज करीब 10 लाख रुपये का सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है। विधान सभा में भी कई बार यह मुद्दा उठा और जो डेयरी का चेयरमैन है उसको अनियमितता के कारण बर्खास्त भी किया गया। उसके लिए हमें बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, मैं जानता हूं कैसे उसको बर्खास्त किया गया। लेकिन आप इनकी अधिकारियों की बाजीगरी देखिये कि जब उसकी विवेचना की तो चार लाइन में विवेचना कर दी उसके अपीलार्थी के जवाब की और संघ के रिकार्ड की, और ट्रिब्यूनल से उसको स्टे मिल गया। उसको राह दिखा दी जाती है, कि बहुत दबाव आ गया है, बर्खास्त करना पड़ेगा लेकिन इसमें हम यह कमी छोड़ देंगे, आपको वहां से रिलीफ मिल जायेगी, वो वापस आकर के डाकू बन करके और फिर उसके ऊपर, डेयरी के ऊपर कब्जा कर लिया। कोई आदेश में नहीं था कि उसको चार्ज दोबारा दिया जाए लेकिन उसको चार्ज दे दिया गया, सबको ध्यान है, नीचे से ऊपर तक सब लोगों को ध्यान है लेकिन दे दिया गया। अब कौनसी शक्ति दिलाती है, मुझे नहीं मालूम कौन दिलाती है। मैंने ध्यानाकर्षण लगाया तो विभाग के द्वारा जवाब दिया कि अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये 28.08 को बर्खास्त किया गया था 06.12.19 को उसको ट्रिब्यूनल से स्टे दे दिया गया। अभी तक उसकी विवेचना के लिए दिया है, ट्रिब्यूनल ने भी दोषी माना है कि वो धारा 30(2) का दोषी है लेकिन रजिस्ट्रार को विवेचना करके भेजना है पर वो रजिस्ट्रार विवेचना ही नहीं कर पा रहा है और मुझे पता है वो रजिस्ट्रार विवेचना कर भी नहीं पायेगा, यहां पर जो भी रजिस्ट्रार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, वो नहीं कर पायेंगे, कोई भी हैं जो भी।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहरोड़ के अन्दर 10 करोड़ रुपये का कोआपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ, मैंने यहां पर उठाया। अलवर केन्द्रीय बैंक लिमिटेड, अलवर में जो ऋण माफी में घोटाला हुआ, उसके अन्दर पांच कर्मचारियों को सस्पैंड कर दिया गया। इसके ऊपर भी मैंने ध्यानाकर्षण

(श्री बलजीत यादव)

लगाया, जवाब आया और उसमें बताया गया, मैंने बताया, अजीब सा जवाब आया, सभापति महोदय, जिसको जांच अधिकारी बनाया गया, जिस अधिकारी को बहरोड का कोआपरेटिव बैंक का उसी को जांच करने के बाद उसका मैनेजर बना दिया गया कि यहां के कागज-वागज तूने साफ करें हैं, अब तू ही संभाल लेना इनको, कोई दूसरा आये तो कहीं गड़बड़ खुल नहीं जाए। अब मुझे जवाब दिया कि, साहब, उसको पहले ही अपाइंट कर दिया गया था, उस मैनेजर को 14.06.2019 को ही शाखा प्रबंधक का आर्डर हो गया था तो, भाई, 10.07.2019 को आपने उसको जांच अधिकारी बना करके भेजा तो मतलब मैं ही तो शाखा प्रबंधक हूं और मैं ही मेरी जांच करूंगा और फिर मैं ही वहां पर कब्जा करके बैठ जाऊंगा। अब यह समझ में नहीं आ रहा यह कौनसी जांच है, यह कौनसे अधिकारी हैं, कौनसे क्या हैं? मैं समझ नहीं पा रहा किसका दोष है? इसीलिए मैं कहता हूं खूब किसी को बुरा लगता होगा, किसी की आंखों में रड़कता होऊंगा कि सरकारें जाती क्यों हैं? सरकारें इसीलिए जाती हैं मैं पावर में हूं तो मैं सोचता हूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है मैं तो यहां इसको ऐसे बचा लूंगा, वैसे बचा लूंगा लेकिन ये पब्लिक है, जनाब, ये सब कुछ जानती है और फिर इसीलिए रिएक्शन होता है और तब सरकारें पलट जाती हैं। आशा रखता हूं आप इसके ऊपर जांच करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर मैं इलाज भी करूंगा, दूसरे हिसाब से भी मेरे को इलाज करना आता है। एक-दो बार मैं शांति से बता रहा हूं कि भाई, इसके ऊपर आप करो, ठीक है।

सभापति महोदय, अब यह जैतारण में जो मूंग का घोटाला हुआ, मेरे पास भी वहां के लोग आये, मुझे भी बताया गया और मैंने इस पर भी ध्यानाकर्षण लगाया, इस पर तो जनाब ने जवाब ही नहीं दिया है, अभी तक रिमाइंडर जा रहा है, एक को सस्पैंड कर दिया है ताकि बचाव कर लो, कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। उसके अन्दर 21 हजार कट्टे वहां पर पड़े हैं और सड़े हुए पड़े हैं। यहां पर अभी माननीय सदस्य ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूं, ध्यानाकर्षण भी लगाया, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जाकर उन कट्टों को चैक कर ले। इसमें कौनसी परेशानी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वहां पर चार हजार कट्टे कम हैं, कोई एक, दो, चार, पांच, दस नहीं चार हजार कट्टे उसमें सड़े हुए में भी कम हैं पर कोई माई का लाल नहीं है कि उसको जा करके चैक कर ले। ये करोड़ों रुपये जनता के ही लुट रहे हैं। यह किसान के लूट रहे हैं। फिर हम

(श्री बलजीत यादव)

(17.00 बजे)

कहते हैं कि बजट नहीं है। डवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। डवलपमेंट के पैसे को तो डाकू खाते जा रहे हैं। उनसे कोई बचा नहीं पा रहा है। मुझे नहीं पता कि किसी को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। सबका पानी मर गया? सबका ईमान मर गया? वह भगवान जाने। जो करेगा पाप की सज़ा वह भुगतेगा।

लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी लूटखसोट बंद होनी चाहिए। मंत्री जी का भी ध्यान मैंने कई बार आकर्षित किया है। बहरोड़ में जो डाकू आपने बैठाया है, कोआपरेटिव बैंक का प्रबंधक बनाया है, आपने लिखा है कि उसकी कोई कम्प्लेंट नहीं है। जनाब, यह बलजीत यादव इस विधान सभा में चीख-चीख करके कह रहा है कि जो आदमी जांच कर रहा है, उसी को आपने जांच अधिकारी बना दिया। यह जनाब लिखकर भेज रहे हैं कि उसकी कोई शिकायत नहीं है, इसलिए नहीं हटाया। कौन करे, कैसे करे? उलटा लटक करके करूं शिकायत, या कैसे करूं? उसकी शिकायत ही नहीं हो पा रही है। कैसे करूं जो मंत्री जी के समझ में आ जाए? जिसने भी यह जवाब भेजा है, उसको शर्म आनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अब कोआपरेटिव पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। सभी को पता है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि इस कोआपरेटिव में लाभ तो एक परसेंट मिलता होगा और 99 परसेंट जनता को लूटा जा रहा है। यह सिर्फ नाम का कोआपरेटिव रह गया है। बाकी इसमें सभी माल खा रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरे बहरोड़ में कोआपरेटिव बैंक में हजारों लोगों के खाते खोल दिए गए। एक-दो के नहीं हैं। मंत्री जी को कहा है, इस सदन में मैंने बताया है। खाते खोल दिए कोआपरेटिव सोसायटी के द्वारा और उनको क्लीन चिट दे दी गई। जो आपका शाखा प्रबंधक है और जांच अधिकारी था, आज भी उन्हीं के पास आराम से बैठकर शाम को स्कॉच पीता है। फिर कहां से इंसाफ होगा? कहां से न्याय होगा? कहां से यह चोरी रुकेगी?

सबके कार्ड लगे हैं। आधार कार्ड लगे हैं। सारे आई.डी. प्रूफ लगे हैं। कह दिया कि एक कर्मचारी ने खोले हैं। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट क्या दी कि यह 5 कर्मचारी हमने सस्पैंड कर दिए। हमारा दोष नहीं है। इन कर्मचारियों ने खाते खोले थे। यहां बैठा हुआ कोई सदस्य मान सकता है कि एक सोसायटी ने ही 2200 खाते खुलवा दिए। वह सारे के सारे आई.डी. प्रूफ आ गए। क्या वह

(श्री बलजीत यादव)

बाबू ले आएगा? 2200 एक जगह से, हजार-हजार जगह से, क्या बाबू, कोई कर्मचारी ला सकता है? यह सब कोई जानते हैं लेकिन पता नहीं सबने जैसे आंख बंद कर ली हों। कुछ नहीं होता है।

सभापति महोदय, यह डेयरी वाले का मैं बता रहा हूं। वहां अगर बच्चे-बच्चे से भी पूछोगे तो पता लग जाएगा। वह चेयरमैन चौड़ी छाती करके बोलता है, ऐसे घटिया आदमी का नाम मैं बार-बार नहीं लूंगा, कि पहले भी सूटकेस भरकर देता था और अब भी सूटकेस भरकर दे रहा हूं। अब यह किसको दे रहा है? यह जांच का विषय है लेकिन दे जरूर रहा है। हंड्रेड परसेंट दे रहा है। इस कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर एक्शन लें।

सभापति महोदय, दूसरा मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे वहां पर नीमराणा फोर्ट है, उसको प्राइवेट आदमी ने होटल बनाया। आज वह विश्व विख्यात है। उसमें रूम खाली नहीं मिलता है। आरटीडीसी की जो प्रोपर्टीज हैं, वह सारी की सारी प्राइम लोकेशन पर हैं लेकिन फिर भी वह सारे के सारे खाली पड़े रहते हैं। टूरिज्म के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। टूरिज्म को डवलप करके सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा आय अर्जित की जा सकती है।

सभापति महोदय, गुजरात में गधे दिखाकर ही लोग पैसे कमा रहे हैं कि आओ, हमारे गधे देख लो। यहां पर सब कुछ है, डैजर्ट है, सारी चीज है। हमारे पास इतने किले हैं, बावड़िया हैं, हवेलियां हैं, सब कुछ है लेकिन बजट कितना रखा? 100 करोड़ रुपये का। बजट नहीं रखा। कुछ है ही नहीं बजट।

सभापति महोदय, मेरे यहां बहरोड़ में मिडवे था, प्रोफिट में था, उसको जबरदस्ती बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्यों बंद कर दिया? मिडवे बंद होने से दूसरे होटल खुल गए। वह सक्सेस हो गए। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर काम हो। मन लगाकर काम हो। यहां पर जो टूरिज्म है, इसको ठीक से डवलप करें। लोग दुबई में जाते हैं, वहां कुछ डेजर्ट नहीं है। जरा-सा डेजर्ट है। उस डेजर्ट की सफारी करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे यहां बाड़मेर, जैसलमेर में फाइव स्टार होटल पनप गए। लोग देखने जाते हैं। लोग धोरे देखने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसका प्रचास्प्रसार करे। इसको ठीक से करे।

(श्री बलजीत यादव)

जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, वह यह नहीं सोचें कि यह तो घाटे में पड़ा हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति रखें कि हम हमारे यहां पर टूरिज्म को अच्छे से डवलप करेंगे। इसका प्रचार-प्रसार करेंगे। राजस्थान की जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो कुछ आशा के साथ भेजा है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। यह जो सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, टूरिज्म में भी होटलों में होता है। वह आदमी एंट्री करता नहीं है और किराये पर रूम दे देता है। जो सामान राशन का आता है, दूसरा आता है, वह वहां से पार हो जाता है। जैसा कि हमारे बहरोड़ मिडवे में होता था। इन सब चीजों पर लगाम लगेगी तो मैं समझता हूं कि जो हमारा टूयरिज्म बैठता जा रहा है यह विकसित होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 36 और 47 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक अभी चल रहे हैं। दुग्ध संघों की संख्या 21 है। उपभोक्ता थोक भंडार 37 हैं। प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 हैं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां 6445 हैं। फल एवं सब्जी विपणन समितियां 271 हैं। राज्य में 23 संघों सहित कुल 35292 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत हैं। यह सारी बात किताब में थी। फिर भी मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे सुनने वाले लोग इस बात को पकड़ जाएं।

सभापति महोदय, आपसे पहले जो गद्दीनशीन था, उनको भी खुदा होने का बहुत ही यकीन था। आज जो गद्दीनशीन हैं, वह शायद इस बात को भूल रहे हैं। 1 मई, 2016 को पूर्व सहकारिता मंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव में जन सुनवाई के लिए गए थे। हमने विरोध किया लेकिन बहुत प्यार से किया। उन्होंने बहुत प्यार से हमारी हां भी भरी थी कि आपकी सोसाइटी ऋणों में कटौती नहीं करेंगे। हमारे उस इलाके में सहकारी सोसायटियां बहुत मजबूत हैं। साथी बलजीत जो बोल रहे थे, उससे हमारी अलग परिस्थिति है।

सभापति महोदय, हमारे यहां सहकारी समितियों में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। 96 परसेंट टाइम पर लेन-देन है। हम यह विरोध कर रहे थे कि कटौती

(श्री बलवान पूनियां)

न हो। उस समय तत्कालीन मंत्री ने हमारी बात भी रखी। हमारी 32 समितियों में एक रुपया भी कटौती नहीं हुआ। आज कर्ज माफी के बाद इतना पैसा दुबारा बंटा नहीं है।

सभापति महोदय, यहां सदन में जब कोई आदमी आंकड़े गलत पेश करता है तो थोड़ी टोका-टाकी भी हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप उसका पक्ष कर रहे हो, आप इसका पक्ष कर रहे हो। पिछली सरकार ने 2 हजार करोड़ का ऋण माफ किया था। मैं उस आंदोलन का गवाह था, मैं सड़क पर था। रात के 1 बजे पूर्व सरकार की कैबिनेट ने कहा था कि हम आपके 20 हजार करोड़ के ऋण माफ करेंगे। टार्गेट रखा 8 हजार करोड़ का और माफ 2 हजार करोड़ किये। इस सरकार में 8 हजार करोड़ के करीब ऋण माफ हुए हैं।

सभापति महोदय, एक दूसरे पर मारने के लिए यह डायलाग हो सकता है कि आपने किसान के कर्ज माफ करने की घोषणा की। जैसा कि सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं, जैसी माननीय सदस्य शकुन्तला जी की चिंता थी, आज यस बैंक फेल हो गया। उसको कौन खा गया? इस पर कोई बहस नहीं है। एक आदमी यश राणा को पकड़ा है। उसकी बेटी को विदेश नहीं जाने दिया। इसके अलावा अख़बार में कुछ नहीं आया। लाखों-करोड़ रुपये लेकर लोग भाग गये।

सभापति महोदय, लेकिन आज हिन्दुस्तान का किसान है उसकी अगर 1 लाख रुपये की केसीसी है, अगर आपने सहकारी बैंक से केसीसी ली है, जो बिना ब्याज का ऋण है सहकारी बैंक का, वह तो टाइम पर लेन-देन के बाद में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी ने केसीसी सहकारी बैंक से ली है, हालांकि इन दिनों में बंद कर रखी है, जान-बूझकर उसका भट्टा बैठा रहे हैं। जो कामर्शियल बैंक हैं, उससे ज्यादा सहकारी बैंक कर सकता है लेकिन नहीं कर रहे हैं। एक लड़ाई है बैंक और समितियों के बीच। बैंक ज्यादा काम नहीं करता, काम समितियां ज्यादा करती हैं। समितियों के पैसे से बैंक चल रहे हैं। बैंक वाले पैसा उसको दे देते हैं, जो वापस भरता नहीं है। जो सारी देनदारियां हैं वह टोटल सहकारी बैंकों की हैं, समितियों की नहीं हैं। फिर भी समितियों को कमजोर करने में अपेक्स बैंक लगा हुआ है।

सभापति महोदय, इस तरीके से तो 'हम सब एक के लिए और एक सबके लिए', यह नारा मजबूत नहीं होगा। मैंने पिछली बार चर्चा में भाग लेते

(श्री बलवान पूनियां)

हुए कहा था कि हिन्दुस्तान में केरल राज्य में सहकारिता बहुत मजबूत है। हमारे यहां भी हम सहकारिता को मजबूत कर सकते हैं। किसान के बच्चे के लिए जब छात्रवृत्ति की बात आई तो योजना का नाम सुंदर सा रखा गया लेकिन हिन्दुस्तान में पढ़ने के लिए सिर्फ 6 लाख रुपये और विदेश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपये रखे गये। कितने लोगों को ऋण देंगे, यह इस प्रतिवेदन में कहीं जिक्र नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आप आने वाले समय में और नयी समितियां खोलेंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं। हम कितने और नये लोगों को जोड़ेंगे सहकारिता से, इसमें कोई जिक्र नहीं। हम 200 औषधि केन्द्र खोलेंगे, इसकी घोषणा हुई है लेकिन कहां-कहां खोलेंगे इसका इसमें कोई जिक्र नहीं।

माननीय सभापति महोदय, दुग्ध संघों को हम और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें जिक्र नहीं है। दुग्ध संघों को लेकर जो पूरी शिकायतें साथी बलजीत की हैं, वे शिकायतें हमारी भी हैं। हनुमानगढ़ जिले का एमडी, जिस पर जांच बैठी थी, जांच में दोषी पाया गया लेकिन आज भी वहीं बैठा है।

माननीय सभापति महोदय, अखबारों में लेख लिखते हैं कि दूध फर्जी है, दूध नकली है, दूध में मिलावट है, ये मिलावट, हमारे यहां सहकारिता में इतने जोरदार उत्पाद थे, उन उत्पादों को लेकर ये मिलावट बैठ गयी है इसलिये सहकारिता से भी उपभोक्ताओं का विश्वास टूट रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब दो सौ विधायक, हमारे से पहले के विधायक, सारे लोग सहकारी बैंकों में खाते खुलवाये हैं, मैंने पिछली बार भी मांग की थी, मैं फिर मांग दोहरा रहा हूं कि अरबन बैंकों में, रेलवे के कर्मचारियों तक के खाते खुल सकते हैं तो फिर राजस्थान के सात लाख कर्मचारियों के खाते इन बैंकों में क्यों नहीं खुल सकते?

माननीय सभापति महोदय, क्यों राशन डीलरों की शिकायत सबसे ज्यादा अगर विधान सभा में प्रश्न लगे हैं तो खाद्य सुरक्षा के लगे हैं, खाद्य सुरक्षा में राशन डीलरों की शिकायत हुई है, डीएसओ से लेकर ईआई तक की शिकायत हुई है, क्यों हम इसको सहकारिता से जोड़ नहीं पा रहे हैं? क्यों हम खाद्य सामग्रियां सहकारिता के माध्यम से बंटवा नहीं पा रहे हैं? क्यों आज हमारे यहां गोदाम तक नहीं बने हैं? इन चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां ऑनलाइन कर दिया कि

(श्री बलवान पूनियां)

आपकी समिति ऑनलाइन हो गयी लेकिन अभी समितियों में कम्प्यूटर नहीं पहुंचे। बायोमैट्रिक मशीन पर अगर किसी बुजुर्ग किसान का अंगूठा नहीं आया, जमीन उसके नाम है, वह अस्सी साल का है, भूमि का विभाजन नहीं हुआ, बायोमैट्रिक अंगूठा नहीं आने से उसको ऋण नहीं मिल रहा है। इसका समाधान तो सहकारिता विभाग को जरूर खोजना पड़ेगा। जिस किसान को पिछले कई सालों से आप ऋण दे रहे थे, सिर्फ इसलिये कि उसका अंगूठा नहीं आ रहा, अजी साहब, काम करते-करते अंगूठा घिस गया, अंगूठे की सारी नसें घिस गयीं इसलिये नहीं आ रहा, उसकी गलती नहीं है। हम सोचते हैं कि इसका समाधान आप करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बैंकों में जो हिस्सा राशि काटी गयी है, उस हिस्सा राशि का चार प्रतिशत मार्जिन मेरी मांग रहेगी कि सहकारी समितियों के लिये जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां सभी समितियों के जो पांच सौ एमटी तक के गोदाम बनाये गये हैं, वे हर गांव में बनाये जाएं ताकि गांव में फसल का भण्डारण हो सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां जो बैंक द्वारा डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा के लोन किये जा रहे हैं, वे लोन समितियों के मार्फत किये जाएं ताकि जिस तरीके से 96-97 प्रतिशत समितियों की वसूली रही है, ये केसीसी की वसूली की व्यवस्था भी समितियों के व्यवस्थापक कर पाएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां सभी समितियों को ऑनलाइन किया गया है। उसमें सभी के भुगतान जैसे मनरेगा का, पेंशन का, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से हो। माननीय सभापति महोदय, हमारे कुछ व्यवस्थापक साथी जो बहुत बढ़िया तरीके से, एक-दो-चार अपवाद हर व्यवस्था में हो सकते हैं, मेरे यहां एक, रासलाना समिति है। उस समिति का व्यवस्थापक फसल बीमा का करोड़ों रुपया डकार गया, वह अपवाद है। दूसरा, खसवाना सहकारी समिति का व्यवस्थापक लोगों के साथ गड़बड़ करके चला गया, बाकी व्यवस्थापक बहुत अच्छे ये काम कर रहे हैं इसलिये हम सारे व्यवस्थापकों को दोष नहीं दे सकते। व्यवस्थापकों का नियोक्ता निर्धारण का मामला सरकार में विचाराधीन है, सरकार उस पर विचार करे और उनके पक्ष में फैसला करे।

माननीय सभापति महोदय, 2013 में सहायक व्यवस्थापक के पदों के

(श्री बलवान पूनियां)

लिये स्वीकृति दी थी लास्ट में, उसके बाद स्वीकृति नहीं दी है। सहायक व्यवस्थापक के रूप में ग्राम सेवा सहकारी समिति और व्यवस्थापक को पावर दिये जाएं कि सहायक व्यवस्थापक रख पाएं। व्यवस्थापकों को 9, 18, 27 का लाभ दिया जाये। व्यवस्थापकों का वेतन निर्धारण किया जाए। कई व्यवस्थापकों पर ओडी आयी हुई है कि आपने वेतन ज्यादा ले लिया लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि आप वेतन कितना ले सकते हो इसलिये उनका वेतन निर्धारण ही कर दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, व्यवस्थापकों से ऋण पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति कर उन्हीं से ही आप अधिकारी-कर्मचारी बनाएं क्योंकि एक व्यवस्थापक, शुरू में व्यवस्थापक लगा और वह रिटायर भी व्यवस्थापक से हो गया, तो उनकी वरिष्ठता भी तय करने का काम करें।

किसानों को समितियों के माध्यम से दो लाख से ज्यादा रुपये फसली ऋण उपलब्ध कराएं। गहलोतजी के पिछले शासन में यह डेढ़ लाख रुपये तक लेकर गये थे, पिछली बार थोड़ी कटौती हुई। राजस्थान में जहां विरोध हो गया वहां कटौती नहीं हुई बाकी जगह कटौती भी हुई लेकिन अब वापस इस ऋण को बढ़ाकर आप किसानों को फायदा देने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि सांवलोदा धायलान, ग्राम सेवा सहकारी समिति, पंचायत समिति धोद और बोसाना, ग्राम सेवा सहकारी समिति, ये भी धोद की है, भुवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति ये भी धोद की हैं, तीनों समितियों की जांच भी चल रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि इन समितियों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, आदर्श सोसायटी का जो आब्जर्वेशन, जिस आदमी के हाथ में था, जिस अफसर के हाथ में था, माननीय सभापति महोदय, आदर्श सोसायटी डूबी उसका आब्जर्वेशन कौन कर रहा था? बलजीत का जो दर्द है, हम लोगों जो दर्द वही है, जिन लोगों के हाथ में आब्जर्वेशन था, उन लोगों को हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ये चीजें धीरे-धीरे डूबती जा रही हैं और हम बचा नहीं पा रहे हैं, हम जैसे निहत्थे से होते जा रहे हैं, हमें निहत्थे होने की जरूरत नहीं है, गलत को गलत और सही को सही कहने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सहकारी

(श्री बलवान पूनियां)

समितियां बहुत मजबूत हैं, इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन हम चाहते हैं कि इनको और मजबूत करने के लिये जो दो-तीन सुझाव हमने दिये हैं उन सुझावों पर सरकार गौर करेगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहकारिता से जोड़ने का काम करेगी। आपने मुझे वक्त दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, तीर्थराज पुष्कर धार्मिक नगरी होने के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर विशेष पहचान रखता है, यह हम सभी जानते हैं। तीर्थराज पुष्कर के अरण्य क्षेत्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहानजी की जन्म स्थली, अजमेर के साथ ही प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी है। हम पर्यटन की बात करें तो तीर्थराज पुष्कर में प्रति वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। जगत पिता ब्रह्माजी का मंदिर भी विश्व में एक ही है, तो वह पुष्कर में है। रियासत काल से ही समय-समय पर ब्रह्माजी के मंदिर का और तीर्थराज पुष्कर का विकास होता आया है। इसी कड़ी के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी को जिन्होंने बूढ़ा पुष्कर का जीर्णोद्धार कराया और पुष्कर के घाटों का जीर्णोद्धार करवाकर घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। इसके साथ ही सावित्री माता का पहाड़ी पर प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर 8 करोड़ रुपये की लागत से सीढ़ियों का निर्माण करवाया। रोप-वे का काम जो वर्षों से बंद पड़ा था, उसको चालू कराया। इसके साथ ही ब्रह्माजी के मंदिर के प्रांगण में एक एंट्री प्लाजा के नाम से लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य गार्डन का निर्माण कराया लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वह गार्डन अपनी बदहाली की ओर चल पड़ा और आज उसकी बड़ी बदहाली हो रही है। मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप उसकी सुध लें, वहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाएं और वहां की सुविधाओं में विस्तार करें ताकि वहां जो लाखों श्रद्धालु और सैलानी आते हैं उनको इनका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही तीर्थराज पुष्कर चारों तरफ से अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जिसे हम पौराणिक काल से नाग

(श्री सुरेश सिंह रावत)

पहाड़ के नाम से जानते और मानते हैं। यह सारा फोरेस्ट के अंदर है। हम इसको ईको टूरिज्म के रूप में डवलप कर सकते हैं, क्योंकि नाग पहाड़ के अंदर कई पुराने ऋषि मुनियों की गुफाएं हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। पुष्कर के अंदर एक पर्यटन विश्वविद्यालय खोलने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो हमें हेरिटेज सम्पत्तियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिये एक व्यापक योजना तैयार करके इस दिशा में हमको काम करना चाहिये और अजमेर और पुष्कर के बीच में सुरंग का निर्माण हो, पिछली सरकार के बजट में यह घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक इस पर काम आगे नहीं बढ़ा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस दिशा में भी आप विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोतजी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पिछले बजट में भूमिगत केबल के लिये घोषणा की लेकिन अभी तक उसका काम चालू ही नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि वह काम चालू हो जाये तो आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही हम सबको, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं ऐसा हर सदस्य बोल रहा है और अपन जानते भी हैं। तीर्थराज पुष्कर जो पर्यटन स्थल भी है, उसकी साफ-सफाई की व्यवस्था पर्यटन विभाग अपने हाथ में ले। हम देखते हैं कि विदेशी सैलानी जब आते हैं तो वहां के कुछ शरारती तत्व उनके पीछे लग जाते हैं, तरह-तरह की हरकतें करते हैं तो माननीय मंत्री महोदय, आप जैसा बलशाली महाराजा अगर पर्यटन मंत्री हो, आपके होते हुए यदि ऐसी घटनाएं हों तो ठीक नहीं है तो उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। साथ ही हमारे जो पर्यटक स्थल हैं, हम देखते हैं कि हमारी आलीशान और पुरानी इमारतें तो हैं लेकिन वहां आस-पास साफ-सफाई की न तो व्यवस्था है और न ही वृक्षारोपण की कोई उचित व्यवस्था है। टूरिज्म विभाग अपने हिसाब से व्यवस्थित रूप से वहां वृक्षारोपण को बढ़ावा दे। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। चाहे सम्बन्धित ग्राम पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे नगर निगम हो, उनका सहयोग लेकर वृक्षारोपण करें।

इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे पर्यटक स्थलों के आस पास

(श्री सुरेश सिंह रावत)

रोड, नाली, सड़क और लाइट की पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, इसकी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही तीर्थराज पुष्कार का विश्वविख्यात मेला आप सभी ने देखा होगा जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पिछले चार सालों से एक ईवेंट कम्पनी पुष्कर मेले का आयोजन करती थी लेकिन जैसे ही सरकार बदली उस ईवेंट कम्पनी का काम बंद कर दिया गया और आज वापस उसी ढर्रे पर वह मेला चला गया। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस दिशा में पहल करें क्योंकि मेले का आयोजन पर्यटन विभाग भी करता है।

एक भक्ति उत्सव पिछले चार सालों से लगातार हो रहा था। देश और दुनिया के लोग उसमें आते थे लेकिन इस बार से वह भी बंद कर दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी उस भक्ति उत्सव को वापस चलाएं।

उसके साथ ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में 2014 की अपेक्षा 2018-19 में हमारे पर्यटक बहुत बढ़े लेकिन दूसरी ओर राजस्थान की शान कही जाने वाली शाही ट्रेन का अगर आंकड़ा देखें तो 2017-18 में 605 करोड़ रुपये की उसे आय हुई और 2019-20 में 123 करोड़ की आय हुई। इतना घाटा हुआ।

दूसरा, सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो एक कटिंग मिली, जिसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी यह कह रहे थे कि एक्शन न होने तक पर्यटन भवन नहीं जाऊंगा। माननीय मंत्री महोदय, मैंने आपके कई किस्से सुने हैं कि सभाओं में भी आपने जलवा दिखाया है, तो थोड़ा अफसरों को भी आप जलवा दिखाएं ताकि आप पर्यटन भवन में जा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, धौलपुर जिले में अभी तक एक सहकारिता बैंक नहीं खुला है। करौली जिला हमारे बाद में बना है, वहां बैंक पहले ही खुल चुका है। हमारे यहां के जो किसान हैं, उन्हें कोई भी ऋण लेने में अभी बहुत समस्या आती है। वे भरतपुर जाते हैं, वहां के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहां की सौ किलोमीटर की दूरी है। दूसरे जिले में जाने के बाद आप भी अच्छे से समझते हैं कि कितनी बड़ी समस्या आती है। टाइम पर लोन नहीं मिल पाता है। बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।

(श्री गिर्राज सिंह)

सारा का सारा पैसा भरतपुर में ही पहुंच जाता है, धौलपुर वालों के हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। भजनलाल जी, ऐसे क्या देख रहे हैं, आप हमारे हिस्से को खा रहे हैं। सभापति महोदय, ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा। दो-तीन चीजें हैं। पर्यटन के मामले में हमारे यहां एक ऐतिहासिक सैपु महादेव मंदिर है जो कि बहुत पुराना मंदिर है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहले भी बीजेपी राज में उस पर पैसा लगाया गया था। कांग्रेस के राज में न तो पहले लगा 2008 से 2013 तक और न ही अभी एक पैसा लगा है। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं की, मंत्री जी, आज आपको जवाब तो देना ही है, धौलपुर और भरतपुर का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा।

श्री सभापति: अपने स्थान से बोलें, मंत्री जी। माननीय सदस्य, आप बोलें। समाप्त करें अपनी बात।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि धौलपुर और भरतपुर तो एक ही हैं। पहले आप धौलपुर वालों का ध्यान रखें। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहां एक जगह है सरमथुरा, जो कि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में आता है, वह काफी अच्छी और खूबसूरत जगह है। पर्यटन के हिसाब से काफी अच्छी जगह है। वहां पर झरना भी है और पानी भी बहुत गिरता है। इससे पहले भी काफी बार हमने मांग उठायी है कि उसका भी कोई टेंडर वगैरह कराकर उसकी मरम्मत या चढ़ने-उतरने के लिए थोड़ी सीढ़ियां बनवायी जाएं।

सभापति महोदय, हमारे यहां एक तालाबशाही है, उसमें भी कुछ पैसा लग जाए। बाड़ी के पास ही एक नदी है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ी-सी वहां पर भी सीढ़ियां वगैरह बन जाएं। पानी की इतनी कोई हमारे यहां कमी नहीं है, काफी नदियां हैं। वह पानी बहकर उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है, तो उस पानी का थोड़ा रुकाव हो जाए और उसके लिए हम थोड़ी-सी व्यवस्था कर दें, तो पर्यटन के हिसाब से वह ठीक हो जाए।

मंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि सहकारिता में कुछ पद खाली भी पड़े हैं। इस बैंक के लिए तो मैं मंत्री जी से निवेदन कर ही रहा हूं कि आज ही घोषणा कर दें। हर जिले में बैंक खुल गया तो धौलपुर को ही क्यों छोड़ा गया? सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे आज ही सदन में घोषणा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से सहकारिता का विचार मजदूरों के कल्याण के कारण उत्पन्न हुआ। ब्रिटेन में सबसे पहले एक कम्पनी में मजदूरों की मदद करने के लिए इस शब्द के जरिये यूनियन बनी। हिन्दुस्तान में सहकारिता के माध्यम से लोगों के जीवन के उन्नयन और उनके उत्थान का बहुत प्रभावी काम हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं, जहां सहकारिता के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत आधारभूत परिवर्तन आया और सहकारिता लोगों के बेहतर भविष्य का माध्यम बनी।

सभापति महोदय, राजस्थान में भी इस दिशा में कोशिश हुई लेकिन राजस्थान का सहकारिता आंदोलन भटक गया और जिन लोगों के हाथ में सहकारिता आंदोलन की कमान आयी, वे सभी प्रभावशाली वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने अपने हितों में राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को निगल लिया। आज कहीं प्रतिष्ठा नहीं बची है। आप ग्राम सेवा सहकारिता की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, डेयरी की बात करें, एक लोक धारणा यह बनी हुई है कि चोर हैं, घोटालेबाज हैं और रोजाना अलग-अलग रूप से अलग-अलग जगह के कारनामे सामने आते रहते हैं।

अभी जोधपुर का मूंग घोटाला लीजिए आप। माल खरीदा गया। मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। आप ताज्जुब करेंगे, माल बदल दिया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा लेकिन कार्यवाही क्या हुई? इसी साल का जोधुपर का ही आप लहसुन घोटाला लें, 3275 रुपये में खरीद की, 5500 के आस पास माल बेच दिया। वहीं का वहीं बेचा लेकिन इसके बाद भी 1600 क्विंटल की शोर्टेज हो गयी।

वह भी जांच के दायरे में है। छोटे-मोटे अधिकारी को सस्पैंड कर दिया लेकिन यह संदेश देने का कोई प्रयास नहीं है कि हम इस तरह की अनियमितताओं या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मगरीवाड़ा का पूर्ववर्ती सरकार का आपको घोटाला बताऊं। 82 लोगों को, जिनके पास एक इंच भी भूमि नहीं थी, दूसरे की भूमि को इनकी बताकर पटवारी ने वैरिफाई करके पूरे को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के लोगों ने 82 लाख रुपये के लोन बांट दिये। उसके बाद में जब ऋण माफी आयी तो 82 लाख रुपये के लोन माफ भी कर दिये लेकिन किसी भी आदमी को जो सुपरवाइजरी अथोरिटी है, कहीं किसी के एक

(श्री संयम लोढ़ा)

इंच तक खरोंच नहीं आयी। क्या एमडी स्तर के लोग, जोइंट रजिस्ट्रार स्तर के लोग, एडिशनल रजिस्ट्रार स्तर के लोग सो रहे थे? पकड़ में आ गया उसके बाद भी किसी को एक नोटिस भी सर्व हुआ?

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा का पैसा सिरोही जिले में 2017 में आया, कायदे से पैसा किसान के सेविंग अकाउंट में जमा होना चाहिए। राजस्थान के अनेक जिलों के अन्दर किसान के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हुआ लेकिन 2018 तक सिरोही जिले की सारी सोसाइटियों के अन्दर वह पैसा किसान के लोन अकाउंट में जमा हुआ, लोन कम हुआ और सरकार ने जो किसान को माफी दी थी वह माफी भी उसको घटी हुई राशि की मिली। मैंने पिछले साल इसी सदन में मामला उठाया था कि सिरोही जिले के किसानों के साथ अन्याय हुआ है और इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, वह आश्वासन आज तक आश्वासन ही है। न तो उन किसानों का वह पैसा उनके सेविंग अकाउंट में डाला गया और उतने ही अनुपात में किसानों की ऋण राशि भी कम माफ हुई। अब उनकी आवाज कौन सुनने वाला है? हम बातें जरूर बड़ी-बड़ी कर सकते हैं लेकिन रिकार्ड पर इस सदन में सभी राजनीतिक दलों की जानकारी में आने के बाद भी आज तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार यह इच्छा शक्ति रखती है कि हमें एक साफ-सुथरा, पारदर्शी सहकारिता का शासन देना है तो सबसे पहले तो आप इंस्पेक्टरों की भर्ती करो। 1999 फर्स्ट ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड इंस्पैक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। किसी भी सोसाइटी में कैसा ही घोटाला हो जाओ, जांच करने कौन जाए? एक-एक इंस्पेक्टर, दो-दो इंस्पेक्टर के भरोसे आप जिला चला रहे हो। एक इंस्पेक्टर अगर मिल गया, दिख गया तो आपके पास क्या रास्ता है कि आप उसकी दूसरी नये सिरे से जांच करवा दें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो कम से कम यह बता दें कि आपके सहकारिता विभाग में सहकारिता सेवा के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अपनी फर्स्ट

(श्री संयम लोढ़ा)

पोस्टिंग से आज तक जयपुर में ही बैठे हुए हैं? आपने ऑन रिकार्ड तो प्रिंसिपल सैक्रेटरी और मंत्री से अनुमोदन करवा दिया कि किसी भी सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक का एमडी जोइंट रजिस्ट्रार से कम रैंक का अधिकारी नहीं लगेगा लेकिन ये जितने भी जयपुर में जोइंट रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं उनमें कोई जयपुर छोड़ना चाहता है? कोई फील्ड में जाना चाहता है? क्या सरकार की इच्छा शक्ति है कि वह चाहे तो उनको भेज सके? माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से यह सहकारिता आंदोलन पूरी तरह पंगु बना हुआ है। हमारे पास नीचे घूम-फिरकर क्या है, जोइंट रजिस्ट्रार हमारे पास अवेलेबल है, जैसा काला चोर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डीआर जैसा भी मिलेगा ले जाकर पटको उसको और वह घोटाले में और इजाफा करता चला जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि साफ-सुथरे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, खुद का मन साफ है, खुद अच्छी नीयत से काम करना चाहते हैं और यही कारण है कि इनके वक्त में ऋण माफी के अन्दर उतनी अनियमितता नहीं हुई। ऋण माफी का आंकड़ा बड़ा है, संख्या भी बड़ी है, फिगर भी बड़ा है लेकिन बहुत गिनी-चुनी शिकायतें ऋण माफी के वक्त में आयी होंगी। पिछली सरकार ने भी ऋण माफी की थी, आप आंकड़ा उठाकर देखो। 82 हजार ऐसे लोगों के ऋण माफ कर दिये, मरे हुए लोगों के ऋण माफ कर दिये, सरकारी कर्मचारियों के ऋण माफ कर दिये, जो किसी तरह की पात्रता में नहीं थे उनके ऋण माफ कर दिये। जिन्होंने ऋण नहीं लिये उनके ऋण बताकर माफ कर दिये लेकिन खाली वह आंकड़ा पकड़ने से, माननीय सभापति महोदय, काम नहीं चलेगा। सदन को यह बताओ, राजस्थान की जनता को आज इस सहकारिता की मांग की चर्चा के जवाब में बताओ कि जिन 82 हजार लोगों के गलत ऋण माफ किये हैं उनमें कितने लोगों के खिलाफ आपने आपराधिक कार्यवाही की है, कितने लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की है? आप पूरा ब्यौरा देंगे तब राजस्थान की जनता को भरोसा होगा कि आने वाले वक्त में सहकारिता विभाग एक साफ-सुथरा प्रशासन देने की मन्शा रखता है।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि ऋण प्रक्रिया को जो आपने ऑनलाइन किया है, यह बहुत ही अच्छा कदम है। पहले विवेकाधीन था, नीचे सोसाइटी का आदमी जैसा चाहे करता था, मर्जी आये उसको देता था, जमीन

(श्री संयम लोढ़ा)

हो या नहीं हो, मरा हुआ या जिन्दा हो, वह मालिक बना हुआ था लेकिन अब इसमें पारदर्शिता आई है और जो गलत ऋण होते थे, गलत ऋण के रास्ते पूरी तरह से बन्द हो गये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि जो राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, सहकारी जीवन बीमा सुरक्षा योजना है, आप इसको फिर से शुरू करो। आपने इसका पैसा नहीं भरा है। यह एक अच्छी योजना है, किसान को मरने पर दस लाख रुपये मिलता है। अभी पिछले साल जो बीमा हुआ और मौत हुई उसका 10 लाख रुपया आया और जब मैंने उसकी बेवा को चैक दिया तो माननीय सभापति महोदय, जितने लोग उपस्थित थे, सब भावविह्नल हो गये। यह पहला अवसर था जब किसी किसान को दस लाख रुपये इस रूप में मिला है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान समग्र सहकारी विकास परियोजना की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बांसवाड़ा में आपने प्रोविजन 61.37 करोड़ का और 56 करोड़ रुपये रिलीज किये लेकिन आपका एक्सपेंडिचर है मात्र 18 करोड़ रुपये इसलिए यह जो योजना है इसमें प्रगति का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, खेलों के अन्दर सहकारिता विभाग राजस्थान के खेलों को पंगु बनाने का माध्यम बन रहा है। कभी तो लिख देता है कि स्टेट का सिटीजन है, जो राजस्थान का मूल नागरिक है वही चुनाव लड़ सकता है। कभी वापस हटा देता है कि जो बाहर का है वह भी लड़ सकता है। इस तरीके से राजस्थान के खेलों को बार-बार अपना निर्णय बदलकर सहकारिता विभाग कोर्ट की चौखट पर ले जाकर खड़ा कर देता है। इससे हमारे नौजवानों का नुकसान होता है, हमारे खिलाड़ियों का नुकसान होता है, राजस्थान के खेलों का नुकसान होता है, राजस्थान के खेलों को जो ऑल इण्डिया से पैसा मिलना चाहिए, उस पैसे मिलने में बाधा उत्पन्न होती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कोआपरेटिव रजिस्ट्रार जो भी हों, वे नियमों के मुताबिक काम करें। सत्ता के चेहरे देखकर नियमों में परिवर्तन नहीं करें, इससे खेलों का नुकसान होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि अनेक क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटियों ने अरबों रुपये के घोटाले किये हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि एसओजी के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही हुई, अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन अभी तक लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके, इसका कोई रास्ता नहीं बन सका है। आपके पोर्टल पर इतनी कम्प्लेंट दर्ज कर दीं लेकिन इसके बावजूद एक नई फूटी कौड़ी वापस प्राप्त करने का अवसर नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि पुलिस को जो पर्चियां प्राप्त हुई हैं, उन पर्चियों में जो विवरण है कि वह खर्चा, इन सोसाइटियों ने कहां-कहां पैसा दिया है, किस-किस पोलिटिकल पार्टी को चुनाव में चन्दा दिया है, किस-किस स्टेट के इलेक्शन में चन्दा दिया है, यह सारी जानकारी एसओजी के पास में है लेकिन माननीय सभापति महोदय, उन पर्चियों के आधार पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आपके जो भी लिक्विडेटर वगैरह हैं उनके माध्यम से आप इस दिशा में प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पर्यटन विभाग का यह प्रगति विवरण देखा। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वे 46 लाख 59 हजार 940 का अजमेर का ब्यौरा दिया है। हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देने वालों की वजह से यह इतना बड़ा आंकड़ा मिला है। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद दूसरा नम्बर आता है वह माउंट आबू का आता है और माउंट आबू का 43 लाख का फिगर है। मैं अभी पर्यटन विभाग के शरद महोत्सव में गया था। आपके पर्यटन विभाग का काला कुत्ता भी मुझे वहां नहीं दिखा। (समय-समाप्ति -सूचक घंटी)

पर्यटन विभाग की प्राथमिकता पर राजस्थान का यह सबसे खूबसूरत शहर क्यों नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं आज तक समझ नहीं पाया। वहां रोप-वे लगाने का मामला है, लम्बे समय से लटका पड़ा हुआ है। विभाग को इसमें कोई रुचि नहीं है। इसके अलावा कई नई चीजें माउंट आबू में एड की जा सकती हैं।

मैं आपसे विनती करूंगा, अब ये बाजारवाद का दौर है, भूमण्डलीकरण का दौर है, पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो चुकी है, इस समय में आप पर्यटन को अगर नई सोच के साथ लेकर नहीं आएंगे तो हम राजस्थान के पर्यटन में एड नहीं कर पाएंगे। आप पता करिए मरीना-बे होटल जो सिंगापुर

(श्री संयम लोढ़ा)

का है, वह पूरी दुनिया के टूरिस्ट का क्यों खींच रहा है? कौनसी एक्टिविटी है, जिसके कारण खींच रहा है? वहां लॉस एंजेल्स में लोग क्यों जा रहे हैं? काठमांडू के अंदर किसी एक्टीविटी के अंदर जयपुर का टूरिस्ट भी जा रहा है। आप पूरे राजस्थान में नहीं, एकाध जगह शुरू करो जिससे राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा मिले, आपको भी पैसा मिले और टूरिस्ट को आने की एक नई जगह मिले।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा हमारे जो अभयारण्य हैं एक स्टेट का हमारा अभयारण्य है। आपने ओपन नहीं कर रखा है, मध्य प्रदेश में भी, जबकि तंजानिया का जो अभयारण्य है, शेरीगेटा और केन्या का जो अभयारण्य है, दोनों थ्रू हैं। केन्या का जानवर, केन्या का टाइगर, केन्या का पैंथर, केन्या का लायन, तंजानिया तक आता है और तंजानिया का जाझीबाग, वहां तंजानिया का जो टाइगर है, वह वहां तक जाता है, कितना लम्बा क्षेत्र दे रखा है, उन्होंने अपने वन्य जीवों को और किस रूप में डवलप किया है। मैं चाहूंगा, हमारे अधिकारियों को भी आप दिखाइये, माननीय मंत्री जी भी देख कर आएं। माननीय सभापति महोदय, बीच अभयारण्य के अंदर फाइव स्टार होटल की फैसिलिटी है और इसके साथ-साथ हवाई पट्टी है। जिस टूरिस्ट को आना है, वह हवाई जहाज से वहां आता है। आज के जमाने के अंदर आप चाहते हैं कि रणथम्भोर अभयारण्य में लोग टाइगर देखने आएं, किसके पास इतना समय है। आज के जमाने में कि वह ट्रेन से आएगा और फिर यहां जयपुर से गाड़ी लेगा या कोटा से लेकर जाएगा। यह पहली बार है कि जब पर्यटन विकास कोष का 100 करोड़ रुपया अलग से मिला है। आपका रैगुलर बजट है, वह है। ये पर्यटन विकास कोष का 100 करोड़ रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको अलग से दिया है।

मैं विनती करूंगा कि जब आप इसकी गाइडलाइन बनायें तो उन लोगों को इसमें इनवोल्व करें, जो इस चीज का समझते हैं। मैंने आपके पर्यटन विभाग का पूरा विवरण पढ़ा है, इसमें पावापुरी का नाम नहीं है। क्या सरकार को यह पता नहीं है कि पावापुरी एक ऐसी जगह है जिसको एक परिवार ने, ट्रस्ट ने डवलप किया है और साल के 5 लाख लोग वहां पर हर साल आ रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान के वहां पर आ रहे हैं? वह अपनी तरह का एक बैस्ट क्रिएशन है। आप उसको देखिए, क्या तो उसने ग्रीनरी कर रखी है, क्या कंस्ट्रक्शन है उनका, क्या उन्होंने मेंटेन कर रखा है। इसी तरीके से जीरावला,

(श्री संयम लोढ़ा)

जो नया तीर्थ बना है, वहां भी कम से कम 5-7 लाख लोग साल के आ रहे हैं। उसका कहीं इसके अंदर जिक्र नहीं है। वहां उन्होंने जो धर्मशालाएं बनाई हैं, मंदिर बनाये हैं, आप देखिए, जो पुराने राजा-महाराजाओं के जमाने के भवन बने हैं, उनको पीछे छोड़ने वाला है। फिर हमारे वहां, हमने तो कुछ किया नहीं लेकिन जवाई बांध के आसपास में पैंथर का इतना बेहतरीन सर्किल डवलप हुआ है निजी लोगों के प्रयासों से कि आज लाखों रुपया किराये देकर, माननीय सभापति महोदय, विदेशी टूरिस्ट वहां आकर रूक रहा है। यहां का पैंथर, फिर आप नीचे आगे आ जाइए। काले हिरण, आपको पूरे जोधपुर डिवीजन में शिवगंज से माउंट आबू में ही मिलेंगे या सीधे जोधपुर में मिलेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसके साथ-साथ भालू माउंट आबू में, पर हम कुछ एड नहीं करना चाहते। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, आबू विकास समिति के माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं। आप उसकी बैठक बुलाइये, जिससे माउंट आबू के अंदर नई चीज हम एड कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट लूंगा, सर। आपका जो प्रावधान है खर्च का, माननीय मंत्री जी, 2019-20 में ग्रामीण पर्यटन के 12 करोड़ 38 लाख का प्रावधान रखा हुआ है और खर्चा क्या किया है 1 करोड़ 79 लाख। मुझे समझ में नहीं आता है कि लगातार अखबारों की सुर्खियों में चीजें आती रहती हैं। जो आलरेडी सरकार ने पैसा दे रखा है, वह पैसा हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आपको 2019-20 में 48 करोड़ रुपया मिला हुआ है, आप मात्र 6 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री गिरधारीलाल।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपके, दो मिनट ले रहा हूं, खतम कर रहा हूं। इसी तरीके से ये जो विभागीय बजट है, इसमें भी 114 करोड़ मिला है और आपने खर्चा 35 करोड़ रुपये किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का पर्यटन बहुत समृद्ध है और राजस्थान में पर्यटन के विकास की विपुल संभावना है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं इसलिए उन्होंने आपको एक्स्ट्रा 100

(श्री संयम लोढ़ा)

करोड़ रुपया दिया है। आप चाहेंगे तो हम राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी पर्यटन के विकास की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए अपने विधायक कोष से पैसा देने के लिए तैयार हैं लेकिन इसके लिए आपको नई सोच के साथ राजस्थान के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 36 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर जब सहकारी संस्थाएं शुरू हुई थीं, ग्रामीण जनता में बहुत ही विश्वास की संस्था थीं, धीरे-धीरे ये संस्थाएं कमजोर होती गईं।

माननीय सभापति महोदय, जब गांवों के अंदर किसान और मजदूर के पास ऋण की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम ये संस्थाएं हमारे अग्रिम सोच रखने वाले नेताओं ने शुरू कीं। अब राजस्थान के अंदर लगभग इन संस्थाओं पर विश्वास, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, धीरे-धीरे उठता जा रहा है। सपोर्ट प्राइस पर जहां खरीद होती है पूरे राजस्थान में, सहकारी संस्थाओं द्वारा, आज भी उन संस्थाओं द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार की बातें उठ रही हैं। 2014 के अंदर, 2013-14 के अंदर उदयश्री सहकारी समिति गंगानगर की थी, बीकानेर के चार केन्द्रों पर खरीद की थी। आज भी किसानों के पैसे बकाये पड़े हैं। धीरे-धीरे गांवों के अंदर निजी सहकारी संस्थाएं संचालित हो रही हैं। सहकारी संस्थाएं जो हमारी विश्वास पात्र थीं, वे संस्थाएं धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। आज भी जहां अधिकारी लम्बे टाइम से बैठे हैं, वे इस तरह उन संस्थाओं के अंदर जुड़ गये हैं कि किसी की सुनते तक नहीं हैं। सभापति महोदय, जब तक हम सहकारी संस्थाओं को, सरकार की मर्जी पर उनके चुनाव, निर्वाचन छोड़ रहे हैं। जब चाहे सरकार 13 साल करे, 14 साल करे, जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं की तरह इनके चुनाव, चुनाव आयोग के तहत ऐसा अध्यादेश नहीं लाएंगे, तब तक ये संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी। अनिश्चितता बनी रहेगी, जब सरकार चाहे चुनाव कराए, जब चाहे भंग करे। आज जहां सहकारी संस्थाओं की चर्चा हो रही है, माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाए।

(श्री गिरधारीलाल)

सभापति महोदय, जहां नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना है, आम आदमी तक राहत पहुंचानी है तो निश्चित रूप से हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी संस्था खोली जाए ताकि आम गरीब, दलित, शोषित किसान उस संस्था से फायदा ले सके। सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि जहां सहकारी संस्थाओं के भवन नहीं बने हुए हैं वहां भवन बनाने के लिए प्राथमिकता से बजट स्वीकृत करें।

(17.50 बजे)

(श्री जितेंद्र सिंह, सभापति, पदासीन)

साथ में सभापति महोदय, डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर रुस्तम धोरा बड़ा धार्मिक स्थल है। वह रतनगढ़ और मेरे विधान सभा क्षेत्र से जोड़ता हुआ है। वहां जसनाथी संप्रदाय का बड़ा मेला लगता है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि यह रुस्तम धोरा जो धार्मिक स्थल है, उसको सरकार पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करे। साथ ही डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर जैसे सालासर का मेला भरता है उसी तरह पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में पुनरासर गांव के अंदर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आस्था का स्थल है। वहां दूर-दूर से लोग आते हैं। हजारों की संख्या में आते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि इस पुनरासर गांव के हनुमान मंदिर को भी पर्यटक स्थल से जोड़ा जाए। साथ ही, सभापति महोदय, डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर मरुस्थल के बड़े-बड़े धोरे हैं जहां सर्दियों में फिल्म स्टारों द्वारा, निर्देशकों के द्वारा शूटिंगें होती हैं, उन धोरों पर कब्जे हो रहे हैं, तो उनको पर्यटक स्थल के रूप में संरक्षित करके और पर्यटक स्थल से जोड़कर उन धोरों का उत्थान करें जिससे सरकार को आय भी होगी और डूंगरगढ़ क्षेत्र में, बीकानेर जिले में एक पर्यटक स्थल का नाम भी रोशन होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 36 सहकारिता व मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सहकारिता गांव के किसानों एवं मजदूरों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सहकारिता के माध्यम से हम किसानों को उनकी खेती के लिए कृषि ऋण देते हैं। दुर्भाग्य से पिछले समय ऋण माफी तो की लेकिन समय पर लोन नहीं देने की वजह से किसान इंश्योरेंस नहीं करा

(श्री कन्हैया लाल)

पाया, उसकी वजह से जितना उनको लोन मिलता था उससे ज्यादा उसको बीमा का नुकसान हो गया। इसके साथ-साथ जितने किसानों को लोन दिया जाना था उनमें से लगभग 40 परसेंट किसानों को ही लोन दिया गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो बचे हुए हैं और विशेषकर जो ओवर ड्यू हो गए थे, जो चुका नहीं पाए थे उनको तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, उनको भी देने की कृपा करें।

इसके साथ-साथ मैं मेरे मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों की बात करता हूं कि जब से इनको सहकारिता का लोन दिया है शायद वहां के किसान सबसे पहले लोन को चुकाते हैं, फिर भी वहां पर जो पूरे टोंक जिले के कोआपरेटिव बैंक्स में पिछले 2008 से 2013 के बीच में कुछ ऐसे एमडी रहे हैं, जहां पर प्रशासक लगे हुए थे, उन एमडीज ने उन बैंकों को डुबाने का पूरा काम किया। मालपुरा के किसान समय पर जब भी मार्च का महीना आता था, 31 मार्च से पहले-पहले अपना लोन चुका देते थे फिर भी उनको लगभग 18-20 हजार से ज्यादा की कभी भी लिमिट बढ़ाई नहीं जबकि मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के चारों तरफ जयपुर जिला और अजमेर जिला लगता है और वहां पर किसानों को कहीं पर तो 50 हजार, कहीं पर लाख रुपये और कहीं पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये तक का भी लोन मिलता है। जब भी हम जाते हैं तो पूछते हैं कि हमारे यहां पर क्यों कम मिलता है, तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं उनको कम से कम 50 हजार रुपये तक का तो लोन दें, जिससे उनकी स्थिति सुधरे। जो किसान ईमानदार हैं उनको पूरा लोन दें और जो लोन नहीं देते और जिन्होंने बैंक को डुबाने का काम किया है, उनको जो सजा देनी है वह उनको दें, तो यह पारदर्शिता बरतें।

इसके साथ-साथ काफी समय से सहकारिता विभाग के अंदर सोसाइटीज में चुनाव नहीं होने की वजह से सारी सोसाइटीज कमजोर पड़ी हुई हैं। व्यवस्थापक मनमर्जी कर रहे हैं। प्रशासक लगे हुए हैं बैंकों के अंदर, तो कोआपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज के चुनाव भी जल्दी-जल्दी कराए जाएं जिससे सहकारिता मजबूत हो।

सहकारी समिति के अंदर पहले संचालक मंडल ही वहां पर जो व्यवस्थापक हो या जो भी आदमी रखते थे, उनको लेने का अधिकार था। पिछले कुछ समय से इनका अधिकार छीन लिया गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि संचालक मंडल को ही पूरा

(श्री कन्हैया लाल)

अधिकार दें जिससे वह उस सोसाइटी के किसी आदमी को काम करने के लिए रखे, उसको व्यवस्थापक बनाए तो कम से कम उनको भी पावर मिले।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय से जो किसानों के यंत्र, ट्रैक्टर या जो भी सामान आते थे उसके लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से उनको लोन मिलता था, वह बैंक करीब-करीब बंद पड़े हुए हैं। मेरे टोडारायसिंह और मालपुरा का भूमि विकास बैंक बिलकुल बंद कर दिया गया है उनको पुन: चालू करें जिससे किसानों को कृषि यंत्र वगैरह तथा और जो भी सामान कृषि के काम आते हैं, उनको खरीदने के लिए जो लोन मिलता है, वह उन बैंकों के माध्यम से मिले, तो उनको चालू करने का काम करें।

जब से नई ग्राम पंचायतें बनी हैं और इनके साथ-साथ कई पुरानी ग्राम पंचायतें हैं, जिनके अंदर अभी भी सहकारी समितियों का गठन नहीं हुआ है, विशेषकर मेरे देशमा, देवल, सोडा बावड़ी, बागड़ी, बड़जाल नगर, राजपुरा, थडोली, टोडारायसिंह के अंदर नई सोसाइटी गठन करने की प्रक्रिया चालू करें, जिससे यहां के किसानों को भी पूरा कृषि ऋण मिल सके। इसके साथ-साथ कुछ सोसाइटीज, जिनका पहले गठन तो हो चुका बाकी अभी तक वह चालू नहीं कर पाए हैं, उनकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है जैसे चावुण्डा, तिलांजु, मलिकपुर, गणवर, मोड़ला का गठन तो हो गया अतः इनकी जो भी प्रक्रिया है, वह जल्दी से जल्दी पूरा करें जिससे यह अपना पूरा काम कर सकें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कई माननीय सदस्यों ने मांग भी उठाई कि व्यवस्थापकों की स्थिति उनको प्रोपर वेतन नहीं मिलने की वजह से या तो कहीं न कहीं वह बेईमानी करते हैं या कुछ न कुछ समय पर किसानों का साथ नहीं दे पाते हैं, तो उनके भी वेतनमान की जो बार-बार वृद्धि करने की बात है, तो उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। उनको, 9, 18, 27 का जो भी बैनिफिट है वह उनको दिया जाए जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वह ईमानदारी से काम कर सकें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एमएसपी के माध्यम से क्रय-विक्रय के थ्रू हम माल खरीदते हैं। क्रय-विक्रय की स्थिति काफी मजबूत हो गई है क्योंकि एमएसपी में पिछले तीन-चार साल से तो खूब खरीददारी हुई है, चाहे चने की हो, चाहे मूंग की हो, सरसो की हो, इनकी वजह से इनका प्रोफिट आया है, तो यह क्रय-विक्रय तो काफी हुआ है। बाकी कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां अच्छी पोजिशन में हैं, उनके माध्यम से भी हम यह माल खरीदेंगे तो वह भी मजबूत होंगी। इसके साथ-साथ क्रय-विक्रय केवल उप खंड

(श्री कन्हैया लाल)

मुख्यालय पर ही होता है और वहां पर इतना ज्यादा लोड हो जाता है कि किसानों का 10-10 दिन तक नंबर नहीं आता है, तो जगह-जगह हर उप खंड पर कम से कम 5-5 जो सहकारी समिति मजबूत हैं, उनको भी अधिकार दें तो उनकी भी स्थिति मजबूत हो और कम से कम किसान जो एक जगह पर इकट्ठा होता है और उसकी वजह से भीड़ होती है, प्रशासन को पुलिस लगानी पड़ती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वह भी नहीं बिगड़े। इसके लिए भी कलेक्टर के माध्यम से हमने कुछ सोसाइटीज के नाम यहां पर पहुंचाए हैं उनको मंजूर करें और उनको खरीदने का पूरा अधिकार दें जिससे वह सोसाइटी भी मजबूत हो।

सहकारी समितियों का तो सरकार गठन कर रही है लेकिन इसके साथ-साथ ही उनके गोदामों की भी व्यवस्था करें। अभी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 25 सोसाइटी ऐसी हैं जहां पर गोदामों की कमी है। उनमें हर साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-5, 7-7 गोदाम जरूर दें जिससे उनको माल रखने की पूरी व्यवस्था हो सके और सबसे बड़ी चीज है 4 जनवरी, 2019 से जो इंश्योरेंस का काम, 10 लाख रुपये तक का जो लोन मिलता था कृषक को, उसके इंश्योरेंस का पैसा सोसाइटी जमा कराती थी, वह बंद कर दिया गया है। अभी सिरोही से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि मैंने जब 10 लाख रुपये का चैक दिया था तो कितनी खुशी हुई। काम करते हुए कई किसानों की मौत हो जाती हैं और उन्होंने लोन तो ले रखा है, तो यह उम्मीद है कि पहले 5 लाख थे, बाद में हमारी सरकार ने 10 लाख रुपये कर दिए, तो वह भी वापस चालू करें जिससे किसानों को इसका पूरा बैनिफिट मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं विशेषकर पर्यटन मंत्री जी को कि डिग्गी कल्याण जी एक ऐसी जगह है जहां पर अभी कह रहे थे कि कहीं पर पांच लाख आते हैं, कहीं पर 47 लाख आते हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि वहां पर अगर पूरी पूर्णिमा, संडे, ग्यारस और पूरे सावन और भादवा को मिलाकर देखें तो कम से कम 40 से 50 लाख यात्री हमेशा डिग्गी जाते हैं।

(18.00 बजे)

पुष्कर, डिग्गी, सवाई माधोपुर का एक सर्किट बनाया जाये। बीसलपुर में महादेव मंदिर है, जहां पर रावण ने तपस्या की थी, उसको भी जोड़ा जाये। यह पूरा एक धार्मिक सर्किट बनाया जाये। इसके साथ-साथ टोडारायसिंह, बीसलपुर

(श्री कन्हैया लाल)

ऐसी जगह है जहां पर ऐतिहासिक महल है। वहां पर लगभग 360 से ज्यादा बावड़ियां हैं, हाड़ी रानी का कुंड है, जहां पर कई पिक्चर्स की शूटिंग भी हो चुकी हैं। उस एरिया में पहाड़ भी हैं, रिजर्व फोरेस्ट भी है, रेगिस्तान भी है, नदी भी है और नैचुरल झील भी है, बीसलपुर डैम जो 20-25 किलोमीटर तक पीछे भी भरा हुआ है, इसके साथ-साथ वहां पर बुद्ध सागर है, खारोला है, आम सागर झील है, इनको अगर पर्यटन के हिसाब से जोड़ा जाये, यह जयपुर से भी 100 किलोमीटर पड़ती है, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा के बीच में यह जगह आती है। पिछले पांच सालों में रोडों का तो इतना डवलपमेंट कर दिया, पूरा जाल बिछ गया, कोई ट्रैक्टरों की दिक्कत नहीं है। अभी भी मेरे पचेवर से लेकर टोडीसागर के जो हेरिटेज होटल हैं, वहां पर डेली कम से कम चार से पांच गाड़ियां फोरेनर्स की आती हैं। अगर उस जगह को आप पर्यटन के हिसाब से डवलप करें तो पूरे राजस्थान में पर्यटन की काफी संभावना बनेगी और वह एरिया भी डवलप होगा। राजस्थान के बिलकुल बीच सेंटर में यह पाइंट है। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो बिलकुल यह बढ़ेगी। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी ने डिग्गी के लिये 60 करोड़ रुपये दिये थे। उसमें से अभी तक 29 करोड़ रुपये लगे हैं। मंदिर के लिये भी 5 करोड़ रुपये अलग से दिये थे, वह काम भी आप कराएं ताकि डिग्गी जो एक धार्मिक नगरी है, जहां पर लाखों यात्री आते हैं, उसका विकास हो सके। वह बजट भी देवस्थान विभाग के थ्रू ही मिला था, वह मंत्रालय भी माननीय विश्वेन्द्र सिंह जी के पास ही है, उसमें भी आप ध्यान दें क्योंकि काम पीडब्ल्यूडी कर रहा है, उसकी मोनिटरिंग करें और वह पूरा पैसा प्रोपर लगाएं तो कल्याण जी की कृपा आप पर भी होगी।

इसके साथ-साथ और भी चीजें हैं लेकिन समय की कमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लामारी सिंह का किला भी एक महत्वपूर्ण किला है। वह अजमेर-सवाई माधोपुर के बीच में आता है। लामारी सिंह के किले का भी अगर डवलपमेंट किया जाये तो वहां भी पर्यटन की काफी बड़ी संभावना है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर ध्यान दें।

बीसलपुर बांध में रंगीन मछली का प्रजनन केन्द्र जो या तो साउथ में है, पहला प्रजनन केन्द्र बीसलपुर में बना है। पिछले समय माननीय प्रभु लाल जी जो कृषि मंत्री थे, उन्होंने वहां पर बनवाया। मिनी गोवा के रूप में नारियल की खेती, खजूर की खेती को वहां पर डवलप किया, उसको भी देखें और रंगीन मछली केन्द्र के उद्घाटन के लिये मैं कृषि मंत्री माननीय लालचन्द जी से

(श्री कन्हैया लाल)

कहना चाहूंगा कि जल्दी से उसका उद्घाटन करें। वह भी एक ऐतिहासिक जगह है। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर पूरा ध्यान दें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, पर्यटन मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी दोनों गायब हैं। राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं, कहीं मध्य प्रदेश की तरह दूर तक तो नहीं चले गये हैं? यह सदन चिंतित हो रहा है। दूसरे मंत्रियों को बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था कराएं। सभापति महोदय, आप देख रहे हैं दोनों मंत्री नहीं हैं और बड़ी देर से नहीं हैं, उप मुख्य मंत्री जी भी नहीं है और कई माननीय सदस्य भी नहीं हैं। यह सदन जानना चाहता है कि सरकार के कितने लोगों ने इस सरकार का दामन छोड़ दिया है? मांगों पर चर्चा हो और दोनों मंत्री नहीं हों, आप देख रहे हैं कि दोनों मंत्री नहीं हैं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): तीन-तीन मंत्रीगण बैठे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह सदन जानना चाहता है वास्तविकता क्या है? क्या पर्यटन मंत्री और सहकारिता मंत्री किसी कैम्प की ओर यहां से प्रस्थान कर चुके हैं या यहीं हैं, हमें बता दो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कहीं दो टुकड़े तो नहीं हो गये हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पूरी संभावना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर आपके मन में क्यों इतना भय हो रहा है? आप बहुत भय ग्रस्त हैं।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। डा. महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 16)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. महेश जोशी)

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020 से सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2020 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2020	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020, 2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2020, 3.राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020, एवं 4. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020, -पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2020 रविवार, दिनांक 15 मार्च, 2020	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020	1. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2020, एवं 2. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण।

माननीय उप नेता महोदय, सदन की गरिमा बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह देख रहे हैं जुगलबंदी, यह प्यार मुहब्बत देख रहे हैं आप?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये जो कुछ करना पड़ेगा, वह करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय इस सीट से बोल रहे हैं, यह पहली बार हो रहा है। यह बात कहां से कहां तक चलेगी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): एक नई चीज हम टूरिज्म में एड कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिटिकल टूरिज्म। आप लोग सवेरे से मुझे उधर बुला रहे थे तो मैं आप सबको बुलाने उधर आया हूं, आप उस तरफ आ जाओ।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले ही कहा आप पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आपको कुछ भी करना पड़े, आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये हर संभव प्रयास करेंगे, आपको धन्यवाद।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): राजनीतिक पर्यटन भी बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहें।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय श्री हरीश चन्द्र मीना (अनुपस्थित)। माननीय श्री रामलाल जाट।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 36 व 47 पर विचार

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, सहकारिता की अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का जो आपने समय दिया उसके लिये मैं हृदय से आभारी हूं। हमारे यहां आरम्भ से ही सहकारिता पर आधारित हमारी संस्कृति रही है। शुरू से ही आपस में लोग मिल-जुलकर पारस्परिक रूप में अपनी जरूरतों के हिसाब से रहते थे। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता का मूल मंत्र इन्द्र धनुष में सात रंग हैं, उसी तरह सात सूत्र से पारस्परिक सहयोग करके मिलजुल कर रहने का मूल मंत्र दिया 'एक सब के लिये, सब एक के लिये।'

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उन सबसे सहमति करते हुए आदि अनादि काल से ही हमारी संस्कृति में कई युगों पहले ही अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई गई यह सहकारिता, जिसमें जोइंट परिवार के रूप में भी रहकर काम करते हैं लेकिन शनै: शनै: जब ब्रिटिश सरकार थी तब भी कोआपरेटिव को कागजों में लेने का काम किया लेकिन इतना सफल नहीं हो पाया। माननीय सभापति महोदय, 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तब इसमें थोड़ा बल मिला। गांव में रहने वाले

(श्री रामलाल जाट)

मजदूर, किसान चाहे उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, बीज के रूप में, ऋण के रूप में तत्कालीन सरकार के सहयोग से इसको आगे बढ़ाया गया। शुरू के दशकों में इसमें काफी कमियां भी रहीं, समस्या का सामना भी करना पड़ा लेकिन आजादी के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, त्रिभुवन दास पटेल, ऐसे कई महानायक सहयोगी के रूप में थे। उन्होंने इसको हिन्दुस्तान में आगे बढ़ाने का काम किया। राजस्थान में भी इस सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में तत्कालीन सरकारों के मुख्य मंत्री सुखाडिया जी से लेकर, सभी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2001 में अशोक गहलोत जी ने, हिन्दुस्तान के हर राज्य से इसके लिए सारे एक्ट मंगाये गये। तत्कालीन को-आपरेटिव मिनिस्टर खेत सिंह राठौड़ जी थे तो रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी। पूरे राजस्थान के हर कारपोरेटर को राजनीति से ऊपर उठकर, उसमें उन तमाम चीजों का सार लिया गया कि गांव का, किसान का और मजदूर का किस तरह से विकास हो? बिचौलियों को दूर कैसे किया जाए? किसान की उपज का सही मूल्य किसान को कैसे मिले? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2001 का बहुत ही अच्छा एक्ट बना। उसके बाद परसादी लाल जी, जो कि अभी यहां विराजे हैं, ये को-आपरेटिव मिनिस्टर बाद में आये। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उस एक्ट में जो भारत सरकार, यूपीए सरकार में 1997 में अमैंडमेंट एक्ट में हुआ, जिसमें हर पांच साल में चुनाव कराने की बात भी आयी। 2013-14 में परसादी लाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से, अशोक गहलोत जी के समय उसमें कई ऐसे सुझाव डाले, हिन्दुस्तान के हर राज्य ने उस को-आपरेटिव एक्ट को माना लेकिन उसके बाद में जो सरकारें आयीं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए यह रिकार्ड की चीज है, इस को-आपरेटिव मूवमेंट को तोड़ने का काम जब-जब भी कांग्रेस के खिलाफ की गवर्नमेंट आयी, यह रिकार्ड के ऊपर है। आप 2015 के अंदर देख लीजिए, 2016 के अंदर देख लीजिए, किस तरह से को-आपरेटिव। जबकि आज मैं यह कह सकता हूं कि सबसे कम भ्रष्टाचार यदि किसी डिपार्टमेंट में है, अगर समय पर चुनाव हों तो को-आपरेटिव चुनाव हो लेकिन हमेशा इसमें समय पर चुनाव नहीं होने की वजह से कई ऐसी कमियां रहीं हैं, उसकी वजह से यह डिपार्टमेंट बदनाम भी हुआ लेकिन फिर भी किसान की उपज का सही मूल्य देने और किसान को ज्यादा फायदा देने का काम यह डिपार्टमेंट हमेशा करता आ रहा है।

मैं एक को-आपरेटिव संस्था दूध डेयरी से जुड़ा हुआ हूं। आज साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का टर्नओवर है। माननीय सभापति महोदय, 38 से 40

(श्री रामलाल जाट)

करोड़ रुपये हर महीने भीलवाड़ा जिले के गांव में दूध डेयरी के माध्यम से जाते हैं, आज ऐसी कोई संस्था नहीं है जो किसानों को इतना पैसा दे रही है। माननीय सभापति महोदय, वह प्रोफिट में है। ऐसी कई संस्थाएं को-आपरेटिव की हैं, जहां-जहां पर समय पर चुनाव हुए हैं वे हमेशा प्रोफिट में रही हैं। आज सरकार के सारे डिपार्टमेंट आबकारी, मिनरल को छोड़ दें, कुछ एक डिपार्टमेंट सोशल काम करते हैं, बाकी जहां-जहां लालफ़ीताशाही रही, जहां-जहां ब्यूरोक्रेट हावी रहे, वह डिपार्टमेंट हमेशा डूबा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़े बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप सहकारिता में देख सकते हैं जैसे तिलम संघ है, चाहे स्पिनफैड है, चाहे शुगर मिल है, दूध डेयरी है, उपभोक्ता भंडार है जिस-जिस संस्था में चुनाव हुए हैं वह संस्था प्रोफिट में रही है, लेकिन सरकारों का पूरा ध्यान नहीं रहने की वजह से कई बार ऐसी दिक्कतें आयीं कि इस डिपार्टमेंट को, किसान की मदद करने का जो सही उद्देश्य था, इस वजह से उससे दूर हटना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसी की बुराई नहीं करुंगा। इस डिपार्टमेंट में कई अच्छे अफसर भी आये हैं। इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं, जिसकी पोस्टिंग दूध-डेयरी में हो, वह दूध बेचने लग जाए। कल उसको जेडीए में लगाओ, वह प्लाट बेचने लग जाए, वह दारू बेचने लग जाए, उसे शुगर मिल में लगाओ वह काम करने लग जाए, उसे स्पिनफैड में लगाओ वह काम करने लग जाए। जबकि उस डिपार्टमेंट का जो इम्पोर्टेंट आदमी है, उस डिपार्टमेंट का चुना हुआ आदमी है, वह ही उस डिपार्टमेंट को सही चला सकता है। जहां-जहां ब्यूरोक्रेट इन संस्थाओं में हावी रहे हैं, वहां-वहां यह संस्था हमेशा डूबी है। माननीय सभापति महोदय, इन संस्थाओं को जब तक सरकारीकरण से दूर नहीं करेंगे, इस पर कई माननीय सदस्यों के सुझाव भी आये हैं, उधर से भी अच्छे सुझाव आये हैं लेकिन इस पर हमेशा सरकारी तंत्र हावी रहा, इस वजह से को-आपरेटिव संस्थाएं डूबीं और गरगाटा हो गया है। बाकी समय पर चुनाव कराये जाएं और सरकारी तंत्र को दूर किया जाए निश्चित रूप से यह संस्था आगे भी बढ़ेगी और लोगों की ज्यादा मदद कर पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। यह अनपढ़ लोगों की बनायी हुई है। पिछली बार ग्राम पंचायतों में पढ़ेलिखे लोगों का राइडर भी लगा था। कांग्रेस पार्टी के जन-घोषणा पत्र में था, उसे हटाया भी गया। इस को-आपरेटिव में 8वीं पास का एक राइडर लगा दिया ताकि किसान

(श्री रामलाल जाट)
जो गांव में मदद करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको दूर कैसे किया जाए? यह बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट्स की साजिश है। इस को-आपरेटिव में समझदार लोगों के नहीं आने से यह हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि शिक्षा का जो राइडर आपने लगाया है, उसको इससे हटाया जाए और आम लोगों को इसमें जोड़ा जाए। मैं नहीं कहता कि कोई रसीद कटाकर मैम्बर बन जाए, वह चेयनमैन बने और वह काम करे लेकिन जो सक्रिय मैम्बर है, जो उसमें लेनदेन करता है, जो उसमें काम करता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा है, चाहे वह अनपढ़ है, उसको बराबर का अधिकार देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको आज पढ़े-लिखे की बात बताऊं। धीरूभाई अंबानी 9वीं पास था, उसके लड़के ने पता नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की लेकिन उसने दिवालिया निकाल दिया और कई बैंकों को दिवालिया कर दिया। उस आदमी ने रिलायंस खड़ी कर दी, जो 9वीं पास था। अनपढ़ और कम पढ़े-लिखे आदमी की भी यह पहचान है। आपके वहां से जे.डी. बिरला जी आते हैं, वे चौथी पास थे, उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी है और उनके कई पढ़े-लिखे लोगों ने सुसाइड कर लिया। पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों में जो कोआपरेशन की भावना है, वह अनपढ़ लोगों से ही आयी हुई है इसलिए इस संस्था को उन लोगों से दूर नहीं किया जाए, उन किसानों और मजदूरों को इससे दूर नहीं किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं मुझे लगभग 25 साल हो गये हैं लेकिन कई ऐसे राइडर लगे हैं, हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, कांग्रेस में भी लड़ी हैं, बीजेपी में भी लड़ी है, कई बार हाई कोर्ट गये, सुप्रीम कोर्ट गये, आज दूध डेयरियों के जो चुनाव हो रहे हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए हैं। बाद में सरकारों ने माना है, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, उनमें हमारे कई मिलने वाले माननीय सदस्य हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया, हमारे वे चेयरमैन भी रहे हैं लेकिन उनकी भी सरकार ने नहीं सुनी। यहां तक कि एक को-आपरेटिव बैंक के पाली जिले के अध्यक्ष थे, उस समय इनके दफ्तर में गये, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इन सारी संस्थाओं में कांग्रेस के लोग हैं इसलिए इनमें अमैंडमेंट करना बहुत जरूरी है। दो बार चुनाव लड़ना, उसके बाद पढ़ा-लिखा होना, उसके बाद कई तरह के ऐसे राइडर लगाए, एमएलए बन जाए, प्रधान बन जाए, प्रमुख बन जाए, एमपी बन

(श्री रामलाल जाट)

जाए तो वह इस चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। जिन्होंने इस को-आपरेटिव को बढ़ाने का काम किया, उनको दूर कैसे करें? यह पूरी व्यूह रचना, उस समय की सरकारों में हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पैरा 16 में जो-जो अमेंडमेंट किये हैं, उनको वापस 2013-14 में, 2001 का जो एक्ट बना, पूरे हिन्दुस्तान के हर स्टेट से चीजें लेकर वह बनाया गया, उसको उसी तरह से लागू रखा जाए। ये गुजरात पैटर्न की बात करते हैं, महाराष्ट्र पैटर्न की बात करते हैं, कर्नाटक पैटर्न की बात करते हैं। वहां सारा का सारा सरकारी तंत्र दूर रहता है, 2008 के बाद गुजरात में को-आपरेटिव में सरकारी तंत्र पूरा हावी हुआ है और आज वहां की को-आपरेटिव संस्थाएं मरने के कगार पर आ गयी हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें चिंता है कि आने वाले समय में अगर इस तंत्र को रोका नहीं गया, लोगों को जोड़ा नहीं गया, समय पर को-आपरेटिव के चुनाव नहीं कराये गये तो यहां के हालात भी वैसे के वैसे हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 25 सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं। एक बहुत बड़ा लैकुना इस डिपार्टमेंट के अंदर है। कैसे उन संस्थाओं को चला रहे हैं, यह खुद आप इन चीजों को देख सकते हैं? माननीय सभापति महोदय, आप जिलों के अंदर देखें, को-आपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक, इन दोनों को एक किया जाए। एक बैंक अलग तरह का लोन दे रही है, एक बैंक अलग तरह का लोन दे रही है, वहां लोगों में कई तरह की भ्रांतियां फैलती हैं। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इन चीजों को समझकर, किसान को कैसे जोड़ा जाए, यह काम इसके माध्यम से करेंगे तो निश्चित रूप से जो मंथन हुआ, इस मंथन का कोई सार निकलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब नोटबंदी का टाइम आया था, इस को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को हिन्दुस्तान से इतना दूर रखा गया और अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया कि हम को-आपरेटिव संस्थाओं को रिजर्व बैंक के अंडर में करने जा रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान की संस्थाओं को खराब करने का काम आने वाले समय में किया जा रहा है। राजस्थान में अच्छी सरकार है, अशोक गहलोत जी की सोच, यहां के मंत्री जी की सोच, यहां के मंत्रिमंडल की सोच को-आपरेटिव की भावना की है। माननीय सभापति महोदय, इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे तो इस संस्था को आगे ले जा पाएंगे और किसान की मदद कर पाएंगे।

(श्री रामलाल जाट)

आपने इस बजट में कई ऐसी अच्छी चीजें दी हैं, हर पंचायत पर सहकारी समिति खोलने के लिए। पहले शेयर कैपिटल 15 लाख रुपये हुआ करती थी। पिछली बार गहलोत गवर्नमेंट ने इसको साढ़े सात लाख रुपये किया, फिर भी पंचायतों पर कई संस्थाएं नहीं खोल पाए, तो पांच लाख रुपये इसकी हिस्सा पूंजी की। आज कहते हुए खुशी है कि हर जगह पर सहकारी संस्थाओं को खोलने से किसानों को वहां से लोन मिला, बिना ब्याज के रुपये मिले, लोन माफी में उनके नाम आये, उनको सुविधा हुई बिचौलियों से उनको दूर होने का मौका मिला, जो कि उनकी गाढ़ी कमाई को खा रहे थे, उनसे वे दूर हटे। आने वाले समय में 2 हजार नयी जीएसएस संस्थाएं खोलने का बजट में प्रावधान किया। मैं धन्यवाद दूंगा कि आने वाले समय में 2 हजार से इसको और ज्यादा बढ़ाकर हर पंचायत मुख्यालय पर एक जीएसएस खोलें, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर एक केवीवीएस खोलें ताकि किसानों को इस संस्था से ज्यादा लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में और भी है। गोदाम बनाने का काम किया। सबसे अच्छा जो काम किया, फसली ऋण का ऑनलाइन पंजीयन और वितरण, निश्चित रूप से आज के युग की मांग भी है। इस चीज को हाथ में लेने के बाद आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में किस तरह भ्रष्टाचार हैं। इस डिपार्टमेंट में कितने लोग भ्रष्टाचार में पकड़ में आए। ऑनलाइन के माध्यम से भी 56 हजार राजस्थान में ऐसे किसानों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ लेकिन उनकी संख्या जिस अनुपात में दूसरे विभागों में करप्शन है, बहुत कम है इसलिए मैं यह चीज कह रहा हूं कि जहां कोआपरेटिव संस्थाएं हैं, वहां बराबर चुनाव वगैरह कराये जाते हैं, वहां न के बराबर भ्रष्टाचार है। उसकी एकाउंटेबिलिटी है, चेयरमैन की, उसके बोर्ड की कोई कमप्लेन्ट होती है तो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, मिल सकते हैं इसलिए इन संस्थाओं में चुनाव निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों की तरह पांच साल में हो। वहां के किसानों को ज्यादा फायदा मिले। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से यह बात निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

खास तौर से दूध डेयरी की जो बात आई, उसके बारे में मैंने आपके सामने बात रखी थी। निश्चित रूप से हमने इसका विरोध किया 2007 में भी, जब अलग-अलग यूनियन बनीं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि राजस्थान में

(श्री रामलाल जाट)

21 मिल्क यूनियन हैं। अधिकतर घाटे में हैं। क्या कारण है उसका? जहां-जहां प्रशासक हैं, वहां सबसे ज्यादा घाटे में रही। जब चार भाई एक परिवार में ज्वाइंट रह रहे हैं, पहले ही उन पर कर्जा है और वह अलग हो जाएं तो कर्जा और बढ़ जाता है। यह सोच पुराने अनपढ़ लोगों की है। जब वह सक्षम होते हैं फिर अलग होते हैं तो वह सोच अच्छी होती और घर आगे बढ़ पाता है। उसी तरह राजनीतिक कारण से कई यूनियनें अलग-अलग, छोटे-छोटे जिलों में भी दूध डेयरी खोल दी। छोटी-छोटी जगह जहां सर्वाइव नहीं कर रही वहां आपने बैंक खोल दी। यह घाटे में जाने का सबसे बड़ा कारण है। जहां-जहां जन-प्रतिनिधि हैं, 90 परसेंट वह सर्वाइव कर रही हैं, कम करप्शन है, शुद्ध चीज लोगों को मिल रही है। जहां-जहां प्रशासक लगता है, वहां 90 परसेंट घाटे में जाती है। वहां करप्शन भी बढ़ता है, शुद्ध चीज भी नहीं मिल पाती इसलिए सहकारिता की मांग के माध्यम से मैंने यह आपके सामने निवेदन किया। इस पर निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी।

इसके साथ ही पर्यटन डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं। राजस्थान में खेती, माइंस और उसके बाद पर्यटन से सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा है। निश्चित रूप से इसमें बढ़ावा हुआ। कई अच्छे लोगों के सुझाव आए। माननीय भरत सिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और भी माननीय सदस्यों ने दिए। आज हमारा माण्डल है, माण्डल की पाल जो पुरातत्व के रूप में है, 32 खम्भों की छतरी है, उसके लिए आपने पहले पैसा भी दिया है, मैं धन्यवाद दूंगा। सुवाणा के अंदर पाल के ऊपर राजा जी का करेडा, वहां बावड़ियां हैं, उनमें अगर आप पैसा और देंगे तो वहां पर्यटक भी आएगा, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। मैं यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 47 पर्यटन पर चर्चा हो रही है। आज सहकारिता विभाग सीधा-सीधा प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सहकारिता और पर्यटन के बारे में काफी अच्छी बातें बताईं। उसमें त्रुटियां भी बताईं। प्रदेश में अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो तो सारा भार किसान पर होता है। प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जिस तरह से लगभग 58 लाख किसानों को

(श्री जगसी राम)

कर्ज लेकर अपनी फसल पैदा करने के लिए सहकारी बैंकों से प्रत्येक किसान को फसली ऋण का प्रावधान बनाया था, प्रत्येक किसान को नहीं दिया जा रहा है। मात्र और मात्र 25 लाख किसानों को फसली ऋण दिया गया है। शेष प्रदेश के 33 हजार किसान जो हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों से फसली ऋण लेने को बाध्य होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को जानकारी देना चाहूंगा किसानों के लिए जब हम देखते हैं कि किसानों को समय पर फायदा देना चाहिए तो यह सीधा-सीधा दिखता है कि नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार ने 2019-20 के दौरान प्रदेश के 25 लाख किसानों को पेपरलैस बायोमैट्रिक लोन देने का सपना दिखाया था। मैं स्वयं किसान परिवार से हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के किसान भाइयों के लिए निरंतर सम्पर्क में रहता हूं। बायोमैट्रिक प्रणाली के पेपरलैस लोन स्वीकृति का लाभ विधान सभा क्षेत्र में नहीं के बराबर मिला है। यही हाल प्रदेश के अन्य विधान सभा क्षेत्रों के किसानों का है। मंत्रीजी आंकडे जब सदन में प्रस्तुत करें तो बताएं कि जिले में कितने किसानों को पेपरलैस बायोमैट्रिक फसली ऋण 2019 तक जारी कर चुके हैं।

सभापति महोदय, जब किसानों की और सहकारिता के बारे में बात करें तो मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर की बात करूं तो उसमें सहकारिता के माध्यम से किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है और ऋण देने के बाद में एक परम्परा जो है, नया और पुराना, जब समय पर पैसा वह नहीं भर पा रहा है तो नया और पुराना करने के अंदर, वहां के सहकारिता विभाग द्वारा उन किसानों के साथ बिलकुल सही व्यवहार नहीं किया जाता। उनसे ऊपर के एक्सेस पैसे लिये जाते हैं, नये-पुराने करने के। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसके अंदर सरकार नियंत्रण करे जिससे सीधा किसानों को फायदा मिल सके। मैं समझता हूं समय-समय पर आडिट की जाए क्योंकि आडिट वाले जब आते हैं तो एक ही स्थान पर बैठकर कागजों की खानापूर्ति करके चले जाते हैं और सारा भार किसानों पर निर्भर रहता है। सहकारी समितियों द्वारा जो पुराने भवन, पिछली सरकार जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो चाहे गोदाम हो, भंडारण हो, वेयर हाउस हो, तब ही बने हैं। यह सरकार आने के बाद में एक भी ऐसा भवन नहीं बना किसानों के भंडारण के लिए।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है वहां पर मूंगफली और रायड़ा की पैदावार अच्छी हो रही है लेकिन साथ में ही गुजरात की मंडिया हैं। मैं समझता हूं कि या तो सरकार की उसमें शह है या सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही है। वहां पर मूंगफली खरीद केन्द्र जो समय पर खोलना चाहिए वह नहीं खोलकर सारे किसानों की मूंगफली, चूंकि किसान पैसे वाला तो होता नहीं है ताकि उसका स्टोरेज कर सके, गुजरात में बिकने के बाद में, अंतिम तारीख पर वहां पर खरीद केन्द्र खोलते हैं और तब तक किसानों की सारी खरीद मूंगफली वगैरह जो है वह बिक जाती है। इसके अलावा मैं मंत्रीजी से यह भी कहना चाहूंगा कि गेहूं का खरीद केन्द्र भी रेवदर में संचालित किया जाए।

मैं समय को देखते हुए पूरे प्रदेश की बात न कहते हुए मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा कृषि क्रय-विक्रय समिति में जब किसानों के लिए वहां पर पर्यवेक्षक बैठते हैं, कृषि पर्यवेक्षक बैठते हैं और वहां पर खाद-बीज का वितरण सोसायटियों के माध्यम से होता है लेकिन समय पर वह नहीं करते हैं। समय जाने के बाद में किसानों की फसल मार्केट से लाने के बाद में, बुवाई करने के बाद में, उन केन्द्रों से वह खाद-बीज दिए जाते हैं। इसको भी पाबंद करने की आवश्यकता है। सिरोही ही नहीं पूरे राजस्थान में यह स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूं कि इसकी व्यवस्था यदि सुचारु रूप से की जाए तो सहकारिता के माध्यम से सीधा-सीधा किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक जीएसएस, मैं समझता हूं दो-दो तीन-तीन ग्राम पंचायतों के बीच-बीच में, दस-दस, बारह-बारह किलोमीटर की दूरी पर सहकारिता का लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है क्योंकि वह इतने लंबे गैप में नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सोसायटी, जीएसएस खोला जाए ताकि वहां पर जो मूलभूत सुविधा है, उनको लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता हमारे सिरोही जिले से, सिरोही के माननीय सदस्य बता रहे थे कि एक मगरीवाड़ा जीएसएस सहकारिता का घपला पूर्ववर्ती सरकार, वसुन्धरा जी के समय का बता रहे थे और अभी एक साल के अंदर-अंदर 82 लोगों का जो बताया है, अभी वर्तमान सरकार का है। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनके अंदर यदि बड़े अधिकारी लोग

(श्री जगसी राम)

सम्मिलित हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाए क्योंकि छोटे लेवल के लोगों को इसमें सम्मिलित किया है। मैं चाहता हूं निष्पक्ष जांच करवाएं। यही नहीं इसके अलावा इसी तरह से भट्टाणा और लोनूल जो जीएसएस है, उसको भी सम्मिलित करके यदि जांच करवाई जाए तो उसमें भी कई प्रकार के ऐसे घपले सामने आएंगे।

मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए वर्तमान में पर्यटन को भी इसमें सम्मिलित किया हुआ है, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू है। आबू पर्वत पर देश-दुनिया के पर्यटक आते हैं। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने दस करोड़ की लागत से वहां सौंदर्यीकरण करवाया। उसके बाद दूसरे टर्म में गौरव पथ के नाम से, उसके अलावा भी सरकार ने दस करोड़ रुपये लगाए थे। वर्तमान में एक साल होने के उपरान्त भी माउण्ट आबू, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, वह भी हमारे ज़िले से हैं, चिंता कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन एक नया पैसा भी माउण्ट आबू के लिए नहीं दिया गया है। उनको कहना था तो घोषणा करवाने के उपरान्त कहते तो बहुत अच्छा लगता।

पर्यटक के लिए माउण्ट आबू, पावापुरी, देलवाड़ा जैन मंदिर, भैरूतारक, सिरोही जिला धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। यहां चारों तरफ से पर्यटक आते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यदि पावापुरी को सड़क से जोड़ा जाए तो आने वाले समय में पर्यटन को बढावा मिलेगा। सुंधा माता धाम है, वहां पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, उसे भी पर्यटन में जोड़ा जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सिरोही जिला मुख्यालय है, सारणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वहां अंग्रेज़ों के समय से बावड़ी का प्रमाण है, कोढ़ हुआ था और पानी छिड़कने से कोढ़ नष्ट हुआ था, सिरोही की तलवार पूरे देश भर में मानी जाती है। मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारणेश्वर मंदिर है, उसको भी पर्यटन विभाग से जोड़ा जाए। हमारे सिरोही ज़िले का एक भी स्थान नहीं जोड़ा गया है। माउण्ट आबू, सारणेश्वर मंदिर सिरोही मुख्यालय को भी जोड़ें ताकि आने वाले समय में हम भी गर्व महसूस करें। आने वाले समय में सिरोही जिला अग्रणी ज़िलों में माना जाए।

(श्री जगसी राम)

इसके अलावा एक-दो बात और निवेदन करना चाहूंगा। बैंक, घोटाले वाली सोसाइटी है, क्षेत्र की जनता के गाढ़े पसीने का पैसा है, आदर्श कोआपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी कोआपरेटिव है, नवजीवन है, सहारा है। सरकार ने कार्यवाही की है लेकिन अधरझूल में की है, जनता का पैसा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी का पैसा उन बैंकों में रखा था। परिवार को पालने के लिए रखा था। उनकी मंशा थी कि पैसा आने के बाद बच्चों की शादी करेंगे...

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दों को आप गहनता से देखेंगे तो प्रदेश और देश की जनता आपका आभार व्यक्त करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक (खण्डार)।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सहकारिता व पर्यटन की मांग पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। सहकारिता के माध्यम से हमारे देश व प्रदेश में किसानों की, आम आदमी की तरक्की हुई है। सहकारिता के माध्यम से मिलकर जो काम होता है, एक दूसरे से मिलकर, सहयोग की भावना से काम होता है, उसको आगे बढ़ाकर सहकारिता विभाग ने कई काम करके, हमारे देश के किसानों की माली हालत को सुधारा है। हमारी सरकार ने फ़सली ऋण ऑनलाइन पंजीयन व वितरण की योजना 2019 घोषित की है, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

अब तक इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा 22 लाख से अधिक किसानों को 8 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ब्याज अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 5 करोड़ 34 लाख रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है, मैं उसके लिए प्रदेश के किसानों व मेरी ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक नई बात और है, आगामी दो वर्षों में 2 हजार नवीन जीएसएस के गठन की योजना है, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इससे जो गांव वंचित रह गए हैं, या दूर-दराज हैं, किसानों को उसका लाभ

(श्री अशोक)

नहीं मिल पा रहा, निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। इस तरह से हमारे प्रदेश के हर गांव-गांव तक सहकारिता का आंदोलन पहुंचेगा और किसानों को इससे जुड़कर लाभ लेने का अवसर मिलेगा, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। उपभोक्ता भण्डार के लिए कुल 130 गोदाम बनाए जाने और उनके लिए 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं।

मंत्री महोदय जी कहीं व्यस्त हैं, अनुरोध करूंगा कि मेरा खण्डार क्षेत्र डांग क्षेत्र है। दूर-दराज के किसानों को बहुत असुविधा होती है इसलिए मेरे खण्डार क्षेत्र में, दो जीएसएस गोदाम छाण और भादर में खोलने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, इस ओर आप विशेष ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष मेरे क्षेत्र खण्डार में उड़द की खरीद हुई थी, वहां राजफैड के अधिकारियों ने, कोआपरेटिव के अधिकारियों ने मिलकर, मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान चाहूंगा, सभापति महोदय, करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। किसानों के नाम से वहां के दलालों, बिचौलियों ने ओवर राइटिंग करके जमाबंदी में, गिरदावरी में, ओवरलैपिंग करके, बाजार से उड़द खरीदकर, एम.पी. से खरीदकर, यहां पर तुलवा दी। यहां दलालों को तो फायदा मिल गया, पर बाद में जब शिकायत हुई, छापा पड़ा, जांच हुई और रिकार्ड जब्त हुए तो जो मूल किसान थे, जिसकी वास्तव में जितनी उपज थी, उत्पादन था, उनको आज तक उड़द का भुगतान नहीं मिला है। मैं दो बार मंत्री महोदय से मिल चुका हूं। अनुरोध कर दिया गया है कि खण्डार क्षेत्र के हज़ारों किसानों ने जो वास्तविक तुलान किया है, समर्थन मूल्य के तहत उनको जो भुगतान मिलना है, साल-डेढ़ साल से उनको भुगतान नहीं मिल पा रहा है, वहां के किसान बहुत परेशान हैं। दलाल तो मालामाल हो गए। राजफैड के अधिकारियों ने मिलकर, उनकी पूरी एक गैंग थी, दलालों ने तो लाभ ले लिया। भरतपुर राजफैड के अधिकारी पूरा गैंग चला रहे थे, जिन्होंने पिछली बार सरसों, चने में भी घोटाला किया। पिछले साल उड़द में भी घोटाला किया। दलालों को तो उसका फायदा मिल गया लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं आपके पास पूरी जांच रिपोर्ट लेकर आया था, वह अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने घोटाला किया था, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतने सशक्त हैं कि आपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद भी वह अधिकारी दुबारा वहीं आकर लग गया। अब इसमें घोटाला किधर हो रहा है, यह तो आप देखो।

(श्री अशोक)

मेरे किसानों का साल भर से भुगतान पेंडिंग है। जो वाजिब किसान है, उत्पादन का मापदण्ड है उसके आधार पर तुलाई की, उसका भुगतान आज तक नहीं मिला। मेरा आपसे आग्रह है कि उनका जल्दी भुगतान कराएं। कोई रास्ता निकालें, जो गलत हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें, उन अधिकारियों को निलंबित करें। परन्तु कृपा करके खण्डार क्षेत्र के किसानों को उड़द का भुगतान करवाएं ताकि मेरे किसानों को राहत मिल सके। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा।

कोआपरेटिव के चुनाव कराओ। केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक अलग-अलग हैं जबकि काम एक ही कर रहे हैं। कृपा करके इस पर ध्यान दें। जिस तरह से मर्ज करके बजट को बैलेंस किया जाता है, ख़र्चे कम किए जाते हैं, कई बैंक विलय किये हैं, आप भी केन्द्रीय सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंक, दोनों को मर्ज करो ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। एक ही तरह का ऋण वितरित करते हैं, अलग-अलग नहीं करते हैं, तो इस ख़र्चे को कम करें। लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसके लिए आप प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। मेरे किसानों को आप उड़द का भुगतान करवा दें। रामलाल जी फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। राजफैड के फिर चुनाव कराओ ताकि इसका संतुलन हो और करप्शन कम हो। जो वाजिब किसान है उसको सहकारिता का लाभ मिलना चाहिए, आपसे ऐसा मेरा आग्रह है।

पर्यटन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान चाहूंगा। खण्डार क्षेत्र में चंबल घड़ियाल पार्क है, सैंक्चुअरी है, राजस्थान सरकार व मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर घोषित की, इसको काफी अरसा हो गया लेकिन अब तक एक रुपये का भी विकास का काम नहीं हुआ। आप ताज्जुब करेंगे, रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट है, होटल्स के द्वारा इस तरह हो गया कि टूरिस्ट दूसरी जगह जाए ही नहीं, हमारे यहां ही पडा रहे। जबकि वह दो-दो दिन घूमकर आता है लेकिन उसको टाइगर साइट नहीं होती। कई टाइगर गांवों में निकल गये। एक ही रूट से टाइगर दिखाने के लिए सारे टूरिस्ट को भेजा जाता है, उससे क्या होता है कि बहुत भगदड़ मचती है, टाइगर डिस्टर्ब होता है और परेशान होकर घबराकर बाहर आ जाता है। वन मंत्री जी का भी मामला है और आप भी सुनें, दोनों से ही जुड़ा हुआ है। वन मंत्री जी टाइगर पालते हैं और उसके बाद दिखाने का काम आप करते हैं। मेरा निवेदन है कि टैरिटरी के हिसाब से आप और जोन खोलेंगे तो रूट बढ़ेगा। दो दिन तक टूरिस्ट आता है,

(श्री अशोक)

सवाई माधोपुर होटल में ठहरता है और बाद में उसको टाइगर नहीं दिखता है तो बड़ा हताश, परेशान होकर जाता है। बाहर से आता है, उसके हज़ारों, लाखों रुपये खर्च होते हैं। मेरा आग्रह है, उसके आगे यह जो डेस्टिनेशन है चम्बल रिवर, इतनी बड़ी जबरदस्त रिवर है, जिसमें घड़ियालों की सैंक्चुअरी है। हजारों की तादाद में घड़ियाल हैं। वहां से मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर वह सैंक्चुअरी है। परन्तु आज तक उसकी सुविधा के लिये, उसको विकसित करने के लिये कोई काम आपके विभाग के द्वारा नहीं किया गया। मैंने एक बार पहले भी आग्रह किया था कि उस पर कोई योजना बना कर वहां पर टूरिस्ट्स की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाये, वहां की साधन-सुविधाएं बढ़ें, वहां का आवागमन बढ़े, वहां पर जन सुविधाएं बढ़ें।

मेरा निवेदन है कि फैसिलिटीज बढ़ेगी तो वहां टूरिज्म बढ़ेगा। एक दिन वह रणथम्भौर से चम्बल घड़ियाल सैंक्चुअरी जायेगा, वहां तीन नदियों का संगम है। रामेश्वर धाम पर तीन नदियों का संगम है। गोवा की जैसे कम से कम 25 किलोमीटर रनिंग बोटिंग होती है उसके रिवाइंस के पास में, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार आप पधारेंगे तो मैं समझता हूं कि सारा विजन आपके सामने आ जायेगा। उसके रिवाइंस के पास में छोटे-छोटे ढाबे, होटल्स और इस तरह के कैम्पस लग जाएं, टेंट होटल्स लग जाएं। परन्तु आपने राइडर लगा रखा है कि एक किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति व्यवसाय नहीं करेगा। वहां के लोगों के पास कोई रोजगार धंधा नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं।

मेरा निवेदन है कि वहां पर फैसिलिटीज बढ़ाने के लिये, कम से कम वहां के लोकल वाशिंदों को, वहां के लोकल किसानों को, वहां के लोकल ग्रामीणों को, वहां के बेरोजगारों को आप अवसर देंगे, उस सीमा को एक किलोमीटर से घटा करके पांच सौ मीटर कर देते हैं, वन मंत्रीजी का भी ध्यान चाहूंगा, तो वहां के लोकल लोगों को छोटे-छोटे रोजगार करने का अवसर मिलेगा। आप अगर वहां के जोन खोल देते हैं तो हमारे और जिप्सियां, जो ओवरलोडिंग करके मिश्रधारा गेट से जाती हैं रणथम्भौर टाइगर में, वह खण्डार के गेट से भी जा सकती हैं। वहां अलग से भी एक रास्ता है। तो आधा रूट, वहां से जाने से टूरिस्ट्स को ज्यादा अवसर मिलेंगे और इधर का टाइगर नहीं

(श्री अशोक)

दिखेगा तो उधर का टाइगर दिख जायेगा। तो कम से कम जो टूरिस्ट आता है इस उम्मीद से कि उसको टाइगर दिखेगा, दोनों तरफ से उसको फायदा होगा और मेरे क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वहां पर छोटे-मोटे लघु उद्योग धंधे विकसित होंगे। वहां की बेरोजगारी दूर होगी। कम से कम हजार-पांच सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। यह मुफ्त में होगा, आपका पैसा भी नहीं लग रहा है। आप केवल जोन खोलें और इस चम्बल घड़ियाल सैंक्चुअरी को, रामेश्वर धाम, जो हमारा मंदिर है, वहां तीन नदियों का संगम है, वहां की बोटिंग को थोड़ा बढ़ावा देवें। वहां के लोकल लोग रोजगार से कैसे जुड़ सकें, उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में वहां के लोकल लोगों को गैस्ट रूम खोलने की अनुमति दी बिना किसी लाइसेंस के और वहां टूरिज्म खुला है, उनको रोजगार मिल रहा है, धंधे मिल रहे हैं। आप भी कोई ऐसी छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर वहां के लोगों को जोड़ें, एक तरफ बड़े-बड़े होटलियर्स को तो फायदा हो रहा है, पर वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिये वहां के लोगों में आक्रोश है। आज भी अगर जंगल और जमीन बचाई जा रही है, आपके जीव-जंतु बचाये जा रहे हैं तो वहां के लोकल लोगों की सहानुभूति से, सहयोग से बचाये जा रहे हैं इसलिये आप उन लोगों के प्रति भी सहानुभूति रखें, तब जाकर आपके जीव-जंतु बचेंगे, टाइगर बचेंगे और हम मिलकर जंगल का विकास कर पाएंगे, रणथम्भोर सैंक्चुअरी का विकास कर पाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा दे पाएंगे। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

पर्यटन के सम्बन्ध में बात करें, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कई ऐसे देश हैं, जैसे नेपाल है, दुबई है, जापान है, थाईलैण्ड है, सिंगापुर है, इंग्लैण्ड है, अमरीका है तो उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में अपने-आपको खूब मजबूत किया है। वहां लाखों लोग पर्यटन के लिये आते हैं। उनकी आय भी बढ़ी, आज वे विकसित देश हैं। राजस्थान में भी पर्यटन की खूब सम्भावनाएं हैं। राजस्थान में नदी-नाले हैं, मरुस्थल है, कई पुरातत्व महत्व की हवेलियां भी हैं, कई तरह के बांध बने हुए हैं और तालाब भी बने हुए हैं। पर्यटन की राजस्थान में खूब सम्भावनाएं हैं। इन्हें डवलप करने की जरूरत है।

(श्री जोराराम कुमावत)

मैं मेरे सुमेरपुर क्षेत्र की बात करूं तो सुमेरपुर क्षेत्र में भी पर्यटन की खूब सम्भावनाएं हैं। सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध के पास में लैपर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लैपर्ड सफारी करने के लिये बहुत सारे देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। कई मेहमान भी आते हैं, वी.आई.पी. लोग भी आते हैं। इस क्षेत्र में कई नामी हस्तियां भी आती हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आप भी एक बार पधारे हैं, मंत्रीजी भी एक बार पधारे हैं, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को डवलप करने की जरूरत है। जवाई बांध है, जवाई बांध के ऊपर भी बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। वहां डाक बंगला बना हुआ है, हवा महल बना हुआ है, मोती महल बना हुआ है। वहां पर एक बहुत बड़ा बग़ीचा भी है जो अभी उजाड़ की अवस्था में है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध और लैपर्ड कंजर्वेशन, दोनों को यदि डवलप किया जाये तो बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल बन सकता है। इसे आप पर्यटन स्थल घोषित करें। यह जवाई बांध तो महाराजा उम्मेद सिंहजी ने बनवाया था, आप भी इसमें कुछ सहयोग करें तो निश्चित रूप से यह अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को रणकपुर टूरिज्म से भी जोड़ें, जिससे यह अच्छा पर्यटन स्थल बने। जिससे सरकार को इसका राजस्व भी मिले और स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हर साल जवाई बांध फेस्टिवल मनाया जाता है। यह जवाई बांध फेस्टिवल रणकपुर में मनाया जाता है, जबकि जवाई बांध सुमेरपुर में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह जवाई बांध फेस्टिवल जवाई बांध, सुमेरपुर में मनाया जाये, जिससे उसके पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा।

मैं मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि सुमेरपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं, जिनको यदि आप पर्यटन स्थल घोषित करें तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुमेरपुर शहर में ही नीलकंठ पहाड़ी बनी हुई है। उसके बाद में वहां पर बहुत सारे मन्दिर हैं कम से कम सौ से ज्यादा मन्दिर होंगे। सिंहप्रस्थ सरोवर बना हुआ है और सिन्दरू बांध भी है, उसके पास में शीतला माता मन्दिर की पहाड़ी बनी हुई है, वह भी अच्छा स्थान है। आशापुरा माताजी, गौरी भाखरी बाला मन्दिर पहाड़ी के ऊपर बहुत बढ़िया बना हुआ है वहां भी खूब दर्शनार्थी आते हैं। खांगड़ी में

(श्री जोराराम कुमावत)

चारभुजाजी का मन्दिर बना हुआ है वहां भी हर साल विशाल मेला भरता है। निम्बेश्वर महादेव है, जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मन्दिर है, वहां भी दर्शनार्थी खूब आते हैं, देशी-विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्थानों को भी पर्यटक स्थल घोषित करें जिससे सरकार की भी रेवेन्यू बढ़े और जनता को भी उसका लाभ मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा जाखोड़ा कोलीवाड़ा और सुमेरपुर के बीच में पिछली सरकार ने एक फिल्म सिटी, शिल्पाली बनाने का प्रावधान रखा था। उसके लिये पांच सौ बीघा जमीन नगरपालिका सुमेरपुर के नाम से अलाट भी कर दी है। आज वह नगरपालिका के खाते में भी चढ़ गई है लेकिन उस फिल्म सिटी के लिये मुंबई की ब्रांड कम्पनी अराजोन व सरकार के बीच में कोई एम.ओ.यू. हुआ था। इस फिल्म सिटी को यदि आप हाथ में लेकर विकसित करें तो निश्चित रूप से जवाई बांध स्टेशन से उतरते ही उस फिल्म सिटी का स्थान नजदीक पड़ता है। वहां मुंबई से सीधे फिल्म सिटी के लिये लोग आ सकते हैं। आसपास का जो क्षेत्र है, वह भी फिल्म सिटी के लायक ही है। निश्चित रूप से यदि आप इसको डवलप करें तो राजस्थान की यह पहली फिल्म सिटी होगी और इससे राजस्थान का नाम भी रोशन होगा, रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन स्थल भी बनेगा। यही निवेदन करना चाहता हूं। लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36 और 47 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। इन मांगों में सहकारिता और टूरिज्म दोनों को लिया है।

राजस्थान में टूरिज्म की बहुत ही उम्मीदें हैं। जितना टूरिज्म से राजस्थान में पैसा आता है, इसके बावजूद भी अगर इस टूरिज्म पर ध्यान दिया जाये तो और भी विपुल सम्भावनाएं होती हैं। आज सुबह से हमारे सम्माननीय साथी बोल रहे हैं। हर साथी, जो अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, वहां जो-जो भी विशेष स्थान हैं, उनका वर्णन वे यहां पर कर रहे हैं। हर वर्णन के पीछे वे चीजें छिपी हुई हैं। अगर वास्तविकता में देखें और उन चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से सोच-समझकर विकसित किया जाये तो मैं सोचता हूं कि उसका निश्चित रूप से फायदा मिलता है और जो फोरेनर टूरिस्ट

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

है, जिससे हमको करेंसी मिलती है, उसमें हमको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है।

महोदय, सरकार ने जो सौ करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की है, उसके लिये तो मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि अभी एक ट्रायंगल सर्किट के नाम से बहुत बड़ा फेमस, एक टूरिस्ट पैलेस बने हुए हैं, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें दिल्ली, जयपुर और आगरा का स्थान आता है। जब कोई भी विदेशी पर्यटक चलता है तो वह ट्रायंगल पर जरूर अपना फोकस रखता है। राजस्थान में अगर वह आ रहा है तो तीनों जगह पर निश्चित रूप से वह अपने टूरिस्ट पैलेसेज पर जाता है। इनको बढ़ाते हुए मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि अभी इसको हम सेवंथ पाइंट कर सकते हैं ट्रायंगल की जगह जिसमें कोई भी जो विदेशी यात्री है अगर वह दिल्ली आकर उतरता है तो उसके बाद में वह आगरा आये, आगरा से भरतपुर आये, भरतपुर से धौलपुर आये, धौलपुर से वह करौली आये, करौली से रणथम्भौर आये और रणथम्भौर से जयपुर आकर वह सीधा वापसी हो ले।

माननीय सभापति महोदय, इन पाइंट्स के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो टूरिस्ट है, उसके बाद में आगरा में ताजमहल है, भरतपुर में घना है, धौलपुर में चम्बल घड़ियाल है, बहुत बड़ा बोट्स का और बर्ड्स का बहुत अच्छा स्थान है, वहां पर भी टूरिस्ट आ रहा है लेकिन अगर यह सर्किट के माध्यम से होगा तो और भी टूरिस्ट बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ करौली, करौली में कैलादेवी है, करौली मंदिर है और एक ग्रामीण क्षेत्र का टूरिस्ट स्थल है, इसके तहत दमोह है, वह भी इसमें शामिल हो सकता है। वहां से आने के बाद में सीधा रणथम्भौर जिसको कि हर कोई आदमी जानता है, रणथम्भौर के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइगर्स के लिए इतना फेम स्टेशन है, इसके बाद में जयपुर है, जिसके लिए हर विदेशी यात्री जयपुर आना पसंद करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो दमोह की मैंने बात की है यह मेरे धौलपुर के बसेड़ी के उस रास्ते में पड़ता है जिधर से आप धौलपुर से करौली अगर आएंगे तो पड़ेगा। धौलपुर जिले में सरमथुरा उप खंड स्थित दमोह जल प्रपात धौलपुर में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। दमोह

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

जल प्रपात में लगभग ढाई सौ मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला झरना हरियाली के कारण प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरता है, जिसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों से पर्यटक आते हैं लेकिन दमोह जल प्रपात की जिले में इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद विकसित करने के लिए प्रशासन ने कोई प्रयास नहीं किये। दमोह जल प्रपात की प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि पर्यटक प्रकृति के इस अनुपम विहंगम दृश्य को देखकर प्रफुलित हो जाता है, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने खुद आकर ताना-बाना बुना है, जो सरकार के उद्देश्यों को भी पूरा करता है। दमोह में करीब ढाई सौ फीट ऊंचाई से गिरने वाला प्राकृतिक झरना पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है।

माननीय सभापति महोदय, दमोह जल प्रपात तक पहुंचाने के लिए पर्यटकों को उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है और वही कुंड तक दुर्गम रास्तों के कारण से पर्यटकों का मोह भंग हो जाता है। दमोह जल प्रपात को अगर विकसित किया जाता है तो बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सरमथुरा उप खंड में रोजगार के अवसर खुलेंगे, वही पर्यटकों की संख्या में अच्छा-खासा इजाफा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए ताकि यह मेरे क्षेत्र और टूरिस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक भूतेश्वर महादेव है जो कि बसेड़ी से तीन किलोमीटर की दूरी पर है, वह पार्वती डैम, पार्वती नदी पर है। वहां पर वर्ष भर में दो बार मेला भरता है। आराम से उस स्थान पर इंजन वाली बोट चलाई जा सकती है। पंचमुखी हनुमानजी का प्राचीन मंदिर है, वर्ष भर पानी रहता है, इसको भी अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए तो निश्चित रूप से मेरे यहां पर दो स्टेशंस ऐसे हैं जो कि सरमथुरा और बसेड़ी में विकसित हो सकते हैं और यह वह स्टेशन है जो दोनों बार, जो सेंवथ पाइंट स्टेशन अगर हम इसको घोषित करते हैं तो उसमें भरतपुर से जाते हुए धौलपुर और उधर धौलपुर से जाते हुए करौली हमें यह दोनों स्टेशन मिलेंगे और टूरिस्ट का मन मोहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारिता की मांग पर भी निवेदन करना चाहूंगा कि 22 लाख से अधिक किसानों को 8700 करोड़ रुपये का जो

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सहकारिता में सबसे बड़ी जो प्रोब्लम्स हैं और मेरे इलाके में भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो सहकारी बैंक है, वह गरीबों से अपना हाथ का अंगूठा लगवाकर लोन करवा देते हैं और खुद उस पैसे को यूज करते रहते हैं। उनको तो तब पता चलता है जब कोई किश्त आती है या कोई लैटर आता है तो इस मामले में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यह करना चाहिए।

साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बागथल और जारगा में जी.एस.एस. के दो गोदाम खोल दिये जाएं क्योंकि यह सरकार की कोशिश है कि 2020-21 में वह 130 गोदाम खोलने जा रही है।

साथ ही साथ, सहकारी कृषि मंडी, क्योंकि बसेड़ी मेरा बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां पर खोलेंगे तो वहां के किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 36 और 47, दोनों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं शुरू करना चाहती हूं पर्यटन पर पर्यटन मंत्रीजी तो यहां पर हैं नहीं। अच्छा-अच्छा, पर्यटन मंत्रीजी अपनी कुर्सी की बजाय दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। अच्छा-अच्छा।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन को अगर देखें तो यह रोजगार और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका जो योगदान है वह 2.7 परसेंट है और रोजगार में इसका 1.9 परसेंट है लेकिन अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2019-20 के अंदर जो पर्यटन का बजट था वह 114 करोड़ रुपये था लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि 2020-21 में यही बजट 114 करोड़ रुपये से घटाकर अब मात्र 84 करोड़ रुपये ही कर दिया। तो यह जो इतना घटाया है यह क्या इनकी, पर्यटन मंत्रीजी की पोजिशन को कम करने के लिए किया या क्या किया, यह समझ में नहीं आया। पर्यटन मंत्रीजी निश्चित रूप से बहुत कार्य करना चाहते हैं और पर्यटन मंत्रीजी से जब भी हम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लोग सवाल पूछते हैं तो वह अपने जवाब में भी पोजिटिव रिप्लाई देते हैं, कहते हैं कि हम लोग इस काम को करेंगे तो यह एक अच्छी बात है। ऐसा ही एक पोजिटिव रिप्लाई इन्होंने हमको इस सदन के अंदर दिया था कि हम पर्यटन का जिला पर्यटन कार्यालय कब खोलेंगे राजसमन्द में, तो इन्होंने कहा कि बहुत ही शीघ्र खोलेंगे लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहूंगी कि जिला पर्यटन का जो कार्यालय है वह आपने खोला उतना है कि दो दिन एक सहायक अधिकारी कोई आ जाता है वहां कार्यालय पर, वह भी पी.आर.ओ. आफिस के अंदर एक छोटा-सा कमरा ले रखा है, वहां पर वह बैठ जाता है और वापस से वह चला जाता है, तो यह हफ़्ते में दो दिन। तो राजसमन्द जिला ऐसा जिला है, माननीय सभापति महोदय, जिसमें पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के अंदर अपने को यह देखना चाहिए कि कैसे इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करें।

राजस्थान के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से ध्यान दिया था और इतने कार्य किये थे। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जो बनाया था जिसके तहत महापुरुषों के इतिहास को वहां पर पैनोरमा के रूप में रखा गया था और माननीय सभापति महोदय, बड़े गर्व के साथ हम यह कहते हैं कि हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने का जो कार्य उन्होंने किया था, उसमें अगर मैं कहूं तो ऐसे 48 पैनोरमा पूरे राजस्थान में बने थे और केवल अगर हम लोग बात करें उदयपुर संभाग की तो उदयपुर के अंदर हाड़ी रानी स्मारक पैनोरमा बना सलूम्बर के अंदर। इसी प्रकार से राणा राजसिंहजी पैनोरमा बना राजसमन्द के अंदर। ऐसे ही महाबली दानी पन्ना धाय पैनोरमा कमेरी के अंदर, जिला राजसमन्द के अंदर बना। कुंभलगढ़ का यानी, राणा कुम्भा का पैनोरमा बना हमारे यहां पर मदारिया के अंदर तो इस प्रकार से कई पैनोरमा, चाहे वह डूंगरपुर का हो, चाहे वह संत शिरोमणि रैदास पैनोरमा चित्तौड़गढ़ का हो, ऐसे कई हम लोग देखते हैं। हमारे यहां पर ही मातृकुंडिया जो बिलकुल हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री परशुरामजी महाराज का वहां पर पैनोरमा बना। तो यह जो पैनोरमा बने हैं यह पूरी सूची है लेकिन इन 48 पैनोरमा से एक ऐसा संदेश पूरे राजस्थान में गया कि वास्तव में हम इतिहास को, हमारी धरोहर को कैसे संग्रहित कर सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हें पूरा जानें, उन महापुरुषों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

की पूरी जीवनी को जानें और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पर विजिट करते हैं, पर्यटक भी आते हैं, स्कूल के बच्चे भी आते हैं। इन पैनोरमा का जो एक सिलसिला बी.जे.पी. गवर्नमेंट ने, पिछली सरकार ने शुरू किया था, अब हम लोग यह देख रहे हैं कि उन पैनोरमा का मैंटीनेंस का भी पैसा यह वर्तमान सरकार नहीं दे रही है जो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगी मंत्रीजी इस पर जरूर से ध्यान दें कि ऐसे जो पैनोरमा हैं उनका कम से कम मैंटीनेंस जो है, वह प्रोपर से हो जाए।

इसके अलावा, कुछ मुद्दे जो मेरे अपने जिले से संबंधित हैं, उनकी ओर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर द्वारकाधीश का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर राजसमन्द जिले में है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो सारे ऐसे मंदिर हैं, उनका एक सर्किट बनाया था और वहां पर रोड्स वगैरह की यदि जरूरत है मंदिर को जोड़ने के लिए तो उन रोड्स के निर्माण भी हुए थे। आपको ध्यान हो तो कृष्णा सर्किट भी एक बनाया था जिसके तहत गोवर्धनजी की परिक्रमा का नाथद्वारा में यह कार्य भी हुआ था लेकिन राजसमन्द जिले में द्वारकाधीश मंदिर जो है, वह भी उतना ही प्राचीन मंदिर है जितना श्रीनाथजी का मंदिर है इसलिए यहां पर भी नेशनल हाईवे से जोड़ने का, द्वारकाधीश मंदिर का एक सड़क निर्माण का काफी लंबे समय से कार्य पैंडिंग चल रहा है। मैं यह चाहूंगी कि अगर इस पर आप ध्यान दें तो द्वारकाधीश मंदिर को जोड़ने का एक रास्ता हम लोग बना सकते हैं और द्वारकाधीश से सांवलियाजी, चित्तौड़ जिले में आता है सांवलियाजी लेकिन यह ऐसे धार्मिक आस्था के स्थान हैं जहां पर हजारों-लाखों लोग वहां पर दर्शन के लिए आते हैं तो द्वारकाधीश मंदिर से सांवलियाजी का मात्र 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको स्टेट हाईवे के अंदर लिया जाए ताकि यह एक धार्मिक सर्किट बने। हमेशा इस बात को, धार्मिक सर्किट में जो लोग यात्रा करने निकलते हैं वह यह चाहते हैं कि हम श्रीनाथजी के भी दर्शन करें, हम द्वारकाधीश के भी दर्शन करें, शनि महाराज भी बीच में आ रहे हैं, उसके अन्दर मातृकुंडिया भी बीच में आ रहा है, सांवलियाजी के भी दर्शन करें तो एक तरह का पूरा सर्किट हो सकता है।

(19.00 बजे)

इस धार्मिक सर्किट को अगर आप बनाएंगे तो हमारे जो लाखों

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, उनको जो असुविधा होती है, पहले एक बस से उतरना है फिर दूसरे में चढ़ना है, वह नहीं होगा बल्कि एक सर्किट के रूप में चलेगा तो वह बड़ा अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से राजसमंद के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहां पर हमने विकास का कार्य D.M.F.T. फण्ड से शुरू किया था, जो राजसमंद जिले का D.M.F.T. है लेकिन पिछले 14 महीने से D.M.F.T. फण्ड का एक पैसा भी नहीं लग पा रहा है और जो कार्य चल रहे थे, वह सब बंद हो गये और अन्नपूर्णा माता मंदिर का विकास बिलकुल ठप हो गया। अगर आप इसके अंदर थोड़ा-सा इंटरवीन करें और इसमें जो कार्य चल रहा था अन्नपूर्णा माता के विकास का, वह कार्य वापस से शुरू करें तो वह भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुंदर होगा। वह पूरा मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और वहां से पूरा राजसमंद ही नहीं, बल्कि आस-पास का पूरा क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। इतना सुंदर स्थान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगी कि राजसमंद में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध राजसमंद झील है। उस झील के अंदर करीब 4 हजार एम.सी.एफटी. का पानी है और वह बहुत ही साफसुथरा पानी है, उसमें किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है। वह इतनी सुंदर झील है। उस झील के अंदर अगर स्पोर्ट्स की फैसेलिटी, वाटर स्पोर्ट्स आप शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। उस राजसमंद झील को एक नजर देखने के लिये हमारे पर्यटन मंत्रीजी को 14 महीने हुए हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगी कि आप आइये और देखिए एक बार वहां पर कितनी सारी पर्यटन की संभावना उस जिले के अंदर हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, रूरल टूरिज्म पर मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे यहां पर रूरल टूरिज्म को भी अगर हम राजसमंद में देखें तो ऐसे कई स्थान हैं, जैसे अगर मैं कहूं तो मातृकुण्डिया है, काबरी महादेव है, फरारा महादेव है, इसी तरीके से सूरज वाली माताजी का स्थान है, समेलिया महादेवजी का स्थान है। यह ऐसे स्थान हैं जो पांच-सात महीने या वर्ष नहीं बल्कि यह प्राचीन मंदिर हैं और इन प्राचीन मंदिरों के आस-पास बहुत सारी जगह उपलब्ध है। उनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए ताकि वहां

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पर आने-जाने वाले लोगों को सुविधाएं भी मिल सकें और एरिया डवलपमेंट में ऐसे रूरल टूरिज्म को हमें डवलप करना चाहिए ताकि गांव का व्यक्ति कहां घूमने जाएगा तो वह उस स्थान पर जा सकता है, जो उसके आस-पास से जुड़ा हुआ स्थान है और वहां पर जाए तो कुछ टूरिज्म के पाइंट आफ व्यू से भी डवलपमेंट हो। टूरिज्म के ऊपर, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही कहना है कि हम निश्चित रूप से योजना बनाएं। योजना ऐसी बनाएं जहां जनता की अभिलाषा और जनता की आकांक्षाओं के ऊपर वह योजना हो। हम करोड़ों रुपये खर्च तो कर लेते हैं लेकिन वास्तव में जहां जरूरत होती है, वहां नहीं हो पाता। पर्यटन की जो इतनी संभावनाएं राजसमंद जिले के अंदर हैं, उसको एक्सप्लोर करें। उस संभावना में आप क्या-क्या मदद कर सकते हैं? हो सकता है एक साथ नहीं हो, लेकिन स्टेप-बाई-स्टेप भी अगर आप इसमें मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से राजसमंद को पर्यटन की दृष्टि से जरूर आप तलाशें और इसको विकसित करने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-36 सहकारिता पर बोलना चाहूंगी। सहकारिता में अगर हम लोग कहें तो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बातें कही हैं। मैं भूमिका में न जाकर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि राजसमंद जिला ऐसा जिला है, 1992 में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने उसको जिले का दर्जा दिया था। पहले यह राजसमंद उदयपुर जिले के साथ जुड़ा हुआ था। जब 1992 में यह अलग से जिला बना, 1992 से लेकर आज तक भी वहां पर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक नहीं आया। अभी भी सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की शाखा के रूप में उदयपुर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की एक ब्रांच राजसमंद के अंदर है। मैं चाहूंगी सहकारिता मंत्रीजी से कि वहां पर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की स्थापना करें। हर जिले पर एक सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक होना चाहिए और राजसमंद जिला इससे वंचित है। निश्चित रूप से आप इस पर ध्यान देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। वहां पर जितने भी को-आपरेटिव के अधिकारी हैं, चाहे वह डिप्टी रजिस्ट्रार हो, चाहे वह एडिशनल रजिस्ट्रार हो, इनके सारे पद वेकेंट हैं। यानी 50 प्रतिशत से ज्यादा को-आपरेटिव के जितने अधिकारी हैं, उनके पद रिक्त हैं। कोई तो भीलवाड़ा से आएगा राजसमंद, कहीं उदयपुर से राजसमंद आएगा। इस प्रकार से राजसमंद के अंदर को-ऑपरेटिव का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जितना हम को-आपरेटिव मूवमेंट बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होगा लेकिन, जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो कहां हम अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे और किस प्रकार से होगा? इसलिए यह जो अधिकारियों की कमी है, उसको निश्चित रूप से पूरा करिये। एडिशनल रजिस्ट्रार नहीं तो कम से कम डिप्टी रजिस्ट्रार को वहां पर कहिये कि वह तो वहां पर रहे। कुछ तो इस तरीके का एडजस्टमेंट हो जहां कर्मचारी रहे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा वहां उपभोक्ता भंडार की जमीन नहीं है। राजसमंद के अंदर उपभोक्ता भंडार के लिये जमीन अलाट हो गयी थी। जमीन का कोई विवाद चला, उसके बाद में कोर्ट में वह विवाद चल रहा है। मैं चाहूंगी कि डिपार्टमेंट उसमें इंटरेस्ट ले। जब पेशियां होती हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से वकील ही वहां नहीं पहुंच पाते। एज ए रिजल्ट डेढ़ साल से, दो साल से वह उपभोक्ता भंडार की जो जमीन है, वह विवादास्पद हो रही है। उस जमीन के लिये कोर्ट में आपका वकील खड़ा रहे सरकार का और वह जमीन, जो सरकार की जमीन है, वह सरकार को मिले ताकि हम लोग उसके अंदर राजसमंद उपभोक्ता भंडार शुरू कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जी.एस.एस. के अंदर जो नई जी.एस.एस. बनाने की बात आती है, पूर्ववर्ती सरकार ने कई नई जी.एस.एस. बनायी थी। हमने पहले तीन-चार पंचायत की एक जी.एस.एस. होती थी, उनको अलग-अलग किया। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 500 सदस्यों की, वह 500 सदस्य बनाएं और उसको अलग किया। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगी आपके माध्यम से कि अभी भी हमारी दो पंचायतें हैं पीपली अहिरान और गोगातला, उन दोनों का एक ही जी.एस.एस. चल रहा है, उनको भी अलग करें, क्योंकि उनमें मैम्बर्स भी पर्याप्त हैं। अगर उन दोनों का अलग-अलग जी.एस.एस. बना देंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप यह दो जी.एस.एस. अलग कर दें पीपली अहिरान और गोगातला। अगर आपने नहीं लिखा तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दे दें।

माननीय सभापति महोदय, इसमें जो लोन की कैपेसिटी है, जो लोन जी.एस.एस. से हम देते हैं, उसको पूर्ववर्ती सरकार ने डेढ़ लाख रुपये तक का किया था, जिसमें जीरो इंटरेस्ट पर हम उनको लोन देते थे। अभी पिछले 14 महीनों में, माननीय सभापति महोदय, मात्र 35 से 40 हजार से ज्यादा किसी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

भी कृषक को लोन ही नहीं मिला है। हमने पिछली बार 50 हजार तक के कर्जे माफ किये थे, तो जो सहकारिता बैंक से कर्जे लिये हुए थे, वह 50 हजार की एवज में उनको फिर से 50 हजार का लोन दे दिया था लेकिन अभी यह स्थिति है कि 35-40 हजार से ज्यादा किसी को भी लोन देना ही नहीं है। यह जो स्थिति है उससे जो काश्तकार भाई हैं, उनको खेती के लिये जब लोन की जरूरत होती है तो वह कहां जाएगा? वह जी.एस.एस. के पास ही जाएगा सबसे पहले और वहां यह स्थिति है कि लोन नहीं मिल रहा। यह जो लोन लिया जा रहा है या जितनी भी सुविधाएं हैं, बहुत-सी बार यह देखा गया है कि जी.एस.एस. के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं और सब कार्यकारिणी हैं, वही लोग इस लोन का लाभ लेते रहते हैं इसलिए इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो लोन है, वह आम काश्तकार तक पहुंचे, न कि उस जी.एस.एस. की कार्यकारिणी ही लोन लेती रहे और वही उसका लाभ उठाते रहें। जब सरकार लोन को माफ करती है तो उन्हीं को उसका फायदा मिलता है इसलिए इस पर विशेष ध्यान देकर राजस्थान भर में जितनी जी.एस.एस. चल रही हैं, उन सबको देखना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने, जी.एस.एस. के पदाधिकारियों ने ही लोन लिया, उसकी लिस्ट मंगाएं तो वास्तविकता सामने आएगी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पर होता है।

माननीय सभापति महोदय, अनाज भंडारण के लिये गोदाम जी.एस.एस. स्थापित करने की बात थी। केन्द्र सरकार ने एक योजना बनायी थी और उसके तहत भंडारण के लिये नरेगा के माध्यम से हम वह गोदाम बना सकते थे लेकिन आज अनाज भंडारण के लिये जो गोदाम बनने चाहिए, वह नहीं बन रहे हैं और इतनी धीमी गति से हो रहे हैं, नरेगा से जो बनने चाहिए थे, उसमें कहीं भी स्वीकृतियां नहीं निकल रहीं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जहां पर जी.एस.एस. का जो मूल कार्य है, जो किसानों को फायदा देना है, किसानों के हित में उनको समय पर अनाज मिल जाए, उनको समय पर बीज मिल जाए, उनको समय पर खाद मिल जाए, यह सारे काम नहीं हो पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दस साल से इलेक्शन नहीं हुए। जी.एस.एस. के चुनाव नहीं हुए। वही अध्यक्ष, वही सारी चीज है। हमने हमेशा देखा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर पांच साल से एक दिन भी आप

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ज्यादा नहीं बढ़ाते। उसको हटाया तो फिर आपने प्रशासक नियुक्त कर दिया लेकिन आज यह स्थिति है कि जी.एस.एस. में दस साल से वही अध्यक्ष चल रहे हैं, वहीं सारी चीजें चल रही हैं। सरकार चुनाव जल्दी से जल्दी कराये, इसकी मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा काश्तकारों को जो बैनिफिट मिलना चाहिए, वह बैनिफिट काश्तकारों को मिले, इसके लिये महिला किसानों के लिये एक जी.एस.एस. की स्वीकृति के बारे में सोचें कि राजस्थान में कम-से-कम जिला स्तर पर एक तो ऐसा हर जिले के अंदर कर दीजिए, जहां महिला ही उस जी.एस.एस. को चलाए। जैसे हमारे यहां पर महिला को-आपरेटिव बैंक हैं, उस प्रकार से हम महिला जी.एस.एस. के बारे में भी सोचें कि जहां पर सब महिला ही मैम्बर्स बनें। इतनी सारी महिला किसान हैं, वह जागरूक हो गयीं, पढ़ी-लिखी हो गयीं। वह भी अपने तरीके से ग्राम सेवा सहकारी समिति को चला सकती हैं। वह ग्राम सेवा सहकारी समिति महिलाओं के द्वारा ही संचालित हो, महिला ही उसको चलाए, महिलाओं को ही लोन मिले, इस प्रकार की प्लानिंग राज्य स्तर पर महिलाओं के लिये करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक अंतिम सुझाव है कि काश्तकारों के जो इंतकाल हैं, वह एक साल से नहीं खुल रहे हैं। उसका नतीजा सीधा-सीधा सहकारिता के हमारे इस सारे अभियान के ऊपर आ रहा है। जब उस काश्तकार का इंतकाल नहीं खुलता है तो उसका बेटा, जो आज वर्तमान में वहां पर है, लेकिन पिता के नाम पर ही जमीन चली आ रही है इसलिए बेटे को जो लोन मिलना है, वह नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार यह कह रही है कि हम सब ऑनलाइन रिकार्ड कर रहे हैं तो ऑनलाइन रिकार्ड करते 14 महीने हो गये, आपका जब तक रिकार्ड पूरा होगा, होता रहे लेकिन साथ-साथ कम-से-कम ऑफलाइन जो भी एप्लीकेशंस हैं, उनको भी साथ करें और यह जो काश्तकारों का इंतकाल खोलने की जो बात है, उसको आप लोग करें। उसकी वजह से न तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल पा रहा है, न कोई और तरीके का लोन मिल रहा है।

माननीय सभापति जी, सिनोदिया कोआपरेटिव सोसायटी जो है वह एक पंचायत समिति सांभर लेक जिला जयपुर के अन्दर है, वहां का मामला आया है कि फर्जी लोन उठाकर वहां घोटाला किया है, लोगों से आधार कार्ड ले

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लिये गये और उनके नाम से लोन उठा लिया गया। व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरे नाम पर लोन है और जब उनके ध्यान में आया तो राज्य सरकार की ऋण माफी योजना में उनका नाम था और इस प्रकार करोड़ों रुपये का जो घोटाला वहां पर उस सिनोदिया कोआपरेटिव सोसायटी में हुआ है उसकी जांच करवायी जाए, मैं यही मांग करती हूं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 36 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, पर्यटन जो कि हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा आजीविका का केन्द्र है और सहकारिता जिससे आम मजदूर, किसान जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, राजस्थान में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, पर्यटन को अगर सही तरीके से विकसित किया जाये तो मैं मानता हूं कि राजस्थान में रोजगार की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। देश-विदेश के सैलानी राजस्थान में आते हैं, उनसे हमारी इन्कम के स्रोत बढ़ते हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की बात करना चाहूंगा कि विराटनगर महाभारत कालीन सभ्यताओं का इतिहास है, वहां पर महाभारत कालीन काफी सभ्यताएं हैं, अगर उनको विकसित किया जाये तो जयपुर दिल्ली के बीच में पर्यटन की अच्छी संभावनाओं का केन्द्र बन सकता है। अभी पर्यटन विभाग के द्वारा वहां पर साढ़े पांच करोड़ की लागत से एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है सरिस्का हमारे बहुत नजदीक है, मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सरिस्का, फोरेस्ट का बहुत अच्छा एरिया है, महाभारत कालीन भीम गट्टे, बीजक की पहाड़ी, प्रसिद्ध गणेश जी मंदिर, जैन नसियां, मुगल गेट और विश्व की 52वीं शक्तिपीठ माता अम्बिका का मंदिर भी हमारे वहां पर है। सभापति महोदय, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय यहां विराजे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करना चाहूंगा कि सरिस्का के साथ-साथ विराटनगर पर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि यहां पर पर्यटन की संभावनाएं बन सकती हैं। सभापति महोदय, आप तो कई बार उधर

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

से गुजरे हैं, बारिश के मौसम में कभी आप जब अलवर के लिए निकलते हैं तो इतना शानदार पहाड़ी ग्रीनरी का एरिया है कि शायद ऐसी कम ही जगह राजस्थान में देखने को मिलती है।

सरिस्का और विराटनगर दोनों को अगर कम्पेरिजन में डवलप किया जाये तो रणथम्भोर के बाद एक बड़ा हब वहां पर बन सकता है क्योंकि सरिस्का में जबसे टाइगर का कुनबा बढ़ा है पैंथर हमारे विराटनगर में आ गये। आप देखते हो कि हर दूसरे तीसरे दिन कहीं न कहीं पैंथर का मूवमेंट रहता है, वहां पर ऐसे ट्रैक विकसित किये जाएं जिससे पैंथर का मूवमेंट भी टूरिस्ट को देखने को मिले, काफी जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनको देखने का मौका मिले तो मैं मानता हूं पर्यटन की अच्छी संभावनाएं वहां पर हो सकती हैं।

सभापति महोदय, जयपुर से 80 किलोमीटर और दिल्ली से मुश्किल से 170-180 किलोमीटर इतनी दूरी पर विराटनगर है, उसको डवलप करने का काम अभी पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि माता अम्बिका का मंदिर जो हमारे वहां बहुत प्रसिद्ध है, पर्यटन विभाग ने उसमें सात-आठ करोड़ रुपये की लागत से रोड बनाई है, अगर उसको अलवर रोड से भी जोड़ दिया जाये तो और भी काफी अच्छी संभावनाएं बनेंगी और ऐसी कोई सेमिनार वगैरह आयोजित करें टूरिस्ट गाइड की, होटल व्यवसायियों की, ताकि वे लोग ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को वहां पर लेकर जायें।

माननीय सभापति महोदय, सरिस्का जिसका राजस्थान के नक्शे पर और देश के नक्शे पर बहुत बड़ा नाम था लेकिन पिछले पांच-दस साल से सरिस्का बदहाली के आंसू जी रहा है, उसमें भी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। रणथम्भोर के बाद सरिस्का को अगर डवलप किया जाए तो मैं मानता हूं अलवर जिला, जयपुर ग्रामीण को इस चीज का काफी फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं सहकारिता पर भी अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसा कि अभी मेरे से पहले राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि आज से तीन-चार साल पहले काश्तकार को जब सहकारिता का लोन मिलता था तो सह-खातेदार को भी उसमें लोन दिया जाता था। एक किसान के पांच बेटे हैं, जमीन किसान के नाम पर है, पांच बेटों को

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

बराबर का लोन मिलता था लेकिन पिछले तीन-चार साल से इसको बंद कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि आप अपने जवाब में इस बात को जरूर बतायें ऐसे क्या कारण रहे कि हजारों-लाखों किसानों का गला सरकार के द्वारा घोटा गया? न तो उनको सहकारी समिति के द्वारा खाद मिल पा रहा, न उनको बीज मिल पा रहा, न उनको कीटनाशक दवाइयां मिल पा रहीं और न ही उनको समय पर लोन मिल पा रहा। एक बार उनके लोन जमा होने के बाद वापस उनको लोन नहीं दिया गया। हजारों-लाखों काश्तकार इससे पीड़ित हैं क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लगभग स्थितियां ऐसी हैं कि पिताजी के नाम जमीन है, पांच भाई सब अलग-अलग रहते हैं, वे सब उस लोन से वंचित रह गये। हम जिस काश्तकार को ऊपर उठाना चाहते हैं, जिस काश्तकार की हम सब लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है हम लोगों को 30-40 हजार, 50 हजार रुपये की राशि बहुत कम लगती हो लेकिन जब सर्दी का महीना होता है, जब किसान को खाद की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी नजर सीधी सहकारी समिति पर होती है कि सहकारी समिति से मैं मेरी खाद लेकर आऊंगा और जब उसको इस नियम के तहत पिछले चार साल से दूर किया गया तब से किसान इस चीज को लेकर काफी पीड़ा में है क्योंकि आज ग्रामीणों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका, इन्कम के बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं हैं तो, सहकारिता मंत्री महोदय, आप इस मामले में ध्यान दें कि काश्तकार को, सहखातेदार को वापस से लोन दिलाने का ऐसा कोई नियम आप लेकर आयें क्योंकि जमाबंदी में नाम मांगते हैं, जब भी कोई जाता है तो उनको कहते हैं कि जमाबंदी में नाम लेकर आओ, अब जब तक काश्तकार पिताजी के जाने का वेट करे तब तक उनके जाने का नंबर आ जाता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि सहकारी समितियों के काफी सालों से चुनाव नहीं हो रहे, आपने प्रशासक लगा रखे हैं, जल्दी से जल्दी उनके चुनाव कराये जाएं और इस बात पर ध्यान दिया जाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मांग

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए और अगर हम इस दृष्टि से देखें तो एक आर्थिक व्यवस्था होती है पूंजीवाद की जिसमें सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में होती है और दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें सारी आर्थिक व्यवस्था कि अगर हम बात करें तो समाज के हाथ में होती है और उसी के बीच का एक रास्ता होता है सहकारिता। इस आंदोलन ने लगातार उस गरीब के बारे में चिंता की जो निश्चित तौर पर इससे जुड़कर उसको संबल प्रदान हुआ, ऐसा मानता है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सहकारिता पर आधारित व्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं से ही मिलकर हम इस राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। साधारणतया हम लोग कहें तो सहायता करने को ही हम सहकारिता कहेंगे।

मैं सहकारिता की बात करना चाहूंगी। इसी से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, बड़ी चिंता कर रहे हैं, भगवान की कृपा दृष्टि है कि यहां किसी तरह का कोई ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि सरकार भी सतर्क है और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इसके लिए चिंता कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते विभागों में जो बायोमैट्रिक्टस उपस्थिति होती है, उसकी प्रक्रिया को बंद कर दिया है लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि किसानों का पंजीकरण बायोमैट्रिक्स द्वारा किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस पर भी हमें पाबंदी लगानी चाहिए। 16 तारीख के बाद हमारे कांटे लगेंगे। वहां उनका माल भी तुलेगा।

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जो खाद की आपूर्ति होती है, वह बड़े अफसर सीधे कंपनी से करते हैं। यह बिलकुल गलत प्रक्रिया है। कहीं न कहीं मंत्री जी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। खाद की आपूर्ति जो हमारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं, इनके माध्यम से ही होनी चाहिए ताकि हमारी जो त्रि-स्तरीय व्यवस्था है, वह बनी रहे और लोकतंत्र जिंदा रहे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सहकारी समितियों में जो नये गोदाम बनते हैं, उनमें इतनी जटिलताएं होती हैं, उनको कहीं भूमि उपलब्ध

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

नहीं हो पाती, भूमि की व्यवस्था सरकार के स्तर पर होनी चाहिए ताकि भंडारण की हम उचित व्यवस्था कर सकें। जो हमारे क्षतिग्रस्त गोदाम हैं, एक बार सरकार इनके रिपेयर के लिए डिसिजन ले। चाहे नरेगा से करें, चाहे हमारे विभाग की तरफ से इनकी रिपेयरिंग, मेंटीनेंस की जाए, यह भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए ताकि किसान का माल सुरक्षित रहे। प्रत्येक जीएसएस पर गोदाम बने। इसकी बात हम कर रहे हैं, कहीं न कहीं काम भी शुरू हुआ है कहीं बाकी भी है, इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।

मेरा निवेदन है कि जो समर्थन मूल्य के कांटे लगते हैं, उन कांटों पर अस्थायी संविदाकर्मियों को लगाया जाता है। संविदाकर्मियों को खरीद जैसा महत्वपूर्ण काम भी हम देते हैं। हम क्यों नहीं जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हीं को इसकी व्यवस्था के लिए लगाएं? विभाग के संविदाकर्मियों द्वारा हमें मोबाइल के माध्यम से बताया जाता है कि हमारा शोषण हो रहा है। हमें काफी कम मानदेय दिया जाता है। यह कई वर्षों से काम कर रहे हैं। सरकार को और विभाग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उनका मानदेय बढ़े। उनको नियमित भी किया जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक सहकारी समिति की ओर माननीय मंत्री का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं। उसमें 1 करोड़ 16 लाख का गबन हुआ। मैंने गत सत्र में भी इस बात को यहां पर बोला था। अभी भी मैं आपको दुबारा यह बताना चाहूंगी कि हमारे यहां रैबारपुर सहकारी समिति है, वहां पर एक ग्राम सेवक और एक सहायक लगे हुए हैं, दोनों चाचा, भतीजा हैं, दोनों ने मिलकर इतना बड़ा गबन किया है। किसानों ने पैसे जमा करवाए हैं। किसानो को घरों पर बुलाया और उनसे चैक पर साइन करवा लिए। उन पर आज तक कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है। जो लोग मर गये, उनके नाम से भी पैसा उठा लिया। यह जो गबन हुआ है, इसकी वसूली की जाए। इसमें सीधा हाथ रजिस्ट्रार, बूंदी मोहनलाल जी लगे हुए थे, उनकी सांठ-गांठ थी। इसी की वजह से उस समिति की हालत खराब हो रही है।

यही हालत घाट के बराना की है। वहां पर सहकारिता के जो अध्यक्ष थे, उन्हें हटाने में भी जो ग्राम सेवक था उसने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। किसान टाइम से पैसा जमा करवाता है, उसके बावजूद भी इस तरह की दादागीरी की। मनचाहा जिसको हटा दिया, मनचाहा जिसको रख लिया। बहुत

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बड़ा गड़बड़ घोटाला वहां पर हो रहा है। इसकी भी आप जांच कराएंगे तो कुछ बातें आपके सामने आएंगी।

सभापति महोदय, नई सहकारी समितियों के लगातार प्रस्ताव आते हैं। कहीं 16-16 किलोमीटर गांव पड़ते हैं, कहीं 20 किलोमीटर पड़ते हैं। इतनी दूर जाना पड़ता है। पूरे राजस्थान में जहां-जहां से प्रस्ताव आए, एक बार हम दुबारा से नई सहकारी समितियों का गठन करें। इससे निश्चित रूप से किसान को फायदा मिलेगा।

इसके साथ ही करवर और सुमेरगंज मंडी में तिलम संघ के माध्यम से पिछले कई वर्षों से सरसों और चने के कांटे चल रहे थे, उनका अभी तक आदेश नहीं हुआ है। उसका भी आप आदेश करें, इसके साथ ही जो 16 भूमि विकास बैंक राजस्थान में बंद हुए हैं, उन्हें भी पुन: चालू करने का प्रस्ताव लें। बहुत सारी भूमि विकास बैंक ऐसे हैं जो 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपये किराये की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर वह लोस में भी हैं तो उस बैंक को चालू करने का हमें प्रस्ताव लेना चाहिए।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारी ग्रामीण सहकारी समिति है, उसके सदस्यों को सहकारी ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से हमने देखा है कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस पर हमें समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए था। अभी भी ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, केशोरायपाटन ही नहीं, पूरे राजस्थान में जो डिफाल्टर किसान हैं, जिनका कर्जा माफ हुआ है, उन्हें फिर से ऋण दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आगे से हमारी होनी चाहिए।

साथ ही साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के करवर, घाट का बराना, झाली जी का बराना और गेंडोली में वेयर हाउस बनाने की अति आवश्यकता है। 150 किलोमीटर के एरिये में मेरा विधान सभा क्षेत्र फैला हुआ है। अगर यह बनेंगे तो निश्चित रूप से वहां के किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, सहकारी बैंकों के अलावा जो कामर्शियल बैंक हैं, जिनका कर्जा माफ करने पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमने मात्र कोआपरेटिव सोसायटियों के कर्जे माफ किए हैं। इससे भी किसान को फायदा होगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मंत्री महोदय से निवेदन है कि उद्योग पर चर्चा हुई तब भी मैंने इस बात को उठाया था लेकिन आपकी सहकारिता का ही मामला है। केशोरायपाटन की शुगर मिल, जिसमें भले ही आपने अवसायक लगा दिया, उस सहकारी समिति को अभी भी भंग नहीं किया गया है। 1600 या 1800 करोड़ रुपये अभी भी पड़े हुए हैं। उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं कमेटी बनानी चाहिए। मेरा करबद्ध निवेदन है कि जनता के लिए, किसानों के लिए आपको स्वयं वहां विजिट करना चाहिए। अधिकारी, कर्मचारियों से चर्चा करके कमेटियों का गठन करें और इस उद्योग को चालू करें। यह लाभ में ही जाएगा, नुकसान में जाने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि विशाखा गाइड लाइन की हम बात करते हैं लेकिन कोटा का एक मामला मेरे सामने आया है। एक बहन, जिसने एक अधिकारी, उप रजिस्ट्रार की शिकायत कर दी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अभी तक जांच नहीं हुई है, बिना जांच के ट्रांसफर कर दिया जबकि विशाखा गाइड लाइन के नोर्म्स हैं कि अगर किसी की जांच चल रही है तो उसका ट्रांसफर भी आप नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको कोटा से झालावाड़ लगा दिया गया। मैं कहूंगी कि जब तक विभागीय जांच नहीं होती, तब तक उस महिला को न्याय मिले। इससे पूरे प्रदेश की महिलाओं के प्रति सरकार का दृष्टिकोण इंगित होता है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 08.05.2017 को जो भर्तियां सरकारी विभागों की निकली थीं, उनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था और न ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से एससी, एसटी वर्ग को इसका फायदा मिलना चाहिए।

इसके अलावा निवेदन है कि समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है, भामाशाह कार्ड, उससे एक ही परिवार का तोल होता है। परिवार में पत्नी भी होती है, उसको हटा दिया गया है। यह आपको मालूम है। 25 क्विंटल का माल ही तुल पाता है। इसको अगर 50 क्विंटल करेंगे तो इससे किसान को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से अगर माननीय मंत्री महोदय मेरी बात को सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बस दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी।

सभापति महोदय, मैं पर्यटन की दृष्टि से उस हाड़ौती क्षेत्र से आती हूं जहां इतनी नदियां बहती हैं। अभी बारिश में हम लोगों ने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। अगर इसको हम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का चाहे तलवास गांव हो, चाहे आतरदा हो, चाहे केशोरायपाटन को ही ले लें, चाहे कापरेन के अंदर जो चंबल नदी है, उसके अंदर बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है, यह जामुनिया बाग़ के नाम से जाना जाता है, अगर इनको भी हम विकसित करेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा के रूप में पहचान बना सकते हैं।

इसके साथ ही केशोरायपाटन में जो केशव भगवान का मंदिर है, वहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। कार्तिक महीने में वहां कार्तिक मेला लगता है, उस पर भी अगर एक लक्ष्मण झूला बनाया जाए तो राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से बड़ा लाभ हो सकता है। कोटा और हाड़ौती को लाभ हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुरातत्व विभाग ने चार करोड़ छप्पन लाख रुपये का वहां पर काम कराया था लेकिन जैसे ही चम्बल में पानी आया, एक भी छतरी, एक भी विकास कार्य वहां नजर नहीं आ रहा, देखने को नहीं मिलता तो कहीं न कहीं इस काम को पुन: शुरू किया जाये क्योंकि कुछ ही राशि उसमें लग पायी थी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि तलवास हमारा एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, जहां तक जाने के लिये हमें अच्छी सड़क मिले। पिछली गवर्नमेंट के समय हमारे केशोरायपाटन में बूंदी से तलवास तक जो सड़क स्वीकृत हुई थी माननीय चांदनाजी के विधान सभा क्षेत्र में तो पूरी सड़क बन गयी लेकिन पता नहीं क्यों पूरे 14 महीने से मेरे विधान सभा क्षेत्र में उस सड़क को रोक रखा है। इन्द्रगढ़ की जो बीजासन माता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहां पर भी रोप-वे बनाया जाता है और सड़क की दृष्टि से विस्तार किया

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जाता है तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, रामगढ़ अभयारण्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पड़ता है और रणथम्भोर अभयारण्य भी पड़ता है। आपके रामगढ़ अभयारण्य की बाउण्ड्रीवाल का काम चल रहा है। आप देखिये, अधिकारियों ने, मुझे बोलना नहीं चाहिये लेकिन बड़ा दुःख होता है इस बात को देखते हुए, मैं जब भी वहां निकलती हूं, देखती हूं, पूरे वन विभाग के अंदर वहीं से पत्थर निकाला जा रहा है, वहीं से बजरी निकाली जा रही है। अगर कोई किसान एक पत्थर भी निकाल ले, उसका जानवर भी वहां पर चला जाये तो उससे हम पैनेल्टी वसूल करते हैं लेकिन कर्मचारी, अधिकारी मिलकर इस तरह का काम का रहे हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल पार्क जो हमने कोटा में घोषित किया, उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, उसका तुरंत प्रभाव से हम अगर विस्तार करते हैं तो कोटा को, हाड़ौती को एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36 और 47 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर पर्यटन राजस्थान के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के तमाम मुल्कों में पर्यटन का बेसिकली काम प्राइवेट सैक्टर में होता है। मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाह रहा हूं कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर लिया हुआ है और एक एग्रेसिव मार्केटिंग की पालिसी को भी इसके लिये तय किया है इस बजट के माध्यम से और सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है कि राजस्थान में किस तरीके से हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ईज आफ ट्रैवलिंग राजस्थान की नीति को

(श्री जगदीश चन्द्र)

भी विकसित किया जायेगा। आरटीडीसी के हमारे जो चार हेरिटज होटल्स हैं उनको भी रिनोवेट करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में एक हजार के आसपास राज्य स्तरीय और पांच हजार के आसपास डिविजन हैडक्वाटर के आसपास जो गाइड हैं, जो पर्यटकों को गाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था भी सरकार ने की है, इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर देश और विदेश के लाखों पर्यटक आते हैं, जिनके आंकड़ों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हिन्दुस्तान का एक अनोखा प्रदेश है जहां हजारों की तादाद में मेले लगते हैं, हमारी परम्पराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, लोक देवताओं के मेले हैं या दूसरे मेले हैं जहां बारह करोड़ के आसपास लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। करीब बयालीस स्थान आइडेंटिफाइड किये हुए हैं जहां मेले लगते हैं, करीब एक सौ दो स्थान ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जो समय-समय पर उनका चुनाव करके सरकार की तरफ से मेलों का आयोजन किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेला प्राधिकरण है उसका कृपा करके पुनर्गठन करें। सही मायने में मेलों को अगर टूरिज्म का रूप देना है, आप चाहते हैं कि सरकार को रेवेन्यू आये, लोग यहां आएं तो मेला प्राधिकरण का पुनर्गठन करने के लिये सरकार विचार करे, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, दिसम्बर 2018 से जनवरी 2020 तक करीब 6.18 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटकों के भ्रमण का, आने का अनुमान राजस्थान सरकार को है। दिसम्बर 2013 से लेकर 2015 के बीच में करीब 3.90 करोड़ पर्यटक आये, इसमें 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के आखिरी छोर से आता हूं, हमारा जिला सरहद पर है और हमारे जिले में गंगानगर, हनुमानगढ़ में चार ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। पिछली सरकार में माननीय गहलोत साहब 2008 से 2013 के बीच चीफ मिनिस्टर थे, बूढ़ा जोहड़ जो सिखों का बहुत ऐतिहासिक स्थान है, जहां पर

(श्री जगदीश चन्द्र)

लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु आते हैं, राजस्थान सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित किया था। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि पिछली सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, विकसित करने की जो मंशा थी वह सरकार की पूरी नहीं हो पायी। मेरा आपसे निवेदन है कि बूढ़ा जोहड़ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लाखों की तादाद में पंजाब से, महाराष्ट्र से, जहां सिख संगत रहती है, सिख समुदाय के लोग रहते हैं, यहां के दर्शन करने आते हैं इसलिये इस स्थान को विकसित किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अनूपगढ़ में एक ऐतिहासिक स्थल है, सारा हिन्दुस्तान जब प्यार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है तो लैला-मजनू की बात करता है, लैला-मजनू की मजार अनूपगढ़ में है। वहां पर जब मेला लगता है तो हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी मन्नत मांगने आते हैं, लोगों की मन्नत भी पूरी होती है, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में राजस्थान में विकसित करें, सरकार को मेरा यह सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि हिन्दूमल कोट जो आखिरी छोर है मेरे विधान सभा क्षेत्र का, जो अन्तरराष्ट्रीय सीमा है, वाघा बोर्डर की तर्ज पर हिन्दूमल कोट को भी डवलप करने की मैं माननीय मंत्रीजी से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर भी विचार करें कि लोग वहां आएं और शाम को अपना एंटरटेनमेंट करें। इसमें पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं इसलिये मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ के अंदर हमारी पांच हजार साल की सभ्यता सिन्धु घाटी सभ्यता के अवशेष भी कालीबंगा में हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल, अन्तरराष्ट्रीय लेवल के पर्यटक वहां आते हैं और सरकार को वहां जो काम करना चाहिये था, इतनी इम्पोर्टेंट जगह है हिस्ट्री की वजह से, सरकार उसको डवलप करे और वहां की कनेक्टिविटी बढ़ाए ताकि वहां पर आने-जाने वाले लोगों को फायदा हो और लोग वहां पर जाकर देखें और सरकार को आमदनी का एक सोर्स बन सके।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में यहां काफी चर्चा की गयी। सहकारिता का कंसेप्ट बेसिक है। वह यूएसएसआर का कंसेप्ट था, जब रूस इकट्ठा था तो वहां से यह कंसेप्ट आया था, जहां बड़ी-बड़ी जोत थी और

(श्री जगदीश चन्द्र)

लोग इकट्ठे होकर खेती करते थे, इसी कंसेप्ट को जब हम लोग हिन्दुस्तान में लेकर आये, हमारी जोत छोटी थी, छोटी जमीनें थीं। एकमात्र राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जमीनों का क्षेत्रफल ज्यादा था तो भी यहां हम इस कंसेप्ट को कामयाब नहीं कर पाये लेकिन ओवर द पीरियड आफ टाइम जिस तरीके से सहकारी सोसायटीज का गठन किया गया और जिस तरह की कामयाबी हासिल की, मुझे लगता है कि अपार संभावना इसमें है। महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरीके से सहकारिता के माध्यम से जोत की इकट्ठी खेती की जाती है, खेती के क्षेत्र में अगर मान लो उसको बढ़ाएंगे तो सहकारी क्षेत्र की दृष्टि से हम ज्यादा इसमें कामयाब हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समिति के चुनाव की चर्चा हमारे साथियों ने की है। हाई कोर्ट के आदेश से या दूसरे कारण से चुनाव होते हैं, तो काफी लम्बे समय से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। हमारे इस बजट में पंचायत हैडक्वार्टर पर, जिला हैडक्वार्टर पर जहां जीएसएस नहीं है, केवीएसएस नहीं हैं, उसको खोलने का प्रावधान भी किया गया हे। मेरा आपसे निवेदन है कि एक नयी मैम्बरशिप पिछले काफी दिन से बंद है, नयी मैम्बरशिप किसी भी जीएसएस में नहीं हो पा रही है, जिन लोगों के हाथ में वह सोसायटी है, उनकी मोनोपोली है और वे सोसायटी के लोग ही करप्शन करते हैं, वे ही भ्रष्टाचार करते हैं, सोसायटी का फैलाव नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है सर्वे करवाकर देखें कि कहां चुनाव हो गये हैं और कहां नहीं हुए हैं और मैम्बरशिप पन्द्रह-पन्द्रह साल से वह की वह है, उसको ईजी वे में करके बढ़ाएं ताकि लोगों को ज्यादा फायदा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी चले गये हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आपने बीज सेंटर खोलने की बात की है, आपने यूरिया के सेंटर खोलने की बात की है, सहकारिता समितियों के माध्यम से ये सेंटर खोलेंगे तो एक तो आने-जाने का ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। किसानों को फायदा होगा, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी खाद मिलेगी, कम से कम प्योरिटी तो मिलेगी, ताकि उनको फसल में दिक्कत नहीं हो, अच्छा कीटनाशक मिलेगा, सरकार इस पर गौर करके जीएसएस के माध्यम से, केवीएसएस के माध्यम से वितरण प्रणाली की व्यवस्था करे।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, उनकी स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। किसी अधिकारी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसका सीनियर अधिकारी इंवेस्टीगेशन करता है, वही परीक्षण करता है तो उससे न्याय की कोई उम्मीद मुझे नहीं। भ्रष्टाचार कानून के तहत जो हो सकता है उसकी अलग से कोई संस्था इंक्वायरी करे ताकि उसको कम से कम सज़ा तो मिल सके, उस संस्था को हम ठीक कर पाएं।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि को-आपरेटिव एक्ट में काफी लम्बे समय से आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसे बने काफी साल हो गये। समय की मांग है, इस एक्ट में तब्दीली करके इन सहकारी समितियों का जो स्वरूप है, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

पिछली सरकार ने कर्जा माफी की बात की। हमारी सरकार ने भी कर्जा माफी की बात की है। हमने सरकारी बैंकों के माध्यम से 22 लाख से अधिक किसानों को 8700 करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ किया है। सरकार से मैं दरख्वास्त करना चाह रहा हूं, जिस तरीके से फसली ऋण की आपने ऑनलाइन व्यवस्था की है, निश्चित तौर पर हम इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकेंगे और किसान को इसका फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सारे विधायक साथी बैठे हुए हैं, सारी सरकार बैठी है, आगामी दिनों में हम गेहूं, सरसों और चने की फसल की सरकारी केन्द्रों के माध्यम से खरीद करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्र सरकार राजस्थान का सरसों का कोटा तय करती है, राजस्थान के हर जिले की परिस्थितियां अलग हैं, गंगानगर-हनुमानगढ़ जिले की अलग परिस्थितियां हैं, अलवर की अलग परिस्थितियां हैं, झुंझुनूं की अलग परिस्थितियां हैं, मेरी आपसे मांग है, विपक्ष के डिप्टी लीडर माननीय राठौड़ साहब बैठे हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि केन्द्र सरकार से रिक्वेस्ट करके 40 क्विंटल सरसों की खरीद गंगानगर-हनुमानगढ़ जिले में कराएं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं ताकि किसानों को दिक्कत न हो।

गंगानगर की परिस्थितियां अलग हैं, पैदावार ज्यादा है, झाड़ ज्यादा है फसल का, 25 क्विंटल का जो टारगेट था, जो राइडर था, वह बहुत कम था,

(श्री जगदीश चन्द्र)

किसानों को बड़ी दिक्कत आयी। पिछली बार भी धरने-प्रदर्शन हुए। मेरी सरकार से मांग है कि इस पर विचार करके 40 क्विंटल का फैसला किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, गेहूं की फसल आएगी, राजस्थान सरकार ने हजार राइडर लगा रखे हैं, किसान जमाबन्दी लेकर आएगा, उसके बाद पर्ची कटेगी, मेरा जिला बिलकुल पंजाब से लगता हुआ है, किसान आता है, गेहूं की ढेरी करता है, बोली लगाकर अपने पैसे इकट्ठे करके ले जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया को सरल किया जाए।

राजस्थान का किसान है, कोई पाकिस्तान से तो गेहूं लेकर नहीं आ रहा है, अपने खेत से गेहूं ला रहा है। इस तरीके का जो राइडर लगा रखा है, निश्चित तौर पर किसान की नीयत पर जो शंका जाहिर की जा रही है, वह सही मायने में किसान का अपमान है। सरकार कोई न कोई सरलीकरण की व्यवस्था करे। माननीय कृषि मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि को-आपरेटिव मिनिस्टर से चर्चा करके इसका कोई न कोई रास्ता निकाला जाए ताकि किसानों को राहत दी जा सके।

श्री सभापति: Please conclude at the earliest.

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, जो स्टोर की बात की है, जो भण्डारण की बात की है, 130 गोदामों की बात की है, 22 करोड़ का प्रावधान किया है, 130 गोदाम कम हैं। कृपा करके एक-एक जो जीएसएस का लेवल है, उसमें छोटे-छोटे गोदाम बनाकर इस समस्या का हम समाधान करें ताकि किसान अपने बीज, अपनी खाद को स्टोर कर सकें।

एक आखिरी निवेदन मैं करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, जिन कर्मचारियों को इन संस्थाओं में भर्ती कर रखा है, कम से कम सरकार उनकी मॉनिटरिंग तो करवाए, देखें तो सही उनकी क्या स्थिति है। वह वहीं भर्ती हो रहा है, वहीं रिटायर हो रहा है और 20-20, 25-25 साल से एक ही जगह पड़े हुए हैं। कृपा करके सरकार स्थानांतरण की कोई पोलिसी लेकर आये ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगायी जा सके। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 36 और 47 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

धन्यवाद। सहकारिता में "सब एक के लिए, एक सबके लिए" सिद्धांत है। सहकारिता पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन-सा है। सहकारिता से किसानों को ऋण, खाद-बीज, मार्केटिंग, काफी चीजें सहकारिता के माध्यम से, PACS-LAMPS के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से मिलता है। PACS-LAMPS और सहकारी समिति को-आपरेटिव की रीढ़ की हड्डी हैं इसलिए इन्हें कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे इनके चुनाव किये जा सकते हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी जरूर सोचें।

बहुत सी संस्थाओं में 2011-12 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं PACS-LAMPS के नहीं हुए हैं, को-आपरेटिव बैंक्स के नहीं हुए हैं, मार्केटिंग के नहीं हुए हैं, भण्डार के नहीं हुए हैं, बहुत सी डेयरियों के नहीं हुए हैं अरबन को-आपरेटिव के नहीं हुए हैं। जो चुनाव हुए हैं वे बोर्ड के माध्यम से हुए हैं। मैं सरकार से यह मांग भी करता हूं और कहता भी हूं कि जब तक आप इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक यह सहकारिता आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है। माननीय सभापति महोदय, इनके चुनाव भी करवाएं और इन संस्थाओं को मजबूत भी करें।

मैं ऋण माफी की बात करूं, वसुन्धरा जी और भारतीय जनता पार्टी के राज में 50-50 हजार का ऋण माफ हुआ, 8 हजार करोड़ रुपये माफ हुए। इससे जनता को काफी राहत भी मिली। पैसा उन लोगों के पास भी पहुंचा। नया लोन भी मिला। मैं सरकार पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। इन्होंने सम्पूर्ण ऋण माफ करने की बात की थी, सम्पूर्ण ऋण ये माफ नहीं कर पाये। इन्होंने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये या 25-25 हजार रुपये या 50-50 हजार रुपये माफ किये। उन्हें वापस लेने की बात हुई। वे ऋण भी वापस नहीं दे पाये।

माननीय मंत्री महोदय, हम किसान परिवार से हैं और चित्तौड़ से बिलोंग करते हैं तो ये जितने भी किसान हैं, शोर्ट टर्म लोन आप डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का इन किसानों को वापस वितरित करें। इन्हें राहत भी प्रदान करें और सम्पूर्ण ऋण, चाहे भूमि विकास बैंक का हो या को-आपरेटिव बैंक का हो या जितनी भी सहकारी समितियों का जो ऋण है, उन सभी ऋणों को आप माफ करें। मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसकी पूरी घोषणा भी करेंगे, वादा भी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, व्यवस्थापकों की बहुत बड़ी मांग है। उन्होंने धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया, प्रदर्शन भी किया और व्यवस्थापक

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

वास्तव में समिति की रीढ़ की हड्डी होते हैं। व्यवस्थापकों की काफी टाइम से स्क्रीनिंग नहीं हो पायी, आप वह स्क्रीनिंग भी करें। उन व्यवस्थापकों को आप बैंक कैडर का बनाएं। उनके ट्रांसफर कैसे किये जा सकते हैं, इसके बारे में सोचें। उन्हें परिलाभ कैसे दिये जा सकते हैं, उसके बारे में सोचें। व्यवस्थापकों को कैसे मोटिवेट करके संस्थाओं को मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें।

आज चित्तौड़गढ़ में जितनी भी संस्थाएं हैं, भले ही वे भूमि विकास बैंक हो, केन्द्रीय सहकारी बैंक हो, डेयरी हो, अरबन को-आपरेटिव हो, मार्केटिंग हो, भण्डार हो, सभी मजबूत और अच्छी स्थिति में हैं। हम जो भूमि विकास बैंक को बंद करने की सोच रहे हैं, उन्हें सरकार हैल्प भी करे। जो बैंक कमजोर हैं, उन्हें हम आर्थिक सहायता दें, फण्ड जारी करें, उन्हें बंद नहीं करें क्योंकि ये संस्थाएं लम्बे समय से चल रही हैं। उन्हें आप चलाने की कोशिश करें। जिन संस्थाओं में हो सकता है कि घाटा हो, सरकार उन्हें अपने लेवल पर बैठकर बातचीत करके उन संस्थाओं को कैसे चलाया जा सकता है, इस पर विचार करें। जो सीआरआर 9 परसेंट से घट रही है, उसे भी आप वापस मेंटेन करें।

माननीय सभापति महोदय, जिस शोर्ट टर्म लोन में बिना ब्याज के डेढ़ लाख रुपये दिये जा रहे हैं, उसे भी आप बढ़ाने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में उसे तीन से चार लाख रुपये करें क्योंकि डेढ़ लाख रुपये किसानों की खेती के लिए बहुत कम है। जो अभी खरीददारी की बात कर रहे थे सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य जगदीश जी, गेहूं और सरसों के लिए आप आदेश निकालें क्योंकि नयी फसलें आने वाली हैं, उन्हें भी आप अच्छी रियायती दरों पर खरीदें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, शायद कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि सभी संस्थाओं के चुनावों के साथ-साथ चित्तौड़गढ़ डेयरी के बारे में भी आप सोचें। चित्तौड़गढ़ डेयरी में जो चल रहा है, उस पर राजनीतिक द्वेषता न करें। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एमपी में इतना बड़ा खेल हो जाएगा, तो कभी राजस्थान में भी हो सकता है इसलिए द्वेषतावश आप काम न करें, इसे भी आप व्यवस्थित रूप से चलाने की कोशिश करें। क्या पता आपकी जगह हम बैठें और आप हमारी जगह बैठें तो इसे भी सोचते हुए, इसे देखकर इसके बारे में भी सोचें। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। अभी तो मध्य प्रदेश में भी होना शेष है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय, विराजें। अभी तो विराजें। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, साहब? आप क्यों घबरा रहे हैं, साहब? आप तो सचिन जी के आदमी हैं, अच्छी जगह आएंगे वापस। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपके कर्मों ने आपको उधर बिठाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सब्जैक्ट पर आएं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): हम तो पायलट साहब के आदमी मानते हैं आपको। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आपके कर्मों ने आपको उधर बिठाया है, किसानों के साथ अन्याय किया है। इतनी जल्दी उतावलापन मत दिखाओ। (व्यवधान) अभी तो आपको कर्मों को भुगतना बाकी है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय मंत्री महोदय, इतना क्यों जल्दी कर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? हम पायलट साहब को मोटिवेट कर रहे हैं, आप पायलट साहब के आदमी हो, आप अच्छी जगह पहुंचोगे। कहीं हो सकता है आपको गृह मंत्री वगैरह बना दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कम-आन टोपिक। माननीय सदस्य, टोपिक पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी थोड़े भावुक हैं और जल्दी भावुक हो जाते हैं। माननीय, इस को-आपरेटिव में अच्छा मूवमेंट कैसे ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोचकर बात करें।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकारों ने यह घोषणा जरूर की थी हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक सहकारी समिति खोलेंगे, पर वह हम खोल नहीं पाये। हालांकि बहुत-सी वसुन्धरा जी ने खोली भी हैं और जो पंचायतें बच गई हैं वहां भी आप सहकारी समिति खोलने की व्यवस्था कराएं क्योंकि दो-दो, तीन-तीन पंचायतों में जहां सहकारी समितियां हैं इसलिए जल्दी ही आप खोलने की कोशिश करें।

हमारे राजस्थान में को-आपरेटिव बैंक 29 हैं और प्रत्येक जिले में नहीं

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

हैं, जैसे प्रतापगढ़ में नहीं है, तो वहां भी खोलने की कोशिश करें। माननीय, जहां मार्केटिंग नहीं है, मैं सोचता हूं कि हर तहसील लेवल पर, हर पंचायत समिति स्तर पर मार्केटिंग खोलनी चाहिए। भदेसर में मेरे वहां मार्केटिंग नहीं है, तो उसको भी आप खोलने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, को-ऑपरेटिव का बहुत बड़ा मूवमेंट है इसको सोच सकता हूं। क्योंकि आपने मुझे समय भी कम दिया है तो को-आपरेटिव के बारे में, डेयरी के बारे में, मार्केटिंग के बारे में काम कर अच्छी व्यवस्थाएं करवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलना चाहता हूं। मेवाड़ और राजस्थान में उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा डवलप भी है, झीलों की नगरी उदयपुर है। उदयपुर के बाद हमारे चित्तौड़ का नम्बर आता है। चित्तौड़गढ़ में किला है, फोर्ट है, मां पद्मावती का महल है, मीरा का महल है और उसके अलावा वहां घोसूंडा बांध है, बस्सी डैम है। माननीय पर्यटन मंत्री जी, हमारी भी थोड़ी सुन लें। हमारे वहां पर्यटन का बहुत स्कोप भी है और मैं सोच सकता हूं कि आप चित्तौड़ को अच्छा डवलप करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि आप राजपरिवार से बिलोंग करते हैं। चित्तौड़ के बारे में आप जरूर सोचेंगे क्योंकि वहां मां पद्मावती का महल भी है, मीरा का महल भी है, वहां अच्छे बांध भी हैं, घोसूंडा बांध है, बस्सी डैम है, परशुराम जी का पैनोरमा है, रूपा जी-कृपा जी का पैनोरमा, काला जी-गोरा जी का पैनोरमा और काफी पैनोरमा भी हैं। पर्यटन का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है, लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है इसलिए पर्यटकों का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। प्रति वर्ष पूरे देश में 5-7 करोड़ के आस-पास पर्यटक आते हैं इसलिए यहां काफी आमदनी भी होती है। माननीय सभापति महोदय, शक्ति और भक्ति के इस दुर्ग को भी आप डवलप करें, चित्तौड़गढ़ का डवलपमेंट करें। चित्तौड़गढ़ में पीछे पूर्व दिशा का किले का गेट भी खोलना है जिससे पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो उसको खोलना भी जरूरी है इसलिए उसको भी आप खुलवाएं। वहां एक रोप-वे भी आप बनवाएं क्योंकि पर्यटकों की काफी मात्रा बढ़ी है, काफी चीजें बढ़ी हैं।

मैं एक मांग और पर्यटन मंत्री जी से करना चाहता हूं कि वहां घोसूंडा बांध है और काफी मंदिर भी हैं, मातृकुंडिया का मंदिर हो, सांवलिया जी का

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

मंदिर हो, शनि महाराज का मंदिर हो। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। जोगणां माताजी का मंदिर हो, भैरूंजी का मंदिर हो, पांडुली माताजी का मंदिर हो, माननीय सभापति जी, इन सब मंदिरों का भी डवलपमेंट करें। पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा काम है, उसको भी डवलप करने की कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 36 एवं 47 पर विचार

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 36 सहकारिता और 47 पर्यटन पर बोलने का अवसर दिया।

मैं पर्यटन पर बोलना चाहूंगी कि राजगढ़ चूरू ब्लाक में लीलकी बीड़ है जिसका क्षेत्रफल 1084 हैक्टेयर है। कुछ समय पहले ग्रामीणों के द्वारा उसके ऊपर कब्जा भी किया गया, किसान खेती करने लगे थे, तो प्रशासन की मदद से इस चीज को हटाया गया। मैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस वन क्षेत्र में मुख्यत जाल के वृक्ष, खेजड़ी, कुमट आदि पाये जाते हैं और साथ में विभिन्न संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अरडू, शीशम, अकेशिया, टोटलीश के पौधे भी रोपित किये गये हैं। काफी सघन वन क्षेत्र है। साथ-साथ इस वन क्षेत्र में लगभग 17 किलोमीटर की दीवार बनाई जा चुकी है और 500 मीटर की दीवार अभी नहीं बनी है, जो अधूरी है। लगभग 17 किलोमीटर दीवार बनाई जा चुकी है। दीवार बनाये जाने

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

के बाद, चारों तरफ से वह बन्द होने के बाद वहां पर जीव-जन्तुओं का काफी विचरण है जिनमें खासकर चिंकारा, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, काला हिरण, खरगोश, पाटागोह, कोबरा, विभिन्न प्रकार के सांप पाये जाते हैं। साथ ही पक्षियों में बाज, किंगफिशर, हार्नबिल, कोयल, बया तथा विभिन्न प्रकार की चिड़िया भी हैं। सभापति महोदय, पानी के लिए भी बात की जाए तो उस वन क्षेत्र के अन्दर 17 तालाब हैं और 20 टांकें भी बनाये हुए हैं जिससे पशु-पक्षियों को पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अभयारण्य मापदण्ड के हिसाब से जो लीलकी बीड़ है वह सारे मापदण्ड पूरे कर रहा है। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं लीलकी बीड़ के बारे में। अभी तक सदन में पर्यटन के मामले में मैंने कोई भी मांग नहीं रखी है और यह पहली मांग है। चूरू-राजगढ़ के अंदर इतना बड़ा वन क्षेत्र है जिसमें इसको अभयारण्य घोषित किया जाए, यह मेरी विशेष तौर पर आपसे मांग है और कृपा करके जब आप रिप्लाई करें तो इसके बारे में जरूर रखें।

मैं सहकारिता पर भी अपनी बात रखना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर बहुत सराहनीय घोषणाएं की हैं चाहे उसमें 534 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहकारी बैंको को उपलब्ध कराने की बात हो, 2000 नवीन जीएसएस का गठन करने की बात हो या 130 गोदाम बनाये जाने की बात हो, हर उस बात की मैं सराहना करती हूं लेकिन मेरा यह भी मानना है पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि जब ऋण माफी हुई तो बहुत सारे किसानों को त्रुटियां महसूस हुई या किन्हीं कारणों से वे ऋण माफी के उस फायदे को नहीं ले पाये। कहीं न कहीं व्यवस्थापकों की भी वहां पर गड़बड़ियां मिलीं, तो एक पालिसी लायी जाए जिसमें व्यवस्थापकों की तबादला नीति होनी चाहिए।

साथ में, मैं खेल संघों की तरफ भी माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खेल को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये, खिलाड़ियों को मैडल जीतने पर प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, नौकरियां देने की घोषणा की लेकिन खेलों को आगे बढ़ने से रोकने में जो सबसे ज्यादा बाधकता बनी हुई है वह खेल संघों की बनी हुई है। मैं खेल अधिनियम, 2005 की पालना सुनिश्चित किये जाने के बाबत आपके सामने बात रखना चाहती हूं। समस्त जिला खेल अधिकारी कार्यालय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के अधीन संचालित हो रहे हैं और उनकी ड्यूटी में जिला स्तर

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

पर समस्त खेल समूहों का संचालन करना है और साथ में समस्त जिला क्रीड़ा परिषद् हैं, उनके अध्यक्ष कलेक्टर हैं और जिला सचिव खेल अधिकारी हैं, लेकिन उनकी देखरेख में जो कार्य होना चाहिए, समय पर प्रतियोगिता का आयोजन और जो प्राथमिक इकाई है जैसे क्लब है, उनका संचालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तीसरा जिला संघों के चुनाव लेकिन यहां पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जितनी भी ये प्राथमिक इकाई हैं, क्लब हैं, ये नाममात्र की रह चुकी हैं। सिर्फ चुनाव के दौरान वोट देने का अधिकार मात्र रखती हैं और कागज में चल रही हैं, धरातल पर इनका कुछ भी नहीं है। एक तरह से मैं यह भी कहना चाहूंगी कि प्रतियोगिताओं का जो आयोजन हो रहा है वह समय पर नहीं हो रहा और दूसरा खिलाड़ियों की एंट्री जिला स्तर पर होने के बाद जो राज्य स्तर के लिए जानी चाहिए, कई बार खिलाड़ी आकर मिलते हैं कि मैं फर्स्ट पोजिशन पर थी, मेरी एंट्री नहीं की गई या दूसरे खिलाड़ी को ले लिया गया, इस तरीके की शिकायतें कई बार मौखिक तौर पर भी हमें मिली हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि इसके अन्दर ये जो इकाइयां हैं इनके ऊपर भी निगरानी रखी जाए और ये जो खेल संघ चल रहे हैं इन पर नकेल कसने का काम भी किया जाना चाहिए। इसके अन्दर जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, जो संघ के पदाधिकारी बने बैठे हैं, सम्बन्धित विभाग से मैं कहना चाहूंगी कि उनकी अनुमति अनिवार्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ में जितने भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं अगर वे किसी भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग देना चाहें या उस संघ में रहकर खिलाड़ियों के हितों की बात करना चाहें तो ऐसे खिलाड़ियों को संघों में मौका मिलना चाहिए, जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता हो, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता हो, जिन्होंने महाराणा प्रताप अवार्ड, जो हमारे राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जीता हो, ताकि खिलाड़ियों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके, खेल के हितों की रक्षा की जा सके और खेल संघों के माध्यम से हमारे खेल को और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।

(20.00 बजे)

तो माननीय मंत्री महोदय से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये 2005 के अधिनियम की जो पालना है, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी अपने जवाब में इसके बारे में भी बताने की कृपा करें। साथ-साथ मैं खेल जगत से आती हूं

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजगढ़, चूरू के अंदर स्टेडियम की घोषणा की थी। मैं भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए एमएलए लैड से एक करोड़ रुपये देने की बात रखती हूं। साथ में, जिस चूरू जिले से मैं आती हूं, किसान नेता दौलत राम सारण जी का भी मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी जो कई बार सांसद रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, किसानों की बातों को वे मजबूती से उठाते रहे। ऐसे नेता के लिए मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी पालिसी, कोई भी नियम या कोई भी संस्था ऐसी बने, जो उनके नाम से रखी जाए तो ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 47 और मांग संख्या 36 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से आज जो पर्यटन है, वह अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धारा बन सकता है क्योंकि, राजस्थान में जहां पानी कम है वहां औद्योगिक इकाइयां तो नहीं लग सकतीं लेकिन, राजस्थान के जो धोरे हैं, राजस्थान का जो रेगिस्तान है वह रेगिस्तान भी किस तरह से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, यह हमें जो रेगिस्तानी देश हैं, दुबई जैसे देशों से हम सीखकर उन रेगिस्तानी धोरों को कैसे आकर्षण का केन्द्र बनायें, हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए। पर्यटन को बढ़ाने के लिए टूरिस्ट आयें, उन पर्यटक स्थलों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। वहां उनको होटल्स मिलें, सम्पूर्ण कार्य योजना के साथ में यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत अपार संभावनाएं हैं।

कला की दृष्टि से देखें, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे हस्तकला हो, चाहे हम मंदिरों की दृष्टि से देखें तो भी राजस्थान के कण-कण में ऐसी वीर गाथाएं हैं। वहां पर लोग जाते हैं। ऐसे मेले और उत्सव आयोजित होते हैं, जहां पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं इसलिए, उन मेलों में भी हम कैसे पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करके उनको और बढ़ा सकते हैं, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर में दो मेले, चूंकि मैं अजमेर से आती हूं इसलिए अजमेर की बात करूंगी। पुष्कर मेला और दरगाह में उर्स

(श्रीमती अनिता भदेल)

मेला, अभी-अभी उर्स मेला सम्पन्न हुआ है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अजमेर में पर्यटकों की आवक संख्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि ये दोनों अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मेले यहां आयोजित होते हैं। जो दरगाह का मेला आयोजित होता है, सिर्फ 15 दिन पहले प्रशासन तैयारियां शुरू करता है। उसके लिए कोई अतिरिक्त बजट की व्यवस्था हो, आने वाले पयर्टकों की सुविधा के लिए हम यातायात की और नई व्यवस्था क्या कर सकते हैं, जो वैकल्पिक मार्ग दरगाह तक जाने के लिए बने हैं उनको कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। हर वर्ष मेला आता है लेकिन हर वर्ष इसी तरह से मेला निकल जाता है और पर्यटक इसी तरह से परेशान होते रहते हैं।

दूसरी बात पुष्कर मेले की करना चाहूंगी। अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही है कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, माननीय मंत्री महोदय, तब भक्ति के नाते से एक अलग प्रकार का बजट दिया जाता था, जिसमें अलग प्रकार के कार्यक्रम होते थे और ईवेंट कम्पनी आती थी। पूरे मेले में अलग-अलग कार्यक्रमों को वह आर्गेनाइज करती थी। सारे लोग उसको देखने के लिए आते थे लेकिन पिछले वर्षों से यह कार्यक्रम खतम हो गया है इसलिए आपसे आग्रह है कि यह पुन: प्रारम्भ करना चाहिए। नवाचार जो पिछली सरकार ने किया था उन नवाचारों को आप पुन: प्रारम्भ करें।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि अजमेर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा है। माननीय मंत्री महोदय, अंग्रेजों ने भी उसको अपना केन्द्र शासित प्रदेश इसीलिए बनाया था क्योंकि चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखलाएं उसको इतना खूबसूरत बनाती हैं और हर व्यक्ति का मन वहां जाकर रहने का करता है। इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में तारागढ़ किला भी मौजूद है, तारागढ़ किले तक जाने का जो मार्ग है, वह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना लेकिन वह मार्ग हमेशा आवाजाही के लिए, कैसे हम उसको तैयार रख सकते हैं, क्योंकि अनेकों बार मेंटीनेंस के अभाव में वहां तक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सकती। तारागढ़ किले को हम कैसे पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं, उसमें मेंटीनेंस के हम कौनसे और काम करा सकते हैं ताकि पर्यटक तारागढ़ किले तक पहुंच सके और अरावली की पर्वत श्रृंखला तारागढ़ के नीचे जो पृथ्वीराज स्मारक बना है, इसी प्रकार से अजमेर अरब आक्रांताओं से लड़ने वाले दाहरसेन जी का एक स्मारक बना है, इसी तरह से 1857 की लड़ाई में, जिन्होंने

(श्रीमती अनिता भदेल)

महत्वूपर्ण योगदान दिया, ऐसी झलकारी बाई का स्मारक भी बना है। ये सारे के सारे स्मारक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हैं। ये स्मारक किस तरह से हमारे टूरिस्ट सर्किट, पर्यटन का जो सर्किट है, उस पर्यटन सर्किट में किस तरह से आ जाए ताकि पर्यटकों का वहां तक जाना सुनिश्चित हो जाए। वहां तक जाने के लिए उनको साधन मिल जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं झलकारी बाई स्मारक के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगी कि झलकारी बाई स्मारक में लाइट एण्ड साउण्ड शो उस समय लगाया था, वह लाइट एंड साउण्ड शो लगातार पर्यटकों के लिए चलता रहे और कभी कोई व्यवधान आए तो उसके मेंटीनेंस का प्रोविजन हो, इसकी कोशिश हमको करनी चाहिए।

इसी प्रकार से जो अजमेर का म्यूजियम है, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है, 2003 से 2008 के बीच में वहां पर लाइट एण्ड साउण्ड शो शुरू हुआ और पिछली बार जब बीना जी मंत्री थीं, उनके हाथों से उद्घाटन हुआ, उद्घाटन होने के बाद में वह 4-6 महीने ही चला और उसके बाद में उस कम्पनी को टाइमली पेमेंट नहीं हुआ या पता नहीं क्या हुआ, उसको बंद करना पड़ा। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको किसी तरह से चालू करवाया गया और अब पुन: वह बंद पड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट दो-तीन करोड़ रुपये का करते हैं तो उसके मेंटीनेंस का भी उसमें प्रोविजन रखें और टाइमली उनको पेमेंट हो ताकि इतना इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार नहीं जाए और हम पर्यटकों को वे सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराते रहें।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगी जैसा राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के तहत बहुत सारे स्मारक पिछली सरकार में बने थे, इनके क्रम में चार या पांच स्मारक अजमेर में भी बने, जिसमें संत नागरीदास का पैनोरमा बना किशनगढ में, निम्बाचार्य पीठ का पैनोरमा सलेमाबाद में बना और इसी तरह से सेन महाराज जी का पैनोरमा पुष्कर में बना। बूढ़ा पुष्कर, माननीय मंत्री महोदय, आपको सुनकर खुशी होगी कि वह बूढ़ा पुष्कर तीर्थ, हम यह कहते हैं कि पौराणिक तीर्थ है, बूढ़ा पुष्कर तीर्थ जो था, वह समाप्त हो गया था। वह फुटबाल का मैदान बन गया था। माननीय वसुन्धरा जी ने उस कार्यकाल में, उस फुटबाल के मैदान को कार सेवा द्वारा वापस तालाब का शेप दिया और उसमें जन सहयोग से घाट बनाये गये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो किसी तरह जन सहयोग से भी ये पर्यटन तीर्थ हम विकसित कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यता है। जो बूढ़ा पुष्कर घाट बने है, 10 घाट बने, माननीय सभापति महोदय, और वे 10 के 10 घाट समाजों द्वारा बनाये गये और मिट्टी की खुदाई कार सेवा द्वारा की गई और पूरा का पूरा तालाब, वापस उसका जीर्णोद्धार हो गया। इस कार्यकाल में माननीय वसुन्धरा जी ने उसमें वापस विकास के लिए पैसा दिया और उसको फीडर से जोड़ने का काम किया ताकि वह तालाब सूखा न रहे, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ वह स्थान है। लोग वहां जाएं, पूजा-पाठ करें तो उनको बूढ़ा पुष्कर में पानी मिल सके इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेंटीनेंस के काम को भी यदि हम कर लेंगे तो वे जो स्मारक बनाये गये हैं, उनका रख-रखाव ठीक प्रकार से कर पाएंगे।

इसी प्रकार किशनगढ़ में जो संत नागरीदास जी का पैनोरमा बना है, माननीय मंत्री महोदय, वह पैनोरमा तो पूरा बन चुका है लेकिन उस तक जाने के लिए पुलिया की आवश्यकता है और वह पुलिया उस कार्यकाल में स्वीकृत भी हो गई साढ़े तीन करोड़ रुपया। पानी के अंदर पुलिया बननी है इसलिए वह पैसा कम पड़ रहा है। यदि इस पैसे को बढ़ाकर हम 6 करोड़ रुपया कर दें तो वह पुलिया बन जाएगी और जो पैनोरमा बना है किशनगढ़ में, उस पैनोरमा तक पर्यटक जा सकेंगे। अभी पर्यटक जा नहीं रहे हैं इसलिए उसका कोई मेंटीनेंस नहीं हो रहा है। उसमें घास-फूस और जूलीफ्लोरा जैसी झाड़ियां उग गई हैं, तो दो-तीन करोड़ रुपया पहले लगा है, वह हमारा व्यर्थ नहीं जाए और जो श्रद्धालु हैं वे वहां तक पहुंच सकें उनकी पहुंच वहां तक हो सके, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से एक निवेदन और करना चाहूंगी कि बीसलपुर बांध के बारे में अभी मैं सुन रही थी। हमारे यहां जो बीसलपुर बांध है, हर वर्षा ऋतु के बाद में, बीसलपुर बांध पर लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में वहां जाते हैं। वहां पर भी कुछ चिह्नित स्थानों को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि टूरिस्ट वहां जा सकें।

अजमेर बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि वहां पर इतनी खूबसूरत झीलें हैं, फायसागर झील और आनासागर झील। माननीय सभापति महोदय, देखिए

(श्रीमती अनिता भदेल)

पुराने जमाने में हमारे लोग कितने टैक्निकल हुआ करते थे कि फायसागर जब भरेगी तो वह पानी आनासागर में आएगा और आनासागर जब ओवरफ्लो होगा तो वह पानी पालबीचला में जाएगा और जब पालबीचला ओवरफ्लो होगा तो वह पानी एस्केप चैनल के माध्यम से होता हुआ खानपुरा तालाब में जाएगा, और फिर खानपुरा तालाब ओवरफ्लो होगा तो फिर वह पानी पीसांगन जाएगा तो इस तरह से पूरे जिले में इन तालाबों की इस तरह से रचना हुई कि एक तालाब यदि ओवरफ्लो होता है तो दूसरे तालाब में वह पानी जाता है। वह पानी व्यर्थ नहीं होता है तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पहले यह आनासागर झील में और फायसागर झील में, आनासागर झील में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा आया और वह पैसा लगाया गया इसलिए वह और खूबसूरत हुई लेकिन मेरा निवेदन है कि आप यदि वहां वाटर स्पोर्ट्स शुरू करें दोनों झीलों में तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य बनेगा और पर्यटक उनकी ओर आकर्षित होंगे। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति जी, एक और निवेदन है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने अभी तो पर्यटन के बारे में ही बोला है, सहकारिता के बारे में और निवेदन करना है। दो-तीन पाइंट ही बोलूंगी सहकारिता के बारे में। एक चश्मा-ए-नूर करके स्मारक है जो तारागढ़ की तलहटी में बना हुआ है और यह मुगल शासन में बना था और यहां से बहुत अच्छा झरना बहता है। चूंकि यह वन विभाग के अंदर है, पिछली बार भी मैंने यह विषय उठाया था और माननीय मंत्री महोदय ने इसको स्वीकृति दी थी। इसका पैसा स्वीकृत हुआ था लेकिन वन विभाग में आने के कारण से वहां पर मेंटीनेंस का काम नहीं हो पाया। वहां पूरे क्षेत्र में जूलीफ्लोरा उगा हुआ है। वहां कोई जा नहीं सकता है। वहां असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं इसलिए इस चश्मा-ए-नूर का हम कैसे वापस पुनरुद्धार करें, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका पैसा आ सकता है, पिछली बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था लेकिन काम नहीं हुआ इसलिए पैसा लैप्स हो गया, तो एक बार कोशिश करके और वन विभाग से कोअर्डिनेट करके सिर्फ उसकी मरम्मत करवा दें थोड़ी बहुत और उसकी साफसफाई करा दें तो पर्यटक वहां पर भी जा सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन था पर्यटन के संदर्भ में।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सहकारिता के बारे में कुछ

(श्रीमती अनिता भदेल)

निवेदन करना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदय तो नहीं हैं, अभी सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जीएसएस होना चाहिए। अभी बजट घोषणा का भी उल्लेख हुआ है कि 2000 जीएसएस बनाने की घोषणा हुई है पर, माननीय सभापति महोदय, मैं इससे आगे बढ़कर यह निवेदन करना चाहूंगी कि जीएसएस बनाने के साथ-साथ उसके गोदाम और उसके कार्यालय के भवन की भी यदि स्वीकृति दी जाती है तो वास्तव में वह जीएसएस कार्यशील बनेगी, नहीं तो वह जीएसएस कार्यशील नहीं बनेगी। इतनी सारी जीएसएस आलरेडी बनी हुई हैं उनमें से बहुत सारी जीएसएस अक्रियाशील हो गई हैं। अक्रियाशील होने का कारण यही है क्योंकि न तो उनके पास कुछ सामान रखने के लिए है, न उनका बैठने के लिए भवन है, तो कभी कोई चीज डिस्कस की जाए तो कहां आ करके बैठें वह लोग, इसलिए वह करके बन तो जाती है लेकिन धीरे-धीरे करके अक्रियाशील हो जाती है, तो वह अक्रियाशील नहीं हो, हमारी मेहनत पर पानी न फिरे और हम जो मेहनत करके जीएसएस बनाएं वह जीएसएस लगातार काम करती रहे और आगे बढ़ती रहे। इसी प्रकार...

श्री सभापति: माननीय, प्लीज कनक्लूड अर्लीएस्ट।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, दो पाइंट और मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैटर है। माननीय सभापति महोदय, आप कहते हैं तो मैं कन्क्लूड करती हूं, पर मेरा एक जो बहुत इंपोर्टेंट विषय है वह माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगी कि मेरे अरबन कोऑपरेटिव बैंक का विषय है। अरबन कोऑपरेटिव बैंक था, माननीय सभापति महोदय, यह अरबन कोआपरेटिव बैंक की जो नैटवर्थ थी वह माइनस में चली गई थी, इस कारण से आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लाइसेंस कैंसिल करने के बाद में जो जमाकर्ता थे लगभग 20,000 खाताधारक थे वह वर्ष 2014 से लेकर आज तक परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। अब यह किस कारण से नेगेटिव में गया, यह एक अलग विषय है। सीबीआई ने छापा मारा और छापा मार करके उसके सारे रिकार्ड को सीज कर लिया, पर आज तक यह न तो जमाकर्ताओं को पता है न वहां व्यवस्थापकों को पता है कि सीबीआई की क्या फाइंडिंग्स थीं, किसको दोषी माना और क्यों दोषी माना? क्योंकि जमाकर्ता यह पूछ रहा है, उसकी मेहनत की कमाई वहां लगी हुई है इसलिए उसको बताना चाहिए सरकार को कि किस तरह से

(श्रीमती अनिता भदेल)

यह बैंकरप्ट हुआ और बैंकरप्ट होने के जो कारण थे वह लोगों को पता होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बैंक में कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं और कुछ बॉन्ड्स भी हैं। आज की तारीख में बहुत कम खाताधारक रह गए हैं लगभग 269 खाताधारक आज की तारीख में हैं। यह 269 खाताधारक भी वह खाताधारक हैं जो रिटायर हो गये हैं और बुढ़ापे की ओर हैं, उनमें से बहुत सारे खाताधारक तो इस आशा में कि उनको पैसा मिलेगा, वह खतम हो गये लेकिन जो कुछ शेष बचे हैं उनको पैसा मिले। तो जो सरकारी बॉन्ड्स इस बैंक के पास में हैं यदि वह सरकारी बॉन्ड गवर्नमेंट ले ले और जब उनकी मैच्योरिटी हो तब गवर्नमेंट उनको कैश करा ले लेकिन आज उसकी एवज में यदि पैसा दे दे गवर्नमेंट तो यह जो 269 खाताधारक हैं उनको भी पैसा मिल जाएगा और दूसरी तरफ सीबीआई ने जो जांच की है उस जांच की फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए तो लोगों को पता लगे कि किन्होंने नहीं किया है। एक तरफ 9 करोड़ रुपया आज भी ऋणियों के पास है, वह 9 करोड़ रुपया भी यदि हम वसूलेंगे, चूंकि 26 करोड़ रुपये ही मात्र देना है तो 9 करोड रुपया वहां से हमें आ जाएगा और गवर्नमेंट बॉण्ड्स से यदि पैसा आएगा तो निश्चित रूप से हम उन खाताधारकों को दे सकेंगे। यह मेरा निवेदन था। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 36 सहकारिता और मांग संख्या 47 पर्यटन पर अपने विचार रखने का मौका दिया है, उसके लिए तहेदिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूं।

माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति पहाड़ी में ग्राम सहकारी सेवा समितियों की ओर दिलाना चाहती हूं। पंचायत समिति पहाड़ी में वर्तमान में 22 ग्राम सहकारी सेवा समिति कार्यरत हैं, जिनमें से 10 जीएसएस विधान सभा क्षेत्र नगर के अंतर्गत कार्यरत हैं और कोआपरेटिव बैंक के अधीन आती हैं एवं शेष 12 जीएसएस उप खंड कामां में स्थित कोआपरेटिव बैंक के अधीन आती हैं तथा इन 12 जीएसएस में 6000 खाताधारक हैं। उप खंड पहाड़ी में पंचायत समिति बने करीब 5 साल हो गये हैं तथा पंचायत समिति पहाड़ी में 35 ग्राम पंचायतें हैं।

(श्रीमती जाहिदा खान)

पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की दूरी उप खंड मुख्यालय कामां से लगभग 45 से 50 किलोमीटर है तथा दोनों पंचायत समितियों के लिए सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, भरतपुर की एक ही शाखा कामां में कार्यरत है। कामां के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की संख्या अधिक है जिससे अत्यधिक कार्यभार होने से क्षेत्र के किसानों के कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं तथा पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को कामां आने-जाने में अधिक समय लगता है, जो कि प्रशासनिक एवं व्यावहारिक तौर पर ठीक नहीं है।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी और मांग करती हूं कि भरतपुर सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की एक शाखा पंचायत समिति मुख्यालय पहाड़ी खोली जाए जिसमें नगर की 10 जीएसएस और 12 जीएसएस पहाड़ी वाली जो कामां में हैं, उनको जोड़कर एक बनाई जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में जो ग्राम सहकारी सेवा समितियां पंजीकृत हैं लेकिन वह बिलकुल ही निष्क्रिय हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई कार्य का संचालन नहीं कर रही हैं, मैं यह कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि उन ग्राम सहकारी सेवा समितियों का पंजीकरण निरस्त कर उनको खतम किया जाए।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कामां के हिस्टोरिकल एंड रिलिजियस इंपोर्टेंस को बताना चाहूंगी। अगर श्री कृष्ण जी की लीलाएं राजस्थान में कहीं है तो कामां में हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है, भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, ब्रज मेवात का संगम है, गंगा जमुना तहजीब है। कामां एक ऐतिहासिक, धार्मिक एवं कलात्मक स्थान है। ब्रज चौरासी कोस की यात्रा का प्रमुख पड़ाव कामां में है। भारत की चार मुख्य पीठ हैं जिनमें से दो कामा में हैं। चंद्र मोहन जी मंदिर और मदन मोहन जी मंदिर विराजमान हैं। यहां पर प्रमुख तीर्थ स्थलों में चरण पहाड़ी, भोजनतारी, फिसलनी शिला, भस्मासुर की गुफा आदि अनेक दुर्लभ स्थान हैं, जिनका उदाहरण किसी और जगह मिलना मुश्किल है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगी कि कामां में कुछ विशेषताएं हैं। वहां पर 84 मंदिर हैं, 84 कुंड है, 84 कूप हैं और 84 खंभे हैं जो कि अपने आपमें बहुत ही अद्भुत संयोग है। कामां में तीर्थराज

(श्रीमती जाहिदा खान)

विमल कुंड के घाटों पर चारों दिशाओं में द्वापर से श्रीकृष्ण ने माता यशोदा को सभी तीर्थों का पुण्य एक साथ प्रदान करने के लिए सभी तीर्थों का जल विमल कुंड में संरक्षित कर इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया था। इस सरोवर के दर्शन करने के लिए हर रोज बेहिसाब श्रद्धालु आते हैं।

माननीय सभापति जी, कामां में वर्ष भर अनेक सांस्कृतिक मेले व पर्व उत्सव आयोजित किये जाते हैं। कामां नगरपालिका द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मेला 'मेला भोजन थाली परिक्रमा महोत्सव' पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 'ब्रज होली महोत्सव', 'कामां उत्सव', 'कामवन की प्रसिद्ध परिक्रमा', तीर्थराज विमल कुण्ड पर 'दीपदान महोत्सव' आदि के अलावा वर्ष भर अनेक आयोजन होते हैं, जिनमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। कम्यूनल हारमोनी की एक मिसाल यह नगरी पर्यटकों, श्रद्धालुओं, कलाकारों व साहित्यकारों का प्रमुख केन्द्र है।

माननीय सभापति जी, यह क्षेत्र दिल्ली से मात्र 115 किलोमीटर है और यहां पर लोगों की आमदनी का एक जरिया खेती और पशुपालन है। यहां पर पूर्व में बजरी और पत्थर की माइनिंग का कुछ हिस्से में व्यवसाय था, जिसको पूर्व की भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया था, जिससे इलाके में बेरोजगारी फैली और क्राइम की घटनाएं भी बढ़ीं। कोई भी सरकार माइनिंग का व्यापार बंद होने से बेरोजगार हुए लोगों को कोई व्यवसाय के साधन उपलब्ध नहीं करवा सकी। हालांकि जिस ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग की वजह से माइनिंग व्यवसाय को बंद किया गया था, उसमें केवल इस मार्ग से पांच किलोमीटर के क्षेत्र को ही बंद किया जाना वाजिब था लेकिन भाजपा की सरकार ने समस्त तहसील में माइनिंग व्यवसाय को बंद कर दिया तथा सभी पहाड़ों को वन भूमि में नोटिफाई कर दिया, जो इस इलाके के लोगों के साथ नाइंसाफी थी। जिन धार्मिक स्थलों की वजह से माइनिंग को रोका गया था, उन धार्मिक स्थलों को विकसित कर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।

(20.21 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति जी, केन्द्र सरकार द्वारा कृष्ण सर्किट में ब्रज क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल सम्मिलित किये गये हैं, उनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का ब्रज

(श्रीमती जाहिदा खान)

क्षेत्र ही शामिल किया गया है, जबकि राजस्थान प्रदेश का एक मात्र कामां कस्बा एवं आस पास का क्षेत्र ब्रज में आता है, जिसको श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करवाया जाए। मैं विपक्ष में बैठे सीनियर नेताओं एवं विधायकों से यह गुजारिश करती हूं कि वह केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर कामां को कृष्ण टूरिज्म सर्किट में सम्मिलित करावें और कामां क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को विकसित कराने के लिये जो अनुदान यूपी के ब्रज मेवात को मिलता है, वह कामां क्षेत्र को भी मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे वालिद चौधरी तैयब हुसैन साहब ने इस क्षेत्र को 15 साल तक रिप्रजेंट किया। उनसे पहले जो भी विधायक इस क्षेत्र में रहें, उन्होंने यहां के किसी भी धार्मिक स्थल की सुध बुध नहीं ली, न ही कभी उनके विकास के बारे में सोचा। चौधरी साहब ने इसकी शुरूआत यहां के प्रमुख मंदिरों के सामने सड़कों का निर्माण करके की। चाहे वह चन्द्रमोहन जी का मंदिर हो, चाहे श्मशान घाट के आगे की सड़क हो, चारदीवारी हो, विमल कुण्ड की परिक्रमा के कच्चे मार्ग को उन्होंने पक्का करवाया और विमल कुण्ड का पानी स्वच्छ रहे, उसके लिये दो बोरिंग करवाये थे। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि वह आज भी बहुत सही तरीके से चल रहे हैं। बीजेपी सरकार में वह नहीं चल रहे थे। जैसे ही मैं एमएलए बनी, मैंने उनको सही करवाया और आज भी वहां का पानी बहुत साफ है और 24 घंटे पानी भरा रहता है। मैंने भी इसी परम्परा को आगे बढ़ाया और सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को सड़क से जुड़वाया।

माननीय सभापति जी, ब्रज मेवात के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करने से यहां पर देश विदेश के लाखों पर्यटक आयेंगे जिससे सरकार की आय के साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि कामां एक ऐतिहासिक नगरी है इसलिए इसको पर्यटन में विकसित करने का बहुत स्कोप है। इससे हमारे धार्मिक स्थल भी सुरक्षित रहेंगे और सरकार की आय भी बढ़ेगी। जैसा कि आपको मालूम है पूरे ही राजस्थान में टूरिज्म का बहुत स्कोप है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): दो मिनट। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि आप पूरे राजस्थान में इसको डवलप करें और विशेष तौर से कामां में। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36 और 47 पर सदन चर्चा कर रहा है, मुझे अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। जहां तक टूरिज्म का सवाल है, हमारे माननीय मंत्री जी आज पूरे पोलिटिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के मूड में लग रहे हैं। लगे हाथों मैं निवेदन कर दूं कि एक बार जालौर भी विजिट कीजिए, वहां का बहुत ऐतिहासिक किला है लेकिन उस किले पर जाने के लिये सड़क नहीं है। हमारे पास 7 करोड़ रुपया भारत सरकार का पिछले दो साल से आया हुआ पड़ा है। आया है वह रोप-वे के लिये लेकिन रोप-वे उस पर बन नहीं पा रहा। 7 करोड़ रुपये में रोप-वे बन पायेगा या नहीं, इस पर भी संदेह है और इसमें भी संदेह है कि रोप-वे बनने के बाद 200-250 रुपया खर्च करके कोई ऊपर जायेगा क्या। इसलिए वह अनवायबल प्रोजेक्ट लग रहा है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उस 7 करोड़ रुपये को आप रोप-वे से हटाकर रोड के लिये डाइवर्ट कर लीजिए और एक अच्छी सी सड़क उस पर बनवा लीजिए। थोड़ा बहुत बजट राज्य सरकार मिला ले, 7 करोड़ तो आपके पास पड़ा ही है और मैं अपनी तरफ से, जालौर की जनता की तरफ से एक ऑफर और दे रहा हूं कि यदि राज्य सरकार सहभागिता योजना जैसा कुछ करे तो लगभग 20-25 प्रतिशत हिस्सा मैं जन सहयोग से भी दिलवा सकता हूं। यह एक बहुत अच्छा काम हो जायेगा, उस किले की उपयोगिता बढ़ जायेगी। लोग जाना चाहते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते इसलिए वह उससे वंचित रह जाते हैं।

सभापति महोदय, सहकारिता की बात करें तो मुझे एक फ़िल्मी गाने की पंक्ति याद आती है, 'क्या दिल की तमन्ना थी, क्या सामने आया है।' सहकारिता कांसेप्ट जब राजस्थान में आया होगा ...(व्यवधान) यह रिसर्च आप करते रहना कि कौनसी फिल्म का है, मैं अभी सहकारिता पर रिसर्च कर रहा हूं। क्या सोचकर यह कांसेप्ट राजस्थान में लागू किया होगा और हम कहां पहुंच गये हैं, यह चिंता का विषय है इसलिए जब सहकारिता के बारे में बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो मेरे भाव मैंने दोहे के रूप में प्रकट किये हैं कि 'मंत्र

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रटे सब लोग यह, सबका हो सहकार।, पाया है परिणाम यह भरसक भ्रष्टाचार।' भ्रष्टाचार को-आपरेटिव का पर्याय बन गया है। इस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है ग्राम सेवा सहकारी समिति। उसी पर सारा दारोमदार है और वहीं से भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू हो जाती है। सभापति महोदय, हालत यह है कि एक उदाहरण के रूप में मैं कहूं जालौर जिले में 164 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनमें से मात्र 20 में रैगुलर व्यवस्थापक हैं। 144 में एडहॉक व्यवस्थापकों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। न वह प्रशिक्षित हैं, न वह क्वालीफाइड हैं। उन 144 में भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है, गड़बड़ियां इसलिए हो रही हैं कि उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है और बाकी 20 में भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है कि वह सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं, खाये खेले लोग हैं, उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार कैसे करना है। सभापति महोदय, मैं बहुत दुख एवं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि इस सहकारिता विभाग में सबसे आसान काम कुछ है तो वह है भ्रष्टाचार करना, गबन करना। मैंने भूमि विकास बैंक के फील्ड कर्मचारियों को वसूली करते हुए देखा है काश्तकार से पैसा ले लिया, रसीद दे दी और 2-2, 3-3 महीने तक वह पैसा बैंक में जमा नहीं होता था। तब तक वह पैसा वह कर्मचारी, अधिकारी अपने व्यक्तिगत काम में, व्यापार में, खेती में लगाता था, महीनों बाद जाकर वह बैंक के अकाउंट में आता था। ऐसे ही सोसाइटीज में भी होता है, इधर का उधर, उधर का इधर और सहकारिता विभाग में सबसे सरल काम है भ्रष्टाचार करना और सबसे मुश्किल काम है उस भ्रष्टाचार को प्रूव करना और उन भ्रष्टाचारियों को सज़ा देना। एक मामूली सा व्यवस्थापक सारे सिस्टम को नचा देता है। जब लाल रंग और हरे रंग के कागज के टुकड़ों पर महात्मा गांधी जी की फोटो छपी हुई साथ लिये घूमता है तो अच्छे-अच्छे मैनेज हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, इक्का-दुक्का अपवाद छोड़ दीजिए, पर जिसको भी शिकायत करता हूं, मैं केवल आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तीस साल के अनुभव की बात कर रहा हूं, जिसको शिकायत करता हूं, वह एक बार तो तेवर दिखाता है और हफ्ते भर बाद ठंडा होता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने देखा था, इतना कुछ नहीं है, जितना आप कह रहे हैं, मुझे मालूम है, उसमें क्या है, क्या हो गया और क्या होना था। इस प्रकार के कई उदाहरण मैं आपके सामने अपने अनुभवों के आधार पर रख सकता हूं।

हमारे जालौर जिले में एक ऐसा ही व्यवस्थापक है, आशाराम। सालों

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से भ्रष्टाचार कर रहा है, सालों से शिकायतें हो रही हैं। एफ.आई.आर. दर्ज हो गयीं, दर्जनों एफ.आई.आर. दर्ज हो गयीं, दर्जनों शिकायतें हो गयीं, व्यक्तिगत शिकायतें, विद-सबूत शिकायत, प्रमाण के साथ शिकायतें, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं। शिकायत होने के बाद एक व्यवस्थापक को पांच-सात सोसाइटियों का ऋण सुपरवाइजर बना दिया गया, प्रमोशन दे दिया। कोई शिकायत हुई तो हटाया, एक महीने बाद फिर बना दिया। यह अभी हो रहा है। इस ऋण में जो घोटाले उस आदमी ने किये, उसके सबूत मिलने के बाद उसको सस्पैंड करना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी, उसकी जगह उसको कृषि पर्यवेक्षक बना दिया गया और एक सोसाइटी की जगह चार-पांच सोसाइटियों में गड़बड़ करने का चांस दे दिया। फिर शिकायत होने के बाद हटाते हैं और फिर वापस लगा देते हैं। रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव के आफिस से सस्पैंड किये जाने के लिए आदेश निकल जाता है और जालौर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक का एमडी उसको सस्पैंड करने में एक महीना लगा देता है। आज यह चर्चा हो रही थी, इस 7 तारीख की डेट में वह आर्डर निकला है और वह भी कल बैक डेट में जारी हुआ है, वह फिर जाएगा। उसकी मैनेजिंग कैपेसिटी को मैं सलाम करता हूं। वह किसी को भी मैनेज कर सकता है। यह सारा भ्रष्टाचार इसलिए हो पाता है, जो उसने किया है, जो आदमी दुनिया में ही नहीं है, उसके नाम से लोन हो गया और माफ हो गया। जिस आदमी ने कभी सोसाइटी का मुंह नहीं देखा, उसके नाम से लोन हो गया, माफ हो गया, दोबारा लोन हो गया, दोबारा माफ हो गया। ऐसी अनेक सोसाइटियां हैं, दातीवास है, पूनासा है, बाड़ा भाड़वी है, कोई जांच नहीं हो रही है। अपनी जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी है और कितनी तरह की जांच होती है, मुझे ही समझ में नहीं आती। उससे भी जांच करवा रहे हैं, उससे भी करवा रहे हैं, रजिस्ट्रार किसी और से करवा रहा है, एडिशनल रजिस्ट्रार किसी और से करवा रहा है, एमडी किसी और से करवा रहा है, धारा 55 की जांच कोई नहीं करवाता। धारा 55 की जांच शुरू करते हैं तो साल, दो साल बाद, तब तक सारी लीपापोती हो चुकी होती है, सारे डाकूमेंट गायब हो चुके होते हैं, जला दिये गये होते हैं, गायब कर दिये गये होते हैं, फाड़ दिये गये होते हैं, कुछ नहीं मिलता है। आपने आशाराम को सस्पैंड कर दिया, रिकार्ड कहां है? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, सबको 15-15 मिनट दिये हैं।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीणा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, श्री हरीश चन्द्र मीणा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 36 एवं 47 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, मेरी पहले सहकारिता मंत्री जी से मांग है कि जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन हो। ग्राम पंचायतें नयी बन गयी हैं, जो सहकारी समितियां हैं, वे पुरानी हैं। हर ग्राम पंचायत के हिसाब से इसमें गठन करने का आदेश फरमाएं। दूसरा, इनके जो चुनाव हैं, वे भी समय पर नहीं होते हैं तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जब भी इनके चुनाव ड्यू हों, समय पर चुनाव कराये जाएं, ताकि व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे। तीसरी, प्रत्येक जीएसएस में जो पांच लाख की बाध्यता है, मैं तो सरकार से आग्रह करुंगा कि या तो सरकार ये पैसे जमा कराये या इस राशि को कम किया जाए, जो भी तरीका हो। यह एक बड़ा बोझ-सा बनता जा रहा है, इसके अभाव में कुछ ही लोगों का इन सहकारी समितियों पर कब्जा है और जिस आम आदमी के लिए ये समितियां बनायी गयी थीं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सर, इसी तरह से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाये जाएं क्योंकि सहकारी समितियों की मार्फत ही यह काम होता है और बहुत सारी सहकारी समितियों में गोदाम नहीं हैं।

सर, अब मैं टूरिज्म पर आ जाता हूं। राजस्थान में पर्यटन असंगठित क्षेत्र में खनन के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इसका बजट 5 करोड़ रुपये का है। अब आप देख लीजिए इतने बड़े क्षेत्र के लिए, इतने बड़े कार्य के लिए क्या पांच करोड़ रुपये पर्याप्त हैं? मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि विभाग की व्यापकता देखते हुए, इसका लाभ देखते हुए इसके अनुरूप इसको बजट आबंटित किया जाए।

सर, सर्वप्रथम मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवली-उनियारा से शुरू करुंगा। वहां अनेक ऐसे स्थान हैं जिनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। हाथीभाटा, यह महाभारत काल का एक ऐतिहासिक स्थल है,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

इसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है और उन्होंने वहां पर एक चौकीदार के अलावा कुछ नहीं रखा है, उन अवशेषों की देखभाल करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए बजट नहीं है तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी ओर ध्यान दे और इस स्थान का विकास सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सर, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में रणथम्भौर, इसका अभी एक ही गेट है, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, पर इसकी बहुत बड़ी सीमा मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगती है, उसमें इसका दूसरा गेट खोला जाए। क्योंकि सवाई माधोपुर में एक तरह का होटल माफिया पैदा हो गया है, मंत्री जी उनसे भलीभांति परिचित होंगे। सर, मेरा आग्रह है कि इसका यहां विकास किया जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले और हमारे क्षेत्र का विकास हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसका दूसरा गेट मेरे विधान सभा क्षेत्र उनियारा खोला जाए।

सर, इसी तरह से छोटा पुष्कर के नाम से मशहूर एक धार्मिक स्थल माण्डकलां है, जहां सभी धर्मों के बहुत बड़ेबड़े मंदिर और धर्मशालाएं वहां बनी हुई हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करुंगा कि इस पर ध्यान दें और माण्डकलां का विकास करें। इसी तरह से हमारे यहां चांदली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, उसको भी सरकार विकसित करे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले।

सर, पर्यटन में जल पर्यटन का भी बड़ा स्थान है। बहुत देश इसको डवलप कर चुके हैं। मेरे क्षेत्र में बीसलपुर डैम है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मीठे जल का स्रोत है, उसमें जल के टूरिज्म को डवलप किया जाए, जैसे नौकायान है, और भी टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, उनको पहचानें और इसका विकास करें। मैं मानता हूं कि इससे सरकार को भी लाभ होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। सर, इसके साथ मेडिकल टूरिज्म का जिक्र आता है। जगह-जगह के हास्पिटल यहां आ रहे हैं, विदेशों के लोग यहां इलाज कराने आते हैं, उनको सस्ता इलाज भी मिलता है और भारत सरकार को आय भी मिलती है।

सर, इसी तरह हमारे पूर्वी राजस्थान में धार्मिक टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें कैलादेवी का प्रसिद्ध मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी है, श्रीमहावीर

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, करौली में मदनमोहन जी का मंदिर है, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, पपलाज माता का धार्मिक स्थल है। ऐसी अनेकों जगह हैं, इनको सरकार ज्वाइन करें और इसके लिए सर्किट बनायें। आज भी विदेशों के अलावा पूरे भारत से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, उनकी सुविधा के लिए आवागमन के साधन बनाये जाएं, धर्मशालाएं बनायी जाएं, ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिले।

सर, टूरिज्म एक प्राइवेट इंडस्ट्री है और भारत में खास तौर से राजस्थान में सरकार ने जिस तरह से इस पर शिकंजा कस रखा है, मैं चाहता हूं कि यह सरकार के शिकंजे से मुक्त हो। यह निजी व्यवसाय है इसे बढ़ायें, सरकार सिर्फ सुविधा प्रदान करे। आप टूरिस्टों को सुरक्षा की सुविधा प्रदान करे, अच्छे रोड्स बनाएं, आवागमन के साधन बनाएं, बाकी सरकार द्वारा टूरिज्म बिजनेस में होटल आदि चलाना, मैं मानता हूं कि सरकार के लिए यह काम उचित नहीं है। टूरिस्ट कहां आयेगा, टूरिस्ट कोई भी सैलानी हो, देशी हो, विदेशी हो, वह वहां जाएगा जहां पर सुरक्षा होगी। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति क्या है? अपराध की स्थिति क्या है? अगर ये बढ़ते रहेंगे, कानून व्यवस्था खराब होती रहेगी तो टूरिज्म पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसमें ध्यान रखें।

सर, सड़कों पर देखिए। जो नेशनल हाई-वे हैं, जहां-जहां जा सकते हैं, वे तो बन चुके हैं, स्टेट हाई-वेज कहीं नहीं बने हुए हैं, तो मैं इसके लिए सरकार से आग्रह करुंगा। क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, हरियाणा से बहुत टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए जो भी हाई-वेज हैं, स्टेट हाई-वेज हैं, एमडीआर (Major District Roads) हैं, उनका विकास करें। मैं मानता हूं कि इनका विकास होगा तो टूरिज्म स्वतः ही विकसित हो जाएगा, क्योंकि आज भी देश में विदेशी सैलानियों के मुकाबले देशी टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, राजस्थान में भी ज्यादा आते हैं, कृपया उन पर ध्यान दें, ताकि हमारे राजस्थान को राजस्थान की क्षमता के अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा मिले। महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत आभार, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग

(श्री अमृतलाल मीणा)

संख्या 36 और 47 पर बोलना चाहूंगा। मेरा सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है और इस हाउस में बैठे हुए सभी को सहकारिता विभाग की तरफ से अनुभव है, सहकारिता में फर्जी लोन लेने का बहुत ज्यादा होता है। मैंने सहकारिता मंत्रीजी को पिछले दिनों कुछ शिकायत की थी डेलाना लैम्पस को लेकर, उसका नतीजा उप-रजिस्ट्रार, उदयपुर आने के बाद करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ था। इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैतारण विधान सभा क्षेत्र में राजफैड द्वारा मूंग खरीद को लेकर खूब अखबारबाजी हुई थी और उसमें करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई, इसकी सीबीआई-सीआईडी से जांच होनी चाहिए। वास्तव में जो दोषी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। माननीय सहकारिता मंत्रीजी, मैंने आपसे निवेदन किया था कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर भीण्डर, मावली, फतेहनगर क्रय-विक्रय सहकारी समिति, वल्लभनगर में पीडीएस द्वारा कार्य किया जा रहा है लेकिन द्वेषता के कारण मेरे विधान सभा में दो क्रय-विक्रय सहकारी समिति सराड़ा और सलूम्बर, उसको आज तक अधिकार नहीं दिया पीडीएस का क्योंकि वहां ट्रायबल बैल्ट है, जनजाति है, बेरोजगार एरिया है और उनको पीडीएस का अधिकारी नहीं दिया है। मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि पीडीएस का सलूम्बर और सराड़ा को अधिकार दिया जाए।

दूसरा, भूमि विकास बैंक की बात करना चाहूंगा। मैं शोर्ट में कहना चाहूंगा कि भूमि विकास बैंक की शाखा अस्थाई रूप से मुख्यालय पर हस्तांतरित कर दी गई है, उदयपुर। जबकि लसाड़िया, सलूम्बर या कोटडा, गोगुन्दा था जो पहले, वह वहां न आकर उदयपुर आ रहे हैं। 2 तारीख 11 महीने, 2019 को राज्य सरकार के लिये गये निर्णय की अनुपालना के तहत बैंक की शाखाओं को मुख्यालय स्तर पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही अक्टूबर, 2019 में पूर्ण कर ली लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण क्योंकि एरिया बड़ा पहाड़ी है, दूर-दराज है और वहां का किसान अगर उदयपुर मुख्यालय पर आएगा, लोन एप्लाई करने, उदयपुर जनजाति बहुल क्षेत्र है, जिला भी भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत है, दूर-दराज क्षेत्र में ऋण वितरण किया गया है जिस हेतु बैंक सुपरवाइजर को वसूली हेतु फील्ड में जाना पड़ता है। बैंक की शाखाओं को मुख्यालय पर स्थानांतरित किये जाने के बाद ऋण कृषक द्वारा वसूली की किश्त जमा कराने में मुख्यालय उदयपुर आना पड़ता है, जिससे जनजाति क्षेत्र के ऋण कृषकों को काफी कठिनाइयों का

(श्री अमृतलाल मीणा)

सामना करना पड़ रहा है। जहां तक आर्थिक स्थिति को आधार मानते हुए शाखाओं को मुख्यालय पर, गोगुन्दा में कोटड़ा पंचायत समिति तथा लसाड़िया जो सलूम्बर पंचायत समिति शाखा पर था, उन दोनों को उदयपुर किया है, तो 500 रुपये के करीब किसानों को नुकसान होता है। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि हमारे अऋणी सदस्यों को, सभी सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि पारम्परिक जो जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनका हो।

माननीय हमारे पर्यटन मंत्रीजी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनको पता है। यह उस घराने से आते हैं जो राजस्थान के महलों का, टीबों का, झरोखों का, छतरियों का पूरा कड़वा अनुभव है और आपमें बहुत हिम्मत है करने की। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाराणा प्रताप की कर्म स्थली है और समाधि स्थल भी है और हाड़ा रानी जो महल है, वह महल बिलकुल तितर-बितर हो रखा है, उसको बिलकुल व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा जयसमंद की मीठे पानी की झील जो संसार की सबसे बड़ी झील है, वहां रूठी रानी का महल है और हवामल है, उसको भी सुधार किया जाए। महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है, वहां एक पुल निर्माण की बहुत सख्त जरूरत है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने 20 तारीख को भारत सरकार के लिए इसका पूरा प्रपोजल भेजा।

अंत में मेरा निवेदन है कि हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से दिवेर है, कुम्भलगढ़ है, हल्दीघाटी है, गोगुन्दा है, महाराणा प्रताप गौरव केन्द्र है, मोतीमगरी है, सिटी पैलेस है, झावर माताजी का है, जयसमंद झील, हवामहल, रूठी रानी है, महाराणा प्रताप की समाधि स्थल, कर्मस्थली चावण्ड, हाड़ा रानी हिडाना जी, ऋषभदेव और बेणेश्वर...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हाकम अली।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): त्रिपुरा सुन्दरी, गोटिया, आम्बा, मानगढ़, सीतामाता और गोतमेश्वर, सांवलिया जी होता हुआ चित्तौड़ एक सर्किट बनाया जाए ताकि पर्यटन की दृष्टि से लोग आ सकें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान मांग संख्या 36, 47 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं

(श्री हाकम अली खां)

आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां सहकारी संस्थाएं सही रूप से संचालित नहीं हैं। इन संस्थाओं द्वारा न तो नये सदस्य बनाये जा रहे हैं तथा न ही सदस्य किसानों को लोन दिया जा रहा है। क्षेत्र के किसान व्यवस्थापक को ढूंढते फिरते हैं, व्यवस्थापक मिलता नहीं है, न ही कभी फोन उठाता है, नंबर चेंज कर लेता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके व्यवस्थापक को पाबंद किया जाए और उनके नंबर सार्वजनिक स्थानों पर चाहे राजीव गांधी सेवा केन्द्र हो, कहीं भी लगाया जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर का संघ का क्रय-विक्रय भंडार बहुत पुराना बना हुआ है जो पिछले दस सालों से बंद पड़ा हुआ है। बंद होने का कारण यह है कि जब भण्डार बनाया गया था तो वहां भवन भी बनाया गया था, आफिस भी बनाया गया था, गोदाम भी बनाये गये थे लेकिन वहां एक बहुत बड़ा गबन हुआ था, उस गबन की अभी तक जांच चल रही है, वह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई। पता नहीं क्यों वह जांच पूरी नहीं हुई? इसी वजह से वह बंद पड़ा है। मंत्री महोदय, इसकी जांच कराकर इसको वापस खुलवाया जाए जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके अन्यथा किसानों को दलालों के द्वारा बहुत लूटा जा रहा है। मेरे क्षेत्र में मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, चना, सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन किसान जब अपनी फसल खरीद केन्द्र पर लेकर जाता है तो वहां उसको कहा जाता है कि हमारा तो स्टाक पूरा हो गया, इतना ही स्टाक था तब किसान अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है। जब किसान ठगा हुआ महसूस करता है तो उसको वापस लेकर जाना पड़ता है, तब किसान सोचता है वापस लेकर जाऊंगा तो गाड़ी का किराया फिर दोबारा वहन करना पड़ेगा इसलिए मजबूर होकर किसान को अपनी फसल ओने-पोने भाव में दलालों के माध्यम से बेच देनी पड़ती है। इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सहकारी संघ का क्रय-विक्रय केन्द्र दोबारा खोला जाए, जिससे संघ को भी फायदा होगा तथा किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। सहकारी संघ का गोदाम, आफिस सब तैयार पड़े हैं इसलिए मैं मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री हाकम अली खां)

दूसरा, मेरे क्षेत्र में, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय बैठे हैं, पर्यटन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर बहुत पुराना नवाबों का बसाया हुआ शहर है। इसमें एक बहुत पुरानी बावड़ी उस समय के शासकों ने बनाई थी। लोग इस बावड़ी को दुनिया का सत्रहवां अजूबा कहते हैं। इसको देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते थे परंतु समय के साथ-साथ सरकारी उपेक्षा के कारण वह ऐतिहासिक बावड़ी आज अपने पुरातत्व को, वजूद को खोती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बावड़ी का जीर्णोद्धार पुन: किया जाए। आप जैसे राजा-महाराजाओं की, नवाबों की याददाश्त बनी रहे और पर्यटकों को भी देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है।

दूसरा, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर में पुरानी हवेलियां बहुत हैं जिनमें बहुत भित्ति चित्रकारी है। यह चित्रकारी इतनी कलाकारी है कि आज के चित्रकार तो उस चित्रकारी को कर ही नहीं सकते। बहुत सारी हवेलियों को अंदर से तोड़कर नये मार्केट, कॉम्प्लेक्स बनाये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन हवेलियों को बचाया जाए और फतेहपुर की ऐतिहासिक छतरियां, जोहड़े, मकबरा आदि की ओर ध्यान देकर इनकी मरम्मत कराई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, मांग संख्या 36 सहकारिता, मांग संख्या 47 पर्यटन पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जब बात सहकारिता की होती है तो सबसे पहले सहकारिता मतलब, पूरा-पूरा किसानों पर निर्भर होता है। किसानों की बात हो रही थी, विधान सभा चुनावों में भी किसानों की बात हुई। किसानों की कर्जा माफी की बात हुई। दस तक गिनने पर सबका सम्पूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा, सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ लेकिन सहकारी समितियों में पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने 50 हजार तक का कर्जा माफ किया था, उसके बाद जो बचा था, आपने कर्जा माफ कर लिया। कोई बात नहीं, कहीं दस हजार हो, कहीं पांच सौ हो, दो सौ हो, कर लिया। समस्या यह आई कि जब किसान ऋण लेने गये तो उन्हें ऋण देना बंद कर दिया। उनको डिफाल्टर बना दिया। ओवर ड्यू होने की वजह से डिफाल्टर बना दिया। फिर उन्होंने फाइल दर्ज की,

(श्री छगनसिंह)

अपना रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन उनको ऋण नहीं मिल रहा। उन्होंने पूछा भी कि हमको ऋण क्यों नहीं मिल रहा है? फसल बोने का टाइम था, किसान ऋण लेने गया, तो उनको बोला गया कि आपको ऋण नहीं मिलेगा, आप डिफाल्टर हो, समय पर आपने ऋण नहीं चुकाया।

सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, वह भी किसान वर्ग से आते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि किसान का ऋण ओवर ड्यू कब होता है, ऋण माफ करने की बात कब होती है? जब उनके पास पैसा भरने को नहीं होता है, जब पैसा नहीं भर रहा है इसलिए ही तो ओवर डयू हो रहा है। ओवर ड्यू होता है तब ही आप माफ करते हो। जब आपने माफ कर दिया, चाहे पूर्ववर्ती सरकार ने किया हो या अभी की सरकार ने, भले ही हजार, पांच सौ रुपये ही किये हों, अब उसको ऋण देने की बात आई तो आपने उसको नकार दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो डिफाल्टर किसान बनाये हैं, उनको ऋण दें। ऋण देने से ही किसानों का भला होगा। जब किसानों का भला होगा तो पूरे राजस्थान का भला होगा, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा।

मैं समर्थन मूल्य की बात करूंगा। मेरे क्षेत्र में गेहूं, सरसों और चने की फसल बोई हुई थी, अब फसल पक गई है। वैसे ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, टिड्डी हमला हो, उनसे काफी कुछ फसल तो नष्ट हो चुकी है लेकिन कुछ फसल बची है। कुछ फसल पैदा हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गेहूं, चना, सरसों मेरे कृषि उपज मण्डी आहोर में समर्थन मूल्य से, वैसे उस कृषि उपज मण्डी में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, केवल चारदीवारी बनी हुई है, शैड नहीं है, किसानों के बैठने की जगह नहीं है, किसी प्रकार का प्लेटफार्म नहीं है, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मण्डी का भी विकास करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सहकारी समिति के चुनावों के लिए निवेदन करूंगा। आपने हमेशा चुनावों में देखा होगा अऋणी होते हैं, उन्हें 11 में से एक सदस्य चुनने का अधिकार होता है। जबकि ज्यादातर मैम्बर होते हैं वह अऋणी होते हैं। 10 मेम्बर जो चुने जाते हैं वह ऋणी ही होते हों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चाहे आपको इसमें बिल भी लाना पड़े, कुछ संशोधन भी करना पड़े, तो आप ऐसा करे कि जितने भी खाताधारक हैं, सहकारी समितियों के सदस्य हैं, जितने भी मेम्बर हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार हो। उनकी भागीदारी भी उतनी

(श्री छगन सिंह)

ही हो जिस प्रकार से ऋणी किसानों की होती है, जिससे सहकारी समिति का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। मैं आपसे विशेषकर निवेदन करूंगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, जीएसएस हर ग्राम पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। हरेक जगह पर गोदाम होने चाहिए।

पर्यटन मंत्री भी विराजे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूंगा, एक छोटी-सी बात कहूंगा, छोटी-सी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे ग्राम पंचायत में आहोर पंचायत समिति है, वहां एक बहुत बड़ा तालाब है, मैं चाहूंगा कि उस तालाब का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाए। उस पंचायत समिति में 100-150 गांव है। जिस प्रकार अहमदाबाद में कांकरिया तालाब है, उसी तर्ज पर उस तालाब का विकास करें जिससे आमजन, मेरे मजदूर भाई हैं, मेरे किसान भाई हैं, वह वहां आकर, तालाब का नजरिया देखकर, वह तालाब पूरा कैसे भरे, क्योंकि उस आहोर के तालाब में जिस नाले से पानी की आवक होती थी वहां कुछ अतिक्रमण हो गया है, उस नाले को भी खोलकर, तालाब को पूर्ण रूप से भरकर, उसका डवलपमेंट करके, कांकरिया तालाब की तरह कैसे विकास हो, ऐसा पर्यटन मंत्री जी ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है वहां पर्यटन का विकास होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी-सी बात है। आपकी मंशा है कि पर्यटन का विकास करें, तो छोटे-छोटे स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी कर सकते हैं लेकिन मैं पंचायत समिति स्तर पर एक बात कहना चाहूंगा कि आदर्श तालाब, जिस प्रकार से रूपरेखा है, आदर्श तालाब न होकर उसका विकास पर्यटन की दृष्टि से कैसे करें।

दानाराम जी गुरू महाराज का मंदिर है, वहां एक रोड है, वह बिलकुल नजदीक होकर जा रहा है। वन विभाग का...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गणेश घोघरा।

श्री छगनसिंह (आहोर): बाईपास पर रोड बना हुआ है, वन विभाग के मंत्री जी विराजे हुए हैं, रोड को बाईपास दिया जाए...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): जिससे उस मंदिर का भी उद्धार हो, पर्यटन की दृष्टि से भी विकास हो सके। जय हिन्द, भारत माता की जय।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या

(श्री गणेश घोघरा)

36 और मांग संख्या 47 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। टीएसपी डूंगरपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। डूंगरपुर जिला राजा डूंगरिया भील के नाम से ही डूंगरपुर का नामान्तरण हुआ था। डूंगरिया भील एक प्रतापी शक्तिशाली सरदार थे। डूंगरपुर को पाल और डूंगरिया भील की ढाणी भी कहा जाता है। डूंगरिया भील ने 13वीं सदी में डूंगरपुर नगर बसाया था लेकिन कुछ षड्यंत्र करके शुक्ल दशमी सम्वत् 1336 को एक पहाड़ी पर उनको घेरकर मार दिया गया।

माननीय सभापति महोदय जी, मैंने पहले भी यह मांग उठाई थी कि राजा डूंगरिया भील की वहां पर पत्थर की छतरी बनी हुई है, वहां जाने का रास्ता नहीं है, बिजली, पानी की सुविधा नहीं है। हर वर्ष होली खेली जाती है, वहां श्रद्धालु जाते हैं। वार-त्यौहार पर वहां दीपक, पूजा, अगरबत्ती करते हैं, मेरी सरकार से और मंत्री जी से मांग है कि आप आदिवासी बैल्ट पर भी थोड़ा ध्यान दें तो आदिवासियों के लिए ठीक रहेगा।

एक राजा था उसने डूंगरपुर नगर बसाया था, लेकिन किसी कारण से यह इतिहस दबाया गया, छुपाया गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप उस जगह पर, हमारा जो बाप-दादाओं का इतिहास है, उसको पर्यटन के रूप में विकसित करें। नगर के बीच में ही वह पहाड़ी है। इनकी दो रानिया थीं, काली और धनकी। आज भी वहां पर छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं, उन्होंने राजा के मरने पर जौहर किया था, अगर वह भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करवाया जाएगा, तो हमारे आदिवासियों के लिए गौरव की बात होगी।

देव सोमनाथ, केवल पत्थर पर शिवजी का मंदिर बना हुआ है देव सोमनाथ। प्राचीन काल का मंदिर है। न उसमें चूना है, न उसमें सीमेंट है, न उसमें रेती है, यह भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा डवलप हो सकता है। बेणेश्वर हमारे आदिवासियों का कुम्भ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों से वहां आते हैं। 36 कौम के लोग फूल चढ़ाने के लिए बेणेश्वर आते हैं, उसका भी अच्छा विकास हो जाए तो ठीक रहेगा। उसके बाद जूना महल, डिमिया तालाब, मारग्या तालाब, नागफनजी का मंदिर, चूंडावड़ा महल, ऐसे कई वहां पर्यटन स्थल बन सकते हैं लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया या सरकार को बताया नहीं इसलिए हमारा डूंगरपुर जिला पीछे रह गया है। पर्यटन की दृष्टि से वहां ऐसी कई ऐतिहासिक जगह हैं। हम तो वैसे भी जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, हम तो वैसे भी नदी-तालाबों के बीच रहते हैं, हमार तो घर ही पर्यटन स्थल है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे नगर परिषद् में डूंगरिया भील की मूर्ति साल भर से बनी हुई है लेकिन अभी तक डूंगरपुर, सदर थाना चौराहा है, वहां पर आज तक मूर्ति नहीं लगाई गई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां डूंगरिया भील की मूर्ति जल्दी से जल्दी लगाई जाए।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमर सिंह।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

(21.00 बजे)

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 47 पर्यटन पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बहुत खुशी है तथा मेरे क्षेत्रवासियों को भी आज की मांग से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि पर्यटन मंत्री महोदय भरतपुर से ही हैं।

सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो मेरा क्षेत्र प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना से रूपवास कस्बे के प्रमुख पर्यटन स्थल बुलन्द दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश से मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। सभापति महोदय, रूपवास के करीब 6 किलोमीटर पर ही प्रमुख पर्यटन स्थान खानवा है, जो 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए युद्ध का गवाह है। यहां पर महाराणा सांगा का स्मारक भी है। रूपवास कस्बे में स्थित शाही तालाब अपने सौन्दर्य की अलग ही पहचान रखता है। यहां पर स्थित दाऊजी मन्दिर में गुप्तकालीन मूर्तियां हैं। इस मन्दिर में रोजाना हजारों पर्यटक पूरे भारतवर्ष से आते हैं लेकिन आधारभूत सुविधाओं की कमी होने से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मेरा माननीय पर्यटन मंत्री और महाराज साहब से विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक मात्र बंध बरेठा को जो आज तक सरकारी उपेक्षाओं के कारण अपनी छवि को खो रहा है, पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, यहां पर केवलादेव घना पक्षी विहार से आने वाले

(श्री अमर सिंह)

अधिकांश विदेशी साइबेरियन सारस प्रजनन के लिये हर साल आते हैं। बंध बरेठा चारों ओर पहाड़ियों से घिरा एक रमणीय स्थल है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। बंध बरेठा के पास पहाड़ी पर रमणीय स्थल एवं प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने के लिये दूर-दूर से पर्यटक आते हैं इस बांध के पास पहाड़ी पर स्थित भरतपुर राजघराने की शान कोठी की भव्यता को देखने के लिये प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं परन्तु मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बजट सत्र में बंध बरेठा क्षेत्र के लिये एक विशेष पैकेज तैयार कर इसे पर्यटन मानचित्र पर उभारा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना के पहाड़ों पर स्थित प्राचीन कला, जो बाणासुर के किले के नाम से भी जाना जाता है, यह किला एक अजेय किला है, यह किला हमारी धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध कर अपने पोते के लिये बाणासुर की पुत्री उषा को जीता था, जिसकी याद में बयाना की भीतरबाड़ी में उषा मन्दिर भी है। यह मन्दिर भी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बयाना में पर्यटन की दृष्टि से अकबर का मकबरा, जहांगीर गेट, काले खां, जजरी, बारहदरी, भीमलाट, इमलीया कुंड पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से मेरा क्षेत्र अपार सम्भावना को समेटे हुए हैं, जिसकी पूर्ण व्याख्या करना असम्भव है। अंत में मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन है और डबल निवेदन करना चाहता हूं, भरतपुर जिले के अभिन्न अंग बयाना के पर्यटन विकास हेतु मेरी इन मांगों पर घोषणा करने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विश्वेन्द्र सिंह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, खासा कोठी के गलीचे कब बरामद होंगे, आप वह भी बता देना।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मांग संख्या 47 पर मैं जवाब देना चाहूंगा।

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

मैं अपना जवाब शुरू करूं, इसके पहले मेरा सबसे निवेदन है पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों से कि जिस भावना से आज मैं अपना निवेदन आपके सामने रख रहा हूं, उस भावना से ही आप उसको स्वीकार करें।

पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। यह एक ऐसा विभाग है और एक ऐसा व्यवसाय है जहां केवल गरीब आदमी से ले करके अमीर आदमी, सबको फायदा मिलता है। जिस भावना से मैं इसको निवेदन कर रहा हूं, उसमें मैं विपक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी उसी भावना से इसको लें क्योंकि केन्द्र में सरकार आपकी है और पर्यटन का और केन्द्र सरकार का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है और हमेशा रहना चाहिए।

आज कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं और निवेदन करने से पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। जो कई गलतफहमियां हुईं जिन सदस्यों ने आज अपने सुझाव दिये, अपनी सलाह दी, मैं उनका कृतज्ञ हूं।

मैं शुरुआत करूंगा, यह जो प्रतिवेदन है, यह दिसम्बर, 2019 तक का प्रतिवेदन है। अभी तीन महीने में जो काम और वर्क आर्डर हुए हैं, जैसा माननीय राठौड़ साहब ने आज फरमाया कि कई काम शुरू नहीं हुए। उनमें वर्क आर्डर दे दिये गये हैं। यह प्रतिवेदन केवल दिसम्बर तक का था। तीन महीने के, 31 मार्च तक आपके जो काम रह गये थे, वे पूरे हो जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): भैरूजी वाला करवा देना आप।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): एक मिनट, उसमें आ रहा हूं। हो गया, हो चुका, वह हो गया ...(व्यवधान)

एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज हमारे राठौड़ साहब ने भी कहा था और माननीय सदस्या मैडम किरण माहेश्वरीजी ने भी कहा था कि पर्यटन के बजट को कम कर दिया गया है। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मांग संख्या 51 व 30 मुखबंद में होने के फलस्वरूप आज इन पर चर्चा नहीं हो रही है। पर्यटन विभाग का कुल प्रावधान निम्नानुसार है। मांग संख्या 47, जो आज डिस्कस हुई है, 84.73 करोड़; मांग संख्या 51, यह 18.86 करोड़; मांग संख्या 30, यह 17.61 करोड़; कुल योग 121 करोड़ 21 लाख है। सबसे ज्यादा जरूरी जो आज मैं आपको, खुशखबरी तो आपको मुख्य मंत्रीजी दे ही चुके, मैं अपनी ओर से भी मुख्य मंत्री, सदन के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

ऐसा हुआ है कि पर्यटन को अतिरिक्त सौ करोड़ रुपये पर्यटन विकास कोष के रखे हैं। इसमें मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, पूरे सदन को, कि मेरी ओर से मेरे विभाग की ओर से न कोई पक्षपात होगा, चाहे पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, जहां-जहां जिसकी जरूरत जैसी होगी, जितना सम्भव है, वह पूर्ति की जाएगी। मेरा एक निवेदन है, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं अलग-अलग सदस्यों की अलग-अलग मांगें हैं लेकिन अगर ये मांगें मुझे लिखित में मिल जाएं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा।

राठौड़ साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आपसे ही शुरू करूंगा। मेरी आपसे इतने टाइम से बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। आपने कहा था, खासा कोठी को हमने यूनिवर्सिटी को उठा दिया। जहां तक खासा कोठी का प्रश्न है, 2013-14 की बजट घोषणा में हमारी सरकार द्वारा खासा कोठी व आनन्द भवन के जीर्णोद्धार के लिये दस करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था, हमारी सरकार के द्वारा। आपकी सरकार आई, उसके द्वारा इस राशि में से कुछ राशि व्यय होने के बाद शेष राशि के उपयोग पर रोक लगा दी गई। इसी के साथ आपकी सरकार ने ही इन दोनों होटल्स को पूर्ण रूप से बंद करने के इरादे से निजी क्षेत्र में देने के लिये कंसलटेंट की नियुक्ति भी कर दी थी। इसी कड़ी में आपकी सरकार द्वारा, अक्टूबर, 2018 में स्किल यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा किराये पर दे दिया। जबकि हमारी सरकार ने इस इकाई को सुदृढ़ करने के लिये यहां के प्रसिद्ध स्वीमिंग पूल के जीर्णोद्धार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिससे इसकी आय में वृद्धि होगी। अत: स्पष्ट है कि जहां आपकी सरकार में इकाइयों को बंद करने की कार्यवाही की जा रही थी, हम उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं।

अब आपके और भी प्रश्न थे, उनका जवाब दे दूं। राव अमरसिंहजी की छतरी, नागौर के संरक्षण के संबंध में माननीय सदस्य राठौड़ साहब को मैं यह अवगत कराऊंगा कि यह कार्य अब पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार आप जो कह रहे थे, अन्य विकास कार्यों की भी हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यथा समय पूर्ण करवाने के लिए तत्पर और अग्रसर भी हैं।

कोडमदेसर भैरूंजी का, हां, उसी पर आ जाओ, आप जो कह रहे थे कि ग्यारह बजे रात को याद आती है, का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अब नहीं आएंगे, साहब। कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

कराई गयी राशि में से 8.26 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है, अंतिम दायित्व का निर्धारण कर भुगतान भी किया जा रहा है।

सेठाणी का जोहड़ा का कार्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा उनकी राशि में से कराया जा रहा है, लगभग राशि 85 लाख रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण हो रहा है।

आर.टी.डी.सी. द्वारा वर्ष 2014 से पूर्व 43 इकाइयों का संचालन किया जा रहा था। आपकी सरकार द्वारा गत वर्षों 2014 से 2018 के मध्य इनमें से 16 इकाइयों का संचालन योजनाबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसमें मिड-वे बहरोड़ जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां भी शामिल थीं। हमारी सरकार वर्तमान में संचालित हो रही इकाइयों के अलावा बंद इकाइयों के पुन: संचालन बाबत भी कार्ययोजना तैयार कर रही है।

मैडम किरण माहेश्वरीजी यहां पर अभी विराजमान नहीं हैं, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, मैडम अनिता भदेल ने भी एक प्रश्न उठाया था। दोनों मैडम ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह जो पैनोरमा का मामला है, देखिए पैनोरमा के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह माननीय कल्लाजी का विभाग है और आर्ट एंड कल्चर के अंडर में यह आता है लेकिन इसमें हमारे विभाग का भी पूरा सहयोग है और आपका विभाग भी इसमें सक्रिय है, यह आश्वासन मैं आपकी तरफ से दे रहा हूं, जो इन्फार्मेशन हमको मिली है।

अब मैं थोड़ा निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा कि देखिए पर्यटन को, आप इस बात का बुरा नहीं मानें कि पिछले पांच साल से यह फाइनेंशियल और फिजिकल वेंटिलेटर पर था। पर्यटन को नई गति हम किस तरीके से दें इसके लिए कई नई-नई चीजें पिछले एक साल में की गईं। मैं कोई अपने विभाग का, अधिकारियों का या अपना कोई बखान नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू से जिस दिन से यह कार्यभार संभाला है, मैंने यह सोच रखी कि एक नई पर्यटन नीति बन रही है और उसमें हम सभी से चाहे स्टेक होल्डर हों, चाहे गाइड्स हों, चाहे होटल एसोसिएशन हो, चाहे हैरिटेज होटल्स के हों, उन सभी से राय लेकर और उस पर्यटन नीति को हम फोर्स में लाएं, जो बहुत जल्दी हम फोर्स में लाने वाले हैं। एक सूचना तो मैं यह देना चाहता हूं।

दूसरा, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों और सदस्याओं ने अभी

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

कहा कि हमको नए सर्किट बनाने चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू यह है और डिपार्टमेंट का भी यह है कि राजस्थान में अब तक जो पर्यटन की संभावनाएं हैं, 40 परसेंट ही हम लोगों ने टैप की हैं और 60 परसेंट अभी अन-एक्सप्लोर्ड हैं। उस 60 परसेंट को एक्सप्लोर करने के लिए सभी विधायकगण अपना-अपना सुझाव भेजें और यह बहुत जरूरी है कि हर जगह पर हमारे अधिकारी और हम लोग खुद वहां पर पहुंचें उनको देखें और निरीक्षण करके जहां पर जैसा हो सकता है क्योंकि माननीय सदस्यों ने अभी चर्चा की कि कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर चार डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा काम करना पड़ेगा। फोरेस्ट को भी, आर्ट को भी, कल्चर को भी और टूरिज्म को भी, तो इनके साथ-साथ यह भी है और एक नए सर्किट बनने चाहिए। नए सर्किट केवल हम यह कह दें कि नए सर्किट्स हम बना रहे हैं और नाम के वास्ते ही कर दें तो उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। नया सर्किट होना चाहिए, जिसमें रिलिजियस साइट भी हो, जिसमें आपके आर्कियोलोजिकल साइट भी हो, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी हो जिससे प्रत्येक, मेरा यह एक सपना है कि जो भी सैलानी विदेश से या प्रदेश से आता है, हर जिले में कम से कम एक रात गुजारे और हर डिविजनल हैडक्वार्टर पर कम से कम दो रात गुजारे।

इसके अलावा डेजर्ट टूरिज्म, डेजर्ट टूरिज्म में भी हम लोगों ने स्कीम बनाई है और जल्दी से जल्दी इस पर हम कार्य चालू कर रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 100 करोड़ रुपये का पर्यटन विकास कोष जो दिया है, उसमें मैं यह चाहता हूं कि हम उसकी जल्दी से जल्दी क्रियान्विति शुरू करें और मैं आज सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आपके सुझाव हैं, मांगें हैं उनको आप जल्दी से जल्दी या तो ऑनलाइन या फिर आप अपने लैटर हैड पर मेरे आफिस में भिजवा दें, जिससे मैं जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही कर सकूं।

इस वक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई कि पर्यटन विभाग द्वारा फिलहाल, हाल ही में यूनेस्को के साथ एक एम.ओ.यू. का, पश्चिमी राजस्थान के चार जिले, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, Intangible Cultural Heritage को प्रोत्साहन के साथ दस सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाना है।

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

गत वर्ष की घोषणाओं पर प्रभावी कार्य किया गया है, जिसमें जयपुर में वाल्डसिटी में व्हीकल फ्री हैरिटेज वाक प्रारम्भ कर दी गयी है। पूरे राज्य में कई प्रकार के पर्यटन विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलोजिकल पार्क 15 करोड़ रुपये, विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा, जोधपुर में एक तालाब के विकास के लिए 1.10 लाख रुपये, सॉरी 110 लाख रुपये, टोंक में सुनहरी कोठी एवं तैलियों का तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 150 लाख रुपये, सॉरी डेढ़ लाख रुपये तथा डीग शहर में प्रवेश द्वार का निर्माण एवं जवाहर प्रदर्शनी मेला ग्राउंड के विकास के लिए 2.50 लाख रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया।

मेरा एक निवेदन है कि आज यहां आपने सबने, अलग-अलग सदस्यों ने, चाहे वह उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे बी.जे.पी. के माननीय सदस्य हों, चाहे हमारे कांग्रेस के और माननीय सदस्य हों, सबने अपने-अपने सुझाव रखे हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज मेरा निवेदन यह है और माननीय नेता, प्रतिपक्ष और उप नेता, प्रतिपक्ष से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो स्कीम सेंटर में है, जो सेंटर से हमारा पैसा आना है, आपको वह तकलीफ तो होगी लेकिन आपकी कृपा भी होगी, मैं साथ चलने को तैयार हूं, हमारी प्रिंसिपल सैक्रेटरी साथ चलने को तैयार हैं, अगर आप उस पैसे को राजस्थान के लिए रिलीज करवा सकें तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी इसमें होगी। जी, नहीं। आज देखिए कि मेरा काम निवेदन करने का है, प्रार्थना करने का है, आगे यह मानें या नहीं मानें वह अलग बात है। जैसे सवेरे से बात चल रही थी टूरिज्म की, एडवेंचर टूरिज्म की भी हो गयी और भी टूरिज्म की बात हो गयी, हमारी वाटर स्पाट टूरिज्म की हो गयी, नए सर्किट टूरिज्म की हो गयी।

अब मैं अंत मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने आज एक नई चीज मेरे दिमाग में डाली, मुझे बार-बार उधर की तरफ से यह कह रहे थे तो मैंने कहा कि पोलिटिकल टूरिज्म भी चालू कर देना चाहिए, तो मैं पहुंचा फिर, मैं पहुंचा उधर से। अभी माननीय राठौड़ साहब ने यह कहा कि न तो सहकारिता मंत्री हैं और न पर्यटन मंत्री हैं। मैं चैम्बर में बैठा था, सीधा आकर इनके बगल में बैठ गया तो लोगों ने कहा कि उधर जाकर बैठ गये, तो पोलिटिकल टूरिज्म के लिए यह निवेदन करने आया हूं कि आप उधर पधारें। मैंने जिस भावना से आज यह बजट आपके सामने रखा है।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शांतिपूर्वक सुना। लंबा बोलने का कोई अर्थ नहीं, काम से अर्थ है और इसमें सभी का मैं सहयोग चाहूंगा, इतना ही मेरा निवेदन था, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: मांग पास कराओ।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 47-पर्यटन को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री अंजना उदयलाल।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36 सहकारिता पर सदन में चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों ने अति-उत्साह और गंभीरता के साथ इसमें भाग लिया, सबको इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर सदस्यों का आभारी हूं कि हमारी कमियों को गिनाया। नि:संदेह उसमें सुधार करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और करूंगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, 'निन्दक नियरे राखिए' तो आप तो प्रतिपक्ष हैं इसलिए आपका तो सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। हमारी जो भी गलती होगी, आप इशारा करेंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे लेकिन कहीं-कहीं आपने अच्छाइयों पर भी इशारा किया, उसको हम नहीं कर पाएंगे, यही इस मौके पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों के 218 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सबको यहां पर बोलने का अवसर नहीं मिला। यहां करीब 39 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, जिसमें पर्यटन और सहकारिता दोनों शामिल थे। सभी माननीय सदस्यों को इनके जवाब मिल जाएंगे और इसके अलावा, बाद में भी आपके मन में अगर विभाग को अच्छा चलाने के लिये, जनता की सेवा करने के लिये, किसानों की सेवा करने के लिये और अच्छे विचार जब भी आएं तो मेरा दरवाजा सदैव आपके लिये खुला है। जब भी आप पधारेंगे, स्वागत करूंगा, चाय पिलाऊंगा और आपके सुझाव लेकर प्रदेश की और किसानों की सेवा करने का पूरा-पूरा प्रयास करूंगा।

यूं तो सहकारिता का सूत्रपात बहुत आदिकाल से हो चुका है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस ओर इशारा भी किया था कि अगर सहकारिता सीखनी हो तो आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहिए। आज आदिवासी क्षेत्र

(श्री अंजना उदयलाल)

में अगर दस व्यक्ति हैं और चार बाटी उनके पास बची हुई है और सबको भूख लग रही है तो वह बराबर बाटी बांट लेंगे और सबमें बराबर वितरण कर देंगे, यह है सहकारिता। तो इसका आगाज तो जब हमारी उत्पत्ति हुई थी उसी समय से सरकार का भाव आ गया होगा लेकिन विशेष रूप से 1904 से इसका सूत्रपात हुआ और विभाग लगातार काम कर रहा है और अभी भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है। यह सहकारिता का काम तो अनवरत जारी रहता है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हम चार सालों में दो हजार जी.एस.एस. खोलकर 10 लाख किसानों को और इस सहकारिता से जोड़ेंगे, तो यह अनवरत काम है। सहकारिता को हम जितना आगे बढ़ा पाएंगे, उतना हमारा आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आशीर्वाद लेने के लिये पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास गया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि उदयलाल जी, आप किसान वर्ग से आते हो, इसी कारण से आपको सहकारिता विभाग दिया है और आपको राजस्थान को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमने प्रयास किये, अब कितना ऊपर जाएगा, यह आकलन तो जनता करेगी, जब हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि हम कितना भी काम करें, उसके बाद में भी आप लोग तो नुक्ताचीनी करते रहेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन इसका फैसला तो जनता करेगी जब हम जनता के बीच में जाएंगे, उससे पहले इसका कोई समाधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जो-जो हमने नवाचार करने का प्रयास इस कार्यकाल में, अल्प कार्यकाल में, अभी सवा साल हुआ है, जो नवाचार हमने किये हैं वह आपके सामने हैं। हमने आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन को अपनाया है। इससे किसानों की ऋण माफी आसान हुई और लगभग 21 लाख वास्तविक किसानों को इसका लाभ मिल पाया। आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन से नये फसली ऋण के वितरण की व्यवस्था भी हमने इसी से शुरू की। एक वर्ष में फसली ऋण में 8 लाख नये किसानों को पूरे राजस्थान में जोड़ा है, जिनको आजादी के बाद में सहकारिता विभाग आने के बाद में कभी

(श्री अंजना उदयलाल)

भी लोन नहीं मिला था। उन 8 लाख किसानों को जोड़ा है और हमारा टार्गेट और ज्यादा है। जैसे-जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे, वह निरन्तर प्रक्रिया जारी है। मैं तो चाहता हूं कि जो भी सहकारिता का सदस्य है, एक भी आदमी अगर ऋण लेना चाहेगा तो उसको बैंकों के दरवाजे खुले मिलें और उनको बिना ब्याज का ऋण मिल सके ताकि वह उन्नति की ओर बढ़ सके। इससे उत्साहित होकर इन किसानों ने इसे अपनाया है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की उपज का हमने तीन दिन में भुगतान करने का प्रयास किया है। यह तो माननीय राठौड़ साहब भी दाद देंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर नहीं होती तो एक महीने से अपना सत्र चल रहा है, कभी भी हमारा क्वेश्चन नहीं लगा कि किसानों का आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। यह पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में कि किसानों के समर्थन मूल्य पर जो खरीद की जाती है, उसका तीन दिन में भुगतान हुआ। यह सब बायोमैट्रिक सत्यापन के कारण हो पाया। यह पहली बार ही हुआ है इसलिए इस मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वे मुझे उत्साहित भी करते रहे और मैं काम करता रहा जिसके कारण से हम यह लक्ष्य अर्जित कर पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऋण माफी योजना, जन घोषणा पत्र के अनुसार जब विभाग संभाला तो सबसे पहली घोषणा हमारे सहकारी विभाग की थी। ऋण माफी की योजना, माननीय राहुल गांधीजी ने पूरे हिन्दुस्तान का दौरा करने के बाद यह निर्णय किया था कि जो वर्तमान भारत सरकार चल रही है, उसमें किसानों की हालत बड़ी दयनीय है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, जब तक किसानों को कोई राहत नहीं देंगे, तब तक हम भी किसानों का उद्धार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ऋण माफी की घोषणा की और ऋण माफी की घोषणा करते ही जब हमारी तीन राज्यों में सरकार बनी, चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह हमने ऋण माफी योजना का कार्यक्रम हाथ में लिया। यह विभाग, चूंकि मेरे अंडर में आता है, सहकारी विभाग के अधीन ऋण माफी का कार्यक्रम है, तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश निकालकर 48 घंटे के अंदर ही किसानों को आराम की नींद सोने के लिये राहत दे दी और 48 घंटे में आदेश जारी कर दिया कि हमने आपका सहकारी फसली ऋण माफ कर दिया है, आप आराम से सोइए। किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। राठौड़ साहब और कटारिया

(श्री अंजना उदयलाल)

साहब भी इस पर सिर हिला रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनका प्रतिपक्ष का जो काम करना है, वह करना है। ऋण माफी तो आपने भी की थी और हमने भी की थी। आगे अभी आंकड़ा आ रहा है, जब बताऊंगा आपको कि उसमें और इस ऋण माफी में क्या अंतर है?

इस ऋण माफी में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जब ऋण माफी शुरू की और 48 घंटे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी। आपने आन्दोलन करना शुरू किया। थोड़ा महीना-डेढ़ महीना विलम्ब हुआ था, जब पैसे नहीं पहुंचे थे तो आपने आन्दोलन की तारीख दे दी कि हम सब जगह जिला मुख्यालय पर जाकर आन्दोलन करेंगे। किसानों को एकत्रित करने को कहा लेकिन वह किसान आपके बुलाने से नहीं आये। वह सरकार पर भरोसा करते थे, अशोक जी गहलोत की जबान पर भरोसा करते थे इसलिए वह नहीं आये। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ लेकिन हमने आपकी ऋण माफी, जो आपने सरकार के जाते-जाते की थी, भाजपा की ऋण माफी जो 50 हजार रुपये की थी, उससे सीख लेकर, उसमें घपले बहुत हुए थे। इस कारण से हमने आधार आधारित सत्यापन अपनाया, बायोमैट्रिक सत्यापन अपनाया। इस कारण वह अपनाने से, व्यवस्था करने में एक-डेढ़ महीना लग गया जिस पर आपने हो-हल्ला किया कि अभी तक ऋण माफ नहीं किया है। यह बात कहते हुए बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं कि हमने राजस्थान के करीब 20 लाख 20 हजार किसानों का ऋण माफ किया है लेकिन आज बोलने तक एक भी शिकायत पूरे राजस्थान में नहीं आयी है। यह हमारी पारदर्शिता के आधार पर कह सकता हूं। अगर हो तो आप बताएं, कभी भी कि इस व्यक्ति की नहीं आयी, आप असत्य बोल रहे हैं। हमारे माननीय सभापति बैठे हैं, वह बोल सकते हैं कि विधान सभा में असत्य बोल रहे हैं, कार्यवाही जरूर करेंगे इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी शिकायत हो तो बताएं। यह पारदर्शिता के साथ काम करने का हमने प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, ऋण माफी तो आपने भी की थी 50 हजार की। मैंने कहा था, अभी आंकड़े बताऊंगा। आपने ऋण माफी इसलिए की थी 50 हजार की कि चुनाव नजदीक थे इसलिए जल्दी-जल्दी में 50 हजार की ऋण माफी की घोषणा कर दी। चुनाव नजदीक आ गये तो न आधार देखा, न कुछ और एकदम से आपने सबको सर्टिफिकेट जारी करने का काम बैंकों को दे दिया कि आप सर्टिफिकेट जारी कर दो। वह जो ऋण माफी हुई है, वह किसके

(श्री अंजना उदयलाल)

खाते में जा रहा है, यह आपने कभी नहीं देखा। जब मैंने विभाग संभाला और सबसे पहले डूंगरपुर की घटना छपी कि 9 करोड़ रुपये का घपला हो गया है, उसके लिये अफसरों के साथ मीटिंग की और जानकारी ली और पूरे राजस्थान में सब जगह से सूचना आने लग गयी कि हर तरफ इस मामले में बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, किसानों के साथ ठगी हुई है। जो वास्तविक किसान थे, उनके खाते में ऋण नहीं गया है, जो बिचौलिये बरसों से ऋण दिलाते रहते थे और पैसा अपनी जेब में रख लेते थे, इससे नाम किसान का होता था, पर उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। इस कारण से यह घपला हुआ है तो हमने उसकी जांच करायी। 82,400 किसानों की शिकायतें प्राप्त हुईं और जिसका फिगर 220 करोड़ के करीब था, उस पर हमने रोक लगायी। इसी कारण से हमने आधार आधारित सत्यापन लगाकर आगे किया। आपने घोषणा तो की थी कि 50 हजार माफ कर देंगे लेकिन बजट तो आप समझते हैं, रोज आपके क्वेश्चन मैं भी सुनता हूं, कटारिया साहब का तो कोई मुकाबला नहीं है। यह प्रतिपक्ष में भी रहे हैं और सत्ता पक्ष में भी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपने बजट में प्रावधान ही नहीं किया और ऋण माफी की घोषणा कर दी। आपने केवल दो हजार करोड़ रुपये की घोषणा की, बाकी तो हमारे लिये विरासत में छह हजार करोड़ छोड़ दिये। आपको भी सत्य का मालूम है, हमको भी सत्य मालूम है। इसी पर हमारे सहकारिता विभाग से चर्चा की तो हमारे को एक शेर याद आया। शेर में पढ़ता नहीं हूं लेकिन राय ली तो लोगों ने सुझाया -

'धरती पुत्रों को मझधार में तुम छोड़ गये,
कर्ज माफी का सपना दिखाकर मुंह मोड़ गये,
हमने उन सपनों को पूरा किया है,
कर्ज माफ करके अपना वादा पूरा किया है।'

हमने शिकायतें प्राप्त होने पर सभी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। जो कार्यवाही की गई है वह सबके सामने है, हमने 282 कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की है, 81 कर्मियों का निलम्बन किया है, 36 कर्मियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. और 9 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

हमारी सरकार अल्प समय में लागू कर आधार आधारित बायोमैट्रिक से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, अभी आपने हमारे पर एक गंभीर आरोप लगाया था कि आप सहकारिता में राजनीति नहीं किया करें। सहकारिता में कोई राजनीति नहीं हो रही है लेकिन अगर कोई सहकारिता की शिकायत मिलेगी, चाहे डेयरी हो, चाहे मेरा भाई भी क्यों न हो तो शिकायत की तो जांच होगी, होगी और होगी। जांच में भी प्रतिबंध लगाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जांच भी नहीं होने देते हैं, घपले सामने नहीं आने देते हैं और जब कोई बोलने का प्रयास करता हूं तो आप हंसी ला देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। गंभीरता से समझिये, जांच होने दीजिये अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो कुछ भी नहीं होगा और गलत काम किया है तो निःसंदेह उन पर कार्यवाही होगी, इसमें कोई दोराय नहीं है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री जी, जैतारण की।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज 3 सदस्यों ने, सुश्री दिव्या मदेरणा जी ने, श्री इन्द्राज जी गुर्जर ने, श्रीमती किरण माहेश्वरी जी ने किसान के नोशनल शेयर के आधार पर ऋण नहीं मिलता, उसकी बात उठाई थी, वह बात काफी लंबे समय से जानकारी में है और उसके आधार पर अधिकारियों को, विभाग को निर्देश दे दिये हैं। जिसके नोशनल, जिसके पिता के पास सामूहिक खाता है और उसके 3 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं अगर समझौता पत्र ला करके प्रस्तुत कर देंगे तो सभी भाइयों को जिनकी प्रोपर्टी है, उसके अनुसार उनको ऋण वितरण होना शुरू हो जायेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यह रोका इसलिए गया था कि पूर्व में जो ऋण वितरण होता था, अभी यह मुद्दा भी यहां उठाया था कि किसी को तो डेढ़ लाख रुपये हम ऋण देते थे, आपने केवल 50 हजार रुपये तक ऋण को बांध दिया है, उसका कारण यही था कि लिमिटेड लोग थे, जो चहेतों को तो डेढ़ लाख रुपये ऋण दिया जाता था और गरीबों को और जिनकी कोई एप्रोच नहीं होती थी उनको 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये और 20 हजार रुपये तक भी आपके कार्यकाल में ऋण दिया जाता था। हमने समानता लाने का प्रयास किया है इसलिए गलत आदमी बाहर हो गये हैं, बंटाई के नाम पर फर्जी लोग जिस प्रकार से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का ऋण उठाते थे और एक ही परिवार उठाता था, उन पर रोक लगी है, इस कारण से यह थोड़ी अड़चन

(श्री अंजना उदयलाल)

आई है लेकिन अब नोशनल शेयर के आधार पर जो समझौता पत्र प्रस्तुत कर देंगे उन सभी भाइयों को भी सहकारिता से बराबर ऋण मिलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मैंने इस विभाग को संभाला तो मुझे अपना अतीत याद आ गया क्योंकि मैं किसान परिवार का व्यक्ति हूं, आज भले ही सांवलिया सेठ ने थोड़ा हाथ पकड़ लिया जो काम धंधे में लग गया हूं लेकिन बेसिक रूप से तो किसान आदमी हूं, मेरा परिवार आज भी खेती करता है। मेरे पिताजी जब खेती करते थे, हम भी ग्राम सेवा सहकारी समिति केसुंदा गांव के सदस्य थे और पैसे के लिए जाते थे, तब किन लोगों को पैसा मिलता था किसको नहीं मिलता था, यह आपसे भी कोई छिपा हुआ नहीं है और मेरे से भी कोई छिपा नहीं है इसलिए पक्षपात समाप्त करने के लिए ही हमने सदस्यता, जैसा मैंने अभी कहा है कि 8 लाख नये सदस्य जुड़े हैं, ऐसे सदस्यों को जो वर्षों तक नहीं देते थे और पक्षपात होता था इस कारण से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो, किसान की मजबूरी को मैंने अपने सामने भुगता है इसलिए मैंने इन सबको जोड़ करके यह काम किया है। इसका काफी विरोध भी हुआ कि आप सहकारिता में नये सदस्य जोड़ेंगे तो निःसंदेह यह ढांचा चरमरा जाएगा और विभाग की साख को धक्का लगेगा। लेकिन उन सबकी कोई परवाह नहीं की और आगे बढ़े हैं, 'यूं तो मुश्किलें हर रोज खड़ी होती हैं पर जीतता वही है जिसकी सोच बड़ी होती है', इस आधार पर काम करने की वजह से हम आगे बढ़ पाये अन्यथा शायद यह लागू नहीं कर पाते, इतने अवरोध भी पैदा हुए लेकिन उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद था इसलिए यह नई व्यवस्था लागू कर पाये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 18 बार तो नाम ले लिया मुख्य मंत्री जी का।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): हां लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आप तो कुर्सी पर ही नहीं बैठते थे सामने, हम तो नाम तो लेते हैं, बराबर बैठकर तो बात करते हैं, आपको तो खड़े रहकर ही बात करनी पड़ती थी। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। (व्यवधान) प्लीज शांत रहें। माननीय सदस्य। तोते को भी इतना पढ़ाएं तो वह पूरी बात समझ जाये। एक बात समझ में नहीं आती, क्यों इंटरवीन कर रहे हो आप बीच में।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लगभग सवा साल से राजफैड के मार्फत समर्थन मूल्य पर वास्तविक किसान से खरीद सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए मैंने जिक्र किया है।

श्री सभापति: जल्दी समाप्त करें, माननीय मंत्री महोदय, कितना टाइम लगाएंगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): आप कहो जितना लगा देंगे।

श्री सभापति: नहीं नहीं, अभी और बहुत मांगें पास करानी हैं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बताना उचित समझता हूं कि पिछली सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखकर अंतिम वर्ष में खरीद की थी।

मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि हमने भी राजफैड के मार्फत से सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की है, हमने एक साल में साढ़े छह हजार करोड़ की जिंसें खरीदी हैं और आपके 5 साल में केवल 9 हजार करोड़ की खरीद हुई, वह खरीद भी आखिरी साल में जाकर हुई अन्यथा चार साल तक किसान चक्कर लगाते रहे। किसान बाजार में लुटता रहा लेकिन आपने समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं क्योंकि मैं हारा हुआ था, निम्बाहेड़ा मंडी में रोज जाता था, मैं धरने पर बैठा तो उसके बाद श्रीचंद जी कृपलानी, जो अब आज विधान सभा के सदस्य नहीं हैं लेकिन तब सदस्य थे। उन्होंने कहा कि मैंने गेहूं की खरीद शुरू करा दी है लेकिन खरीद आज दिन तक शुरू नहीं हुई। इस बात की ठगी पूरे राजस्थान के किसानों के साथ हुई है लेकिन यह सरकार है कि समय पर खरीद करा रही है और समर्थन मूल्य पर बराबर सबकी खरीद होकर उनको भुगतान भी हो रहा है। यह सरकार की पारदर्शिता है।

मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि ऋण माफी ज्यादा हो, जिस पर आपने भी कहा कि यह ऋण माफी गलत है, हम भी कह रहे हैं कि आपकी ऋण माफी गलत है। मैं तो यह चाहता हूं, किसानों को इतना समृद्ध बना दिया जाए कि आगे जाकर ऋण माफी का सहारा नहीं ले और कोई राजनीतिक दल ऋण माफी नहीं करके किसानों की भलाई की सोचे। अगर किसानों की भलाई की सोचनी है तो हमारी तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव जाएगा और दिल्ली में भारत सरकार आपकी बैठी है, हमारे 25 सांसद जीत

(श्री अंजना उदयलाल)

कर भी गये हुए हैं, मैं चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश में परीक्षण किया था भावांतर का वह लागू कर दिया जाए तो किसान निहाल हो जाएगा, जो समर्थन मूल्य है उसका अंतर। अगर बाजार में गेहूं 1800 रुपये बिक रहा है और समर्थन मूल्य 2000 रुपये है और उसने 10 क्विंटल गेहूं बेचे हैं तो 2000 रुपये सीधे काश्तकार के खाते में चले जाएं। न तो गेहूं खराब होगा, न बारदाने की जरूरत पड़ेगी, न ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी और सब तरफ से किसान का शोषण नहीं होगा और कभी ऋण माफ भी नहीं करना पड़ेगा, किसान को उचित मूल्य पर मिलेगा लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद भारत सरकार कराती है इसलिए हम तो प्रस्ताव भेज देंगे लेकिन यह काम आपको हाथ में लेना पड़ेगा, वहां भी हम किसानों के हित के लिए बैठे हैं। पक्ष-विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आप अगर यह करेंगे तो निःसंदेह किसान दुआ देंगे, ये मेरे विचार हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज चूरू और आमेर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि बीमा में बड़ी ठगी हो गई, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, 20 करोड़ रुपये का घोटाला हो गया है। आपके काले-काले दाग लगे हुए हैं, काले-काले दाग ही नहीं बहुत बड़े-बड़े दाग लगे हुए हैं, जो सामने पूरे आकंठ काले में डूबे हुए हैं वे दाग की बात कर रहे हैं। जिस टेंडर प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं वह टेंडर अभी तक खुले ही नहीं हैं, प्रक्रियाधीन हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आमंत्रित किया या नहीं किया, यह बताओ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद दो राजस्थान पत्रिका को ... (व्यवधान) बात करते हो आप।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय राठौड़ साहब, आप बोल रहे थे उस समय भी मैं बोल सकता था, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं उस समय आप बोले थे, मैं भी सुन रहा था, आपको भी सुनना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, इधर, इधर।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जब मैं यह बात कह रहा हूं तो आपको भी सुनना चाहिए। मुझे डराने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सदन में हक है बोलेंगे, आप गलत आरोप लगाओगे तो उसका खंडन करेंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ही मुखातिब हूं बहुत देर से। यह कोई वाद्विवाद आमने-सामने का है क्या, इधर आसन को संबोधित करिये आप। ये क्या है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात सुनने का माद्दा भी होना चाहिए, ये उठते क्यों हैं एकदम?

श्री सभापति: विराजिये। आपने तो कई बार परखा है इनको, विराजिये।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने आरोप लगाया तो आरोप का जवाब दे रहा हूं। हमने इंश्योरेंस करने का प्रयास किया, इन्होंने भी इंश्योरेंस किया था एक एजेंसी से, आज भी 67 करोड़ रुपये के क्लेम पैंडिंग हैं, भुगतान नहीं हो पाया है। उस कंपनी को हमें ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, इन्होंने कभी उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया। 11 हजार 600 किसानों का प्रीमियम कट गया झालावाड़ में और उनका बीमा नहीं हुआ। किसानों की लिस्ट पड़ी होगी, इंक्वायरी करा लीजिये किसी समिति को गठित करके कि वह किसके राज में हुआ। (व्यवधान) आज लोग मर रहे हैं और क्लेम के लिए वे यहां आ रहे हैं, उनको क्या जवाब दें? सरकार में हम बैठे हैं, जवाब हमें देना है लेकिन काले कारनामे इनके हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। यह इनका तरीका है। राठौड़ साहब ने तो आज यह कहा है लेकिन समाचार पत्र में छपा था कि बीमा में कोई गफलत हो रही है, मैंने उसी दिन कमेटी का गठन किया और कानूनी जानकारी के लिए कानून विभाग में अभी फाइल भेज रखी है, टेंडर अभी तक खुला नहीं है, ये किसानों का हित नहीं चाहते इसलिए टेंडर नहीं खोलने दे रहे। आज अप्रैल से लगाकर, यह आरोप भी सदन में लगा कि 1 अप्रैल से लगाकर आज 10 महीने निकल गये जिसमें अभी तक किसानों का बीमा नहीं हुआ है, इस पीरियड में कोई किसान मर

(श्री अंजना उदयलाल)

गया तो उसका जवाबदार कौन? इसकी पीड़ा मुझे बहुत ज्यादा है और अन्य सदस्यों को भी होगी इसलिए प्रक्रिया अपना रहे हैं लेकिन काम हुआ ही नहीं उससे पहले इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। यह गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके मामले में यह बैंकों की सूची उपलब्ध है। भारत सरकार ने भी ब्रोकर नियुक्त किए हैं। जिसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ इंडिया, गुजरात कोआपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र काआपरेटिव बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और दूसरे सरकारी उपक्रम ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपो, केरला फिशिंग बोर्ड, शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड, इन्होंने भी अपना ब्रोकर नियुक्त करके काम किया है।

आपके विरोध से किसानों का अहित तो किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। किसानों के हित में काम करूंगा। इसके अलावा अगर आप उसमें सुधार करने के लिए बताएंगे तो मैं तैयार हूं लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। किसानों का भला करने दीजिए। इस बीच में जो लोग मर गये हैं, उनका जवाबदार कौन होगा? यह तो बाद की बात है लेकिन यह पीड़ा मन में है तो यह बात मैंने आज सदन के सामने कही है।

सभापति महोदय, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए 2012-13 में तत्कालीन सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी बैंकों को कोर प्रणाली से स्थापित करने की घोषणा की थी। जिसका नतीजा यह है कि आज हमने 493 शाखाओं को कोर प्रणाली से जोड़ दिया है। आज हमारी बैंकिंग शाखाएं ऑनलाइन हैं। निजी बैंकों की तरह सरकारी बैंकों में भी आरटीजीएस, एसएमएस, अलर्ट, डीबीटी, एनीव्हेयर बैंकिंग सिस्टम, स्टेटमेंट अकाउंट बाई ई-मेल, एटीएम, माइक्रो एटीएम कार्ड, मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा उपभोक्ताओं को आज भी मिल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 11 जुलाई, 2019 को मोबाइल एटीएम का शुभारंभ किया था, जिसका दूरदराज के लोग लाभ ले रहे हैं। इसका काफी अच्छा स्वागत हुआ है। इससे प्रेरित होकर हमने इसका और विस्तार करने की

(श्री अंजना उदयलाल)

योजना बनाई है ताकि मोबाइल यूनिटें घूमती रहें और सबको समय पर भुगतान गांवों में भी मिल जाए। यह व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, खाद की समस्या अक्सर आती रही है और लाइनें लगती रही हैं। हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ लोगों ने स्टाक कर लिया था और आर्टिफिशियल कमी की कोशिश की थी, इससे कतारें लगने की स्थिति आईं थीं लेकिन वह स्थिति बनी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह व्यवस्था की है कि 2020-21 में 2 लाख टन यूरिया व 1 लाख टन डीएपी का अग्रिम भंडारण होगा। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी दूरदर्शी सोच से 2021 में सबको समय पर खाद मिल पाएगा।

सभापति महोदय, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर जब नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन जब वह अपने पैरों की तरफ देखता है तो खुद ही रोता है। मैंने इस विभाग को संभालने के बाद यह अनुभव किया है कि यूं तो सहकारिता किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है, किसानों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है लेकिन विभाग में जितने घपले और घोटाले आ रहे हैं, वह सब व्यवस्थापकों की व्यवस्था के कारण आ रहे हैं। जब कानून बना था, उसी समय व्यवस्थापकों को अगर सही तरीके से कैडर बेस बनाया जाता तो शायद इतने घपले सहकारिता में नहीं होते। इन घपलों के होने के बावजूद भी कानून में इतने सख्त प्रावधान नहीं होने की वजह से घपलेबाज छूट जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह स्थिति इसमें नहीं बने इसलिए व्यवस्थापकों को कैडर बेस बनाया जा रहा है ताकि उनकी जवाबदेही तय होकर आगे काम हो सके। हम उस काम को जल्दी से जल्दी कर लेंगे। अगर व्यवस्थापक सही तरीके से काम करेंगे तो सहकारिता के क्षेत्र में हम और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे।

सभापति महोदय, समय होने जा रहा है। नई घोषणाएं, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक आगामी वर्ष 2021 में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु नवीन योजनाएं लागू कर रहा है। मैं इन नवीन योजनाओं की निम्न प्रकार से घोषणाएं करता हूं:-

(1) आरबीआई से अपेक्स बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू की जाएगी।

(2) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2020-21 में पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम सेवा का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं।

(श्री अंजना उदयलाल)

(3) बैंक शाखाओं में बिलों के भुगतान की सुविधा हेतु वर्ष 2020-21 में भारत दूरी पेमेंट सिस्टम सेवा का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं।

(4) वर्ष 2020-21 में 11 रेलवे स्टेशनों पर अपेक्स बैंक के एटीएम को स्थापित करने की घोषणा करता हूं।

(5) वर्ष 2020-21 में एनपीसीआई से सीधी सदस्यता प्राप्त कर एटीएम का संचालन करने की घोषणा करता हूं, जिससे बैंकों को आर्थिक लाभ होगा।

(6) वर्ष 2020-21 में 1000 एटीएम स्थापित कर आरम्भ करने की घोषणा करता हूं।

(7) उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपेक्स बैंक की सभी शाखाओं में वर्ष 2020-21 में मल्टी फंक्शन कियोस्क चालू किये जाने की घोषणा करता हूं।

अन्य घोषणाएं:-

मैं घोषणा करता हूं कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से कराये जाएंगे। पंचायती राज के चुनावों के बाद सहकारी समितियों के चुनाव कराये जाएंगे। ऐसी करीब 14 हजार संस्थाओं के चुनाव होंगे।

मैं घोषणा करता हूं कि व्यवस्थापकों को शीघ्र ही कैडर बेस बनाया जाएगा, जिससे आपको समान वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

मैं घोषणा करता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की प्रणाली में सुधार कर अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। इस हेतु सहकारी विभाग अधिनियम में बदलाव किया जाएगा।

मैं घोषणा करता हूं कि सहकारिता विभाग चुनाव में शिक्षा का अवरोध हटाया जाएगा।

समय हो रहा है। मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करता हूं कि सहकारिता लोकतंत्र का आधार है। क्या राठौड़ साहब, सबको साथ चलने का अधिकार है। हम इसे मजबूत बनाएंगे। सबको आगे ले जाएंगे।

'अब कोई छोटा या बड़ा न होगा,
महलों के बाहर कोई रोता न होगा।
शोक से निकलकर अशोक हुआ,
अब सच्चे सूरज का उदय हुआ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता पारित की जाए।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 36-सहकारिता

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,23,23,29,000/- (अक्षरे रुपये चौंतीस अरब तेईस करोड़ तेईस लाख उनतीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,73,68,000/- (अक्षरे रुपये चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़सठ हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1-राज्य विधान मंडल के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री सभापति)

राज्यपाल महोदय को रुपये 87,37,07,000/- (अक्षरे रुपये सतासी करोड़ सैंतीस लाख सात हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2-मंत्री परिषद

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2-मंत्री परिषद के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,81,02,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह करोड़ इक्यासी लाख दो हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3-सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,98,79,44,000/- (अक्षरे रुपये दो अरब अठानवे करोड़ उनासी लाख चवालीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,23,56,38,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह अरब तेईस करोड़ छप्पन लाख अड़तीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री सभापति)

2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,79,72,21,000/- (अक्षरे रुपये दो अरब उनयासी करोड़ बहत्तर लाख इक्कीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,57,68,37,000/- (अक्षरे रुपये आठ अरब सत्तावन करोड़ अड़सठ लाख सैंतीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,56,12,78,000/- (अक्षरे रुपये पांच अरब छप्पन करोड़ बारह लाख अठहत्तर हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12-अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,91,57,85,000/- (अक्षरे रुपये आठ अरब इक्यानवे करोड़ सत्तावन लाख पिच्यासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 13-आबकारी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,66,07,000/- (अक्षरे रुपये एक अरब तिहत्तर करोड़ छियासठ लाख सात हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,17,15,92,000/- (अक्षरे रुपये दस अरब सत्रह करोड़ पन्द्रह लाख बानवे हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18-जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 99,18,79,000/- (अक्षरे रुपये निन्यानवे करोड़ अठारह लाख उनासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,54,05,35,000/- (अक्षरे रुपये एक अरब चौवन करोड़ पांच लाख पैंतीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,27,92,85,000/- (अक्षरे रुपये दो अरब सत्ताइस करोड़ बानवे लाख पचासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,15,12,86,000/- (अक्षरे रुपये तीन अरब पन्द्रह करोड़ बारह लाख छियासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,09,29,10,45,000/- (अक्षरे रुपये एक सौ नौ अरब उनतीस करोड़ दस लाख पैंतालीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 65,19,55,79,000/- (अक्षरे रुपये पैंसठ अरब उन्नीस करोड़ पचपन लाख उन्यासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,21,28,97,000/- (अक्षरे रुपये तीन अरब इक्कीस करोड़ अट्ठाईस लाख सतानवे हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,90,96,70,000/- (अक्षरे रुपये छब्बीस अरब नब्बे करोड़ छियानवे लाख सत्तर हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,94,66,14,000/- (अक्षरे रुपये छह अरब चौरानवे करोड़ छियासठ लाख चौदह हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री सभापति)

महोदय को रुपये 28,96,22,00,000/- (अक्षरे रुपये अट्ठाईस अरब छियानवे करोड़ बाईस लाख मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,22,13,03,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह अरब बाईस करोड़ तेरह लाख तीन हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,31,54,000/- (अक्षरे रुपये एक करोड़ इकत्तीस लाख चौवन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,58,48,23,000/- (अक्षरे रुपये छप्पन अरब अठावन करोड़ अड़तालीस लाख तेईस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43-खनिज

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री सभापति)

2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,69,50,24,000/- (अक्षरे रुपये तीन अरब उनहत्तर करोड़ पचास लाख चौबीस हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,67,95,000/- (अक्षरे रुपये तीस करोड़ सड़सठ लाख पचानवे हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48-विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,60,85,56,000/- (अक्षरे रुपये एक सौ सत्रह अरब साठ करोड़ पचासी लाख छप्पन हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,07,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख सात हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,95,91,05,000/- (अक्षरे रुपये बाईस अरब पिच्यानवे करोड़ इक्यानवे लाख पांच हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,98,50,97,05,000/- (अक्षरे रुपये एक सौ अठानवे अरब पचास करोड़ सतानवे लाख पांच हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

(22.00 बजे)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

(श्री सभापति)

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2020 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22:01 बजे शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सिवाना के ग्राम सैला में 132 केवी जीएसएस की स्थापना

353. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम सैला में 132 के.वी. का जीएसएस बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त का कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में 33 के.वी. के नये जीएसएस बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित 33 के.वी. जीएसएस के चारदीवारी के निर्माण का कार्य नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिशासी अभियंता कार्यालय सिवाना, सहायक अभियंता कार्यालय पादरू एवं समदड़ी के नवसृजित कार्यालयों हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि एवं बजट आवंटन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त पर अब कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम सैला में 132 केवी का ग्रिड सब-स्टेशन का प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य नहीं पाया गया है।

(2) जी नहीं। सिवाना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 33/11 केवी सब-स्टेशन का कोई नया प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्तमान में 33/11 केवी की 44 सब-स्टेशन संचालित हैं, जिनमें से 35 सब-स्टेशन पर चारदीवारी के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष 9 सब-स्टेशन के चारदीवारी के निर्माण कार्य का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) सिवाना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता पादरू एवं समदड़ी के नवसृजित कार्यालय हेतु भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

श्रीगंगानगर में टी.सी. भूमि काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

365. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ की पीलीबंगा तहसील में जो टी.सी. भूमि आबंटित काश्तकार हैं, वे विगत 45-50 वर्षों से खातेदारी लेने से वंचित हैं? क्या सरकार इन काश्तकारों को खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(2) क्या सरकार 1955 से पूर्व व 1955 के बाद के टी.सी. भूमि आबंटियों पर विभिन्न प्रकार के राइडर के कारण खातेदारी देने में रोक लगा रखी है? क्या सरकार तरह-तरह के उक्त राइडरों को हटाकर खातेदारी देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नही तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पेरीफेरी क्षेत्र के अन्दर खातेदारी देने पर आरक्षित दर की चार गुणा राशि वसूल की जाती है? क्या पूर्व में सरकार ने पेरीफेरी क्षेत्र के अन्दर काश्तकारों को छूट प्रदान कर खातेदारी दी गई थी? क्या वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती के पैटर्न पर खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के हजारों की संख्या में ऐसे काश्तकार हैं जिनको भूमि पुख्ता आबंटन व स्माल पेच में बालिग पुत्रों को भूमि आबंटित हुई उन काश्तकारों की भूमि रकबाराज मानकर गजट में विशेष आबंटन हेतु आरक्षित कर दी गई है, जिसके कारण से खातेदारी नही मिल रही है? क्या सरकार ऐसे पात्र किसानों की भूमि गजट से बाहर निकालकर खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला श्रीगंगानगर की तहसील सूरतगढ़ एवं जिला हनुमानगढ़ की तहसील पीलीबंगा में कुछ टी.सी. आबंटियों को खातेदारी दिया जाना शेष है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी काश्त पट्टा) शर्तें 1955 के

(उपनिवेशन मंत्री)

तहत अस्थायी काश्त के लिए दी गई भूमियों के पुख्ता आबंटन राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के तहत सतत प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। पात्र आवेदकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किए जाने पर जांच उपरांत टी.सी. से पुख्ता आबंटन किया जाता है। इसके पश्चात् राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 9 के प्रावधानों के तहत नियम व शर्त की पालना पूर्ण होने की स्थिति में टी.सी. से पुख्ता आबंटन कर खातेदारी दी जाती है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ तहसील में कुछ टी.सी. भूमि आबंटित काश्तकार जिनका रकबा पूर्व में उपनिवेशन क्षेत्र में था लेकिन बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, उन टी.सी. काश्तकारों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत खातेदारी दिया जाना प्रक्रियाधीन है। अत: काश्तकारों के टी.सी. से पुख्ता आबंटन व इसके उपरांत खातेदारी दिये जाने की सरकार की पूरी मंशा है। यह कार्यवाही नियमानुसार सतत् की जाती है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार की ओर से कोई राइडर नहीं लगाये गये हैं। पात्र टी.सी. आबंटियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के तहत आबंटन किया जाता है तथा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 9 के तहत खातेदारी दी जाती है। वर्ष 1955 से पूर्व व बाद के ऐसे आबंटियों को टी.सी. आबंटन का पुख्ता आबंटन चक प्लान में राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत किया जाता है। ऐसे टी.सी. भूमि आबंटित काश्तकार जिनका रकबा पूर्व में उपनिवेशन क्षेत्र में था लेकिन बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, उन टी.सी. काश्तकारों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत खातेदारी दी जाती है। उपरोक्तानुसार नियम व शर्तों के प्रावधानानुसार पात्रता पूर्ण करने वाले काश्तकारों को खातेदारी दी जाती है।

(3) जी नहीं। राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 में अधिसूचना दिनांक 18.01.2010 द्वारा शर्त संख्या 9 में संशोधन कर, यदि आबंटित भूमि आबंटन के समय नगर योग्य सीमा अथवा पेरीफेरी क्षेत्र में नहीं थी लेकिन खातेदारी दिए जाते समय नगर क्षेत्र की ऐसी सीमा में आ गई है,

(उपनिवेशन मंत्री)

तो उनको खातेदारी अधिकार, यदि भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या किसी नगर सुधार न्यास या किसी नगर निगम या नगर परिषद की नगर योग्य सीमा या परिधीय क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई है, तो जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत तथा यदि भूमि नगरपालिका बोर्ड की नगर योग्य सीमा या परिधीय क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई है, तो जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत संदाय करने पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है। विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.06.2015 द्वारा राज्य सरकार के स्थान पर संभागीय आयुक्त से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जबकि राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 17 के तहत एक लाख या अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाले नगर की पेरीफेरी से 12 कि.मी. की रेडियस में या पचास हजार या अधिक लेकिन एक लाख से कम व्यक्तियों की जनसंख्या वाले कस्बे की पेरीफेरी से आठ कि.मी. की रेडियस में या पच्चीस हजार या अधिक किन्तु पचास हजार से कम व्यक्तियों की जनसंख्या वाले कस्बे की पेरीफेरी से तीन कि.मी. की रेडियस में स्थित सरकारी भूमि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी भूमिहीन व्यक्ति को आबंटित की जाती है तो प्रभारित किये जाने वाले मूल्य का माप मान सरकार द्वारा उस वर्ग की भूमि के लिए नियत आरक्षित मूल्य का चार गुणा होगा लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आबंटी के लिए मूल्य का माप मान ऊपर उल्लेखित आरक्षित मूल्य का दोगुना होगा। पूर्व में सरकार द्वारा पेरीफेरी क्षेत्र के अंदर काश्तकारों को छूट प्रदान कर खातेदारी नहीं दी गई है, पूर्व के नियमों के अनुसार ही वर्तमान में भी पुख्ता आबंटन कर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है।

(4) जी नहीं। कतिपय प्रकरणों में आबंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं होने से सहवन से रकबाराज मानकर गजट में विशेष आबंटन हेतु अधिसूचित कर दी गई थी। ऐसे प्रकरणों के ध्यान में आने पर उन रकबों को अनाधिसूचित कर पुन: पात्र व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया गया है। शेष प्रकरणों में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर अनाधिसूचित करने के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

सुमेरपुर में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोड़ने के आवेदन

366. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र समेरपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक कितने आवेदनकर्ताओं के नाम जोड़े गये व उक्त योजना का लाभ ले रहे अभ्यर्थियों के नाम काटे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शत-प्रतिशत परिवारों को उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त योजना में काटे गये परिवारों के नाम जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक 1515 आवेदनकर्ताओं के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गये। इसी अवधि में खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे अभ्यर्थियों के काटे गये नामों की सूचना शून्य है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत की चयन सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत पात्र परिवारों को जोड़ने के विषय में वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करवाया जा रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 05.11.2015 में निर्देशित अपीलीय प्रक्रिया द्वारा पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मेधावी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप का वितरण

367. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा-आबू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मेधावी छात्र-छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नि:शुल्क लैपटॉप वितरण की योजना के

(श्री समाराम गरासिया)

अंतर्गत वर्तमान वर्ष में लैपटॉप नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को लैपटॉप देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2019 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप वितरण हेतु वित्त वर्ष 2019-20 में अनुमोदित 27900 लैपटाप क्रय का उपापन (टेंडर प्रक्रिया) प्रक्रियाधीन है।

करेडा (भीलवाड़ा) में नवस्थापित महाविद्यालय हेतु बजट का आवंटन

368. श्री रामलाल जाट (माण्डल) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डल के उप खण्ड करेडा में नवस्थापित महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद कब तक पदों को भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 मे मेरे उप खण्ड करेडा में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु बजट आबंटित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डल के उप खण्ड करेडा में नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय, करेड़ा में शैक्षणिक व अशैक्षणिक संवर्ग में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 01 एवं 02 पर संलग्न है।

उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(2) जी हां। उक्त महाविद्यालय को संवेतन एवं अन्य मदों में आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट 03 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बंक्यारानी माताजी मंदिर (आसीन्द) पर स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना

421. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में बंक्यारानी माताजी मन्दिर, मालासेरी डूंगरी मन्दिर पर स्थायी पुलिस चौकी नहीं होने से सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त है? क्या सरकार उक्त माताजी मन्दिर पर पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांक्यारानी माताजी मन्दिर, मालासेरी डूंगरी पर मेला एवं त्यौहार के दौरान अस्थायी पुलिस जाप्ता भिजवाया जाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में बंक्यारानी माताजी मन्दिर पर नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं का परिणाम

422. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में विभिन्न भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सेवा की कब-कब लिखित परीक्षा आयोजित की गई है? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2018 व 2019 में आयोजित परीक्षाओं का लिखित साक्षात्कार का परिणाम कब तक जारी कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर उप खण्ड में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

423. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उप खण्ड परबतसर में कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। उप खण्ड मुख्यालय परबतसर कृषि उपज मण्डी समिति कुचामनसिटी के अधीन गौण मण्डी यार्ड घोषित है। गौणमण्डी यार्ड परबतसर की गत वर्षों की वार्षिक आय निम्नानुसार है-

(आय लाखों में)

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जनवरी 2020 तक)
2.81	5.03	6.25	4.69	3.68

गौण मण्डी यार्ड परबतसर की वार्षिक आय अत्यधिक कम होने के कारण वर्तमान में परबतसर को स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति घोषित किया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। अत: उप खण्ड परबतसर में वर्तमान में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

नागौर मुख्यालय पर स्थित हवाई पट्टी के विस्तार की योजना

424. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला मुख्यालय नागौर पर स्थित हवाई पट्टी के विस्तार हेतु बहुमंजिला इमारतों के संबंध में समयसमय पर आपत्ति शासन के समक्ष आई है? यदि हां, तो उक्त आपत्तियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण बेनीवाल)

(2) क्या सरकार को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोई निर्देश या पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संदर्भित पत्र के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रों की प्रतियों सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर हवाई पट्टी के समीप बहुमंजिला इमारत के निर्माण का प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आया हुआ है। इस पर कार्यवाही जिला प्रशासन के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उक्त हवाई पट्टी के विस्तार हेतु बहुमंजिला इमारत निर्माण प्रकरण में एक प्रकरण एस.बी. सिविल प्रथम अपील 45/2015 कमल किशोर बनाम सरकार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है।

एक अन्य प्रकरण नगर परिषद् द्वारा हवाई पट्टी के सामने निर्मित बहुमंजिले भवन निर्माण की संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त किये बिना ही दी गई इजाजत के विरुद्ध डीएलबी में निगरानी याचिका अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नागौर के द्वारा की गई थी। जिसमें न्यायालय निदेशक स्थानीय निकाय राज. जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2019 के अनुसार प्रकरण नगर परिषद् नागौर को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया गया है कि प्रार्थियों द्वारा रिवाइज्ड नक्शे पेश किए जावेंगे तथा नक्शे प्रस्तुत करने के 60 दिवस में नगर परिषद् द्वारा रिवाइज्ड नक्शों पर क्षेत्रीय नगर नियोजक से राय प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित कराएं।

तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों के अनुसार नगर परिषद्, नागौर द्वारा मौका निरीक्षण उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट, मानचित्र व विभिन्न विभागों से प्राप्त आपत्तियों की छाया प्रति क्षेत्रीय नगर नियोजक को तकनीकी राय बाबत पत्र व्यवहार किया गया।

जिसके क्रम में वरिष्ठ नगर नियोजन ने प्रश्नगत भूमि हवाई पट्टी के समीप स्थित होने के कारण राज्य सरकार से मार्गदर्शन लिए जाने के संबंध में आयुक्त, नगर परिषद नागौर को लिखा गया, जिसके संबंध में आयुक्त, नगर परिषद् द्वारा प्रकरण में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है। (प्रति संलग्न)

(2) इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कोई निर्देश व पत्र तो प्राप्त नहीं हुआ है परंतु भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिनांक

(नागरिक उड्डयन मंत्री)

30.09.2015 को जो अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की है उसमें नागौर हवाई पट्टी शामिल है (प्रति संलग्न)। इस अधिसूचना के तहत् प्रावधान नागौर हवाई पट्टी पर भी लागू हो जाते हैं, जिनकी पालना कलेक्टर/राज्य सरकार को करनी होती है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मारवाड़ जंक्शन में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत व्यय राशि

425. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2017 से दिसम्बर 2019 तक केन्द्रीय परिवर्तित योजनान्तर्गत किस-किस योजना में केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई तथा उनमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस योजना में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार से कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2017 से दिसम्बर 2019 तक केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से कुल 12051.26 लाख रुपये प्राप्त हुए तथा कुल 10787.40 लाख रुपये व्यय हुए। योजनावार विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी योजना को छोड़कर केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र सरकार से 6063.34 लाख रुपये एवं प्रदेश सरकार से 2921.64 लाख रुपये, कुल 8984.98 लाख रुपये आबंटित हुए।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में समस्त भुगतान सीधा केन्द्रीय खाते से किया जाता है। योजनावार विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सादुलशहर पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद

426. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश चन्द्र)

पंचायत समिति सादुलशहर में कितने गांवों में ग्राम विकास अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

पंचायत समिति सादुलशहर में ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों एवं वस्तुस्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

जी हां। ग्राम विकास अधिकारियों को बहाल करने, जांच प्रक्रिया पूर्ण करने तथा माननीय न्यायालय से स्थगन के सम्बन्ध में प्रक्रिया पूर्ण कर रिक्त 6 पदों को भरने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माधोराजपुरा खेड़ा श्री हनुमान जी सड़क का नवीनीकरण

427. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी जिला जयपुर में माधोराजपुरा से खेड़ा श्री हनुमान जी तक सड़क का नवीनीकरण करवाया गया है? यदि हां, तो कब तथा कितनी राशि से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क नवीनीकरण कार्य के पश्चात् छह माह में ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क के घटिया कार्य की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों व संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की गई हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का पुन: नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील फागी जिला जयपुर में माधोराजपुरा से खेड़ा बालाजी सड़क का 3 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण कार्य विशेष मरम्मत मद में दिनांक 24.12.2018 को पूर्ण करवाकर राशि रुपये 24.92 लाख का व्यय किया गया है।

(2) खेड़ा हनुमानजी, माधोराजपुरा होते हुए बजरी के अवैध खनन से काफी अधिक भारी वाहनों के आवागमन एवं माह अगस्त 2019 में चाकसू

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हुई। संवेदक द्वारा गारण्टी अवधि (डीएलपी) के दौरान समय-समय पर पेच कार्य किया गया। फिर भी संवेदक की इस कार्य के लिए जमा धरोहर राशि (एसडी) जब्त कर ली गई है एवं जब्त राशि के विरुद्ध अन्य संवेदक से कार्य करवाया जा रहा है।

(3) उक्त सड़क का नवीनीकरण किया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

दौसा-लवाण-चाकसू-दूदू सड़क मार्ग का नवीनीकरण

428. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय राजमार्ग-2, दौसा-लवाण-चाकसू-दूदू कितनी चौड़ाई में डामरीकरण किया हुआ है?

(2) उक्त राजमार्ग के किमी 16/0 से 26/0 तक की लंबाई में नवीनीकरण कब किया गया था? क्या वर्तमान में उक्त सड़क की स्थिति यातायात योग्य है?

(3) क्या सरकार उक्त कि.मी. का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य राजमार्ग-2 दौसा से कुचामन वाया लवाण-तूंगा-चाकसू-फागी-दूदू-सांभर डामरीकरण सड़क की चौड़ाई का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त राजमार्ग के किमी. 16/0 से 26/0 तक की लम्बाई में वर्ष 2008 में नवीनीकरण का कार्य किया गया था। वर्तमान में उक्त सड़क क्षतिग्रस्त है।

(3) सड़क के उक्त किमी. का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ में नवीन पुलियाओं का निर्माण

429. श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कितने नवीन पुलिया निर्मित की

(श्रीमती रमीला खड़िया)

गई है व वर्ष 2013 से 2018 तक कितने पुलों का नवीन निर्माण व नवीनीकरण किया गया व उक्त पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कितने कार्य वर्तमान में किन कारणों से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में किन-किन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कलिंजरा से वाया ताम्बेजरा मध्य प्रदेश सीमा तक थान्दला भेख पछाड़ तक स्टेट हाईवे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सम्पर्क सड़क से महु डाफला पाडला, पोटलिया, खूटा सड़कों पर पुल निर्माण कार्य तथा बगाचया नदी व धाडका ससरिया से झामरी से जोड़ने हेतु पुल निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुल 4 नवीन पुलियाओं का निर्माण किया गया है। वर्ष 2013 से 2018 तक कुल 4 पुलियाओं का नवीन निर्माण व 3 पुलियाओं का नवीनीकरण किया गया है। चार नवीन पुलियाओं के निर्माण कार्य पर कुल रु. 323.50 लाख का व्यय किया गया एवं 3 पुलियाओं के नवीनीकरण कार्य पर रु. 49.00 लाख व्यय किया गया है। विवरण परिशिष्ट-'1' पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त समस्त निर्माण कार्य वर्तमान में पूर्ण किये जा चुके हैं।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में आरआईडीएफ-25 योजना अन्तर्गत कुल 7 सड़कों पर नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित है, जिसकी कुल लम्बाई 15.73 किलोमीटर व अनुमानित लागत रु. 277.95 लाख है, एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय चरण में चार सड़कें नवीनीकरण अपग्रेडेशन हेतु प्रस्तावित हैं, जिसकी कुल लम्बाई 32.95 किलोमीटर व अनुमानित लागत रु. 1336.78 लाख है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) कलिंजरा वाया ताम्बेसरा (मध्य प्रदेश सीमा थादला) भैरू पछाड तक सड़क वर्तमान में स्टेट हाईवे श्रेणी में है। उक्त सडक मांडली-धम्बौला-भीलुडा-गढ़ी-कलिंजरा-कुशलगढ़ (मघ्य प्रदेश सीमा तक) स्टेट हाईवे संख्या 54

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

ए का भाग है, जो कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में किलोमीटर चैनेज 100/00 से 145/00 तक कुल लम्बाई 45.00 किलोमीटर है व केरिजवे चौड़ाई 5.50 मीटर है। इसकी वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। इस कार्य की स्वीकृति जारी करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(5) सम्पर्क सड़कों महु डाफला पाडला, पोटलिया, खूटा पर पुल निर्माण तथा बगायचा नदी व धाकडा ससरिया से झामरी को जोड़ने हेतु पुल निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत व्यय राशि

430. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के तहत कितनी राशि के किन-किन कार्यों की सिफारिश की गई तथा इनमें से कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां पर कब स्वीकृत किए गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सिफारिशों पर कितनी राशि व्यय कर कौन-कौनसे कार्य पूर्ण किये गये और कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विभिन्न कार्यों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई व कितनी राशि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास में शेष रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में 31 जनवरी, 2009 को कितनी राशि शेष रही? विवरण राशि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जनवरी 2004 से दिसम्बर, 2008 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अनुशंसित/स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त अनुशंसित समस्त कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। कार्यों पर व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में जनवरी 2004 से दिसम्बर 2008 तक स्वीकृत, व्यय एवं शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

कार्यों की संख्या	**स्वीकृत राशि**	**व्यय राशि**
272	339.69	327.12

(4) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत उक्त (2004-05 से 2008-09 तक आबंटित, व्यय एवं शेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

रिलीज राशि	**व्यय राशि**	**अवशेष राशि**
340.00	327.12	12.88

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारानगर के मोरथल में टंकी से गांवों को पेयजल की आपूर्ति

431. श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में गांव मोरथल में पानी की टंकी से कितने गांवों को पानी की आपूर्ति की जा रही है?

(2) क्या उक्त टंकी से गांवों में पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जा रही है? क्या गांवों में बनाये गये पानी के सभी स्टेण्ड्स तक पानी पहुंच रहा है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक समस्त स्टेण्ड्स तक पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी?

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के लिये पेयजल की क्या कोई नवीन योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर की तहसील तारानगर के ग्राम मोरथल में आपणी योजना-प्रथम चरण के अंतर्गत निर्मित कलस्टर उच्च जलाशय से इस ग्राम सहित जुड़े हुए कुल 13 ग्रामों में से 12 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्राम मोरथल में निर्मित उच्च जलाशय से ग्राम ढिंगी के अतिरिक्त उक्त 12 ग्रामों में स्थापित सार्वजनिक नलों से पर्याप्त एवं नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

तहसील तारानगर के एक ग्राम ढिंगी में स्थापित सार्वजनिक नलों के स्थान पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा स्वयं के स्तर पर अवैध जल संबंध कर लेने से कलस्टर उच्च जलाशय से जुड़े अन्य ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने के फलस्वरूप, लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 19.02.2010 से जल संबंध विच्छेद कर ग्राम में पेयजल आपूर्ति बंद है।

ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर के 178 आबाद राजस्व ग्रामों में से 22 ग्रामों में पी.एस.पी. के स्थान पर घरेलू जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति करने के लिये 15 पाइप्ड परिवर्तित जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 8443.41 लाख की स्वीकृतियां वर्ष 2016 से वर्ष 2019 के मध्य जारी की गई।

इनमें से 7 योजनाएं पूर्ण की जाकर 12 ग्राम लाभान्वित कर दिये गये हैं एवं 3 योजनाओं में सम्मिलित 3 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु कार्य प्रगति पर है तथा 7 ग्रामों हेतु 5 योजनाओं के प्रस्ताव तकनीकी स्वीकृति अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

बूंगी-राजगढ़ वृहद् पेयजल परियोजना से विधान सभा क्षेत्र तारानगर के 37 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है।

आपणी योजना-प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र तारानगर के शेष 119 ग्रामों सहित कुल 670 ग्रामों की सलाहकार फर्म द्वारा विभाग को दिनांक 31.05.2019 को डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई थी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार घर-घर जल संबंध द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्त डी.पी.आर. की संशोधित स्वीकृति के लिये बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति उपरान्त उक्त परियोजना की संशोधित डी.पी.आर. बनाने का कार्य पुन: हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन की पेयजल योजना में अनियमितता

432. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के लिए रुपये 56 करोड़ की राशि पेयजल हेतु स्वीकार की गई थी? यदि हां, तो उक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने नलकूप वर्तमान में कार्यशील हैं एवं कितने बन्द पड़े हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त योजना में वित्तीय अनियमितता बरती गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। हिण्डौन शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु पुनर्गठित शहरी जल योजना, हिण्डौन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 55.32 करोड़ की जारी की गई थी।

उक्त बैठक के निर्णयों के सार की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलगन है।

(2) उक्त स्वीकृत जल योजना में प्रावधित समस्त 32 सफल थ्री-फेज नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्तानुसार निर्मित किये गये 32 नलकूपों में 24 नलकूप वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं तथा 3 नलकूप लगभग 3 वर्ष क्रियाशील रहने के उपरान्त सूख जाने के कारण माह जून, 2019 से बंद हैं।

उक्त योजना अंतर्गत शेष रहे 5 नलकूप ग्राम महू के निकट गम्भीर नदी के किनारे निर्मित किये गये थे तथा ग्राम महू के स्थानीय रहवासियों

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

द्वारा ग्राम महू में निर्मित पम्प हाउस से हिण्डौन कस्बे के वर्धमान नगर स्थित उच्च जलाशय तक की प्रस्तावित राइजिंग पाइप लाइन को बिछाने एवं जोड़ने का कार्य पूर्ण नहीं करने देने एवं अवरोध उत्पन्न करने के फलस्वरूप, ये नलकूप हिण्डौन कस्बे की पेयजल आपूर्ति में वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे हैं।

(4) उक्त स्वीकृत योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 16.09.2014 को राशि रुपये 57.48 करोड़ (निष्पादन लागत रुपये 53.17 करोड़ तथा संचालन एवं संधारण लागत रूपये 4.31 करोड़) का कार्यादेश जारी किया गया। परियोजना की निष्पादन लागत रुपये 53.17 करोड़ के विरुद्ध रुपये 38.24 करोड़ की राशि अब तक व्यय हुई है तथा रुपये 14.93 करोड़ की राशि वर्तमान में शेष रही है।

(5) उक्त स्वीकृत शहरी जल योजना, हिण्डौन के अंतर्गत किये गये कार्य के संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता की शिकायत विचाराधीन नहीं है। इस योजना पर किये गये कार्यों की गुणवत्ता संबंधी प्राप्त शिकायत पर जांच की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(प्रति, विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पुष्कर में मकानों पर से विद्युत लाइनों को हटाने की योजना

433. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के छोटे कस्बों, गांवों और पुष्कर शहर की संकरी गलियों में सड़कों पर विद्युत लाइन के खंभों पर 11000 के.वी. लाइन के तार हैं, जिससे आये दिन करंट की चपेट में आने से अकाल मौतें हो रही हैं?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान के लिए पीवीसी, प्लास्टिक कवर युक्त केबल बिछाकर लोगों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की गलियों में मकानों के ऊपर से जाने वाली विद्युत लाइनों, खंभों को सरकारी व्यय पर हटाकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(4) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के शहर और गांव/ढाणियों की कितनी गलियों व मौहल्लों में मकानों के ऊपर हाईपावर की विद्युत लाइन लगी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार उक्त सभी मकानों के ऊपर से हाईपावर की लाइनों को हटाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर विद्युत वितरण निगम के द्वारा विद्युत लाइनें सुरक्षा की दृष्टि से मकानों/परिसरों से उचित दूरी पर एवं नियमानुसार खींची जाती है। परन्तु कालान्तर में क्षेत्रवासियों द्वारा विद्युत लाइनों के समीप तथा विद्युत लाइनों के नीचे अनधिकृत रूप से मकानों/परिसरों का निर्माण कर लिया जाता है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पुष्कर शहर से संबंधित प्रमुख मार्ग व संकरी गलियों में 20 किलोमीटर, 11 के.वी. ओवरहैड विद्युत लाइन को आई.पी.डी.एस. योजना के तहत् भूमिगत किया गया है तथा विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के अन्तर्गत विद्युत लाइन से प्रवाहित करंट के कारण गत एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के अन्तर्गत पुष्कर शहर क्षेत्र में आई.पी.डी.एस. योजना के तहत् लगभग 20 किलोमीटर ओवरहेड 11 के.वी. विद्युत लाइनों को भूमिगत किया गया है। इसके अतिरिक्त पुष्कर शहर क्षेत्र में लगभग 20 किलोमीटर 11 केवी ओवरहेड विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विद्युत लाइनें सुरक्षा की दृष्टि से मकानों/परिसरों से उचित दूरी पर एवं नियमानुसार खींची जाती है, परन्तु कालांतर में क्षेत्रवासियों द्वारा विद्युत लाइनों के समीप तथा विद्युत लाइनों के नीचे अनधिकृत रूप से मकानों/परिसरों का निर्माण कर लिया जाता है। विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग हेतु आवेदन करने पर आवेदक/सम्बधित निकाय/नगर परिषद/नगर निगम/ विधायक कोष/सांसद कोष आदि द्वारा तकमीने की राशि जमा करवाने पर विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत लाइनों के घातक प्रतीत होने पर तकमीने की 50 प्रतिशत राशि (वाणिज्य अज 376 के अनुसार) आवेदक/सम्बधित निकाय/नगर परिषद/नगर निगम/ धायक कोष/सांसद कोष आदि द्वारा जमा कराने पर विद्युत लाइनों

(ऊर्जा मंत्री)

का स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाती है। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में पावर हाउस की ढाणी, अम्बेडकर कालोनी, देवनगर रोड, पोकरियों की ढाणी, गनाहेड़ा, जे.पी. नगर, कल्याणीपुरा, मदारपुरा इत्यादि में ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में खींची गई 33 के.वी. व 11 के.वी. लाइन के नीचे अनधिकृत रूप से मकान/परिसरों का निर्माण कर लिया गया है, इसलिए विद्युत लाइनें उक्त गलियों व मौहल्लों के मकानों के ऊपर से जा रही हैं।

(5) विद्युत लाइनों के स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर आवेदक/सम्बन्धित निकाय/नगर परिषद/नगर निगम/विधायक कोष/सांसद कोष आदि द्वारा तकमीने की राशि जमा करवाने पर विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत लाइनों के घातक प्रतीत होने पर तकमीने की 50 प्रतिशत राशि आवेदक/सम्बन्धित निकाय/नगर परिषद/नगर निगम/विधायक कोष/सांसद कोष आदि द्वारा जमा कराने पर विद्युत लाइनों का स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाती है।

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर में एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी को जोन 18 से जोन पांच में सम्मिलित करने की योजना

434. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की भूमि, पृथ्वीराज नगर की अधिसूचित सीमाएं, जो अधिसूचना दिनांक 03.07.1984 द्वारा राजस्थान सरकार के राज-पत्र में दिनांक 12.07.1984 को प्रकाशित की गयीं थी, में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र से बाहर है? यदि हां, तो किस आधार पर उक्त कालोनी को सन् 2014 से पृथ्वीराज नगर योजना का भाग बताया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी के रिकार्ड को पुनः जोन-18 (पृथ्वीराज नगर-दक्षिण-1) से जोन-5 में स्थानांतरण करने पर विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अरविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी ग्राम मान्यावास उर्फ नन्दकिशोरपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 29/203 रकबा 10 बीघा, 29/219 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा 2 किता 13 बीघा 7 बिस्वा पर बसी हुई है। पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना के उक्त दोनों खसरा नम्बर की भूमि की अवाप्ति हेतु धारा-4 व धारा-6 की विज्ञप्ति राजस्थान राजपत्र में दिनांक 07.07.1988 व 31.08.1989 को हो चुकी है, जिनकी अधिसूचना की प्रति क्रमशः परिशिष्ट "ब" व "स" पर संलग्न है।

उक्त खसरा नम्बर के अवार्ड का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.06.1991 को किया गया किन्तु तत्समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अवार्ड की घोषणा नहीं की गई थी। स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद दिनांक 18.05.1996 को अवार्ड घोषित कर दिया गया था। अवार्ड की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। क्योंकि एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति में होने से जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन पृथ्वीराज नगर, दक्षिण-प्रथम के क्षेत्राधिकार में है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

संगरिया नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने की योजना

435. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगरपालिका संगरिया (हनुमानगढ़) में सीवरेज लाइन नहीं है? क्या सरकार उक्त नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। संगरिया शहर का वर्तमान में किसी भी सीवरेज परियोजना में चयन नहीं होने के कारण सीवरेज लाइन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिकों की नियम विरुद्ध पदोन्नति

436. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं के तहत वित्तीय लाभ दिये जाने हेतु जो अधिसूचना दिनांक 02.09.2016 जारी की गयी है, उसमें अंकित पदनाम हेतु ही वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2003 से देय है? यदि हां, तो जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में उक्त स्वीकृति में स्टेनो ग्रेड-प्रथम, स्टेनो ग्रेड-द्वितीय एवं कार्यालय सहायक के पदों को सम्मिलित कर भुगतान किया जाना क्या वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं के तहत प्रदेश के ADJ न्यायालयों के स्टेनो ग्रेड-प्रथम को नियत वेतनमान 4200 ग्रेड-पे (L-11) के स्थान पर 4800 ग्रेड पे (L-12) एवं ACJM, ACMM न्यायालयों के स्टेनो ग्रेड द्वितीय को नियत वेतनमान 3600 ग्रेड-पे (L-10) के स्थान पर 4200 ग्रेड-पे (L-11) में पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ दिनांक 19.07.2017 से देय है? यदि हां, तो जारी की गई स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नियम विरुद्ध पदोन्नत किये कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण कर भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो ऐसी अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने का क्या सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माननीय शेट्टी आयोग द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को समस्त परिलाभ दिनांक 01.04.2003 से दिये जाने की अनुशंसा की गई थी।

आल इण्डिया जजेज एसोशिएशन और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, रिट याचिका (सी) संख्या 1022/1089 में फाइल आई.ए. संख्या 71-ए व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2009 (F/A) द्वारा यह आदेश पारित किये गये कि-

Finally, on 15.07.2008 this Court has directed:

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

(i) the recommendations are reasonable and do not involve any financial burden.

(ii) the decision to impliement the recommendations by all States should be taken within a period of three months.

(iii) the recommendations will be impliement w.e.f. 01.04.2003.

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2009 के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल की दिनांक 15.12.2010 को आयोजित बैठक की पालना में जारी आज्ञा 201/2010 द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन किया गया कि उक्त आदेश के अध्यधीन सभी भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2003 से देय होंगे।

इस प्रकार आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ दिनांक 01.04.2003 से प्रदत्त किये गये हैं, जो कि शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदान किये गये हैं।

जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में कार्यालय सहायक के पद पूर्व से स्वीकृत थे तथा नियमित पदोन्नति का पद होने से पदोन्नति पद का वेतनमान दिया गया है। शेट्टी आयोग की अनुशंसा के तहत दिनांक 02.09.2016 को अधिसूचना अनुसार कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है।

(2) शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं की पालना में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु स्वीकृत वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक एवं आशुलिपिक के पद आशुलिपिक ग्रेड-I, आशुलिपिक ग्रेड-II एवं आशुलिपिक ग्रेड-III पदनाम से पुन: नामित किये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गई।

शेट्टी आयोग की सिफारिशों के क्रम में परिलाभ देने के उद्देश्य से राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.07.2017 द्वारा यह स्पष्टीकरण शामिल किया गया कि-

प्रथमत: संबंधित जजशिप के समस्त पदधारियों को, शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार तत्समान पदों में निम्नलिखित रीति से समायोजित / विलीन / पुन: नामित किया जाएंगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रति प्रदर्श-I पर संलग्न है।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

(3) जी हां। नियम विरुद्ध पदोन्नत किये कार्मिकों को वेतन स्थिरीकरण कर भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है तथापि यह स्पष्ट है कि शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन 01.04.2003 से होने से समस्त परिलाभ 01.04.2003 से ही दिये जाने हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2009 एवं मंत्रिमण्डलीय आज्ञा 201/2010 के अनुसरण में ही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भादरा नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने में विलम्ब पर कार्यवाही

437. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भादरा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज के काम में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य में विलम्ब के लिए किन-किनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भादरा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज का कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 25.02.2016 एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 24.08.2017 थी। सीवरेज निर्माण में विलम्ब के कारणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कम्पनी द्वारा कार्य विलम्ब से एवं धीमी गति से किये जाने के कारण राशि रुपये 40.00 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है। कम्पनी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर में गिरधारीपुरा स्थित नीलकंठ विहार व जानकी विहार के मध्य की सेक्टर रोड का गांधी पथ तक विस्तार

438. श्री बाबु लाल (झाड़ोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या गिरधारीपुरा स्थित नीलकंठ विहार एवं जानकी विहार के मध्य जाने वाली सड़क को ज.वि.प्रा. की स्कीम प्लान में 60 फीट सेक्टर रोड पास किया हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबु लाल)

(2) क्या सरकार उक्त सेक्टर रोड को सीधे गांधी पथ पर निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गिरधारीपुरा स्थित जानकी विहार में स्थित सोमेश्वर पार्क में पीने के पानी हेतु पी.एच.ई.डी. द्वारा बोरिंग करवाकर वहां की समिति को सुपुर्द कर दिया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि समिति के पदाधिकारियों द्वारा आए दिन बोरिंग को रिचार्ज नहीं कराकर बन्द रखा जाता है जिससे कालोनीवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार उक्त बोरिंग अपने कब्जे में लेकर चालू व बन्द करने हेतु कर्मचारी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि गिरधारीपुरा स्थित नीलकंठ विहार एवं जानकी विहार के मध्य जाने वाली सड़क पर रोड लाइट के अभाव में काफी अंधेरा रहता है? यदि हां, तो उक्त पर रोड लाईट्स कब तक लगवा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गिरधारीपुरा स्थित नीलकंठ विहार एवं जानकी विहार के मध्य जाने वाली सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण के पृथ्वीराज नगर-उत्तर के अनुमोदित सेक्टर प्लान "ई" में 60 फीट दर्शाई गई है। अनुमोदित मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "अ-1/2" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त सेक्टर सड़क अनुमोदित रोड नेटवर्क प्लान में गांधी पथ तक नहीं दर्शाई गई है।

(3) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-।।। (दक्षिण), जयपुर के अनुसार जानकी विहार में 200 एम.एम. व्यास के नलकूप का निर्माण वर्ष 2014 में करवाया गया था एवं समिति को सुपुर्द कर दिया गया था।

(4) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-।।। (दक्षिण), जयपुर के अनुसार उक्त नलकूप का संचालन एवं संधारण, विद्युत बिलों का भुगतान विकास समिति द्वारा किया जा रहा है तथा नलकूप वर्तमान में सुचारु रूप से कार्यरत है। विभागीय नोर्म्स के तहत नलकूप को समिति को हस्तान्तरण के पश्चात् विद्युत कनेक्शन, विद्युत

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बिलों का वहन, नलकूप का संचालन एवं संधारण का कार्य समिति द्वारा ही किया जाता है एवं विभाग द्वारा नलकूप के संचालन एवं संधारण का कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। विभागीय नोर्म्स के तहत उक्त नलकूप को विभाग के कब्जे में लेकर चालू/बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) जी हां। आवश्यकतानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रोड लाइट का कार्य करवाया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

आबू रोड नगरपालिका में कराये गये कार्यों का भुगतान

439. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

आबूरोड नगरपालिका में वर्ष 2019-20 में एक लाख से अधिक राशि के भुगतान किन-किन कार्यों के पेटे किये गये तथा उक्त भुगतान किस-किस स्तर से अनुमोदित थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका आबूरोड में वर्ष 2019-20 में एक लाख से अधिक राशि के भुगतान का कार्यवार, व्ययवार एवं अनुमोदित स्तरवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में धार्मिक स्थलों को आबंटित भूमि

440. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में कितने धार्मिक स्थल हैं व किस-किसको कितनी-कितनी भूमि आबंटित है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में बेणेश्वर धाम को कितनी भूमि आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित 32 मंदिर हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(देवस्थान मंत्री)

1.	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर	-	1
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर	-	30
3.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर	-	1
	कुल	**-**	**32**

तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**तहसील**	**प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर**	**आत्म निर्भर मंदिर**	**सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर**	**कुल मंदिर**
1	डूंगरपुर	28	-	1	29
2	आसपुर	-	1	0	01
3	सीमलवाडा	1	-	-	01
4	बिछीवाडा	1	-	-	01
	योग	**30**	**01**	**01**	**32**

इन मंदिरों में किसी भी मंदिर को विगत वर्ष में भूमि आबंटित नहीं हुई है। उक्त मंदिरों के नाम भूमियों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बेणेश्वर धाम देवस्थान विभाग द्वारा प्रत्यक्ष प्रबंधित धार्मिक स्थल नहीं है। इसके प्रबंध हेतु गठित ट्रस्ट श्री निष्कलंक भगवान प्रन्यास हरि मंदिर, साबला के नाम विभागीय रिकार्ड अनुसार ग्राम नया टापरा में 135.01 बीघा कृषि भूमि दर्ज है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर के ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु योजना

441. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला अलवर में स्थित ऐतिहासिक हवेलियों, दुर्गों एवं स्थलों के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग की वर्तमान ग्रामीण पर्यटन योजना की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आध्यात्मिक सर्किट योजना एवं हेरिटेज सर्किट योजना के तहत जिला अलवर हेतु कुल राशि रुपये 483.78 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत वाइल्ड लाइफ सर्किट के तहत प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है, जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए राशि रुपये 2496.03 लाख के पर्यटन विकास कार्य भी सम्मिलित हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बगरू उप तहसील का क्रमोन्नयन

442. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आम जनता की मानसिक व आर्थिक परेशानियों को मध्यनजर रखते हुए इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र बगरू की उप-तहसील को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1169 दिनांक 15.10.2019 द्वारा निर्देशित किया है कि दिनांक 31.12.2019 के पश्चात राज्य में जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। अतः वर्तमान में इस संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। परिपत्र की छायाप्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जालिया ग्राम पंचायत (माण्डलगढ़) के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

443. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की ग्राम पंचायत जालिया में बिलानाम काबिल काश्त जमीन है? जिस पर कई वर्षों से किसान खेती करते आ रहे हैं तथा उक्त किसानों को गैर खातेदारी मिली हुई है? यदि हां, तो क्या गैर खातेदारों पर नजराना का ब्याज राशि जमीन की कीमत से भी अधिक है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत में वर्ष 1989 से अब तक जमीनों का किसानों को आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत के कब्जे काश्त गैर खातेदारों को जमीन आबंटन कर खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत जालिया में बिलानाम काबिल काश्त जमीन है जिस पर किसानों द्वारा काश्त की जा रही है जिनके विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत जालिया के कमाण्ड क्षेत्र में विभिन्न काश्तकारों को पूर्व में आबंटित भूमि पर गैर खातेदारी मिली हुई है व नजराना कमाण्ड राशि 8000 रुपये प्रति बीघा की दर से मय नियमानुसार नजराना ब्याज राशि वसूल की जा रही है। उक्त नजराना ब्याज राशि वर्तमान में भूमि की डी.एल.सी. से अधिक नहीं है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत जालिया में वर्ष 1989 से अब तक किसानों को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत जलिया में दिनांक 29.06.2000, 06.12.2001, 23.06.2002, 24.12.2004, 31.01.2013 को उपलब्ध बिलानाम काबिल काश्त भूमि की उद्घोषणा की जाकर आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। किन्तु किसी प्रकार का आबंटन नहीं किया जा सका है।

(3) जिन किसानों द्वारा आबंटन शर्तों की पालना की गई है उनको नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत जालिया में विभिन्न किसानों को भूमि आबंटित होकर कुल 445 गैर खातेदार थे। कुल 445 गैर खातेदारो में से नियमानुसार आबंटन शर्तों की पालना करने से कुल 424 गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। शेष 21 गैर खातेदार दर्ज हैं जिनका मौके पर कब्जा काश्त नही है व गैर खातेदारान द्वारा

(राजस्व मंत्री)

आबंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा इन 21 गैर खातेदारों के नियमानुसार आबंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

कामां में पटवारियों व गिरदावरों के रिक्त पद

444. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में कितने पटवार मण्डल हैं एवं पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनके विरुद्ध कितने पटवारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों एवं भू-राजस्व अधिकारी (गिरदावर) के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र में 89 पटवार मण्डल हैं एवं पटवारियों के 97 पद (89 पटवार मण्डलों हेतु एवं 8 तहसील कार्यालय हेतु) स्वीकृत है व उनके विरुद्ध 57 पटवारी कार्यरत हैं।

(2) पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 4421 पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते ही चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जाकर रिक्त पदों को भरा जायेगा। भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) का पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है। भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2019-20 की डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होते ही पदोन्नत कार्मिकों का पदस्थापन किया जाकर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

मकराना नगर परिषद् क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

445. श्री रूपा राम (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में नगर परिषद् क्षेत्र शहर में गैर मुमकिन, सरकारी भूमि कितनी-कितनी व कहां-कहां पर हैं? खसरों नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रूपा राम)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस के द्वारा? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सहित समस्त सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में नगर परिषद् क्षेत्र शहर में ग्राम गुणावती की 42.2363 है एवं ग्राम मकराना की 56.4477 है गैर मुमकिन, सरकारी भूमि स्थित है। खसरावार विवरण परिशिष्ट अ व ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नगर परिषद् शहर मकराना में स्थित उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(3) उक्त सरकारी खसरों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही के जिला कलेक्टर को प्राप्त शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

446. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिला कलेक्टर को दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को कुल कितने प्रार्थना पत्र व शिकायती पत्र प्राप्त हुए? उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्राप्त पत्रों की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शिकायत में वर्णित भूमि बेनामी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को गौचर भूमि में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बेनामी भूमि के संबंध में 30 दिसम्बर, 2019 को जिला कलेक्टर, सिरोही को पुन: शिकायती पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायत पत्र व उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही में दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को 22 प्रार्थना पत्र/शिकायती पत्र प्राप्त हुए। प्रार्थना पत्रों/शिकायती पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रार्थीया श्रीमती सीताबाई वेलाराम के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2019 में ग्राम पंचायत कालन्द्री के खसरा संख्या 925, 926, 927, 929, 930, 915, 923/4424, 914, 912, 727, 728, 716 की भूमियां बेनामी होना वर्णित किया है।

जिसके संबंध में जिला कलेक्टर सिरोही ने उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के द्वारा उक्त प्रकरण की जांच करायी गई, जिसमें उक्त भूमियां बेनामी होने का कोई तथ्य जांच में उजागर नहीं हुआ है। मौका रिपोर्ट एवं रिकार्ड अनुसार उक्त भूमियां खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रार्थीया श्रीमती सीताबाई वेलाराम के द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को पुन: भूमि आबंटन की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करवाकर कानून सम्मत कार्यवाही करवाने व बेनामी भूमियों की किस्म गोचर करवाने बाबत विषय अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र/शिकायती पत्र दिया गया, जिसके संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही के पत्रांक/227 दिनांक 10.01.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही को प्रकरण की जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट जिला कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के पत्रांक/राजस्व/2020/61 दिनांक 05.03.2020 से जांच रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्राप्त हुई। प्रकरण की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। जिला कलेक्टर सिरोही से सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी ली जाकर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार समुचित निर्देश दिये जांएगे।

(विवरण, रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में नवीन राशन दुकानों का संचालन

447. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कितनी राशन की दुकानें कब से कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले के अधिकांश ग्राम एवं ढाणी

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

राशन की दुकान खोलने के मानदण्ड को पूर्ण करने के उपरान्त भी उक्त से वंचित हैं? यदि हां, तो वंचित ग्रामों, ढाणियों, शहरी तथा कस्बाई आवासीय क्षेत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों पर राशन की नई दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्तमान में 1248 राशन की दुकानें संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा में संचालित राशन की दुकानों में अनियमितताएं

448. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में उचित मूल्य की दुकानें किस-किस दिनांक से कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताओं के कुल कितने प्रकरण कब-कब से लंबित हैं तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस स्थान पर नये राशन डीलर नियुक्त किये जाने हैं तथा उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? विवरण प्रस्तुत करें।

(4) उक्त राशन की दुकान खोलने एवं बंद करने का समय क्या है तथा विभागीय स्टाफ द्वारा उक्त दुकानों के निरीक्षण के लिए क्या-क्या प्रावधान किये हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में कुल 161 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोखा में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितताओं के 4 प्रकरण लंबित हैं, इनको निलम्बित किया जाकर नोटिस

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जारी किया गया है, जिस पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जिन स्थानों पर राशन डीलर नियुक्त किये जाने हैं उनकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है। नवीन उचित मूल्य दुकानों के आबंटन की कार्यवाही शीघ्र कर ली जायेगी।

(4) राशन की दुकान खोलने एवं बंद करने का समय के विभागीय आदेश दिनांक 17.12.2019 एवं 27.02.2020 की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है तथा विभागीय स्टाफ द्वारा राशन की दुकानों के निरीक्षण के निम्न प्रावधान हैं:-

1. जिला रसद अधिकारी:- आबंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 10 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण प्रतिमाह
2. प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक:- आबंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 15 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण प्रतिमाह।

(विवरण, सूची व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अन्नपूर्णा भण्डारों का पुनर्संचालन

449. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अन्नपूर्णा भण्डार योजना तथा उक्त योजना के तहत संचालित दुकानों को सरकार ने बंद कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) प्रदेश में ऐसी कितनी दुकानों को बंद किया गया है?

(3) सरकार द्वारा कोटा शहर में कितने अन्नपूर्णा भण्डारों को बंद कर दिया गया है?

(4) क्या सरकार उक्त अन्नपूर्णा भण्डारों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आपूर्तिकर्ता फर्म की अनुबंध अवधि दिनांक 20.08.2018 को समाप्त हो जाने एवं नवीन निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण अन्नपूर्णा भण्डारों का संचालन बंद किया गया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) प्रदेश में 6715 अन्नपूर्णा भण्डारों का संचालन बंद किया गया है।

(3) कोटा शहर में 22 अन्नपूर्णा भण्डारों का संचालन बंद किया गया है।

(4) वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धरियावद में समसा मद में कक्षा-कक्षों का निर्माण

450. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में समसा मद से राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्तत कक्षा-कक्षों एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु विगत पांच वर्षो में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर अतिरिक्त कक्षा-कक्षों व बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य की आवश्यकता है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में भी कक्षा कक्ष का निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (वर्ष 2018-19 से समसा में विलय) मद से राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य हेतु विगत 05 वर्षो में (वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक) स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 05 वर्षो में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में 356 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों तथा 156 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण की आवश्यकता है।

समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अन्तर्गत विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर के विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण

451. श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला सवाई माधोपुर में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है तथा उक्त में शौचालय का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले में प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित स्वयं के भवन वाले समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था है।

विद्यालयों में मिड-डे मील पकाने वाले कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि

452. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मिड-डे मील योजनान्तर्गत भोजन पकानें के लिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को कितना मानदेय तथा भत्ता दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संविदा कर्मचारियों के मानदेय तथा भत्ते में वृद्धि किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार लम्बे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नही। मिड-डे मील योजनान्तर्गत भोजन पकाने के लिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में पोषाहार पकाये जाने हेतु वर्ष 2010 से कुक-कम हैल्पर की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

वर्तमान में मिड-डे मील योजनान्तर्गत भोजन पकाने हेतु कुक-कम हैल्पर को 1320/- रुपया प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

(2) कुक-कम हैल्पर का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पोषाहार पकाने के लिये कुक-कम हैल्पर्स को अप्रेल, 2017 से पूर्व तक 1000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था, जिसे केन्द्र मद एवं राज्य मद में से क्रमश: 60:40 के अनुपात में वहन किया जा रहा था। 01 अप्रेल, 2017 से राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से इनके मानदेय में 200/- रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए 1200/-रुपये प्रतिमाह मानदेय कर दिया गया, जिसमें केन्द्रीय मद 600/- तथा राज्य मद 600/-रुपये प्रतिमाह/प्रति व्यक्ति मानदेय दिया जाने लगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से 01 जुलाई, 2018 से कुक-कम हैल्पर्स के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 1320/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 600/- रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 720/- रूपये प्रति कुक-कम हैल्पर प्रतिमाह वहन किया जा रहा है। कुक-कम हैल्पर्स के मानदेय में वृद्धि हेतु भारत सरकार को समय-समय पर लिखा गया है। भारत सरकार को कुक-कम हैल्पर्स के मानदेय में बढोतरी हेतु पुन: दिनांक 24.10.2019 को पत्र लिखा गया है। (प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।) जैसे ही भारत सरकार द्वारा मानदेय बढाये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त होते हैं, राज्य में भी नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दी जावेगी।

(3) मिड-डे मील योजनान्तर्गत भोजन पकाने के लिए संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में पोषाहार पकाये जाने हेतु वर्ष 2010 से कुक-कम हैल्पर की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। कुक-कम हैल्पर को नियमित करने का प्रावधान नही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मुण्डावर के विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों के रिक्त पद

453. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें सहायक कर्मचारी नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सहायक कर्मचारियों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 84 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 62 विद्यालयों में 80 सहायक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क-1" पर संलग्न है तथा प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत 128 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 06 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 02 विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क-2" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन विद्यालयों में सहायक कर्मचारी का पद रिक्त है, ऐसे विद्यालयों में सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के अन्तर्गत सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष के लिए, जो भी कम हो, तक के लिए लगाया जाकर विद्यालयों में साफ-सफाई कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। साथ ही विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के माध्यम से सहायक कर्मचारी के रूप में नियुक्तियां प्रदान की जाकर रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

सोजत के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण

454. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शोभा चौहान)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस विद्यालय में कितने-कितने कक्षों की कमी है? उक्त कमी को दूर करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है एवं कब तक उक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में गत वर्ष 2019 में रिपेयरिंग का कार्य किया गया है? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी राशि के निर्माण व रिपेयरिंग के कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सोजत विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालयों में से माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 34 एवं प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत 10 कुल 44 विद्यालयो में कक्षा-कक्षों की कमी है। विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कक्षा-कक्षों की कमी वाले राजकीय विद्यालयों की सूचीं परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानान्तर्गत प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों की स्वीकृति जारी की जाती हैं। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं यथा, डी.एम.एफ.टी., पी.एम.जे.वी.के., टी.एस.पी., टाडा, माडा, एमपी लैड, एमएलए लैड, 15वां वित्त आयोग, मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना, जनसहयोग, सी.एस.आर. इत्यादि के माध्यम से विद्यालयों के विकास हेतु स्वीकृतियां प्राप्त कर निर्माण कार्य कराये जाते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत के विद्यालयों में गत वर्ष 2019 में रिपेयरिंग का कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

पीलीबंगा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

455. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नवीन महाविद्यालय खोलने संबंधी विभागीय नीति में विहित मापदण्डों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

भिनाय (अजमेर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

456. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मसूदा के उपखण्ड भिनाय में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नवीन महाविद्यालय खोलने संबंधी विभागीय नीति में विहित मापदण्डों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय विधान सभा क्षेत्र मसूदा में उपखण्ड भिनाय में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

सागवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय भवन का परकोटा निर्माण

457. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा का भवन आज तक बिना परकोटा के स्थित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन का परकोटा बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्‍यालय, सागवाड़ा की भूमि परिसर के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चारदीवारी निर्मित है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सिवाना की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कई सड़कें निर्मित हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कई सड़कें पेचेबल व नोन पेचेबल की श्रेणी में आ रही हैं जिससे मरम्मत समय पर नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में 1 से 2 मीटर के गड्ढे पड़े हुए हैं। इन सड़कों से चलना मुश्किल हो गया है।

क्षेत्र की मुख्य सड़क मिठौड़ा-दाखां पादरू पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। पादरू से पंऊ जालौर सरहद तक सड़क क्षतिग्रस्त है तथा धनवा से हेमें की ढाणी खारा फांटा तक भी सड़क मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त है, जिनकी मरम्मत करवाई जाना नितान्त आवश्यक है। वहीं बाड़मेर जिला मुख्यालय को राजधानी जयपुर से जोड़ने वाले सिणधरी-सिवाना-मोकलसर-खण्डप-भाद्राजूण सड़क मार्ग को डबल लेन बनाया जाए, जिससे बाड़मेर जिला मुख्यालय से राजधानी जयपुर तक सफर सुगम हो सकें। क्षेत्र के 38 नये राजस्व ग्राम और 22 पुराने राजस्व ग्राम पक्के सडक मार्ग से वंचित हैं। इस प्रकार क्षेत्र के कुल 60 राजस्व ग्रामों में सड़क बनानी बाकी है।

सदन के माध्यम से निवेदन है कि क्षेत्र की उपरोक्त समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाकर आमजन को राहत प्रदान कराएं। सधन्यवाद।

हमीरसिंह भायल

(सिवाना)

बीकानेर शहर में पूर्व बजरी खनन क्षेत्र के गड्ढ़ों को भरकर सौन्दर्यीकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर शहर में जो पूर्व में बजरी खनन क्षेत्र था, जहां पर अब 60 से 80 फीट गहरे गड्ढे व खाइयां वर्तमान में हैं और यह क्षेत्र शहर के मध्य में आ चुका है, जहां पर न सिर्फ दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि शहर के सौन्दर्यीकरण में भी बाधक है और शहर वासियों के लिए जगह का उपयोग भी किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा है।

बीकानेर में वर्तमान में

1. अम्बेडकर कालोनी वल्लभ गार्डन।

2. गंगाशहर रोड-शिव वेली।

3. शिवबाडी-कांता कथूरिया कालोनी।

4. मोहता सराय से करमीसर के मध्य अनेक

में ऐसी गहरी खाइयां व खान क्षेत्र है। मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार ऐसी खानों को भरायें। गंगाशहर रोड पर नगर निगम का डम्पिंग क्षेत्र था। वर्तमान में यहां कचरे का बड़ा पहाड़ बना हुआ है। इस कचरे को सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समीप में ही शिव वैली के पास खानों को भरा जाए। अन्य खानों को भी सरकारी संस्थाऐं जैसे-यूआईटी, नगर निगम या स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भराकर यहां पर सार्वजनिक पार्क व वन क्षेत्र के रूप में विकसित कर न सिर्फ इस समस्या से निजात मिलेगा बल्कि पार्क व वन क्षेत्र के उपयोग से स्वास्थ्य व शहर के सौन्दर्यीकरण में भी चार चांद लगेंगे।

मेरा निवेदन है कि जिस तरह से मुम्बई व अन्य शहरों में इस तरह के कार्य किये गये हैं, उसी तरह बीकानेर की इन जानलेवा खानों की समस्या से आमजन को राहत प्रदान करें।

सुमित गोदारा

(लूणकरणसर)

अलवर में सिंथेटिक पनीर का कारोबार

महोदय,

आग्रह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार व चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अलवर जिले में दूध की कीमत 60 रुपये किलो तक है तथा पनीर निर्माताओं के अनुसार 5 किलो दूध में मात्र 1 किलो पनीर बनता है। इसके अलावा मजदूरी व अन्य खर्चे लगाकर कम से कम 1 किलो पनीर बनने में 350 रुपये की लागत आती है, वह भी तब जब दूध अच्छी गुणवत्ता वाला हो। अलवर के बाजारों में पनीर 200 रुपये से 210 रूपये प्रति किलो में मिल रहा है। जानकारी के अनुसार तेल, स्टार्च, मिल्क पाउडर, सूजी, पत्थर का चूरा आदि मिलाकर बनाया जा रहा है। चिकित्सकों की राय के अनुसार इस मिलावट वाले पनीर के सेवन से शरीर के कई आर्गन प्रभावित होते हैं एवं लीवर भी खराब हो सकता है, हृदय रोग होने का भी डर

रहता है तथा बीमार व्यक्तियों के लिए मिलावटी पनीर अधिक नुकसानदायक होता है। इसके बावजूद उक्त जहरीले व मिलावटी पनीर बनाने वालों के खिलाफ सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके चलते मिलावटी पनीर बनाने का धन्धा अलवर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फल-फूल रहा है।

श्रीमान्, मुलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आमजन के स्वास्थय की रक्षा करना व उनके जीवन से खिलवाड़ करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने का राजस्थान सरकार का दायित्व है। अतः श्रीमान् मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सम्बन्धित विभाग को उक्त मिलावटी पनीर बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संजय शर्मा

(अलवर शहर)

मालपुरा में शीतलहर से नुकसान का मुआवजा

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के 63 गांवों में शीतलहर की चपेट में आने से किसानों की फसलें चौपट हो गयी थीं, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। फसलों में हुए नुकसान की भरपाई कर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्र की जांच करवाकर गिरदावरी करवाई गई थी। गिरदावरी रिपोर्ट में फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक का खराबा दर्शाया गया था। जिसके लिए सरकार द्वारा 20 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई थी। राशि स्वीकृत करने के बाद विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता के चलते किसानों को उक्त मुआवजा राशि नहीं मिल पायी। बाद में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी लापरवाही एवं अकर्मण्यता को छिपाने के लिए किसानों द्वारा जमाबन्दी, खाता संख्या, भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड जमा नहीं करवाने का बहाना ले लिया गया। फिर इसके बाद बेबस किसानों ने वांछित सभी दस्तावेज सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पास जमा करवाकर उन्हें ऑनलाइन करवाया। इसके बावजूद अभी तक भी उक्त मुआवजे की राशि का भुगतान पीड़ित किसानों को नहीं किया गया, जिससे किसान अपनी बदहाली पर रोने को मजबूर हो रहा है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्ष 2017 में शीतलहर से हुए नुकसान की भरपाई हेतु घोषित एवं स्वीकृत

मुआवजा राशि का किसानों को तुरन्त भुगतान करवाने की कृपा करें ताकि किसानों को कुछ आर्थिक सम्बल प्राप्त हो सके।

कन्हैया लाल

(मालपुरा)

जोधियासी (जायल) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में ग्राम जोधियासी एक बड़ा कस्बा है, जिसके आस-पास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा हेतु एक ही अस्पताल है, जहां दिन-प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को मद्देनज़र रखते हुए उक्त गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करावें। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न संवर्गों के कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त चल रहे पदों पर भी कार्मिकों को पदस्थापित करावें, ताकि आस-पास के 25-30 गांवों को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके।

श्रीमती मंजु देवी

(जायल)

छबड़ा में स्वीकृत सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण में देरी

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत में सदन का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र उबड़ा में स्वीकृत सड़कों व पुलियाओं का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

1. छबड़ा उपखण्ड को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले सड़क मार्ग छबड़ा-गगोर पर पार्वती नदी स्थित उक्त नदी पर हाईलेवल ब्रिज (11 Span 21 Mtr.) के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16.04.2018 द्वारा राशि रु. 1512.41 लाख जारी की गई और वर्क आर्डर भी जारी हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया के निर्माण हेतु संवेदक को दिनांक 30.01.2019 को ले-आऊट दिया गया। एवं संवेदक द्वारा खुदाई का कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया, परन्तु उक्त नदी क्षेत्र वन विभाग में होने के कारण वन विभाग

ने दिनांक 07.02.2019 को उक्त कार्य बन्द करवा दिया। विभाग द्वारा उक्त पुलिया का सीमाजान करवाकर ऑनलाइन प्रस्ताव दिनांक 02.04 2019 को अपलोड करवा दिये गये।

2. पंचायत समिति छीपाबड़ौद की ग्राम पंचायत सहजनपुर में अंधेरी नदी पर बालाजीघटा पर पुलिया निर्माण हेतु अनुमानित राशि 80.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, किन्तु वर्तमान में इस कार्य पर रोक लगा रखी है एवं कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

3. छबड़ा-कुम्भराज सड़क मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19 जून 2017 को जारी की गई। इस कार्य के लिए राशि रुपये 4000 करोड़ स्वीकृत किये गये। परन्तु वर्तमान में छबड़ा कुम्भराज सड़क मार्ग पर 1300 मीटर की सड़क नहीं बनने की वजह से आवागमन में असुविधा उत्पन्न हो रही है व आमजन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिनांक 07.08.2018 को अतिरिक्त मुख्य अभियंता सा.नि.वि. संभाग कोटा द्वारा साईट की विजिट की गई तथा उक्त भाग में सी.सी. सड़क निर्माण प्रस्तावित कर संशोधित तकमीना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। 1300 मीटर सड़क बनाने के लिए बजट की भी समस्या नहीं है। सड़क बनाने में 2.73 करोड़ रुपये व्यय होगे, जबकि स्वीकृत राशि में से 5.5 करोड़ रुपये बचे हुए हैं।

4. पंचायत समिति छीपाबड़ौद राष्ट्रीय राजमार्ग 90 से ग्राम तुमझ रोड तक सड़क की स्वीकृति उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त कार्यों की स्वीकृति उपरान्त एवं विभागीय उदासीनता की वजह से सड़क व पुलिया के लम्बित पड़े कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाये, जिससे आमजन को राहत दिलवायी जा सके।

प्रताप सिंह

(छबड़ा)

फतेहपुर की ऐतिहासिक बावड़ी का जीर्णोद्धार

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ऐतिहासिक बावड़ी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का कस्बा फतेहपुर नवाबों का बसाया हुआ बहुत पुराना शहर है। फतेहपुर में उस समय के नवाबों/शासकों ने एक अद्भुत बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी के अन्दर चारों ओर छोटी-छोटी कोटड़ियां बनाई हुई थीं तथा बावड़ी को गढ़/महल से जोड़ने के लिये सुरंग बनाई हुई थी, यह बावड़ी स्थापत्य कला का नमूना थी, जिसे देखने के लिये देश विदेश के पर्यटक आते थे।

यह बावड़ी दुनियां का 17वां आश्चर्य रही है। परन्तु समय के साथ साथ सरकारी उपेक्षा के चलते यह ऐतिहासिक बावड़ी आज अपना मूल स्वरूप खो चुकी है और एक कचरागाह बनने जा रही है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहुंगा कि फतेहपुर की इस ऐतिहासिक बावड़ी, पुरातात्विक धरोहर जो दुनियां का 17वां आश्चर्य है, इसको बचाने हेतु इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसे मूल स्वरूप में विकसित करवाने की कार्यवाही की जाये।

हाकम अली खां

(फतेहपुर)

बराला ग्राम की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जयपुर महानगर के समीप के ग्राम बाला की नांगल, रलावता, बिशनसिंहपुरा, पिपलाबाई, साम्भरिया, बराला में होकर जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी एवं ढूंढ़ नदी बहती हैं। नदी का बहाव इस प्रकार है कि गांव एक तरफ है तो किसानों की खेती की जमीनें नदी के दूसरी तरफ हैं। ग्राम बराला के समीप जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिया का निर्माण करवाया गया था, पिछले मानसून में ही वर्षा से पुलिया क्षतिग्रस्त होकर ढह गयी और वाहनों का आवागमन बन्द हो गया। इसी प्रकार बिशनसिंहपुरा गांव के पास द्रव्यवती नदी पर पुलिया नहीं बनाने के कारण ग्रामवासियों को अपने खेतों पर कृषि कार्य के लिए आने-जाने हेतु दस किलोमीटर की दूरी तय करके गोनेर होकर आना-जाना पड़ता है। इस कारण किसानों को भारी परेशानी होती है।

अतः उक्त समस्या के समाधान हेतु मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री जी का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बराला पुलिया की मरम्मत करायें तथा बिशनसिंहपुरा गांव में एक पुलिया बनवायी जाये ताकि किसानों को अपने खेतों में आने-जाने की समस्या का समाधान हो सके। कृपया अनुमति प्रदान करें।

लक्ष्मण मीणा

(बस्सी)

बीकानेर जेल में बन्दी की सजा पूर्णता पश्चात् भी जारी कारावास

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 12.12.2019 को लिखा गया उस पर श्रीमान महानिरीक्षक से दिनांक 06/1/2020 की चर्चा में बन्दी बलराज पुत्र रामजीलाल की हिस्ट्री टिकिट बीकानेर जेल से मंगवाकर परीक्षण करने की बात हुई थी। सूचना के अधिकार के तहत बन्दी की टिकिट बीकानेर से उसमें किये गये इन्द्राज के अनुसार जेल नियमों की पालना में बन्दी को पारिहार न देकर 363 दिन पारिहार देकर रिहा किया गया है। बन्दी को सजा समाप्ति पर भी काफी दिन तक जेल में अनधिकृत रूप से रखा जाकर रिहा करना बहुत ही गंभीर बात है साथ ही अनधिकृत रूप से रखा उस अवधि में बन्दी को 4 दिन का विशेष पारिहार देना विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है। बन्दी की टिकिट की प्रति संलग्न कर नम्र निवेदन है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करना आपके व सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। टिकट को आचार्य कारागार संस्थान, अजमेर व जेल अधिकारियों को तत्काल भेजकर परीक्षण करवा लिया जाए तो विभाग में बन्दियों को पारिहार देने का जेटीआई में प्रशिक्षण का स्तर किया है व जेलों में किस तरह कार्य किया जा रहा है, उसकी तत्काल सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाए तो उचित होगा।

अतः माननीय गृह मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाये।

गोपीचंद मीणा

(आसपुर)

आबू पर्वत नगरपालिका के पहाड़ी क्षेत्र में ब्लास्टिंग की अनुमति

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आबू पर्वत नगरपलिका में अफसरशाही इतनी हावी हो गयी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। आबू पर्वत में सीवरेज कंपनी के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नियमों को ताक में रखकर आबूपर्वत में रात-दिन बलास्ट करने की परमिशन देते हैं और आम नागरिक के लिए ईंट लगाने, मरम्मत करने व नया निर्माण करने के लिए कई सारे नियम कानून बताते हैं और सीवरेज कंपनी द्वारा पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है और इसके बावजूद वन विभाग अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। जबकि ETV भारत चैनल द्वारा खबर भी चलायी गयी लेकिन इस सरकार में दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः इस समस्या से तुरंत निजात की मांग करते हुए, विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन में पेश है। सधन्यवाद।

समाराम गरासिया

(पिंडवाड़ा-आबू)

पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अजमेर आये हिन्दू परिवारों को भारत की नागरिकता

महोदय,

पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के जुल्म से प्रताड़ित होकर भारत में आये कई परिवार वर्षों से अजमेर में निवास कर रहे हैं परन्तु उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल पा रही है।

अजमेर के पुलिस लाइन क्षेत्र में रहने वाले श्री हंसराज सोनी व भयाणी अस्पताल अजमेर में कार्यरत चिकित्सक डा. मुनेश जेठानी सहित कई हिन्दू परिवार लगभग 15 वर्ष पहले पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर अजमेर आये थे तथा तब से ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। ये परिवार प्रत्येक 02 वर्ष में वीजा की अवधि बढ़वाकर अजमेर में रह रहे हैं। हर बार प्रशासन द्वारा इनका लम्बी अवधि वीजा पंजीकरण करके शीघ्र नागरिकता दिये जाने का आश्वासन दिया जाता है। लम्बी अवधि वीजा पंजीकरण में एक दिन का विलम्ब होने पर इन्हें 2 हजार रुपये पेनेल्टी देनी होती है।

नागरिकता के अभाव में ये परिवार सरकारी नौकरी, बैंक खाता, गैस कनेक्शन, मकान खरीदने जैसी सुविधाओं से वंचित हैं और न ही इन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, जिससे इन्हें कई कठिनाइयों व अभावों में जीवनयापन करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान करने के नाम पर बार-बार आश्वासन दिये जा रहे हैं जबकि नागरिकता संशोधित कानून के अनुसार भी 6 वर्ष से ज्यादा समय से राज्य में रहने वाले पाक विस्थापित हिन्दू परिवारों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर राज्य में आये व वर्षों से अजमेर में रहने वाले कई हिन्दू परिवारों को भारत की नागरिकता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करवाई जाए।

धन्यवाद।

वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)

सुमेरपुर के खनन क्षेत्रों के गांवों में डी.एम.एफ.टी. मद से विकास कार्य

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में करीब 25 गांवों में खनन लीजें लगी हुई हैं। यहां से खनन कार्य कर पत्थर, कंकरीट, मिट्टी आदि अन्य जगहों पर बड़े-बड़े ट्रोलर व डम्परों में लोडिंग कर ले जाते हैं, जिससे इन गांवों में आने-जाने वाली सड़कें जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वर्तमान में कई जगहों पर पूरी सड़कें टूट चुकी हैं। खनन कार्य से उड़ने वाली मिट्टी से ग्रामवासियों की फसलों का भी नुकसान होता है। ग्रामवासियों व सड़को के नुकसान की भरपाई हेतु खनन क्षेत्र की राजस्व आय उसी खनन क्षेत्र के प्रभावी गांवों के लोगों हेतु सड़क, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर खर्च करने हेतु डिस्ट्रक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट (DMFT) योजना निर्धारित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में स्थित खनन लीजों से होने वाली आय जिला कलेक्टर कार्यालय में करीब 2 वर्षों से पड़ी है। लम्बे समय से इस राशि का उपयोग नहीं हो रहा है, यह राशि खनन प्रभावित क्षेत्र में ही निर्माण कार्यों में खर्च करावें, अन्यत्र नहीं करावे, जिससे खनन प्रभावित क्षेत्र व पास के खनन प्रभावित लोगों को योजना का लाभ मिल सके व पर्यावरण में भी कमी लाई जा सके। जनहित में मादरी से डेण्डा, डेण्डा से गुन्दोज, गुडाप्रतापसिंह से साली, सिन्दरू से दुजाना, कोलीवाडा से जाखीडा, सुमेरपुर जुना जाखा माताजी से जाखोडा, तखतगढ़ से पादरली जिला पाली सीमा तक साकदडा रा.उ.मा.वि. में 5 कक्षा कक्ष व विद्यालय की चारदीवारी, सुन्देलाव रा.उ.प्रा.वि. में 2 कक्षा कक्ष, सिन्दरू रा.बा.उ.प्रा.वि. 2 कक्षा कक्ष, भावनगर रा.उ.मा.वि. में 2 कक्षा कक्ष, विद्यालय की चारदीवारी खेल मैदान की चारदीवारी, खेड़ा की बाणी दयालपुरा रा.उ.मा.वि. की चारदीवारी, गिरादडा, बाला, जवडिया, सोडावास, साकदडा, सुन्देलाव पैणावा में पेयजल सुविधा हेतु पाइपलाइन व अन्य कार्य (DMFT) योजना नियम 2016 के प्रावधान 15 स्कोप आफ वर्क के तहत करवाकर खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगो को राहत दिलायें।

जोराराम कुमावत

(सुमेरपुर)

नोखा के धार्मिक महत्व के स्थलों तक सड़क निर्माण

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैंगाल धोरा नोखा (बीकानेर) का पौराणिक काल से बहुत बड़ा धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है, जहां सैकड़ों

सालों से गुरु गोरखनाथ का घृणा है। सैंगाल धोरा पर वर्ष में कई बार मेला भरता है, जहां महाशिवरात्रि को लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है. किन्तु सैंगाल धोरा से पंचायत समिति मुख्यालय पांचू तक 10 किलोमीटर रास्ता कच्चा होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार गुरु जम्भेश्वर भगवान के आस्था स्थल बगराला धोरा नाथूसर में भी हर अमावस्या को मेला भरता है. जहां हजारों वाहनों का आवागमन रहता है, किन्तु ग्राम पंचायत: नाथूसर से बगराला धोरा तक 4 किलोमीटर, रास्ता कच्चा होने के कारण यात्रियों को बड़ी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। इसी प्रकार जांगलू साथरी बिश्नोई समाज के 11 मुख्य तीर्थ-स्थलों में एक है, लेकिन यह धाम अभी तक पक्की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। राजस्व गांव शरह तेलिया से जांगलू साथरी को जोड़ने के लिए महज 5 किमी. पक्की सड़क की जरूरज है।

इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हियादेसर किशनासर सड़क से विश्वत माता मंदिर किशनासर 3.5 किलोमीटर तर्क पक्की सड़क नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया पांचू से सैंगाल घोरा तक 10 किलोमीटर द नाथूसर से बगराला धोरा तक 4 किलोमीटर शरह तेलिया से जांगलू साथरी 5 किलोमीटर और हियादेसर किशनासर सड़क से विश्वत माता मंदिर किशनासर 3.5 किलोमीटर कुल 22.5 किलोमीटर) पक्की सड़क बनवाने के आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए में माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सधन्यवाद।

बिहारीलाल

(नोखा)

रेवदर में टमाटर की बम्पर पैदावार के मद्देनजर सब्सिडी आधारित कोल्ड स्टोरेज की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर एवं आबूरोड पंचायत समिति के लगभग प्रत्येक गांव-ढाणी की हजारों बीघा भूमि पर किसान टमाटर की बम्पर पैदावार करता आ रहा है। बम्पर पैदावार का फायदा बिचौलिये उठाकर किसान से सस्ता-मंदा टमाटर खरीदकर उसे गुजरात या अन्यत्र जगह पर महंगे भावों पर बेच रहे हैं। इस क्षेत्र के टमाटर उत्पादकों को आये दिन भारी मंदी का सामना करना पड़ता है। हालात यह पैदा हो रहे हैं कि टमाटर खेत से तोड़ने के बाद बिचौलिये नहीं पहुंचते और यदि पहुंचते भी हैं तो लागत के बराबर भी कीमत नहीं लगाते। ऐसे

हालात में किसान को अपनी टमाटर पैदावार को नष्ट करना पड़ रहा है। कुछ खेतों में ही सड़ने-गलने को, तो कुछ इधर-उधर सड़क किनारे गड्ढों में फेंककर अपनी किस्मत को कोसने को रेवदर किसान मजबूर हो रहा है।

अतः माननीय कृषि मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि समूचे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में टमाटर की बम्पर पैदावार का उत्पादन को सही कीमत मिलने तक टमाटर के रखरखाव, स्टोरेज हेतु अनुदानित कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों को उपलब्ध करवाने के आदेश प्रदान करें।

जगसी राम

(रेवदर)

श्रीनगर (नसीराबाद) के राज्य राजमार्ग सं. 101 का कतिपय भाग वन क्षेत्र में आने के कारण सड़क नवीनीकरण में बाधा

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के श्रीनगर से अजमेर रोड, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य राजमार्ग संख्या 101 जो अजमेर जिले को टोंक जिले से जोड़ता है यह राजमार्ग अजमेर-श्रीनगर-अराई-लाम्बाहरिसिंह होते हुए अजमेर जिले को टोंक जिले से जोड़ता है। उक्त सडक मार्ग के श्रीनगर से अजमेर 15 किलोमीटर तक के हिस्से में घाटी होने के कारण एवं वन विभाग की भूमि होने के कारण इसका नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य लंबित है। वन विभाग द्वारा उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने पर आपत्ति लगा दी गयी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को अनापत्ति हेतु बार-बार निवेदन करने पर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्य अटका हुआ है। श्रीनगर के आस्पास के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का होने के कारण उनका अजमेर आवागमन इसी सडक मार्ग द्वारा होता है। इस सडक मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। श्रीनगर के छात्र भी उच्च शिक्षा हेतु निजी साधनों से अजमेर जाते हैं, उन्हें भी दुर्घटना का डर बना रहता है। सड़क के दोनो तरफ की पटरी नहीं है एवं सड़क भी एक लेन की है।

अतः माननीय मंत्री महोदय जी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि. राज्य सरकार द्वारा इस सड़क मार्ग के नवीनीकरण हेतु वन विभाग को निर्देशित कर अनापत्ति जारी करावें ताकि अजमेर से श्रीनगर 15 किलोमीटर राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ायी जा सके एवं टोंक जाने का रास्ता सुगम हो सके। धन्यवाद।

रामस्वरूप लाम्बा

(नसीराबाद)

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 36-सहकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. जिला बाड़मेर की तहसील शिव-गडरा रोड-रामेसर-चौहटन में पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. जिला बाड़मेर में तहसील शिव-गडरा रोड-रामेसर व चौहटन में कर्जा माफी के प्रमाण-पत्र वितरण के समय आई फर्जी शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव-गडरा रोड-रामेसर-चौहटन में प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

4. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में किसानों को समितियों द्वारा समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

5. जिला हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर में सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषकों की सम्पूर्ण कर्ज माफी काश्तकारों के ऋणों पर ब्याज में कमी, ऋण में पारदर्शिता के साथ ऋण स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

6. जिला अलवर में कार्यरत ग्रामीण सहकारी समितियों की स्पेशल आडिट/जांच कराकर गबन में पाये गये दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

7. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की जीर्ण-शीर्ण सहकारी समितियों के भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की समितियों को आनलाइन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नई सहकारी समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

10. विधान सभा क्षेत्र भादरा के शेरडा गांव में गोदाम के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. सहकारिता विभाग में समितियों में सहायक व्यवस्थापकों की नियुक्ति को समिति द्वारा फैसला लेने की शक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. सहकारी बैंकों में पूर्व में डिफाल्टर किसानों के लिए एकमुश्त राशि जमा कराने पर 70% छूट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. खाद्य सुरक्षा सामग्री समितियों से वितरित का काम प्राथमिकता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

14. चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत कृषकों के खाते में ऋण माफी राशि के समायोजन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. जिला चूरू में ग्रामीण सहकारी समिति के नये सदस्यों को सहकारी कृषि ऋण वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

16. सहकार विभाग में संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

17. ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद, बीज वितरण एवं भण्डारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

18. नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्धारित समय पर चुनाव नहीं होने के उपरान्त भी प्रशासक नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. महला ग्राम सेवा सहकारी समिति की अनियमितताओं के खिलाफ चल रही जांच में जान-बूझकर देरी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

20. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सहकारी समिति के माध्यम से ब्यावर, कनवास, खजूरी, कुन्दनपुर व सांगोद में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. सहकारी के माध्यम से सांगोद में वेयर हाऊस बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम कुन्दनपुर में जीएसएस के माध्यम से अतिरिक्त गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

24. पूर्व में डिफाल्टर रहे किसानों को जिनका कर्ज माफ हुआ है, उन्हें फिर से नया कर्ज दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

25. सहकारी बैंकों के अलावा अन्य बैंक, कामर्शियल बैंकों का कर्ज माफ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

26. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित क्रय-विक्रय समितियों की चार-दीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित क्रय-विक्रय केन्दों पर गोदाम नहीं होने व जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले गोदामों की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ स्थित क्रय-विक्रय समितियों के माध्यम से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ में ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा पोर्टल से सरकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. ऋण माफी से लाभान्वित काश्तकारों को समितियों द्वारा ऋण माफी प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने से अल्पकालीन ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

31. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में नयी सहकारिता समिति बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

32. विधान सभा क्षेत्र बगरू में नई सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

33. सहकारी समितियों द्वारा किसानों को न्यूनतम 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये प्रति किसान ऋण शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

35. सहकारिता बैंकों के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

36. सहकारिता विभाग द्वारा अवधिपार किसानों की ऋण वसूली के बाद ऋण वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

37. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में KVSS व GSS में गोदाम व नये भवन जहां नहीं है वहां भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

38. सहकारी समितियों के चुनाव के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड जंक्शन):

39. सहकारी सस्थाओं को सुद्दढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश के पाली जिले में राजफैड द्वारा मूंग खरीद के नियमों को सुद्दढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

41. फतेहनगर व मावली में प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र मावली में नवगठित पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. सनवाड (फतहनगर) में उपभोक्ता थोक भण्डार की शाखा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

44. जालोर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक, शाखा रानीवाड़ा द्वारा किसानों को कृषक मित्र योजनान्तर्गत दीर्घकालीन ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गोदाम (भण्डार गृह) रहित ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु गोदाम निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश के किसानों को स्वीकृत साख सीमा के अनुसार एकमुश्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ग्राम सेवा सहकारी समिति जैतपुरा के क्षतिग्रस्त भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवीन स्वीकृत ग्राम सेवा सहकारी समिति बडगांव हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महवा):

49. प्रदेश में किसानों के ऋण की साख सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू):

50. किसानों को सहकारी संस्थाओं से कर्ज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. किसानों की कर्ज माफी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

52. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. किसानों के ऋण की साख सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

54. प्रदेश में डिफाल्टर किसान जो समय पर ऋण वापस न कर सके, उनको ऋण माफी में राहत देकर डिफाल्टर घोषित कर दिया है, उन्हें भी वापस ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में ग्राम पंचायतवार नवीन जी.एस.एस. गठित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के जी.एस.एस. धीरा में गबन को लेकर क्षेत्र में उत्पन्न रोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में इस वर्ष निर्धारित साख सीमा से कम का ऋण किसानों को दिया गया है एवं उनके एवज में नवीन किसान जोड़े जाने हैं, जिससे किसानों को हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिए।

58. प्रदेशभर में दीर्घ अवधि से सहकारिता के चुनाव नहीं करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

59. सहकारिता के चुनाव समय पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. उदयपुर भूमि विकास बैंक की जांच में दोषी पाये गये व्यक्ति पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

61. गंगापुर में स्थित फेड मील को पुन: चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

62. उप खण्ड मालपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति विहीन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत कर भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. उप खण्ड टोडारायसिंह की ग्राम सेवा सहकारी समिति विहीन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियां स्वीकृत कर भवन निर्माण हेतु बजट आबंटत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

64. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों को माफ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के किसानों की साख सीमा बढ़ाकर अधिकतम ऋण देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

66. किसानों को सहकारी समितियों से बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

67. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत वर्ष 2018 में खरीफ एवं रबी की फसलों में ऋणों का समायोजन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

69. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड को पुन: शुरू करने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व रामगंजमण्डी में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सहकारी उपभोक्ता दवाई भण्डार संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम मिलने वाले ऋण राशि को दुगना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व रामगंज मण्डी में किसानों को अपनी फसलों को रखने हेतु खाद्य गोदाम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन व रामगंज मण्डी में स्थित सभी शेष ग्राम पंचायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

74. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सहकारी समितियों द्वारा खाद-बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमन्द व झल्लारा के वंचित ग्राम में नई सहकारी समितियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गठन और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन विहीन तथा गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

79. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के ग्राम सेवा सहकारी समिति कृषि विकास सहकारी समिति के उपभोक्ता भण्डारों के गोदाम ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80 विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन मे पंजीयन सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं किसान सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन नियत समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रतिवर्ष आडिट नहीं कराये जाने से गबन व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक में गबन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

84. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भवन व गोदाम विहीन समितियों में भवन व गोदाम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

85. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की ग्राम सेवा सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में महिला सहकारिता को प्रोत्साहन हेतु महिला सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) की ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को गोदाम एवं अन्य आधारभूत संरचना व तकनीकी विकास हेतु सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के काश्तकारों को सहकारी समितियों के माध्यम से ज्ञानसागर योजना में शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में बरती जा रही उदासीनता एवं प्रचार-प्रसार के अभाव की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

89. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में प्रत्येक नये कृषक के ऋण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

90. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. प्रदेश में सहकारी समितियों में चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

92. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में (ग्रामीण बैंक) सहकारी समितियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किसनाराम विश्नाई (लोहावट):

93. सहकारी समितियों के भवन व व्यापार बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

94. विधान सभा क्षेत्र आहोर में किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. जिन किसानों को सहकारी समिति से ऋण के मामलें में Black Listed कर्ज माफी के तहत किया है, उन्हें पुन: ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र आहोर के कुआरडा बागुन्दा, पीछावाडी गांव में सहकारी उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सभी भवन एवं गोदाम विहीन सहकारी समितियों में भवन एवं गोदाम बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

98. वर्ष 2019 में खरीफ एवं रबी में राज्य सरकार का अंशदान बीमा कम्पनियों को समय पर उपलब्ध नहीं होने से अभी तक राजस्थान के लाखों किसानों को 2019 में फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने के संबंध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सहकारिता के चुनाव समय पर नहीं होने के कारण इसमें हो रही भारी अनियमितता एवं चुनाव सही समय पर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. सहकारिता के माध्यम से डेढ लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण का राजस्थान में प्रत्येक वर्ष वो भी व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं जिन्होंने इसका लाभ पिछले कई वर्षो से कर लिया है, नये लोगों को मुफ्त ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. राजस्थान में विभिन्न क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाटियों के द्वारा करोड़ों रुपया जनता से वसूल कर अधिकांश को-आपरेटिव सोसायटी गबन व अनियमितताओं के कारण बन्द होने या उनके संचालकों को जेल चले जाने के कारण राजस्थान के लाखों गरीब व्यक्तियों का पैसा उलझ जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. को-ऑपरेटिव सोसायटियों के चुनाव निश्चित समय पर किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराये जाने के लिए कानून में नये संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

103. जिला दौसा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

104. ग्राम सेवा सहकारी समिति भगवानपुरा में पुन: कार्य संचालन किये जाने अथवा अन्य किसी नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के भगवानपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक द्वारा किये गये गबन की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

106. प्रत्येक पंचायत स्तर पर सहकारी बैंक खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

107. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन ओवर ड्यू ऋण को पूर्ण चुकाने के पश्चात सहकारी समितियों से दोबारा ऋण नहीं मिलने की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारिता बैंक में शेष रहे ऋण को माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

109. जिला धौलपुर में भूमि विकास बैंक के चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. जिला धौलपुर में सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. भूमि विकास बैंक धौलपुर में स्टाफ का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

112. जिला धौलपुर में भूमि विकास बैंक में धन नहीं होने से किसानों को कर्ज दिये जाने में आ रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

113. सहकारी क्रय-विक्रय भण्डार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

114. आदर्श नगर हाउसिंग सोसायटी द्वारा नियम विरुद्ध भू-खण्डों का बेचान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

115. प्रदेश में संचालित क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटियों में हुए घोटालों की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. अक्रियाशील ग्राम सेवा सहकारी समितियों को क्रियाशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत देने हेतु उनकी जमा राशि वापस लौटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

118. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो कृषक ऋणी थे और उन्होंने पूरा पैसा जमा कराने के बाद भी उन्हें पुन: ऋण नहीं दिये गये व्यवस्थापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में शेरू गोदाम रहित जी.एस.एस. को अविलम्ब गोदाम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. ग्राम किशनमानपुरा में ग्राम सेवा क्रय-विक्रय सहकारी समिति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर, जी.एस.एस. प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

121. चूरू केन्द्रीय सहकारिता बैंक के वर्ष 2018-19, 2019-20 में नये किसानों को फसली ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

122. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के वे किसान, जिनका सहकारी बैंक से कर्जा माफ हुआ है, उन्हें अन्य बैंक, कार्यशील बैंकों का कर्जा माफ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. सेवा सहकारी समिति के माध्यम से खाद व बीज वितरण व भण्डारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र न मिलने से नया ऋण न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के वे किसान जिन्होंने ऋण ले रखा है, को सम्पर्णू ऋण माफी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के डिफाल्टर किसान जिनका कर्जा माफ हो चुका है, उनको सहकारी समितियों के माध्यम से नया कर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

127. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सहकारी Mini Bank खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के किसान जिन्होंने ऋण ले रखा है, उनका सम्पूर्ण ऋण माफी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नई ग्राम सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ग्राम सहकारी समितियों में भण्डार (गोदाम) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. सहकारी सेवा समिति में खाद्य व बीज वितरण व भण्डारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

132. डिफाल्टर किसानों को सहकारी बैंकों व समितियों के माध्यम से पुन: ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

133. विधान सभा क्षेत्र निवाई की सहकारी समितियों द्वारा देय ऋण डिफाल्टर की आडिट बाद भुगतान उपरान्त पुन: ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

134. सहकारी समितियों में हो रहे नियमों के उल्लंघन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

135. विधान सभा क्षेत्र आहोर के अनेक ग्रामों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

136. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, फसली ऋण, K.C.C. योजना का सही समय पर लाभ दिलाये जाने में विभाग की असफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

137. किसानों को मिलने वाली को-ऑपरेटिव ऋण की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित कृषि उपज मण्डी जैतारण, आ.कालू, रायपुर, में किसानों की फसलों की उचित खरीद, तुलाई को बढ़ावा देने में पारदर्शिता लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. राज्य सरकार के जन घोषण पत्र में सम्पूर्ण किसानों के सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा को पूर्ण किये जाने में विभागीय असफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

140. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने तथा अवसायन के कारण बन्द हुई समितियों के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

141. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सभी 42 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को प्रतिवर्ष की भांति 1.50 लाख रुपये बिना ब्याज के फसली ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 42 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के किसानों की फसलों का बीमा क्लेम नहीं मिलने से रोष है, बीमा क्लेम किसानों को दिलाने में विभागीय असफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सभी 42 सहकारी समितियों में खाद व बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सभी 42 ग्राम सहकारी समितियों को ऑनलाइन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

145. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों एवं सहायक व्यवस्थापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र नदबई में स्थित सहकारी समितियों के गोदामों के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र नदबई के ग्राम पंचायत बारहमाफी में ग्राम सेवा सहकारी समिति खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

150. विधान सभा क्षेत्र नगर में कस्बा सीकरी में सहकारी समिति में हुए घोटाले के पीड़ित लोगों को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र नगर में सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

152. विधान सभा क्षेत्र नोखा में जीएसएस व केवीएसएस के जहां भवन नहीं बने हैं वहां भवन बनाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. सहकारी बैंकों में किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध करने एवं नये ऋणी सदस्य जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. ग्राम सहकारी समिति में खाद व बीज वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र नोखा में वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. सहकार विभाग में संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

157 विधान सभा क्षेत्र मसूदा में ग्राम सहकारी समिति का भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

158. सहकारी समिति के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसान की सम्पूर्ण पैदावार खरीदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. किसान की फसल खरीद के लिए जनाधार कार्ड की बाध्यता समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के गांव दुलचासर में खरीद केन्द्र खोलने में विभागों की पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. नवगठित ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के कितासर में सहकारी समिति का भवन व बीज गोदाम के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर):

163. सहकारिता विभाग में लम्बे समय से न हो रहे चुनावों को पुन: शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

164. जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से जुड़े हुए Banking Correspondants CBC द्वारा समाप्त की गई लिमिट को पुन: बहाल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. प्रदेश में कार्यरत समस्त सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण कर कार्य प्रणाली को ऑनलाइन कर पारदर्शिता स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. जालौर एवं सिरोही जिलों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भण्डार गृहों के निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

167. जिला जालौर में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण एवं ऋण माफी में गम्भीर अनियमितताएं बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. राजस्थान प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

169. प्रदेश के किसानों को आसानी से फसली ऋण एवं कृषि उपकरणों पर रियायत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. प्रदेश के किसानों की पूर्णतया ऋण माफी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. सहकारिता विभाग में कार्मिकों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. सहकारी बैंकों में घोटालों की जांच कर ठोस कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

174. प्रदेश के कृषकों का पूर्णतया ऋण माफी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. सहकारिता के अधीन मेडिकल दुकानें जिला भीलवाड़ा व राज्य के अन्य जिलों में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

176. प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण फसल उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने एवं सहकारिता विभाग द्वारा फसल नहीं खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारिता भवन निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

179. अनुसूचित क्षेत्र में ट्रैक्टर, पाइप लाइन, फव्वारा सेट के लिये ऋण को भी माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

180. राज्य में सहकारी बैंकों में प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र डग में सहकारी बैंक से किसान सम्बल योजना के तहत आने वाले समस्त ऋण माफ करने एवं किसान क्रेडिट कार्ड को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र डग में किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लिये गये बगीचे के ऋण माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र डग में सहकारी समितियों के माध्यम से आनलाइन ऋण स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र डग में ग्राम सहकारी समितियों में सहकारी गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

185. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सारोला कलां सहकारी बैंक द्वारा आनलाइन स्वीकृति बिना ब्याज ऋण स्वीकृत होने के उपरान्त ऋण देने में भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

187. जिला सहकारी बैंकों व केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भी भूमि विकास बैंक की तरह 15वें वेतन समझौते का लाभ दिया जाने व एरियर का भुगतान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

188. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

189. सहकारी बैंकों में व्यवस्थापक की भूमिका के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

190. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में खरीफ व रबी फसलों हेतु GSSS में सभी सदस्यों को अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. खींवसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति मुख्यालय से कृषि मण्डी नागौर तक किसानों को यातायात सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियों को प्लेसमेन्ट एजेन्सी व अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता तय करते हुए एजेन्सी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. स्थानीय विधायक विकास योजना (MLACAD) से क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में राशि स्वीकृत करने का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. खींवसर क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक हजार मैट्रिक टन के गोदाम निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

195. राज्य की सहकारी बैंकों में 15वें वेतन समझौता लागू नहीं करने से व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

196. सहकारी बैंक के कार्मिकों को 15वें वेतन आयोग समझौते का लाभ, एरियर का भुगतान व अन्य लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

197. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में संचालित सहकारी समितियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

198. जिला हनुमानगढ़ की सहकारी संस्थाओं द्वारा जिले में अल्पकालीन फसली ऋण काश्तकारों को उपलब्ध करवाने एवं पिछले 02 वर्षों में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के संबंध में चर्चा के लिये।

199. ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व व्यवस्थापक द्वारा पद का दुरुपयोग व मिलीभगत के चलते सहकारी समिति को नुकसान पहुंचाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार केन्द्रीय सहकारी बैंक या सहकारिता विभाग को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

200. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा (भीलवाड़ा) के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋणी किसानों को लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा (भीलवाड़ा) के अन्तर्गत फूलिया कलां उप खण्ड के मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा (भीलवाड़ा) में सहकारी फसली ऋण आनलाइन पंजीयन योजना 2019 के अन्तर्गत वितरित फसली ऋण से लाभान्वित किये गये किसानों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

203. हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल बन्द करने के आधार व इसे पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र नोहर के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियां व प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. जिला हनुमानगढ़ नोहर में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ केन्द्रों पर ऐलोपैथी व आयुर्वेदिक दवा की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

206. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा (भीलवाड़ा) के किसानों को खेती संबंधी यन्त्र KVSS/GSS के माध्यम से किराये पर देने हेतु एक कस्टम हायरिंग केन्द्र को शाहपुरा नगर में स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

207. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दवाओं की दुकानों पर

उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी व अन्य सोसायटी में निवेशकों की जमा राशि की मोनिटरिंग एवं उन्हें राशि वापिस दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. राज्य सरकार द्वारा की गई ऋण माफी से वंचित रहे किसानों के ऋण माफ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. विभिन्न को-ऑपरेटिव सोसायटियों में निवेदशकों की राशि की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

211. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की सरगांव तथा सुरसुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नये भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई स्थित अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की शाखा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ स्थित अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का भवन जीर्ण-शीर्ण होने से नये भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ की ग्राम पंचायत काकलवाड़ा, आकोडिया, कालानाड़ा में नई जीएसएस खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

215 बहरोड़ (अलवर) के सहकारी बैंक में हुए गबन की जांच करने वाले अधिकारी के उसी स्थान पर प्रबन्धक बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

216 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सिनोदिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुई अनियमितता के संबंध में कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नई जीएसएस खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

218. राजस्थान के समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत स्टाफ की स्ट्रेन्थ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 47-पर्यटन पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 47 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में हैरिटेज सम्पत्तियों का जीर्णोद्धार एवं सरंक्षण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

2. अलवर जिले के धार्मिक स्थल पाण्डुपोल एवं भर्तृहरि को विकसित कर पाण्डुपोल में दर्शनार्थियों को मंगलवार व शनिवार के दिन वाहन सहित नि:शुल्क प्रवेश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुराने तीर्थ स्थल, तालवृक्ष, गरवा जी बानसूर किला आदि के जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

4. विधान सभा क्षेत्र भादरा के गोगामेड़ी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र भादरा में गांधीवन बनाकर पर्यटन के लिए पार्क बनाकर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

8. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पर्यटन महत्व के सेठानी जोहड़े के पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूरा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. चूरू शहर को हेरिटेज सिटी घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
10. चूरू के पर्यटन स्थल ऐतिहासिक गढ़ की बुर्ज की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

11. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में पर्यटन स्थलों के रख-रखाव तथा नये पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

12. पर्यटन नगरी बून्दी को पर्यटन विकास हेतु विशेष पैकेज देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

13. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव हिन्दूमलकोट को बाघा बोर्डर की तरह पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

14. विधान सभा क्षेत्र दूदू के छापरवाड़ा बांध स्थल व बिचुन को पर्यटक स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

15. नीमकाथाना के आस-पास के धार्मिक स्थल वागेश्वर, बालेश्वर, गणेश्वर एवं टपकेश्वर को पर्यटन के मानचित्र पर लाने पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

16. Wild Life पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कनवास के समीप किशोर सागर महल को पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. हेरिटेज पर्यटन का विस्तार करने हेतु, उन हेरिटेज भवनों को जो सरकारी धन के अभाव में रख-रखाव में असमर्थ हैं, उनको निजी क्षेत्र में देने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. प्रदेश में Wild Life पर्यटन के विस्तार की संभावना को देखते हुए इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. अमलसरा (सोरसन) क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु कैम्प साइट का विकास करने बाबत् चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

20. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अंतर्गत कालीबंगा गांव में 5000 वर्ष (पांच हजार वर्ष) पहले की सभ्यता के अवशेष मिले, वर्षों पुरानी

हड़प्पा कालीन सभ्यता को विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित करवाने एवं उत्खनन कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

21. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सूरजगढ़ कस्बे के तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

22. राजसमंद झील एशिया की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, उसके सौंदर्यीकरण हेतु चारों तरफ रिंग रोड बनाकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, जिला पर्यटन कार्यालय की स्थापना नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

24. जिला धौलपुर के दमोह झरना को पर्यटन स्थल में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

25. लाडपुरा पंचायत समिति के ग्राम गिरधरपुरा को जो मिनी गोवा कहलाता है, को पर्यटन के लिए विकसित कर पर्यटन नक्शे पर लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

26. विधान सभा क्षेत्र बगरू के प्राचीन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करवाकर पर्यटन से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

27. जिला चित्तौड़गढ़ के धार्मिक स्थल मात्री कूण्डिया, शनि महाराज, श्री सांवलियाजी प्राकट्य स्थल भादसौड़ा व श्री सांवलिया जी धाम मण्डपिया को पर्यटन सर्किट में जोड़कर विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

28. विधान सभा क्षेत्र करौली के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मां कैलादेवी के आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

29. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कमलनाथ, रामकुण्डा, राणा पूजा स्थलों को पर्यटन विभाग में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

30. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के प्राचीन सुरिया धाम एवं कपालेश्वर धाम को पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व):

31. बीकानेर में दिखाये जाने वाले ऐतिहासिक स्थलों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

32. प्रतापगढ़ के गोतमेश्वर, सीतामाता अभयारण्य, योगेश्वर महादेव रिछड़ी महादेव, होरी हनुमानजी, रोकडीया हनुमानजी, दिवाक माता को पर्यटन हेतु विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

33. सवाई माधोपुर रणथम्भौर एवं गंगापुर में पर्यटन विकास पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

34. पर्यटन को वन से जोड़कर वन्य जीवों व वनों के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज होटल्स पर बढ़ाया गया टैक्स कम करने के लिए राज्स सरकार द्वारा रियायत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. R.T.D.C. यूनिटों का विकास करने एवं मैरिज गार्डन के रूप में विकसित कर आय बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

37. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

38. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में स्थित प्राचीन सिन्धोलिया माताजी मंदिर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. टोडाराससिंह कस्बे में स्थित प्राचीन पहाड़ियां, बावड़ी, महलों व हाडी रानी कुण्ड का जीर्णोद्धार करवाकर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बजट आबंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में स्थित पुराने गढ़ों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित एवं मरम्मत करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. टोडारायसिंह कस्बे में स्थित प्राचीन भूतनाथ शिव मंदिर को पर्यटन क्षेत्र में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

42. जिला डूंगरपूर में स्थित राजा डूंगर बरण्डा की छतरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

43. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर (अजमेर) के नीलकण्ठ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के दुधालेश्वर महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित कर विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

45. मेवाड़ में महाराणा प्रताप व बावजी चतुरसिंह जी से जुड़े स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. मेवाड़ के धाम नाथद्वारा, कांकरोली, चारभुजा, कैलाशपुरी व ऋषभदेव को धार्मिक सर्किट को तीर्थ के रूप में पर्यटन स्थल विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. डबोक से फतहनगर व उदयपुर से कीर की चौकी के मध्य R.T.D.C. के मिड-वे के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र मावली में मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग जी (कैलाशपुरी) को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र मावली के नाथेला तालाब, राठासेठ माता मंदिर, श्रृंगरिषी महादेव मंदिर को आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

50. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्थित प्राकृतिक स्थल खोडेश्वर महादेव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्थित प्राकृतिक स्थल सुन्धा माता पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

52. विधान सभा क्षेत्र महवा के निर्गुण धाम मुण्डावर को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

53. झुंझुनूं शहर में स्थित नेहरा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. झुंझुनूं में स्थित पर्यटन विभाग के होटल को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. झुंझुनूं शहर में स्थित समस तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

56. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ बांध को पर्यटन स्थल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवाय माताजी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

58. सिवाना का प्रसिद्ध मंदिर हल्देश्वर महादेव, भीमगौड़ा, हींगलाजमाता, सुकलेश्वर महादेव को पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है, उनको पर्यटन विभाग में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर R.T.D.C. होटल ''खरताल'' वर्षों से बन्द पड़ी है, को लीज पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. सिणधरी क्षेत्र के प्रसिद्ध गोयणा महादेव मंदिर, गौभक्त रावला गुलाबसिंह की समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. सिवाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले शीतलामाता, मेला सिवाना मोकलसर, खण्डप, गणगौर मेला भीमगौड़ा, लाखेरा मेला एवं खरान्टिया मेला उत्सव को पर्यटन विभाग में सम्मिलित कर प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. बाड़मेर को तेल उत्पादन क्षेत्र का देश का प्रथम स्थान मानते हुए तेल उत्पादक हब के रूप में पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

63. उदयपुर में स्थित धार्मिक स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. उदयपुर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए विभाग द्वारा पर्यटक परिवहन व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

65. खण्डार क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं चंबल घड़ियाल सैंक्चुअरी को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

66. उपखण्ड मालपुरा में स्थित सिन्धोलिया माताजी के प्राचीन मंदिर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

67. आगरा रोड पर स्थापित पर्यटन स्थल को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

68. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

69. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित अनेक पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित ग्राम पंचायत सखावदा के पास मेज नदी पर पर्यटन विकसित होने की संभावना पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित इन्द्रगढ़ बीजासन माताजी व भगवान शंकर के स्थान कंवाल जी कमलेश्वर महादेव के मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित तलवाम व आतरंदा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित भगवान केशवराय जी के मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

74. अजमेर स्थित झलकारी बाई स्मारक को पर्यटन सर्किट में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. बीसलपुर बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं तारागढ़ की पहाड़ियों को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. राजस्थान की हस्तकला, शिल्पकला, हैंडीक्राफ्ट एवं कुटीर उद्योगों को विश्वस्तरीय पहचान देने हेतु सूरजकुण्ड द्वार हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान हाट/जयपुर हाट मेला प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. अजमेर में फायसागर झील एवं आनासागर झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Water Sports शुरू करने, अजमेर म्यूजियम पर बंद पड़े Light & Sound शो को पुन: प्रारम्भ करवाने एवं विदेशी पक्षियों की शरण स्थली आनासागर झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. पर्यटन विकास हेतु केन्द्र से दी गई राशि का समय से उपयोग नहीं होने से प्रदेश में पर्यटन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

79. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के चुघेर किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्थित लैला मजनूं की मजार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. चुघेर किले के जर्जर भवन को गिरने से बचाने के लिये नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

82. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में शूरवीर महाराणा प्रताप की कर्मस्थली एवं तृतीय राजधानी (चावण्ड) में प्रताप के महल, स्टेच्यू, विश्राम स्थल, सड़क, शौचालय, चावण्डा माता मंदिर द्वार आदि का पर्यटन विभाग द्वारा विकास कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अंतर्गत महाराणा प्रताप की समाधि स्थल बण्डौली (चावण्ड) में समाधि स्थल को एक मीटर ऊपर निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के महाराणा प्रताप के समाधि पर बण्डोली से समाधि स्थल तक पुल का निर्माण कर पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्थित हाडा रानी के महल की मरम्मत कराने तथा विकास कार्य कराने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विश्व की प्रसिद्ध जयसमंद झील के ऊपर हवामहल, रूठी रानी का महल तथा खण्डर महलों की मरम्मत करवाने तथा प्राचीन महलों की धरोहर को ठीक कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

87. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध मार्बल मण्डी को पर्यटन की दृष्टि से मेला आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. मकराना में मार्बल के क्षेत्र में हस्तकला/हस्तशिल्प हैण्डीक्राफ्ट/कुटीर उद्योग को विश्वस्तरीय मंच देने के लिए मकराना हाट मेला आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र मकराना में स्थित प्राचीन मंदिर/समाधि स्थली हरनावा व कर्माबाई मंदिर कालवा का जीर्णोद्धार कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. परबतसर में विश्व प्रसिद्ध नागौरी नस्ल के पशु मेला (तेजा मेला) व तेजाजी का मंदिर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

91. उपखण्ड इटावा (कोटा) में ऐतिहासिक महत्व के हाण्डी पालेश्वर महादेव मंदिर पर फ्लड लाइट (परिप्रदीप्ति) की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में पर्यटन एवं पुरातत्व महत्व के स्थल हाण्डी पालेश्वर, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर, ढीपरी कालीसिंध स्थित शिव मंदिर, गोणदी महादेव, फूसोद माताजी, झरेर बालाजी गुड़ला, छुआरी धाम बालूपा, गौड़ कालीन किला इटावा के भग्नावशेष, ककरावदा शिवरात्रि मेला आदि को राजस्थान के पर्यटक मानचित्र एवं पर्यटक सूचना प्रसार सामग्री में सम्मिलित कर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में बहने वाली प्रमुख नदियों चंबल, कालीसिंध एवं पार्वती में ग्रामीण पर्यटन विकास एवं बोटिंग सफारी (नौकायन) संचालन हेतु आवश्यक प्रोत्साहक उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में स्थित प्रमुख किलों, महलों, दुर्गों एवं हवेलियों को हेरिटेज योजना में विकास एवं प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. सोरसन (बारां) गोडावन अभयारण्य में पर्यटन की दृष्टि से कृत्रिम प्रजनन केन्द्र (Captive Breeding Centre) बनाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

96. जिला बाड़मेर में किराडू मंदिर, महाबार के रेत के टीले, रेडाणा के रण में पर्यटन विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

97. बाड़मेर को टूरिज्म सर्किट बीकानेर-जैसलमेर, माउण्ट आबू में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. बाड़मेर में हस्तशिल्प कलाओं का प्रदेश स्तरीय मेले आयोजित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. बाड़मेर में महात्मा ईशरदास का पैनोरमा स्थापित करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

100. जालौर जिले में सुप्रसिद्ध सुन्धा माता पर्वत एवं सेमकरी माता भीनमाल को पर्यटन स्थान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

101. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के धार्मिक व पर्यटन स्थलों को डामर सड़कों से जोड़कर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. जिला नागौर के ग्राम खरनाल में विश्व प्रसिद्ध वीर तेजाजी मेला को पर्यटक मानचित्र में सम्मिलित करने एवं धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु बड़े परिसर की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में स्थित धार्मिक आस्था को विभिन्न छतरियों एवं शिलालेखों का पुनरुद्धार व संधारण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

104. विधान सभा क्षेत्र आहोर में (जालौर) धुम्बडा माताजी के पास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र आहोर (जालौर) में स्थित दानारामजी के पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध मंदिर के पास से गुजर रही सड़क का बाईपास रोड जो वन विभाग में है, उसे स्वीकृत कर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

106. धौलपुर में चम्बल नदी में डाल्फिन मिलने के बाद पर्यटन मानचित्र में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

107. राजस्थान में पर्यटन की अतुल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा पर्यटन को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. पर्यटन विकास की दृष्टि से धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थान मेडिकल पर्यटन वन पर्यटन, पुरातत्व पर्यटन का विकास की दृष्टि से यदि प्रयत्न किया जावे तो राजस्थान में इसकी अपार संभावनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

109. महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की पिछले कई वर्षों से व्यवस्थित देखभाल नहीं होने से पर्यटकों का आना कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. राजस्थान में ऐतिहासिक एवं महापुरुषों के पैनोरमा पिछली सरकार के समय जो बनाये गये, उनको पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के संबंध में अत्यधिक बजट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. जनजाति शिड्यूल्ड एरिया में भी सीतामाता अभयारण्य, कुम्भलगढ़, जयसमन्द अभयारण्य मानगढ़ धाम, कोटड़ा में मामेर बेली और जयसमन्द झील को विश्व मानचित्र पर पर्यटन पर लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

112. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के "मांगलियावास कल्पवृक्ष" को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

113. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन विभिन्न नये पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन विभिन्न पर्यटक स्थलों के सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के जैसलमेर शहर में स्थित सिटी पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए गाइड्स को लाइसेंस देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

117. धौलपुर जिले में बहने वाले दमोह झरने को पर्यटन के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. जिला धौलपुर के सैपउ महादेव मंदिर को पर्यटन के लिए विकसित करने पर चर्चा के लिये।

119. धौलपुर जिले में तालाब शाही को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

120. फतेहपुर में पर्यटन स्थलों की देखरेख एवं पुरानी भीत्ति चित्रकारी हवेलियों को हेरिटेज में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

121. जोधपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

122. प्राचीन बावड़ी चौमूं, मलिकपुर, सामोद को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सामोद वीर हनुमान मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

124. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर व जिला अलवर के पर्यटन स्थल सिलीसेढ़ का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के शामदा गांव में स्थित बावड़ी का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. अलवर शहर में स्थित ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. जिला अलवर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराणा में बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

129. चूरू की ऐतिहासिक बावड़ी सेढाणी का जौहड़ के सौंदर्यीकरण के अधूरे स्वीकृत कार्य को पूरा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. चूरू शहर स्थित आर.टी.डी.सी. के मोटल चिरमी को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

131. बीकानेर में पर्यटन स्थल जूनागढ़ के सामने स्थित दुकानें, जिनका हस्तकला व प्रसिद्ध कला हेतु आबंटन हुआ, परन्तु वहां अभी फास्ट फूड की दुकानें लगी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में लाडेरा गांव में पर्यटन की दृष्टि से पूर्व में आयोजित हुए ऊंट मेले को पुनः शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. बीकानेर जिले में पर्यटन को विकास देने हेतु गैरसर से लाडेरा को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के लूणकरणसर कस्बे की झील को प्राकृतिक पर्यटन स्थल में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कतरियासार गांव में जसनाथजी महाराज के विश्व प्रसिद्ध मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

136. विधान सभा क्षेत्र गढी एवं बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के आस्था के केन्द्र बेणेश्वर धाम से त्रिपुरासुन्दरी से अरथूनिया हनुमान से मानगढ़ धाम से छोटीया आम्बा से माही डैम तक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

137. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में राणा सांगा की छतरियों का जीर्णोद्धार करने तथा इनको विश्व पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित आभानेरी बावड़ी की मरम्मत कराये जाने तथा इसको पर्यटन स्थल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में झाजीरामपुरा धार्मिक के स्थल के साथ-साथ पर्यटक स्थल हैं, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

140. जिला जयपुर शहर के पर्यटन स्थल विद्याधर का बाग को किसी एक फर्म को अनधिकृत रूप से किराये पर दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. जिला जयपुर शहर के पर्यटन स्थल सिसोदिया रानी के बाग में हो रहे अनावश्यक कार्य से नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

142. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित ऐतिहासिक मगरमण्डी माताजी मन्दिर निर्माण, भक्त शिरोमणी मीरा फोर्ट कुड़की, दीयावास-लवाचा बांध को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित धार्मिक आस्था के बड़े-बड़े मंदिरों जैसे बाबा रामदेव मंदिर बिराटिया खुर्द, गोपालदाता धूणा बलाड़ा, भोजराजजी मंदिर तालकिया, मण्डी क्षेत्र रास, भैरू का नाका मंदिर, जूना बाबा डिगरणा सहित प्रमुख मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सभी ग्राम पंचायतों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पार्क, सड़कों के दोनों ओर पेड़-पौधे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के मगरा क्षेत्र के कालब ग्राम में स्थित आर.टी.डी.सी. के गेस्ट हाउस को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. जैतारण शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पार्कों में झूले, चिड़ियाघर, फिश हाउस, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं की योजना को स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

147. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विदेशी पर्यटकों के साथ प्रदेश में अच्छा व्यवहार हो इस हेतु Ease of Travelling in Rajasthan की नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

149. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जवाई बांध व सिन्दरू बांध को पर्यटन स्थल घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में निम्बेश्वर महादेव तीर्थ स्थल, आशापुरी माताजी गौरी भाखरी बाला, नीलकण्ठ महादेव पहाड़ी सुमेरपुर, शीतलामाता मंदिर सिन्दरू को पर्यटन स्थल घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के जवाई बांध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वाटर पार्क विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में स्थित सिंहप्रस्थ सरोवर (सिणय तालाब) को पर्यटन स्थल घोषित करवाने व इसका विकास करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोलीवाड़ा ग्राम जो पेरिफेरी क्षेत्र सुमेरपुर नगरपालिका में है, वहां फिल्म सिटी की आबंटित भूमि पर फिल्म सिटी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

154. आमेर किले से पर्यटन की आय से आमेर के वार्ड नं. 1, 2, 3 एवं 4 को पूर्ण बुनियादी रूप से विकसित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. आमेर को केन्द्र द्वारा घोषित आईकानिक टूरिस्ट सेंटर के 317 करोड़ का काम शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

156. विधान सभा क्षेत्र नदबई के खानवा को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

157. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

158. विधान सभा क्षेत्र नोखा के जोगणियों का बाळा थावरिया को पर्यटन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. नोखा तहसील क्षेत्र के गांव उदासर, पांचू, नाथूसर, भादला, सांईसर, धरनोक, साठिका, बंधाला, जांगलू, छिंपा नाडा जेगला से होते हुए देशनोक तक के रूट में आकर्षक रेतीले-धोरों में पर्यटकों के लिए कैमल सफारी हेतु नया क्षेत्र चिह्नित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र नोखा के तालाब बंरगाली नाडी जांगलू को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. पर्यावरण के प्रणेता गुरु जम्भेश्वर भगवान के मुख्य धाम मुकाम (नोखा) को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में अधिसूचित करवाकर विकसित करवाने पर चर्चा के लिये।

162. नोखा तहसील क्षेत्र में स्थित सैंगाल धोरा ग्राम पंचायत कक्कू जहां सदियों पुराना गोरखनाथजी का धुणा है तथा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, करणी माता मन्दिर साठिका ग्राम पंचायत रातडिया जो करणी माता का ससुराल है, सुसवाणी माता मंदिर मोरखाणा जो सुराणा व दुग्गड़ों की कुल देवी है, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

163. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के देवमाली में देवनारायण मंदिर, जहां पर लाखों श्रद्धालु देवनारायण मेले पर आते हैं, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

164. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के रूस्तम धोरा को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव पुनरासर हनुमान मंदिर परिक्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

166. जालौर के ऐतिहासिक किले पर पर्यटकों के आवागमन हेतु रोप-वे का निर्माण करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

167. जालौर जिले में आने वाले पर्यटकों को तथा स्थानीय पर्यटकों को वन्य जीवन के दर्शन करवाने हेतु जीप-सफारी, ऊंट-सफारी एवं अश्व-सफारी की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. जालौर के ऐतिहासिक किले पर पर्यटकों के लिए "लाइट एण्ड साउण्ड" शो का आयोजन किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

169. जालौर के ऐतिहासिक सुन्धेलाव तालाब को पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए उसका और सौन्दर्यीकरण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. जोधपुर-जैसलमेर-बाड़मेर-जालौर-रणकपुर-उदयपुर को पर्यटन सर्किट बनाकर उसे लोकप्रिय बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर):

171. सवाई माधोपुर में घटते हुए पर्यटकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों के नये स्थलों को चिह्नित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

172. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र आमेर के बेरोजगार युवाओं को पर्यटन उद्योग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. प्रदेश के पर्यटक स्थलों के विकास के लिये विशेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

175. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मीरा नगरी मेड़ता सिटी को कृष्ण जोन में सम्मिलित कर पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता सिटी स्थित कुण्डल सरोवर व मालकोट को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता सिटी में स्थित मीरा महल को पर्यटन स्थल घोषित कर मीरा महल का जीर्णोद्धार का कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

178. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चिराली ब्लाक में कोचरी पंचायत के कडाणा बैक वाटर के टापू बैण को पर्यटन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पर्यटन विभाग के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के मेले आयोजित कर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

180. विधान सभा क्षेत्र डग में क्यासरा महादेव मंदिर के विस्तार व सौंदर्यीकरण-गार्डन बनाने तथा मंदिर मरम्मत का कार्य कराकर ग्रामीण पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र डग में कोल्वी बौद्ध गुफाओं का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थान बनवाने, गार्डन व पार्क बनाकर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र डग में ग्राम उमरिया में पुराना भूतेश्वर मंदिर है, इस मंदिर को पर्यटन विभाग से जोड़ा जाए व मंदिर का विकास, विस्तार एवं सौंदर्यीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र डग में उन्हेल नागेश्वर में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान है, यहां पर्यटकों के रुकने के लिए पर्यटन विभाग से सामुदायिक भवन, धर्मशाला गार्डन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

184. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पुरानी हवेलियां, पुरातत्व महत्व की छतरियां एवं बावड़ी आदि का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

185. मण्डावा (झुंझुनू) को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

186. भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में अन्तरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय की प्रधान पीठ पर समय-समय पर विशाल पैमाने पर होने वाले धार्मिक आयोजनों एवं मेलों को पर्यटन की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिये

शाहपुरा नगर में मिड-वे स्थल विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा के अन्तर्गत स्थित उम्मेदसागर बांध, पूर्व राजा रजवाड़ों के किलों, गढ़ों एवं धार्मिक स्थलों धनोप माता मंदिर चलानियां, भैरूनाथ मंदिर, धानेश्वर के मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. पर्यटन के माध्यम से ऐतिहासिक किलों, इमारतों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी विद्यार्थियों को दी जाने के लिये उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. प्रदेश में रोजगार व आय का प्रमुख स्रोत बने पर्यटन को बढ़ावा देने और इसकी जानकारी प्रदेश, देश एवं विदेश में देने के लिये व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की पुख्ता योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

190. बहरोड़ (अलवर) स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम के मिड-वे को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

191. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर स्थित देवयानी तथा शाकम्भरी मंदिर हेतु स्वीकृत कार्यों को शीघ्र करवाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में झील क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से मोनो रेल चलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के देवयानी तथा शाकम्भरी मंदिर विकास के लिए अलग से कमेटी का गठन कर ग्रामीण पर्यटन का विकास कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना तथा किशनगढ़-रेनवाल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

195. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. किशनगढ़ (अजमेर) के आसन की टेकरी काली माता का मंदिर, गुन्दोलान झील का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. किशनगढ़ (अजमेर) की विश्व प्रसिद्ध कृति बणी-ठणी (राधा) को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पीताम्बर की गाल का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित बुर्जवाली माताजी का मंदिर, चौर्बुजा बालाजी, नवगृह मंदिर तथा भैरव घाट बालाजी ग्रामीण पर्यटन स्थल का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

200. अजमेर एवं पुष्कर में पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कियोस्क स्थापित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. अजमेर की ग्राम पंचायत अजयसर में स्थित प्राचीन श्री अजपाल जी (अजगंधेश्वर) मंदिर क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. पुष्कर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विश्राम स्थलियों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. अजमेर जिले के पुराने महल, किले बावड़ियों इत्यादि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कर पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. अजमेर शहर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नाग पहाड़ी एवं अन्य स्थानों पर पर्यटन स्थल विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

205. विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास के राणा सांगा का स्मारक, लाल महल, दाऊजी का मंदिर, बंध बारेठा, ऊषा मंदिर, बाणासुर का किला, भीमलाठ, 12 खम्भा छत्री, ऐतिहासिक कुण्ड, मकबरा आदि को पर्यटन स्थल घोषित करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।